लोक सभा वाद-विवाद

हिंदी संस्करण

(आठवां सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 27 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,

नई दिल्ली ।

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

बुधवार, 21 अप्रैल, 1982/1 वैशाख, 1904 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 44, अंतिम पंक्ति में, सदस्य के नाम से पूर्व अतारांकित प्रश्न संख्या "8787" के स्थान पर "8784" पढ़िये ।

पृष्ठ 49, नीचे से पंक्ति दो में सदस्य के नाम से पूर्व अ0प्र0सं0 "873" के स्थान पर "8793" पढ़िए ।

पृष्ठ 78, पंक्ति 9 में सदस्य के नाम से पूर्व अ0प्र0सं0 "8823" के स्थान पर "8835" पढ़िये ।

पृष्ठ 92, पंक्ति 24 - शीर्षक में "विदेगों में कार्य के लिए पंजीकरण" के स्थान पर "विदेशों में कार्य के लिए पंजीकरण" पढ़िये ।

पृष्ठ 121, अंतिम पंक्ति में सदस्य के नाम से पूर्व अ0प्र0सं0 "8889" के स्थान पर "8896" पढ़िये ।

पृष्ठ 138, पंक्ति 4 में सदस्य के नाम से पूर्व अ0प्र0सं0 "8920" पढ़िये ।

पृष्ठ 147, पंक्ति 15 में अ0प्र0सं0 "9938" के स्थान पर "8938" पढ़िये ।

पृष्ठ 147, अंतिम पंक्ति में सदस्य के नाम से पूर्व अ0प्र0सं0 "840" के स्थान पर "8940" पढ़िये ।

पृष्ठ 151, पंक्ति 11 में सदस्य के नाम से पूर्व अ0प्र0सं0 "896" के स्थान पर "8946" पढ़िये ।

पृष्ठ 151, नीचे से पंक्ति 6 में सदस्य के नाम से पूर्व अ0प्र0सं0 "847" के स्थान पर "8947" पढ़िये ।

पृष्ठ 170, अंतिम पंक्ति में सदस्य के नाम से पूर्व अ0प्र0सं0 "8984" के स्थान पर "8974" पढ़िये ।

पृष्ठ 196, अंतिम पंक्ति में "श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) के स्थान पर "श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर)" पढ़िये ।

. . . 2/-

पृष्ठ 217, पंक्ति 8-शीर्षक में "रामपुर कांडला" के स्थान पर "रायपुर-मण्डला" पढ़िए ।

पृष्ठ 218, पंक्ति 2 - शीर्षक में "निर्माण" के स्थान पर "निर्णय" पढ़िये ।

पृष्ठ 221, नीचे से पंक्ति 3 में "संचार मंत्री (श्री सी०एम० स्टीफन)" के स्थान पर संचार मंत्री (श्री सी०एम० स्टीफन)" पढ़िये ।

पृष्ठ 223, पंक्ति 2 में "श्री सी०राम स्टीफन" के स्थान पर "श्री सी०एम० स्टीफन" पढ़िये ।

विषय-सूची

अंक 40, बुधवार, 21 अप्रैल, 1982/ 1 वैशाख, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या 797 और 799 से 803	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20—193
*तारांकित प्रश्न संख्या 804 से 811 और 813 से 817	20—30
अतारांकित प्रश्न संख्या 8765 से 8776, 8778 से 8797, 8799 से 8823, 8825 से 8851, 8853 से 8898, 8900 से 8922, 8926 से 8977 और 8979 से 8997	30—193
सभा पटल पर रखे गये पत्र	194
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति बयालीसवां प्रतिवेदन	195
विशेषाधिकार समिति दूसरा प्रतिवेदन	195
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	196
हिन्दुस्तान समाचार में कथित तालाबंदी	
श्री राम स्वरूप राम	197
श्री धर्मवीर	198
श्री भागवत झा आजाद	200
श्री रामावतार शास्त्री	202
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	210
श्री अशोक गहलोत	212
गांधी शांति प्रतिष्ठान आदि संबंधी जांच आयोग के लिए भारत की	

* किसी नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
आकस्मिकता निधि से धनराशि निकालने के बारे में वक्तव्य श्री पी० वेंकटसुब्बय्या	214
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति एक सदस्य का निर्वाचन करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश	215
नियम 377 के अधीन मामले	216
(एक) बिहार के भागलपुर जिले में बरारी स्टीमर सेवा को पुन: चालू करने की आवश्यकता श्री राम विलास पासवान	
(दो) पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना श्री जैनुल बशर	216
(तीन) रायपुर-माडिला-जबलपुर सैक्शन पर रेल लाइन का निर्माण श्री कँवर भूषण	217
(चार) निशक्तों के लिए दिल्ली में पुर्नवास केन्द्र की स्थापना श्री हरीश कुमार गंगवार	217
(पांच) राष्ट्रीयकृत बैंकों की "दैनिक जमा योजना" को समाप्त करने का कथित निर्णय डा० ए० कली निधि	218
(छः) राजस्थान के टोंक जिले में पीने के पानी की कमी- श्री बनवारी लाल बैरवा	218
(सात) दिल्ली परिवहन निगम की सेवा में सुधार करने की आवश्यकता डा० बसंत कुमार पंडित	218
(आठ) दामोदर घाटी निगम से पश्चिम बंगाल को बिजली की सप्लाई में वृद्धि करने की आवश्यकता श्री सोमनाथ चटर्जी	219
(नौ) पश्चिम रेलवे में कुछ छोटे रेलवे स्टेशनों से माल की बुकिंग बंद किया जाना । श्री दिग्विजय सिंह	221
अनुदानों की मांगें, 1982-83	221
(क) संचार मंत्रालय श्री सी० एम० स्टीफन	

विषय	पृष्ठ
(दो) **उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय**	
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	241
श्री जैनुल बशर	249
डा० ए० कलानिधि	253
श्री प्रताप भानु शर्मा	257
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति	259
श्री राम स्वरूप राम	275
श्री राजेश कुमार सिंह	277
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	281
श्री राम सिंह यादव	282
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	284
श्री सी० डी० पटेल	287
श्री सूर्य नारायण सिंह	290
श्री कमल नाथ झा	292
श्री ए० के० राय	294
श्री नारायण दत्त तिवारी	297
नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा, वित्त तथा सूचना और प्रसारण आदि मंत्रालय	
विनियोग (संख्या	313—318
पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव	
श्री प्रणव मुखर्जी	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री प्रणव मुखर्जी	
प्रो० अजीत कुमार मेहरा	
श्री रामावतार शास्त्री	
खण्ड 2 से 4 तथा 1	
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री प्रणव मुखर्जी	
कार्य मंत्रणा समिति	318
उन्तीसवां प्रतिवेदन	

लोक सभा

बुधवार, 21 अप्रैल, 1982/-1 वैशाख, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : आज प्रोफेसर इकट्ठे हो गये हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : आप पूछते क्यों हैं ? मैं भी वास्तव में प्रोफेसर था ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह बात है ?

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : मैं शकल से एक प्रोफेसर न लगूं, फिर भी किसी समय मैं प्रोफेसर था ।

अध्यक्ष महोदय : किसी समय ?

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : साम्यवादियों के षड्यन्त्र से मैं प्रोफेसर शिप से हटाया गया ।

एक माननीय सदस्य : अतः वह अपराधी हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इन्होंने अपना स्थान दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, प्रोफेसर पहले आते हैं । प्रोफेसर सत्यसाधन चक्रवर्ती ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : प्रश्न संख्या 797 ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री आपसे अधिक तेज हैं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आजकल बूढे लोग बहुत तेज होते हैं ।

एक माननीय सदस्य : बूढे नहीं हैं । वह बहुत जवान हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्योंकि आप अपने बाल रंगते हैं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बी० बी० जे० कंस्ट्रक्शन कम्पनी, कलकत्ता

*797 श्री†सत्यसाधन चक्रवर्ती :

श्री अजीत बाग : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि०, कलकत्ता के बारे में कोई पत्र मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त पत्र में दिये गये सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) जी, हां।

(ख) मुख्य विषय निम्नलिखित हैं :—

(1) कम्पनी के बन्द होने से रोजगार की हानि से बचने की आवश्यकता है।

(1) कम्पनी के पुनः स्थापना की सम्भावना पर विचार किया जाना चाहिए और जब तक यह न हो जाए कामगारों को मानवीय आधार पर किसी न किसी रूप में भुगतान जारी रहना चाहिए।

(ग) चूंकि ब्रेथवेट बर्न और जेसप कन्स्ट्रक्शन को इसके वर्तमान रूप में अलाभकारी पाया गया है अतः इसका पुनर्गठन करना आवश्यक है। सरकारी क्षेत्र के सम्बन्धित उपक्रम और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ बातचीत के बाद ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि वह कम्पनी के बन्द करने पर विचार कर रहे हैं और वह इसकी लाभप्रदता पर भी विचार कर रहे हैं और इन्होंने यह भी कहा है कि कर्मचारियों को किसी न किसी तरह मानवीय आधार पर भुगतान जारी रखना चाहिए। उन्होंने यही कहा है। इन्होंने पश्चिमी बंगाल सरकार से एक पत्र प्राप्त किया है। लेकिन मैं पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री द्वारा 22 अक्तूबर, 1981 तथा 23 दिसम्बर, 1981 को लिखे गये पत्रों का जिक्र करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बी० बी० जे० कंस्ट्रक्शन कम्पनी और विशेषकर ब्रेथवेटा बर्न एण्ड जैसप कम्पनी कास्ट आयरन फाउन्डरी तथा फैबरीकेशन इन्जीनियरिंग वर्क्स में विशेषता प्राप्त हैं। ये लाभकारी हैं और इन्होंने कहा है कि कम से कम उस समय तक पूर्व स्थिति कायम रखी जाये जब तक दूसरे हुगली पुल का निर्माण कार्य पूरा न हो जाये और इस पुनर्गठन का दूसरे हुगली पुल के निर्माण कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी बंगाल के वित्त मन्त्री ने अपने 10 सितम्बर 1981 के पत्र में कुछ सुझाव दिये हैं कि इन कम्पनियों का आधुनिकीकरण कैसे किया जा सकता है और उनका विस्तार कैसे किया जा सकता है।

"अब मैं मुख्य मन्त्री के पत्रों तथा पश्चिमी बंगाल के वित्त मन्त्री के पत्र को ध्यान में रखते हुये, मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन्हें पुनः सुसंगठित करने तथा आधुनिक बनाने पर विचार कर रही है और उन्हें उसी आधार पर विक्टोरिया पुनर्गठित तथा बन्द नहीं करेगी जैसे कि विक्टोरिया वर्कशाप के बारे में विचार किया जा रहा है और इस संस्था के उपयोग में लायी जाने वाली गुप्त क्षमता पर भी विचार किया जायेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी : माननीय सदस्य ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री के दो पत्रों

तथा वित्त मन्त्री के पत्र का जिक्र किया है। मुख्य मन्त्री के इन दोनों पत्रों के उचित उत्तर दिये जा चुके हैं। मैंने स्वयं 19 सितम्बर के एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने दूसरे हुगली पुल के निर्माण का जिक्र किया था और पश्चिमी बंगाल सरकार को आश्वासन दिया था कि भारी उद्योग विभाग तथा बी० बी० जे० के तीन सरकारी उपक्रम इस बात को सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक कदम उठायेंगे कि दूसरे हुगली पुल परियोजना के काम को प्रस्तावित पुनर्गठन द्वारा किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचे। बी० बी० जे० की मूल समस्या यह है कि इसे पिछले 12 वर्षों से घाटा हो रहा है। कुल घाटा लगभग 4.णउ3 करोड़ रूपये कम है 31 मार्च, 1981 को कुल देनदारियाँ लगभग 7.88 करोड़ रुपये की थी। इसकी अधिकांश मशीनरी सैकिंड हैंड है जिसे शायद 1936 में खरीदा गया था और इसमें से बहुत मशीनरी पुरानी है। संगठनात्मक दृष्टि से वे आधुनिक इमारतों के क्रयावेश नहीं ले सकते और थोड़े से समय में उन्हें पुन: सशक्त बनाना सम्भव नहीं है। अत: हमें यह तकनीकी परामर्श मिला है कि इस बी० बी० डे० के उपक्रम को, विशेषकर विक्टोरिया वर्क्स को पुन: सशक्त बनाना सम्भव नहीं है जिसकी पूंजी, मशीनरी तथा ढांचों का लिखित मूल्य लगभग 3. लाख रुपये है। पश्चिम बंगाल सरकार तथा वहां के मुख्य मन्त्री ने स्वयं अपने पत्र में विक्टोरिया वर्क्स की इस अलाभकारी स्थिति का जिक्र किया है। मुख्य मन्त्री के 4 दिसम्बर, 1980 के पत्र में कहा गया है: "यद्यपि इमारतों और इस्पात कार्यों के प्रति विक्टोरिया वर्क्स का योगदान बहुत ही कम है..." जैसे कि मैं अपने उत्तर में कह चुका हूं, हम सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ और चर्चा के बाद अन्तिम निर्णय लेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं आपके नाम लिखे पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री के 22 अक्तूबर, 1982 के पत्र का जिक्र करना चाहूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपको यह कैसे मिला।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह एक खुली बात है। इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं है। यह एक खुली सरकार है। (व्यवधान) यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। चूंकि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए इन बातों का समाधान किया जाना चाहिये। मुख्य मन्त्री ने अपने 22 अक्तूबर 1981 के पत्र में स्पष्ट कर दिया था कि विक्टोरिया वर्क्स तथा बी० बी० जे० निर्माण कार्य शुरु कर चुके हैं और यह निर्माण कार्य 1500 टन के करीब का होगा। इस बीच यदि आप तकनीकी सलाह के आधार पर कारखाने के बन्द करने का निर्णय लें तो- मुझे मालुम नहीं कि निर्णय लेने वाले आपके तकनीशियन कौन हैं। वह एक ठीक निर्णय नहीं होगा। वास्तविकता यह है कि कम्पनी ने अब उठाना शुरु कर दिया है और मुख्य मन्त्री ने कह दिया है कि निर्माण कार्य लगभग 1500 टन का है। यदि आप इसे अब बन्द करने की कोशिश करें तो आप एक ऐसी कम्पनी को समाप्त कर देंगे जिसने काम करना तथा क्रयावेश लेना शुरु कर दिया है। यह निर्णय किस आधार पर लिया गया ? मुख्य मन्त्री पहले ही कह चुके हैं कि अलाभप्रदता का कोई भी प्रश्न नहीं है। यह सब केवल कुप्रबन्ध के कारण हुआ प्रबन्ध कार्यकुशलहीनता के कारण इस वी० बी० जे० को नुकसान हुआ है अत: प्रश्न बन्द करने का नहीं बल्कि कार्यकुशलता को बढ़ाने का है। आप प्रबन्ध को गल्ती के लिए कर्मचारियों को दंडित करने जा रहे हैं। क्या आप इस नीति को संशोधित

करते जा रहे हैं ? क्या आप प्रबन्ध कार्यकुशलता को बढ़ायेंगे और इस एकक को बन्द नहीं करेंगे जो पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं यह बात पहले ही स्पष्ट कर चका हूं कि जहां तक दूसरे हुगली पुल के निर्माण का सम्बन्ध है, इस पर किसी भी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा अन्तिम निर्णय उचित परामर्श के बाद, पश्चिम बंगाल सरकार तथा सम्बन्धित उपक्रम से परामर्श लेने के बाद अभी लिया जाना है। अतः हमने दरवाजा खुला रखा हुआ है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि माननीय सदस्य ऐसे मामले को उठाने पर जोर क्यों दे रहे हैं, जिस पर चर्चा हो चुकी है। मैंने इस मामले के बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री, वित्त मन्त्री तथा उद्योग मन्त्री से बातचीत की थी। आपके बाद अधिकारियों के एक ग्रुप का गठन किया गया था, जिसने सब बातों का अध्ययन किया। उस समिति में पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि बी० बी० जे० द्वारा उपलब्ध किये गये तकनीकी ब्यौरे से पूर्णतः सहमत थे। जहां तक बुनियादी तथ्यों का सम्बन्ध है, इसके बारे में कोई भी मतभेद नहीं है। केवल प्रश्न यही है कि क्या हम वर्तमान विक्टोरिया वर्क्स के अलाभकारी कार्य के संचालन को जारी रख सकते हैं ? पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री इस बात को मानते हैं कि यह एक अलाभकारी एकक है। इससे पहले हमने प्रस्ताव किया था कि बी० बी० जे० एक कानूनी एकक के रूप में चलता रहे। इसके बाद यह दूसरे हुगली पुल के निर्माण के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार बना रहेगा। बी० बी० जे० का अर्थ क्या है ? जैसे कि प्रोफेसर साहिब जानते हैं, बी० बी० जे० बर्न, स्टेंडर्ड ब्रेथवेट एण्ड जैसप के लिये उपयोग किया जाता है। यह तीन सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का एक संघ है जिसे पहले हुगली पुल के निर्माण के लिये 1934 या 1935 में बनाया गया था। वह संघ एक कानूनी संस्था के रूप में बना हुआ है। अब वह कानूनी संस्था के रूप में बना रहेगा और एक कानूनी संस्था के रूप में काम करेगा। बी० बी० जे० के कार्यकरण की पूरी जिम्मेदारी मैसर्ज जसुप एण्ड कम्पनी के पास रहेगी। हुगली पुल लगाने सम्बन्धी निर्माण कार्य की जिम्मेदारी कम्पनी के प्रत्येक घटक-बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी ब्रेथवेट एंड जैसुप के पास रहेगी मै माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हुगली पुल के निर्माण कार्य तथा इसकी सुरक्षा सम्बन्धी बी० बी० जे० का जिम्मेदारी का निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सम्मान किया जायेगा। जहां तक वर्कशाप के बन्द होने का सम्बन्ध, हम इस पर अभी भी विचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार तथा तीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से परामर्श लेने के बाद अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

श्री अजित बाग : श्री चक्रवर्ती ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की है। अतः मैं पुनः पिछली बातें बताकर सदन का समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। मैं सीधे प्रश्न ही पूछूंगा। क्या मन्त्री महोदय को बी० बी० जे० कंसट्रक्शन कम्पनी लि० स्टाफ यूनियन के महासचिव के दो पत्र प्राप्त हुए हैं जो क्रमशः 11.2.82 तथा 19.2.82 को लिखे गये थे तथा यदि हां, तो उन पर उन्होंने क्या कार्यवाही की ? दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले की पुनः जांच करने के लिए बनाई गई जांच समिति की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया है, यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति लोक सभा के पटल पर रखी जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : इस समय मुझे याद नहीं है कि मुझ संघ का कोई अभ्यावेदन मिला है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वह उसके लिए अन्य प्रश्न पूछे।

जहां तक जांच समिति की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, यदि इसे समिति की रिपोर्ट कहा जाए, इस जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि कारखाने के घाटे पर चलने वाले कार्यों को बन्द कर दिया जाये। उसका संक्षिप्त विवरण पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री को भेजा गया था। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य के पास उस संक्षिप्त विवरण की एक प्रति है।

दिल्ली में फाइव स्टार होटल में चोरी

***799. श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में एक फाइव स्टार होटल में कुछ समय पूर्व हुई हीरों, जवाहरातों और डालरों की चोरी के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; और

(ख) इस मामले में पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० वेंकटसुब्बय्य) : (क) ओबराय इन्टर-कांटीनेंटल में हुई एक महिला स्टेफेनिया बोन कारीज जू गेटजे के जवाहरातों की चोरी के मामले के सम्बन्ध में अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसकी सूचना 7 जनवरी 1982 को निजामुद्दीन थाने को दी गई थी। इस मामले में डालरों की चोरी नहीं हुई थी।

(ख) इस मामले की जांच पड़ताल का कार्य 11 जनवरी, 1982 को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया गया था। संबंधित होटल कर्मचारी और अन्य व्यक्ति जिनसे शिकायत कर्त्ता का सम्पर्क हुआ था, से पूछताछ की गई। जांच पड़ताल जारी है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : अध्यक्ष जी, फाइव स्टार्स होटल्स में अधिकतर विदेशी पर्यटक आकर ठहरते हैं, जिनसे हमारे देश को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा मिलती है। जब उनके जान-माल की सुरक्षा नहीं होगी तो इससे हमारे होटल बिजनेस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसमें देश की भी बदनामी होती है।

माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि इस घटना को करीब चार महीने से ऊपर हो गये हैं और अभी तक किसी प्रकार का सुराग नहीं मिला है। जनवरी के पहले तीन हफ्तों में ही दिल्ली में फाइव स्टार होटलों में 3 चोरी की घटनाएं हुई हैं। ओबराय इन्टर कांटीनेंटल होटल की चोरी के बारे में माननीय मन्त्री जी ने हवाला दिया है, एक दूसरे होटल में 10 हजार डालर चोरी हो गये और एक अन्य होटल, जिसका नाम मुगल सम्राट के नाम पर है, वहां से दो ब्रिटिस पर्यटकों के सोने के आभूषण और घड़ियां चोरी हो गई।

इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और चार महीनों से पुलिस पता नहीं लगा पा रही है। पुलिस का कहना यह है कि इस तरह की चोरियों में कर्मचारियों का हाथ है और कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह की चोरियों में बड़े-बड़े अफसर इनवाल्व हैं। तो ये कर्मचारी,

अफसर और पुलिस, इस तरह का लिंक है कि अभी तक इनका पता नहीं लग पा रहा है। यह बड़े ताज्जुब की बात है।

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि किसी बड़ी एजेंसी जैसे सी० बी० आई, इत्यादि से इन घटनाओं की जांच करवाने का सरकार का विचार है? यदि है तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही वे करने जा रहे हैं और कब तक करेंगे?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या: महोदय माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया है कि उस समय कई फाइव स्टार होटलों में कई चोरियां हुई हैं तथा इससे हमारे होटलों की प्रतिष्ठा कम हो जाऐगी क्योंकि वहां बहुत से विदेशी आते हैं।

फाइव स्टार होटलो की सुरक्षा व्यवस्था है जो होटलों से चोरी आदि होने का पूरा ध्यान रखती है।

जांच के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि इस कार्य में होटल के कुछ कर्मचारी भी मिले हुए हैं। उन्होंन जो कुछ कहा वह ठीक साबित नहीं हुआ। इस मामले में होटल के किसी भी कर्मचारी का हाथ नहीं है।

इस विशेष मामले की जांच करते समय हमने पुलिस से भी सम्पर्क स्थापित किया है। हम ओबराय इन्टर-कान्टीनेटल में हुई इस चोरी, जिसका उन्होंन उल्लेख किया है, की जांच करने के लिए गुप्तचर एजेंसियों की भी सहायता ले रहे हैं। अन्य मामलों मे यह कहना उचित नहीं है कि उस विशेष समय में ही साथ हो साथ और भी चोरियां हुई थीं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1981 में चाणक्यपुरी में एक चोरी की घटना हुई थी। यह चोरी अशोका होटल मे हुई। 2.5.81 को मयूर होटल में चोरी हुई थी तथा 7.5.81 को अकबर होटल में चोरी हुई। चोरी की लगभग 11 घटनाएं हुई। लेकिन 1981 से 1982 में ही ऐसी चोरियां हुई हैं। जहां कहीं भी इसकी रिपोर्ट की गई, तथा मामले का हमने पता लगा लिया है। मौर्य होटल में एक डच निवासी ठहरा हुआ था तथा उसने चोरी की रिपोट दी। पुलस ने छान-बीन की तथा चोरी का पता लगा लिया गया और अपराधियों को पकड़ लिया गया।

होटलों की अपनी सुरक्षा प्रणाली के अतिरिक्त, पुलिस ने भी कई उपाय किए है, जो इस प्रकार हैं—

(क) उन्होंने पुलिस की निगरानी बढ़ा दी है।

(ख) पैदल तथा वाहनों पर गश्त, नाकी टाकी सैटों सहित सशस्त्र गश्त और वायरलैस मोटर साइकिलें।

(ग) दंड प्रक्रिया संहित की सामान्य निवारक धाराओं के अन्तर्गत दुश्चरित्रों तथा अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही।

(घ) खुफिया विभाग का विकास करके डाकूों, चोरों, तथा अन्य दुश्चरित्र लोगों का पता लगाने के लिए जिले के विशेष दलों का निरन्तर अभियान।

(ङ) अपराध कार्यों में लगे लोगों का पता लगाने के लिए वाहनों की अचानक जांच ।

(च) ज्ञात अपराधों पर निगरानी तेज करना ।

(छ) थीकरी फर्म की संस्था तथा स्थानीय लोगों की पुलिस गश्त तथा नीजि चौकीदारों का पुलिस गश्त को सहयोग ।

(ज) रिहा किए गए अपराधियों पर विशेष निगरानी । (व्यवधान) पुलिस द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मंत्री महोदय ने कहा है कि इसमें कर्मचारियों को हाथ नहीं है । लेकिन में नहीं कह रहा हूं, यह पुलिस का कहना है कि इन चोरियों का पता हमें इसलिए नहीं लग रहा है, इसमें दिक्कत इसलिए आ रही है कि इसमें कर्मचारियों का हाथ है और कर्मचारियों का कहना है कि इसमें बड़े-बड़े अफसरों का हाथ है । इस सम्बन्ध में आपका क्या कहना है ?

विदेशी पर्यटक जब शहरों में घूमने के लिए जाते हैं तो उनके साथ असामाजिक तत्व छेड़खानी करते हैं और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे देश की छबि धूमिल होती है । उनके साथ इस तरह का व्यवहार न हो, उनकी सुरक्षा की उचित व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार कौन से कदम उठाने जा रही है ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : हर सम्भव कदम उठाए जा रहे हैं । हम ध्यान रखते हैं कि ऐसी कोई घटना न हो । यदि वे पुलिस का ध्यान उस ओर दिलाया जाता है, तो उस पर तत्काल कार्यवाही की जा रही है । जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन दुःश्चरित्र व्यक्तियों तथा उन लोगों पर निगरानी रखने के लिए, पुलिस विभाग ने कदम उठाए हैं, जो बिदेशी पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तथा उन्हें परेशान करते हैं ।

श्री राम विलास पासवान ; (क) और (ख) दो भागों में मेरा प्रश्न है ।

(क) भाग यह है कि भारत जैसे गरीब देश में फाइव स्टार होटलों का क्या तुक है विशेष तौर से तब जब से क्राइम्ज के अड्डे बन गए हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि इनको खोलने का और इनको प्रोत्साहन देने का क्या तुक है ? (ख) भाग यह है कि बड़े पैमाने पर यहां हो रहे क्राइम्स को देखते हुए और जैसे माननीय सदस्य ने कहा है कि इसमें मैनेजमेंट का हाथ होता है, अधिकारियों का हाथ होता है, उनकी बहुत बड़े पैमाने पर सांठगांठ होती है, क्या सरकार इन फाइव स्टार होटलों को अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरा पार्ट ठीक है पहला नहीं । वह इरेलेवेंट है ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : यह कहना ठीक नहीं है कि फाइव स्टार होटलों में बडी संख्या में अपराध हो रहे हैं । मैंने आंकड़े दिए है । मैंने 1981 से 1982 में होने वाली कुछ घटनाओं को उद्धृत किया है । मेरे माननीय सहयोगी को यह पता होना चाहिए कि फाइव स्टार होटलों में होने वाले अपराधों की संख्या बढ़ी नहीं है । अन्य मामले पर मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं । मैं यह कहूंगा कि जहां पर कदम उठाना आवश्यक है वहां कदम उठाए जा रहे हैं ।

श्री रामविलास पासवान : सरकार अपने हाथ में लेगी या नहीं? इसका क्या जवाब है ?

अध्यक्ष महोदय : कुछ हो रहे हैं। इनका काम नहीं है। वह इस बारे में कुछ नहीं कह सकते।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : फाइव स्टार होटलों में चोरियां होने का प्रश्न केवल दिल्ली का ही नहीं बल्कि दिल्ली से बाहर का भी है। मन्त्री महोदय ने एक सप्ताह पूर्व यह समाचार पढ़ा होगा जिसमें कहा गया है कि निर्मल सेतिया की जिस पर तस्कर होने का आरोप है, है, बम्बई में हीरों जड़ी घडी खो गई है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके दिमाग में कभी यह विचार आया है कि ये चोरियां इन बहुमूल्य वस्तुओं पर सीमाशुल्क न देने का आसान तरीका है, और तभी उनके गुम होने की बात कही जाती है ? इस सम्बन्ध में मैं इस विशेष मामले के बारे में जानना चाहता हूं कि यह वास्तव में ही चोरी का मामला था। काउंटेस को देश छोड़ने की अनुमति देने से पूर्व क्या सरकार ने पर्याप्त प्रारम्भिक जांच की थी ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : काउंटेस के देश छोड़ने से पूर्व, पर्याप्त कदम उठाए गए तथा जिन लोगों पर हमें शक था, उनका पता लगाया जा चुका है। इस औरत ने अपना वक्तव्य दिया। उस (स्त्री) ने प्रेस में जाकर, उसे निमन्त्रण देकर, तथा प्रेस सम्मेलन बुलाकर एक तरह से विवाद खड़े कर दिए हैं। हसने इस मामले में काफी सावधानी बरती है। जैसा कि मैंने कहा कि जांच अभी भी हो रही है।

निर्मल सेतिया, जिसने अपनी घड़ी खो जाने की बात कही है, के सम्बन्ध में डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, हर रोज हम प्रशंसा करते हैं कि विज्ञान में उन्नति हो रही है। लेकिन उसकी कई हानियां भी हैं। यहां तक कि चोरियां भी वैज्ञानिक तरीके से की जाती हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि स्कूल फॉर रिसर्च ऑन क्राइम ने कुछ सुझाव दिए हैं। क्या उन्हें पूरी तरह से कार्यान्वित किया गया है अथवा उनकी पूर्णतः उपेक्षा की गई है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं उसके लिए पहले से नोटिस चाहता हूं।

बायो-गैस पर आधारित पावर इन्जन का विकास

*800. **श्री प्रताप भानू शर्मा** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने एक ऐसे पावर-इन्जन का विकास किया है जिसमें ईधन के रूप में शत प्रतिशत बायो-गैस क उपयोग किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में इसके वाणिज्य-उत्पादन का क्या कार्यक्रम है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और समाज विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह : (क) से (ग) भारत को विभिन्न अनुसन्धान और विकास संस्थाओं में यथा: बी० एच० ई० एल० (अनुसन्धान और विकास केन्द्र), मफतलाल पोलोटेक्निक, बम्बई, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, दिल्ली और मद्रास आदि में ईधन के रूप में शत प्रतिशत बायो गैस पर आधारित इन्जनों का विकास किया गया है। इस प्रकार के इन्जिनों का लम्बी अवधि के लिए कार्य निष्पादन निर्धारित करने के लिए इस समय परीक्षण और मूल्यांकन किया जा रहा है। बाद में वे वाणिज्य-उत्पादन के लिए उपलब्ध होंगे।

श्री प्रताप भानु शर्मा : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बायो गैस भविष्य के लिए ऊर्जा का साधन है, विशेषकर हमारे देश में, जहां करीब 30-40 करोड़ टन पशुओं का गोबर उपलब्ध है जो कि बायों गैस के उत्पादन का आधार है, और यदि इसका ठीक प्रयोग किया जाए तो इससे करीब 7000 करोड़ क्यूबिक मीटर मीथेन गैस उत्पन्न की जा सकेगी। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने किसी सरकारी संस्थान में बड़े पैमाने पर बायो गैस पर आधारित बायो गैस इन्जन के बनाने की कोई योजना बनाई है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने उन संस्थाओं को कोई वित्तीय तथा प्रौद्योगिकी सहायता दी है जो इस तरह के पावर इन्जनों के विकास के लिए अनुसंधान तथा विकासात्मक कार्य कर रही हैं ?

अब तक इन इन्जनों से अधिकतम कितने बी० एच० पी० का विकास किया जा चुका है ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : माननीय सदस्य ने ठीक ही संकेत किया है कि वायो गैस को प्राथमिकता दी जा सकती है और दी जानी चाहिए क्योंकि भारत में, जैसी कि इस भव्य सदन को जानकारी है, बायो मास तथा पशुओं का गोबर बहुत अधिक होता है। सौभाग्य से, ऊर्जा के अतिरिक्त साधन आयोग के अन्तर्गत अब हमने यह कार्यक्रम बहुत जोर-शोर से आरम्भ किया है।

मैं इन विषयों पर सदस्यों के प्रश्नों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं इस समय हमारे पास एक पम्प है जिसमें 80 प्रतिशत बायो गैस तथा 20 प्रतिशत डीजल इस्तेमाल होता है। जहां तक 100 प्रतिशत बायो गैस इंजन का सम्बन्ध है, इस समय हम इस स्थिति में है कि भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे बिशिष्ट इन्जन के परीक्षण किए गए हैं। इस पर प्रयोग जारी हैं। लेकिन जैसा कि सदस्य जानते हैं कि जब तक इसका उपयुक्त मूल्य तथा रख रखाव ठीक नहीं होता। इसे वाणिज्यक प्रयोग के लिए निकालना ठीक नही होगा।

प्रश्न का अन्य भाग जो कि बायो गैस पर चलने वाले इन्जनों के लिए वित्त व्यवस्था करने से संबंधित है, इसे आई० आई० टी० तथा कई गैस सहकारी उद्योग जैसे मफतलाल, किर्लोस्कर तथा स्टर्लिंग इंजन, उत्तर प्रदेश आदि बढ़ावा दे रहे हैं।

श्री प्रताप भानु शर्मा : महोदय, मैं उत्तर से एकदम संतुष्ट हूं। नए 25 सूत्रीय कार्यक्रम

के अन्तर्गत माननीय प्रधान मन्त्री ने राष्ट्रीय बायो गैस प्रौद्योगिकी परियोजना आरम्भ करके बायो गैस प्रौद्योगिकीय को प्राथमिकता दी है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस कार्य में पिछले दो वर्षों में इस नयी एजेन्सी ने कितनी उन्नति की है जबकि हम 10 लाख फैमिली साइज बायो गैस इकाइयों और····· के विकास का लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं (व्यवधान) चापलूसी नहीं यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको प्रश्न की महत्ता समझनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, शांत रहिए।

श्री प्रताप भानु शर्मा : हमने छठी योजना में 100 सामुदायिक गैस संयत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक हमें कितनी उपलब्धि हुई है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या वे गाय के गोबर से मक्खन बना सकते हैं ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : मुझे निश्चय है कि डा० स्वामी स्वय ही तकनीकी खोज कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था जिस पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारी माननीय प्रधान मंत्री ने उसको अपने 20 सूत्रीय कार्यक्रम में महत्व दिया है जो कि समाज के गरीब वर्गों के उत्थान के लिए है। मुझे विश्वास है कि विपक्ष में बैठे हुए मेरे माननीय मित्र इस बात की सराहना करेंगे कि यह कार्यक्रम गरीब वर्गों के लिए है क्योंकि हमारी जनसंख्या का 76 प्रतिशत ग्रामीण भारत में रहता है यह मानने योग्य तथ्य है। और मात्र हास्यास्पद बात नहीं है।

परिवार बायो गैस इकाइयों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में बात यह है कि यह कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आता है और उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम बनाया है। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने बतलाया है 1980 के बाद इस कार्यक्रम पर अधिक बल दिया गया है।

जहां तक समुदाय बायो-गैस संयत्र का सम्बन्ध है यह मामला आयोग के अधिकार क्षत्र में आते हैं और मुझे पूरा विश्वास है और मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि हम छठी योजना के दौरान अवश्य उनको लगा देंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : प्रयोग अभी भी जारी हैं परन्तु चीन में लगभग प्रत्येक कम्यून के पास ये ऊर्जा इन्जिन है और शक्ति इन्जिन बायो-गैस से चलाये जा रहे हैं। मेरा यह अनुमान है कि चीन तथा हमारी प्रणाली में एक वैज्ञानिक समन्वय है। मेरा सुझाव यह है कि क्योंकि यह एक प्रयोग है और हमारा किसान रुढ़िवादी है तो क्या आपका विभाग इसका समन्वय सहकारिता विभाग से करेगा ताकि सहकारी समितियां किसानों को ये इन्जिन खरीदने के लिए अधिक प्रोत्साहन दे सके ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : चीन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सभा में कई दफा बताया जा चुका है। परन्तु मैं सभा को तथा माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हमारे वैज्ञानिक, तकनीशियन तथा इन्जीनियर किसी भी प्रकार से चीन से पीछे नहीं है। परन्तु दुर्भाग्य से या सौभाग्य से उनकी सरकार इस प्रकार की ईकाईयों की स्थापना के लिए भिन्न तरीका अपनाती

है तकनीकी दृष्टि से हम वास्तव में ही पीछे नहीं है ।

प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा है कि यह कार्यक्रम जारी है। यह ऐसा कार्यक्रम है जिसको इस कारण से चालू रखना है कि हो सकता है कि आज की तकनीकल संगत न रहे । केवल प्रयोगशाला में ही नहीं बल्कि किसान के साथ समन्वय करके भी इस तकनीक को आधुनिक बनाना आवश्यक है ।

प्रश्न का दूसरा भाग सहकारी समितियों के साथ निकट समन्वय के बारे में है सौभाग्य से महाराष्ट्र में हम बहुत अधिक सफल हुए हैं क्योंकि वहां पर सहकारिता आन्दोलन अधिक मजबूत है । अब यह कार्यक्रम विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाया जाना है । हम विभिन्न राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं । कुछ तो सक्रिय रूप से सहयोग दे रही है और कुछ नही । परन्तु फिर भी हम उन राज्य सरकारा को इस मामले में समझा रहे जो कि इस कार्यक्रम को उतना आगे नहीं बढ़ा रही है जितना इसको होना चाहिए ।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में टिन निक्षेपों का अनुमान लगाया जाना

* 801. **श्री० के० प्रधानी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-विज्ञान सर्वेक्षण सस्था ने उड़ीसा के कोरापुट जिले में टिन निक्षेपों का अनुमान लगान के लिए कोई जांच की है ।

(ख) यदि हां, तो कोरापुट के किन-किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) अनुमान का ब्योरा क्या है और कोरापुट जिले के उन क्षेत्रों से टिन निकालने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां ।

(ख) कोरापुट जिले में अब तक सर्वेक्षण किए गए क्षेत्र ग्राम दामोगुडा, टेंटुलीगुय्या, टोंडापल्ली, डुमरीपोडोर पोडापोडोर तथा दन्डावादा के आस पास हैं ।

(ग) इन क्षेत्रों में टिन-धारी विभिन्न जोनों को चिन्हित किया गया है । 20 से 60 मी० लम्बी टिन-धारी चट्टानों की पहचान कर ली गई है । बायोगुडा के कुछ खण्डों में टिन अयस्क सहायक निक्षेप के रूप में पाया गया है । खोजें चल रही हैं । इन अयस्क निक्षेपों का दोहन भंडारों के निश्चित आकलनों और उनकी आर्थिक-उपादेयता पर निर्भर होगा ।

श्री के० प्रधानी : माननीया मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वे ने उड़ीसा के कोटापुर जिले में टिन निक्षेपों के लिए सर्वेक्षण किया है । उड़ीसा की राज्य सरकार भी कहती है कि खनन निदेशालय जांच के लिए कार्य वाही कर रहा है । क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार और उड़ीसा राज्य सरकार जांच कार्य स्वतन्त्र रूप से कर रही हैं या एक दूसरे के सहयोग से कर रही हैं ? मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना

चाहूंगा कि अब तक टिन निक्षेपों की कितनी मात्रा का अनुमान लगाया गया है और जांच कार्य के पूरा होने की कब तक सम्भावना है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : उड़ीसा के कोरापुर जिले में अवैध खनन कार्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था तथा खान विभाग ने पिछले दिसम्बर 1981 से इस सम्बन्ध में एक बैठक बुलाई थी ।

राज्य सरकार को सचेत कर दिया गया है तथा यह कानून और व्यवस्था की समस्या है और इसका सम्बन्ध उड़ीसा की राज्य सरकार से है ।

(व्यवधान)

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : उड़ीसा के कोरापुर जिले में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग तथा राज्य खनन तथा भू-विज्ञान निदेशक द्वारा गहन खोज कार्य कराया जा चुका है ।

अभी तक कोरापुर जिले के मंडक खण्ड में 300 टन अयस्क प्राप्त किया गया है । गहन खोज कार्य जारी है ।

श्री के० प्रधानी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि टिन अयस्क कीमती होता है और हम इसका आयात दूसरे देशों से कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कार्य को तीव्रता से करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगा कि यह जितना शीघ्र सम्भव हो सकता है उतना शीघ्र हो जाये । इसके अतिरिक्त क्या मैं जान सकता हूं कि लगभग किस तारीख तक खोज कार्य पूरा होने की सम्भावना है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : टिन निक्षेपों को खोजने का कार्य 1975 से चल रहा है और हमने और अधिक गहन खोज कार्य के लिए पांच वर्ष का समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया है ।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में किन-किन देशों से कितना टिन आयात किया गया है और क्या उस आयात को कम करने के लिए सरकार बिहार में भी इस तरह का कारखाना खोलने पर विचार कर रही है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : एक टिन का कारखाना खोलने के लिए 25,000 टन टिन की आवश्यकता होती है । अभी हमारे देश में 3200 टन एस्टीपेटिड टिन डिपाजिट है, जिसमें से 2900 टन मध्यप्रदेश में है और 300 टन उड़ीसा में है । इतने से टिन की फैक्टरी नहीं खुल सकती है । जहां तक इम्पोर्ट का सम्बन्ध है, हम मेनली मलयेशिया से इम्पोर्ट करते हैं और कुछ इंडोनीसिया और वियतनाम से करते हैं । अगर फिगर्ज जानने की आवश्यकता है, तो मैं बता सकती हूं ।

बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि

*802 **श्री †मोहम्मद असरार अहमद** :

श्री बी० वी० देसाई : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इन रिपोर्टों की जानकारी है कि गत दस वर्षों के दौरान बेरोजगारों की संख्या तिगुनी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) बेरोजगारों की समस्या से निपटने हेतु तैयार की गई और इस समय कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के छठी योजना की समाप्ति तक परिणाम क्या होंगे ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) पिछले दस वर्षों के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में हुई वृद्धि के ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, चालू रजिस्टर के आंकड़ों के अनुसार, रोजगार कार्यालयों के पास पंजीकृत नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या (यह आवश्यकता नहीं कि उनमें से सभी बेरोजगार हो) दिसम्बर, 1971 के अन्त में 51 लाख से बढकर दिसम्बर, 1981 में 178 लाख हो गई।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बेरोजगारी तथा गरीबी के प्रभाग क्षेत्र में उत्तरोत्तर कमी लाना है। योजना के हिस्से के रूप में कार्यान्वित किये जा रहे अनेक कार्यक्रमों में काफी रोजगार संभाव्यता विद्धमान है, जिनमें से कुछ कार्यक्रम अनुबन्ध में दिए गए हैं। अन्य कार्यक्रम जिनमें शिक्षितों के लिए काफी रोजगार संभाव्यता विद्धमान है, वे हैं कृषि सम्बन्धि प्रसार प्रणाली का विस्तार कृषि अनुसंधान कार्यक्रम. कृषि जनगणना और फार्म मैनेजमेंट अध्ययन संबधी योजनाएं, आपरेशन फ्लड परियोजना के तकनीकी और इन्फ्रास्ट्रक्चरल पहलू, इनलैंड फिशरीज प्रोजेक्ट, ब्लाक स्तर आयोजना आदि में सर्वेक्षण, योजना, मानीटरिंग आदि कार्यक्लाप जिला जन शक्ति आयोजना और रोजगार सृजन परिषदों की स्थापना तथा स्व-नियोजितों सम्बन्धी पुर्नव्यवस्था के माध्यम से जनशक्ति आयोजना और रोजगार सृजन संबधी विकेन्द्रित रवैये को अपनाया जा रहा है। ये योजना के महत्वपूर्ण अंग हैं। योजना दस्तावेज में यह अनुमान लगाया गया है कि योजना 3.4 करोड़ मानक व्यक्ति वर्षों के बराबर रोजगार अवसरों का सृजन करेगी।

छटी पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए अपनाएजाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम तथा नीतियां

1. विशाल सिंचाई कार्यक्रमों (लघु सिंचाई संघटकों सहित) के माध्यम से कृषि तथा सम्बन्द्ध क्षेत्रों में बढ़ते हुए रोजगार अवसरों का सृजन, सुधार किए हुए कृषि सम्बन्धी इन्पुट्स आदि को विशेषकर छोटे किसानों को उपलब्ध कराना।

2. देश में सभी ब्लाकों के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार। यह पहले किया जा चुका है। इस कार्यक्रम से 1980-85 की अवधि के दौरान लगभग 15 मिलियन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जा सकेगा।

3. छठी योजना अवधि के दौरान आपरेशन फ्लड 1। डेरी विकास परियोजना से लगभग 8 मिलियन मूल रूप से दुग्ध उत्पादन पर आधारित परिवारों को लाभ पहुंचाने की संभावना है। अन्य डेरी विकास योजनाओं से 5 मिलियन अतिरिक्त परिवारों को भी लाभ पहुंचेगा।

4. मत्सस्य पालन विकास।

5. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) देश के सभी ब्लाकों में लागू होता है। तथा इससे विशेषकर मन्दे कृषि मौसम में मजदूरी रोजगार प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम से प्रतिवर्ष रोजगार के लगभग 300 से 400 मिलियन व्यक्ति दिनों का सृजन होगा।

6. लघु उद्योग, खादी तथा ग्राम उद्योग कृषि के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक कार्य उपलब्ध कराने वाले क्षेत्रों के लिए योजना विनियोजन को बढ़ाया गया है। योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त 9 मिलियन व्यक्तियों का हैंडलूम, हस्तशिल्प-सेरीकल्चर आदि सहित खादी और ग्राम तथा लघु उद्योगों के विकास संबंधी सहायता कार्यक्रमों से लाभ पहुंचने की सम्भावना है।

7. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों से निर्माण उद्योगों में काफी रोजगार सृजित होने की सभावना है और इस कार्यक्रम द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा समाज सेवाओं के विस्तार से भी पर्याप्त अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा।

8. ट्राइसेम प्रत्येक वर्ष 2 लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करेगा जिससे वे स्वः रोजगार प्राप्त कर सकें तथा इन व्यक्तियों को अपने उद्योग धन्धे स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। अनेक राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वियत की जा रही विशेष रोजगार योजनाओं को और सुदृढ तथा विस्तारित किया जायेगा।

9. पर्यावरण स्वच्छता, गंदी बस्तियों का सुधार, पेड़ लगाना, गरीब लोगों के लिए मकान बनाने आदि जैसे कार्यों से बेरोजगार शहरी गरीबों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

10. योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू जनशक्ति आयोजना तथा रोजगार सृजन के बारे अपनाई जा रही विकेन्द्रीकृत नीति है। स्थापित की जा रही जिला शिक्षा जनशक्ति योजना तथा रोजगार सृजन परिषदें उन जिलों में, जो स्थानीय स्रोतों के वैज्ञानिक उपयोग पर आधारित हैं, रोजगार सृजन के लिए नीतियां तथा योजनाएं बनाएगी। परिषदों को उपयुक्त व्यवसायिक समर्थन प्रदान किया जाएगा और उन्हें जिला रोजगार कार्यालयों, जिला उद्योग केन्द्रों, जिला कृषि कार्यालयों, लीड बैंकों तथा अन्यों से अपना कार्य करने के लिए सक्रिय सहायता दी जाएगी।

11. स्व: नियोजितों के लिए नया व्यवहार छठी योजना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है । यह नीति सम्बन्धी उपायों का एक "पैकेज" है जिसमें अलग-अलग व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूहों में स्व: रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मार्ग-दर्शन, ऋण सुविधाएं प्रशिक्षण, विपणन तथा अन्य उपाय शामिल हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : मान्यवर, विधान सभाओं में, इस सदन में, सभी जगह बेरोजगारी के सम्बन्ध में समय-समय पर चर्चा होती रही है। मन्त्री महोदय ने बताया है कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए 11 योजनाएं बनाई गई है। मगर जो मन्त्री जी ने यह जबाब दिया है वह 11 योजनाएं उससे सम्बन्धित नहीं हैं। दो वर्ष गुजर गए, मालूम नहीं कि उनके पास कोई आंकड़े हैं या नहीं कि कितने लोगों को रोजगार देना चाहिए था और कितनों को मिला ? वह भी आंकड़े हमें नहीं दिए गए है । क्या इस पर भी सरकार विचार करेगी कि ये आंकड़े इकट्ठा करके सदन को बताया जाय ?

दूसरे, इन्होंने जिला स्तर पर, प्रान्ती स्तर पर और केन्द्रीय स्तर पर कोई मानिटरिंग कमेटी बनायी है या नहीं ? अगर बनायी है तो इनसे क्या क्या लाभ उठाया है यह बताने का कष्ट करें ।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : अध्यक्ष महोदय जिन योजनाओं का उन्होंने स्वयं उल्लेख किया है उसमें यह दिया हुआ है कि पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जो योजनाएं चलाई जाएंगी और जिन 11 का उल्लेख उन्होंने किया उसमें किसके अन्तर्गत कितना अधिक रोजगार मिल सकता है । उदाहरणार्थ, जैसे पहली योजना है एक्सटेंशन आफ इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम, एकक ग्रामीण विकास योजना, उसके अन्तर्गत 11 करोड़ 50 लाख परिवारों को 1980-85 में फायदा होगा । दूसरे, यह आपको जानना चाहिए किस तरह इन योजनाओं को विभिन्न विभागों द्वारा चलाया जाता है··· (**व्यवधान**)...यह तो आपके समझने का फेर है कि आपको शून्य दिखाई देता है···(**व्यवधान**)···पहले आप कह लीजिए, फिर मैं कहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : उनको अनुमति नहीं दी गई । आप श्री अहमद के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : जैसा मैंने बताया कि इस बात का स्पष्ट द्योतक यह है कि रोजगार में वृद्धि हुई है कि पिछले दो वर्षों में इस देश की आर्थिक व्यवस्था में चाहे औद्योगिक हो, चाहे कृषि हो वृद्धि है । 129.9 मिलियन टन कृषि में हमारी उपज हुई है और इन्डस्ट्रियल क्षेत्र में 8 परसेंट हुई है । इस प्रकार अनेक आंकड़े जो सदस्य ने स्वय मान लिए हैं वे आंकड़े इस बात के द्योतक हैं कि यह सारी कृषि और उद्योग में वृद्धि एम्पलायमेंट के बिना और काम में वृद्धि के बिना नहीं हो सकती है । इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जब यह प्रारम्भ हुई तो 1.2 करोड़ का बैकलाग था । हम यह कहना चाहते हैं कि 1980-85 की छठी योजना के अन्तर्गत हम 3.4 करोड़ स्टैंडर्ड परसन ईयर को रोजगार उपलब्ध करेंगे और यह सम्भव है कि इसी वर्ष बाजार में इतने व्यक्ति आयेंगे । छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्भावनाएं

यह हैं कि हमारे पास 12 करोड़ का बैकलाग है और जो फ्रेशर्स बाजार में आएंगे लगभग 3.4 करोड़ के उनको हम रोजगार मुहैय्या कर सकेंगे। यह कहना अभी तत्काल सम्भव नहीं है कि किस योजना मे कितना काम दिया गया लेकिन यह हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि योजना में रोजगार मिल रहा है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : मैंने यह पूछा था कि किस किस विभाग में ये जो योजनाएं हैं उनके अन्तर्गत कितनी जगहों को क्रियेट करना था और उसमें से दो वर्ष मे कितनी जगहें क्रियेट हुई तथा आइन्दा तीन वर्ष में कितनी और होंगी इसका जवाब तो आया नहीं है। यह जवाब पहले दे दें।

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बताया उनको कि अभी तत्काल पांच वर्ष के अन्तर्गत जो 11 योजनाएं हैं उनमें जो इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अन्तर्गत 1 करोड़ 50 लाख परिवारों को लाभान्वित करने की सम्भावनाएं हैं। उनको यह भी मैंने बताया कि दूसरे जो प्रोग्राम हैं आपरेशन फ्लड डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके अन्तर्गत 80 लाख और दूसरे डेयरी डेवलमेंट प्रोग्राम में 50 लाख है...

श्री मोहम्मद असरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न नहीं है। मेरा यह प्रश्न है कि इन स्कीमों के अन्तर्गत पिछले दो वर्ष मे कितने लोगों को रोजगार इन 11 योजनाओं के अन्तर्गत दिया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : असरार साहब इसरार कर रहे हैं, और आप लोग बात कर रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक उत्पादन में 1981-82 में 8% की वृद्धि हुई, 1979-80 में 1.4 प्रतिशत घटाव की तुलना में। इसके कारण स्माल स्केल यूनिट्स मे जहां 1979 80 में 21,635 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ वहां पर 23569 करोड़ रुपये का उत्पादन 1980-81 में हुआ।

श्री नारायण चौबे : मन्त्री को यह कहना चाहिए कि उनके पास कोई आँकड़े नहीं हैं। हम उनकी बात स्वीकार कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : पहले उनको पूरा तो करने दें।

श्री भागवत झा आजाद : यह बात समझने की है। **(व्यवधान)**

श्री असरार अहमद : मन्त्री जी, पहले आप मेरा प्रश्न सुन लें।

श्री भागवत झा आजाद : देखिए एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं। आपका तरीका अपना है और मेरा भी अपना कहने का तरीका है। मैं यह कह रहा हूं कि योजना के अन्तर्गत, **(व्यवधान)** मैं सीधा ही बता रहा हूं। आप कई दिन के बाद आए हैं, आप सुन लें तो समझ जायेंगे। 11 योजनाओं में सम्पूर्ण देश में पिछले दो वर्षों में कितना हुआ, यह बताना सम्भव नहीं है लेकिन इसको इस रूप में कहना सम्भव है कि किस तरह से स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज 1979-80 में 21,635 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ, 1980-91 में 23,569 करोड़ का

उत्पादन हुआ। यह तब सम्भव हुआ जब हमने योजना (6) के अन्तर्गत स्माल स्केल में इतना उत्पादन किया। इसलिए इसमें वृद्धि (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं तो आंकड़े दे सकता हूं लेकिन समझने की बात तो अपनी अपनी है।

उदाहरण के लिए, दूसरी योजना हैण्डलूम की है। वहां पर जहां 1979-80 में 290 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, 1980-81 में 310 करोड़ की हुई, मैं कहना चाहता हूं कि हैण्डलूम का जो प्रोडक्शन है वह भी इसी योजना के अन्तर्गत है और इसमें 1979-80 की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। अब आंकड़ों में कितने व्यक्ति लगे, अभी तो यह आंकना सम्भव नहीं है लेकिन कितनी वृद्धि हुई है वह इस बात की परिचायक है कि यह हो रहा है। उदाहरण के लिए 1980-81 में कृषि में 15.4 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई··· (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कृषि से उत्पादन का क्या सम्बन्ध है यहां पर ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने अनुमति नहीं दी, उत्पादन का सम्बन्ध रोजगार से है उत्पादन के बिना रोजगार नहीं हो सकता। उत्पादन ही मुख्य बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह सम्भव हो सकता है कि उत्पादन बढ़ जाए और उत्पादन में लगे हुए हाथ कम हो जायें। यह सम्भव हो सकता है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, परन्तु रोजगार में कमी हो सकती है।

श्री भागवत झा आजाद : अब स्पष्ट हो गया। माननीय सदस्य का कहना है कि अगर कृषि में उत्पादन की वृद्धि हुई तो उसका एम्पलामेन्ट से क्या सम्बन्ध है। समझने का फेर यहीं पर आ जाता है। मैं आंकड़े दे रहा हूं। (व्यवधान) उदाहरण के लिए जहां एपलायमेंट एक्सचेंजेज में 162 लाख 1980 में थे, 1981 में 178 लाख हो गए। मालूम होता है कि वृद्धि हुई लेकिन प्रश्न यह है कि जहां 1979-80 में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहां 1980-81 रोजगार पाने वालों की, इसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी 3 प्रतिशत रोजगार अधिक हुआ। उदाहरण के लिए आर्गेनाइज्ड सेक्टर में 1980-81 में 6 लाख की वृद्धि हुई। अब तो संतुष्ट हैं ? जहां पर 229.२ लाख 1980 में थे, अब 229.2 लाख 1981 में हैं, यानी आर्गेनइज्ड सेक्टर में 6 लाख की वृद्धि की है। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये जो सारे आंकड़े हैं, वे इस बात के द्योतक हैं कि इन दो वर्षों में रोजगार मुहैय्या होने में काफी वृद्धि हुई है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को इसमें क्या दिक्कत हो रही है कि प्रान्तीय सरकारों से दो वर्ष बीत जाने के बाद भी यह आंकड़े नहीं मगाए कि कहां कहां कितना रोजगार लोगों को मिलना चाहिए और कितनों को वह मिला है जबकि जिला स्तर पर, प्रान्तीय स्तर पर और केन्द्रीय स्तर पर कमेटियां बनी हुई हैं। उन्होंने इस बारे में क्या काम किया है और क्या मौनीटियरिंग किया है और इसका कोई एसेसमेंट किया है या नहीं ?

श्री भागवत झा आजाद : मैंने यह बताया है साफ साफ कि आर्गेनाइज्ड सेक्टर में जोब

वेज अर्नर्स की बात है, उसमें 6 लाख की वृद्धि हुई है मैंने यह भी बताया कि लाइव रजिस्टर जो एम्पलायमेंट एक्सचेंज के हैं। (व्यवधान) ... अब आपकी समझ में नहीं आता, तो मैं क्या करूं। मैं आपके सामने तथ्य तथा आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं। मैं आपको दिमाग नहीं दे सकता उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री हरिकेश बहादुर : मान्यवर, मन्त्री जी ने जो अभी जबाब दिया है, उससे ऐसा लगता है कि बेरोजगारी की यह समस्या छटी पंचवर्षीय योजना में भी समाप्त होने वाली नहीं है लकिन सवाल इस बात का है कि कुछ राज्य सरकारें बेरोजगारी का भत्ता देती हैं क्योंकि बेरोजगारी को वे समाप्त नहीं कर पा रही हैं मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इस दिशा में सोच रही है और उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव है कि और वह रोजगार नहीं दे सकती तो लोगों को बेरोजगारी का भत्ता दे ? इस बारे में मन्त्री जी बताएं

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज के लाइव रजिस्टर पर इतने लोग अभी है कि अगर हम सिर्फ उनको ही 100 रुपये प्रतिमास भत्ता दें, जो लाइव रजिस्टर पर एक साल और उससे अधिक से हैं तो 1300 करोड़ रुपये का रेकिंग एक्सपैंडीचर सरकार को प्रतिवर्ष करना होगा। सरकार यह समझती है कि बजाए इसके कि 1300 करोड़ रुपये प्रति वर्ष रेकिंग एक्सपेंडीचर अनप्रोडक्टिव चीज पर किया जाए, कोई योजना बनाकर उसमें इतना रुपया खर्च करें, तो उससे अधिक लाभ होगा। इसलिए हम इस योजना के बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं प्रान्तीय सरकारें, 10 प्रान्तीय सरकारें इस सम्बन्ध में कुछ कर रही हैं और वे अपनी रिसोर्सेज के अन्तर्गत इसको करती है और जब उनकी कोई योजना प्लान के अन्तर्गत आती है, तो वहां हम उनकी सहायता करते हैं अगर योजनाओं में उत्पादन क्षमता है।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट रूप से बेरोजगारी दूर करने की दिशा में अम्बर चरखे जैसे चरखे का कोई साधन आप को सोचना होगा। जब एक कताई मिल लगाई जायेगी, तो उसमें 4.5 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट करने होगे और मजदूरी मिलेगी 400 आदमियों को। 4 करोड़ रुपये अगर अम्बर चरखों पर हम लगा दें, तो उससे 4-5 हजार आदमियों को रोजगार मिल सकता है और उनको हम प्रतिदिन 6,7 और 10 रुपया दे सकते हैं। तो क्या सरकार इस दिशा में सोच रही है। जब तक कताई मिल बनाई जाती रहेंगी, तब तक अम्बर चरखे का काम चलने वाला नहीं है और इनसे जो कपड़ा बनता है, उसकी बिक्री भी नहीं होती है। इसकी वजह से भी काम आगे नहीं बढ़ता। इसलिए कुछ रिजर्वेशन हम अम्बर चरखों के लिए करें कि इतना सूत ये बनायेंगे और उससे कपड़ा बनाया जाएगा।

इसी तरह से ट्रान्सपोर्ट में भी हम कर सकते हैं। बैलगाड़ी या ऊंट-गाड़ी चलाने के लिए एरिया रिजर्व कर दिया जाए कि 50 किलोमीटर के अन्दर यांत्रिक वाहन नहीं चलाए जायेंगे इस तरह से वहां भी रोजगार के साधन बढ़ सकते हैं। सरकार इस बारे में कुछ सोच रही है।

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि इतने सारे सदस्यों में से एक सदस्य ने हमारे कार्यक्रम की सराहना की और उनकी समझ में यह बात आई। हमारा एक

कार्यक्रम खादी और विलेज इन्डस्ट्रीज वाला है। उन्होंने इसकी सराहना की, इसकी मुझे प्रसन्नता है। इसके अन्तर्गत हम 90 लाख व्यक्तियों को रोजगार देना चाहते हैं। हम इस बात से पूर्णतया सहमत हैं कि अम्बर चरखे के जरिये हम रोजगार दे सकते हैं हैं और इसलिए हम ट्राइसम योजना के अन्तर्गत देहातों में इस कार्यक्रम के जरिये 2 लाख रूरल यूथ्स को नौकरी देंगे।

जो रिजर्वेशन की बात इन्होंने कही है, उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे सम्बन्धित मन्त्री महोदय को मैं यह बात बता दूंगा और वह कह सकते हैं कि संभावना है या नहीं।

देश में इस्पात की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रस्ताव

*803. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात की आवश्यकता को पूरा करने के क्या प्रस्ताव हैं ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना : (क) और (ख) अनुमान है वर्ष 1982- 3 में देश में इस्पात की मांग 109.5 लाख टन होगी। कारखानों और स्टाकयार्डों में वितरण के लिए काफी स्टाक पड़ा है और कुछ आयातित सामग्री पहुंचने वाली है। इस वर्ष देश में इस्पात का उत्पादन 98.2 लाख टन होने की सम्भावना है। फिर भी कुछ प्रकार के इस्पात का उत्पादन आवश्यकता से कम रहेगा जबकि कुछ अन्य प्रकार के इस्पात का उत्पादन आवश्यकता से अधिक रहेगा। पहले प्रकार के इस्पात का आयात करने के लिए कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है और इस्पात की कुछ मात्रा का निर्यात किए जाने की सम्भावना है। इस प्रकार सभी प्रकार के इस्पात की देशीय आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने बताया है कि 1982-83 में इस्पात की मांग लगभग 89.50 लाख टन होगी तथा इस वर्ष इस्पात का उत्पादन 98.20 लाख टन होगी। मैं संयंत्र वार उत्पादन के पृथक-पृथक आंकड़ें जानना चाहूंगा। क्या यह सत्य नहीं हैं कि 40 लाख टन इस्पात विभिन्न स्टाक यार्डों में पड़ा हुआ है जिसका मूल्य लगभग 120 करोड़ रु० है ? महोदय वर्ष का उत्पादन 98.20 लाख टन होगा तथा 40 लाख टन पहले ही हमारे पास है जिसका अर्थ यह है कि 138.20 लाख टन इस्पात उपलब्ध होगा। इस वर्ष की मांग को ध्यान में रखते हुए फिर भी 30 लाख इस्पात फालतू होगा। फिर आप इस्पात का आयात भी करने जा रहे हैं। क्या इससे इस्पात के देश में उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा आप इस स्थिति पर कैसे काबू पाने जा रहे हैं ?

श्री चरण जीत चानना : महोदय 98.20 लाख टन के अलग-अलग आंकड़े इस प्रकार मुख्य इस्पात संयंत्र-64.70 लाख टन, (टिस्को) 15.50 लाख टन, छोटे इस्पात संयन्त: 18 लाख टन, महोदय माननीय सदस्य ने स्टाक के बारे में पूछा है परन्तु उन्होंने तारीख नहीं बताई है—क्योंकि वस्तु सूची तो एक तारीख विशेष से ही सम्बन्धित होती है। माननीय सदस्य को

ज्ञात होगा कि ये आंकड़े परिवर्तनशील हैं। वास्तव में ये दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं

महोदय 50 स्टाक यार्डों में पड़े इस्पात की सूची बनाने के लिए अधिकतम प्रयत्न किये जा रहे हैं। वास्तव में हम यथासम्भव तीव्र चलने वाले एक इन्वेंटरी एक्सेलेटर का विकास कर रहे हैं ताकि संयन्त्रों तथा भन्डार ग्रहों में भंडार बढ़ न पाये तथा वे एक देयता न बन जाये जैसा कि माननीय सदस्य इसे कीमत के रुप में बदलने का प्रयास किया है।

महोदय, जहां तक आयात का सम्बन्ध हैं. पहले आयात केवल अपने जनरल लाईसेंस पर ही कराये जाते थे। अब हम आयातों को सारणी बद्ध कर रहे हैं और आधिक्य नहीं होगा। भंडारों मांग तथा उत्पादन के बीच सन्तुलन रखा जायेगा ताकि न हो तो कोई अनियमितता हो और न ही आयात से देश में इस्पात के उत्पादन को नुकसान हो।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा उद्योगों की स्थापना

*804. श्री. डी० पी० जदेजा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में बसे भारतीय भारत में उद्योगों में पूंजी लगाने के इच्छुक हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने भारत में औद्योगिक उपक्रमों में निवेश करने में रुचि दिखाई है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश किए जाने की सुविधाओं को उदार बनाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। मोटे तौर पर ये इस प्रकार है :

(1) अनिवासी (विदेशी) खातों पर एक वर्ष या अधिक में परिपक्व होने वाली जमा राशियों पर ब्याज दर स्थानीय जमा राशियों पर दी जाने वाली ब्याज दर की अपेक्षा तुलनीय परिपक्वता अवधि में 2 प्रतिशत अधिक होगी,

(2) इन विदेशी खातों से भारत में दिए जाने वाले उपहार, उपहार कर से मुक्त होंगे।

(3) अनिवासी 12 प्रतिशत दर वाले 6 वर्ष के राष्ट्रीय बचत पत्रों में निवेश कर सकते हैं जो कि उनके लिए संपत्तिकर, आयकर तथा उपहार कर से मुक्त होगा,

(4) वापिस विदेश ले जाने के अधिकार के बिना भारतीयमूल के अनिवासियों द्वारा किया गया कोई भी निवेश, यदि यह वाणिज्यिक सम्पत्ति और भूमि में कारोबार के लिए नहीं है तो यह उसी प्रकार माना जायेगा जैसा कि भारत में रहने वाले राष्ट्रिकों द्वारा किया गया निवेश माना जाता है,

(5) किसी भी नई अथवा विद्यमान कम्पनी में उस कम्पनी की निर्गमित पूंजी का 40 प्रतिशत तक उस कम्पनी मे निवेश करने की, उन्हें इसे वापिस विदेश ले जाने के अधिकार सहित, अनुमति होगी,

(6) वे कम्पनियों द्वारा शेयर बाजार में बेचे जाने वाले शेयर निर्दिष्ट सीमाओं में खरीद सकते हैं,

(7) कम से कम 60 प्रतिशत मूल भारतीयों के स्वामित्व वाली कम्पनियों, साझीदारी फर्मो, न्यासों, सहकारिता निगमों की अनिवासी (विदेशी) खातों और भारतीय कम्पनियों में निवेश करने की सुविधा दी जायेगी ।

(8) कर निर्धारण के उद्देश्य के लिए भारत में "निवास" की जांच को कुछ संदर्भों में उदार बनाने/समाप्त करने का प्रस्ताव है ।

(9) अनिवासी भारतीय यदि स्वयं ऐसा उपक्रम स्थापित करते हैं या ऐसे उपक्रम में भारत में 20 प्रतिशत या अधिक निवेश करते हैं जो कि इलैक्ट्रोनिक हिस्से पुर्जे, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, टेपरिकार्डर, इलैक्ट्रोनिक शिक्षा, सहायक सामग्री, औद्योगिक और प्रक्रिया नियन्त्रण प्रणालियों और कुछ अन्य इलैक्ट्रोनिक उत्पादन बनाने के लिए है तो उस उपक्रम के उद्देश्य के लिए सम्पूर्ण मशीनरी खुले लाइसेंस के अन्तर्गत बिना घरेलू स्वीकृति के आयात करने की अनुमति होगी बशर्ते कि यह मशीनरी विदेश में उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा से खरीदी जाती है, और

(10) डाक्टरों और उच्च शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिकों द्वारा भारत लौटने पर अपने काम से सम्बन्धित उपकरणों का आयात करने के लिए उपलब्धसु विधाओं को काफी उदार बना दिया गया है । ऐसा कोई भी उपकरण जो उन्होंने विदेश में एक वर्ष तक प्रयाग किया है । इसकी कीमत पर ध्यान दिए बिना भारत में आयात किया जा सकता है ।

बस्तर में सीमेंट संयंत्र की स्थापना

*805. **श्री केयर भूषण** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भारतीय सीमेंट निगम को आशय पत्र जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या बोधघाट परियोजना के लिए सीमेंट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बस्तर में सीमेंट संयंत्र की स्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी ;

(ग) प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र की उत्पादन क्षमता क्या होगी ;

(घ) इस संयंत्र की स्थापना का कार्य कब शुरू किया जायेगा ; और

(ङ.) इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हाँ। मध्यप्रदेश की तहसील जगदलपुर जिला बस्तर के प्रतिवर्ष 10लाख मी० टन क्षमता के एक सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए सीमेंट कारपोरेशन आफ इन्डिया ने इस क्षेत्र में चूना पत्थर के लिए अन्वेषण किया है तथा चूना पत्थर निक्षेपों का खनन पटटा लिया है। इस परियोजना की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने सबन्धी कार्य हाथ में ले लिया गया है तथा संभाव्यता रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद इस परियोजना का कार्य आरम्भ किया जाएगा।

ट्रक चेसिसों की सप्लाई

*806. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों में टेल्कों (टी० इ० एल० सी० ओ०) ने कितने चैसिसों का निर्माण किया, उनमें से कितने निर्यात किए गए और देश में सप्लाई किये गए ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में कितने ट्रक चैसिस बुक किए गए और बयाने के तौर पर कितनी धन राशि प्राप्त हुई ; और

(ग) प्रतीक्षा सूची के लोगों को ट्रक चैसिस कब तक सप्लाई होने की सम्भावना है और चैसिस का मूल्य उनसे किस तारीख के आधार पर वसूल किया जायेगा।

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) मै० टेल्को द्वारा बताये गए ब्योरे निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	निर्मित ट्रक चैसिस	बस व ट्रक चैसिसों का निर्यात
1979-80	21257	3529
1980-81	27089	1[illegible]0
198[illegible]-82	33603	3000

(ख) निर्माताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ट्रक चेसिसों की प्रतीक्षा सूची निम्न प्रकार थी :-

1-4-1980	94,061
1-4-1981	1,38,780
1-2-1982	1,40,841

कम्पनी ने बताया है 28 फरवरी 1982 तक लगभग 50 करोड़ रुपये का कुल डिपाजिट इकट्ठा किया गया था।

(ग) उत्पादन बढ़ने के कारण चैसिसों की उपलब्धता में पहले ही सुधार हो गया है। चैसिसों की मांग भी कुछ घट गयी प्रतीत होती है। कम्पनी ने बताया है कि लम्बित पड़े हुए पिछले आर्डरों को कम किया जा रहा है और इसके बाद बुकिंग के एक वर्ष के अन्दर चैसिसों की डिलीवरी की जाने की सम्भावना है।

चैसिस की सुपुर्दगी के दिन जो मूल्य चल रहा होता है ग्राहक के लिए वही मूल्य अदा करना अपेक्षित है।

औद्योगिक उत्पादन में बाधाओं का हटाया जाना

*807. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन की बाधा हटाने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार करते समय औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के ऋण एककों को प्राथमिकता देने पर विचार किया जायेगा ; और

(घ) उपर्युक्त कार्यवाही कब तक की जायेगी ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सरकार औद्योगिक उत्पादन की अड़चनों को दूर करने के लिए पहले ही अनेक कदम उठा चुकी हैं। 1982 को "उत्पादकता वर्ष" घोषित करने के पश्चात कुछ और उपाय करने का विचार है। ये उपाय उत्पादन की अड़चनों को दूर करने उत्पादन प्राथमिकताओं की पुनः परिभाषा करने और आपस में सम्बन्धित उत्पादन को क्षेत्रवार प्रोत्साहन देने के बारे में हैं।

(ग) वे परस्पर सम्बन्धित नहीं है।

(घ) उपायों के ब्यौरों की शीघ्र ही घोषणा होने वाली है।

कायर उद्योग में चटाई सेक्टर

808 **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कायर बोर्ड ने सर्व सम्मति से एक संकल्प पारित करके केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि उद्योग के चटाई सैक्टर का यंत्रीकरण करने से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए उसका यंत्रीकरण न किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी : (क) जी, हां,।

(ख) सरकार कायर उद्योग के चटाई क्षेत्र का यंत्रीकृत करने से रोजगार संबन्धी कठिनाईयों से पूरी तरह अवगत है, जिसे इस संबंध में सरकारी नीति का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जायेगा।

मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के सदस्यों द्वारा आत्म समर्पण

* 809. **श्री तारिक अनवर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-कानूनी घोषित मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के अनेक सदस्य आत्म समर्पण करने को तत्पर हैं बशर्ते कि उनके साथ नर्मी का व्यवहार करने का आश्वासन दिया जाये ;

(ख) क्या मिजो राष्ट्रीय मोर्चे से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई आश्वासन दिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) सरकार की नीति यह रही है की जो भूमिगत लोग स्वेच्छा से बाहर आ जाते हैं और हिंसा का मार्ग छोड़ देते हैं उनके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाए । उनको सब प्रकार की सहायता भी दी जाती है ताकि वे उचित रूप से फिर से बस सकें तथा सामान्य रूप से शांति पूर्ण जीवन शुरू कर सकें और समाज में उचित स्थान प्राप्त कर सकें । ऐसे व्यक्तियों के लाभकारी रोजगार और आर्थिक पुनर्वास के लिए संघ शासित क्षेत्र सरकार की योजनाएं हैं ।

20 जनवरी, 1982 से मिजो नेशनल फ्रंट के 335 लोग प्राधिकारियों के समकक्ष आत्म समर्पण कर चुके हैं ।

विभिन्न राज्यों को सीमेंट न मिलने के बारे में शिकायतें

* 810 **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों के नागरिकों तथा निगमित निकायों से निर्धारित कोटे के अनुसार सीमेंट न मिलने की कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों से अपर्याप्त सीमेंट की उपलब्धता से सम्बन्धित कुछ शिकायतें/अनुरोध व्यक्तियों और सहकारी निकायों से प्राप्त हुए हैं । इन्हें सम्बन्धित राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित कर दिया गया हैं । सीमेंट की समग्र उपलब्धता के अन्तर्गत जहां कहीं संभव हो पाया था राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को अतिरिक्त आवंटन किए गए थे ।

खंड स्तर पर योजना का क्रियान्वयन

* 811. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खण्ड स्तर पर योजना बनाने का विचार स्वीकार कर लिया गया है और इसे

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चत करने के लिए व्यवस्था है कि सामुदायिक विकास खण्डों और जिलों के लिए अनुमोदित योजनायें अन्ततः राज्य की योजनाओं में समाहित कर ली गई है ;

(ग) यदि नही, तो उन राज्यों के नाम क्या है जिन्हें इस विचार को अभी स्वीकार तथा क्रियान्वित करना है ; और

(घ) योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां। राज्यों ने खण्ड स्तर योजना की संकल्पना को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया है। तथापि राज्यों द्वारा इस संकल्पना के कार्यान्वयन की प्रगति और तैयार किए गए समर्थक/सहायक प्रशासनिक उपाय अलग-अलग राज्य में अलग-अलग हैं।

(ख) छठी योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि उपयुक्त तंत्र/व्यवस्थाओं से युक्त ऐसी बहु-स्तरीय योजना संरचना को विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें विभिन्न स्तरों पर योजनाओं को अगले उच्च स्तरों पर इनके साथ संबद्ध कर दिया जाएगा। कुछ राज्य प्राप्त हुए विकन्द्रीकरण की मात्रा और अपनी प्रशासनिक कार्यक्षमताओं के अनुसार इन प्रयोजन के लिए अपन तंत्र/व्यवस्थाएं विकसित कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

घ) विभिन्न स्तरों पर योजना के लिए उपयुक्त तंत्र/व्यवस्था स्थापित करने और तंत्रों व्यवस्थाओं को समन्वित करने के संबध में योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच पर्याप्त आदान प्रदान हुआ है। योजना आयोग ने खण्ड स्तर योजना के लिए निदर्श मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए हैं। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने जिला योजना तत्र/व्यवस्था को बढ़ाएं, योजना सम्बन्धी कार्यकलापों का विभिन्न स्तरों पर समन्वय करें और राज्य स्तर पर बिभाज्य परिव्ययों को जिला स्तर के लिए विकेन्द्रित करें इन उपायों से नीचे से ही योजना की प्रक्रिया के सुदृढ़ होने की आशा है।

बम्बई में कपड़ा उद्योग में हड़ताल

* 813. **प्रो मधु दंडवते** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में कपड़ा मजदूरों की हड़ताल 70 से अधिक दिन तक चली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह हड़ताल इतनी लम्बी आर्थिक मांगों के कारण नहीं चली जितनी लम्बी सौदे बाजी के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सम्बन्धी श्रम कानूनों में त्रुटियों के कारण चली है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित श्रम कानूनों के उपबंधों पर पुनः विचार करने हेतु इस मामले में हस्तक्षेप करेगी ।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) बम्बई औद्योगिक संबंध अधिनियम में किसी स्थानीय क्षेत्र के एक उद्योग में प्रतिनिधि यूनियन के रूप में एक यूनियन के पंजीकरण की व्यवस्था है । इस अधिनियम में वर्तमान यूनियन के स्थान पर प्रतिनिधि यूनियन के रूप में किसी अन्य यूनियन के पंजीकरण की भी व्यवस्था है, यदि ऐसी यूनियन रजिस्ट्रार को इस आशय का आवेदन करती है और सदस्यता के बारे में शर्तों को पूरा करती है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए बीमा योजना

* 814. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और गैर-सरकारी क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए अनिवार्य बीमा, योजना लागू करने पर विचार कर रहीं है जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार श्रमिकों की भलाई के लिए इसे लागू करने पर विचार करेगी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) से (ग) सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बीमा योजना आरम्भ करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों, जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आते हैं, के नामित व्यक्ति/वैध वारिस सदस्य की मृत्यु की स्थिति में निम्नलिखित बीमा लाभ पाने के हकदार होते हैं :—

(क) **परिवार पेंशन स्कीम** : जीवन बीमा लाभ के रूप में 2000/- रु० तक की एक मुश्त राशि, बशर्ते कि मृत व्यक्ति ने दो वर्ष की सदस्यता पूर्ण की हो ।

(ख) कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा स्कीम : पिछले तीन वर्षों के दौरान या कर्मचारी की सदस्यता की अवधि के दौरान उसके भविष्य निधि खाते में औसत शेष राशि, इनमें जो भी कम हो, बशर्ते कि यह राशि 10,000/- रु० से अधिक न हो, के बराबर बीमा लाभ । इस लाभ का हकदार बनने के लिए प्रश्नाधीन अवधि के दौरान औसत शेष राशि 1,000/- रु० से कम नहीं होनी चाहिए ।

वर्ष 1982 की प्रथम तिमाही में इस्पात के उत्पादन में गिरावट

* 815. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष की प्रथम तिमाही में इस्पात के उत्पादन में भारी गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो समेकित इस्पात संयंत्रों में लक्ष्यों के मुकाबले वस्तुतः हुए उत्पादन का महीने वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्पादन में गिरावट आने के कारण क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरण जीत चानना) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों (सेल के कारखाने तथा टिस्को) का जनवरी-मार्च, 1982 का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(हजार टन)

महीना	जनवरी-मार्च, 1982		जनवरी-मार्च, 1981
	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	वास्तविक उत्पादन
जनवरी	684	633	604
फरवरी	635	601	575
मार्च	695	723	737
कुल	2014	1957	1916

यह सच है कि उत्पादन अधिक हुआ होता लेकिन ऊपर बताई गई स्थिति को उत्पादन में भारी गिरावट नहीं कहा जा सकता। निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में उत्पादन में कमी मुख्यतः अवस्थापना सुविधाएं पर्याप्त न होने के कारण हुई है। अवस्थापना सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड तथा सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर सतत विचार किया जाता है। इस्पात कारखानों की अवस्थापना सुविधाएं पूरी करने के लिए भरसक प्रयत्न किये जाते हैं।

नये उद्योगों के लिए नकद राज सहायता

*816. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों में स्थापित किये जा रहे नये उद्योगों के लिये सरकार द्वारा की जा रही नकद राज सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या उनकी नीति के स्वरुप में कोई परिवर्तन हुए हैं जिसकी परिकल्पना सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याणार्थ बनाये गये नये 20-सूत्री कार्यक्रम में की है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) यद्यपि उद्योगों की स्थापना का मूल दायित्व राज्य सरकारों का होता है । फिर भी केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित 101 पिछड़े जिलों में स्थापित नए एककों सहित औद्योगिक एककों को दी गई निवेश राज सहायता पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है । अब तक राज्य सरकारों को कुल 130 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है ।

आई० आर० डी०/ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण उद्योग, व्यापार तथा सेवाओं की स्थापना कर रहे पात्र परिवार अन्य बातों के साथ ही 3,000 रुपये तक (आदिवासी लाभ प्राप्त कर्त्ताओं के मामले में यह राशि बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है) की राजसहायता पाने के पात्र हैं । सरकार इस प्रकार के कार्यक्रमों की बराबर समीक्षा करती है तथा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इनमें यथावश्यक समुचित संशोधन करेगी ।

फरार स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन देने के लिये आवेदन पत्र

*817. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन व्यक्तियों के जिनके विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान गिरफतारी के वारन्ट जारी किये थे परन्तु जो फरार हो गये थे स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन के लिये आवेदन पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 1982 निर्धारित की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अन्तिम तिथि की समाप्ति के बाद उपरोक्त फरार स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम आवेदन पत्रों को स्वीकार करना रोक दिया है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों का, जिनके आवेदन पत्र फरार स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम 31 मार्च, 1982 तक प्राप्त हुए थे और ऐसे व्यक्तियों का जिनकी पेंशन स्वीकृत की गई थी, राज्यवार ब्योरा क्या है ; और

(घ) सरकार का विचार इन आवेदन पत्रों को किस प्रकार निपटाने का है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी वेंकटसुब्बय्या) 1-8-1980 के पेंशन योजना के उदार बनाये जाने के बाद भूमिगत स्वतन्त्रता सेनानियों समेत इच्छुक जो स्वतन्त्रता सेनानियों को जो पहले आवेदन नहीं कर सके/नहीं किया पेंशन के लिए 31-7-1981 तक आवेदन करने का अवसर दिया गया था । प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानियों की गैर-सरकारी सलाहकार समिति की सिफारिश पर इस तरीका को छः महीने बढ़ाये जाने का प्रस्ताव किया गया था । इसका स्वतन्त्रता सेनानियों के दावों के समर्थन में अपेक्षित सबूत प्राप्त करने में उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखकर पुनरीक्षण किया गया था और अब 31-3-1982 के बाद आवेदन पत्र लेना बन्द कर दिया गया है । इस प्रकार प्राप्त अधिकांश आवेदन पत्रों की विभिन्न अवस्थाओं में जांच की जा रही है और ऐसे वेदकों के सम्बन्ध में कोई पृथक

रिकार्ड नहीं रखे गये हैं जिन्होंने फरार/घोषित अपराधियों के रुप में अपने दावे प्रस्तुत किये हैं और जो गिरफ्तार नहीं किये जा सके थे। तथापि उनमें से करार स्वतन्त्रता सेनानियों के रुप में इस प्रकार प्राप्त और स्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों की संख्या विवरण में दी।

ऐसे भूमिगत स्वतन्त्रता सेनानियों के मामलों में, जिन्होंने गिरफ्तारी के वारन्ट अथवा नरबन्दी के आदेशों के सिलसिले में घोषित अपराधियों के रुप में यातना सहने का दावा किया है और जिन्होंने 5 वर्ष से अधिक जेल यातनाओं के सम्बन्ध में प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानियों से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं, उन्हें संबंधित राज्य सरकार, जिनसे दावों का सत्यापन करते समय निम्नलिखित मार्गदर्शी निबेशों को ध्यान में रखने का अनुरोध किया गया है, से विशिष्ट सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही पेंशन स्वीकृत की जाती है :—

(1) पुलिस को आवेदक की जरुरत थी और वह स्वेच्छा से भूमिगत नहीं हुआ था।

(2) प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानियों का प्रमाण पत्र स्वीकार करते समय, उन्हें तह सूनिश्चित करना होगा कि उस अवधि के सरकारी रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(3) जो प्रमाणकर्त्ता स्वतन्त्रता सेनानी को प्रमाण पत्र देता है, उसे राज्यों के पुनगठन से पहले साधारणत: उसी प्रशासनिक यूनिट का होना चाहिए, जिसका स्वतन्त्रता सेनानी है।

(4) भूमिगत यातना के सभी मामले, जो सरकारी रिकार्डों पर आधारित नहीं है, राज्य सलाहकार समिति के समक्ष निश्चित रुप से प्रस्तुत किये जाने चाहिए और समिति की कार्रवाइयों के साथ राज्य सरकार की सिफारिशें केन्द्र सरकार को भेजी जानी चाहिए।

राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानियों की एक समेकित सूची केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराये जिन्होंने 5 वर्षों या इससे अधिक सजा काटी है ताकि ऐसे मामलों को शीघ्र संवीक्षा की जा सके।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1-8-80 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या।	उनमें से भूमिगत स्वतन्त्रता सेनानियों के रुप में स्वीकृत मामलों की संख्या
1.	2.	3.
अंडमान तथा निकोबार	38	—
आन्ध्र प्रदेश	7622	—
अरुणाचल प्रदेश	40	—

1	2	3
असम	8453	—
बिहार	44405	4
चंडीगढ़	41	—
दिल्ली	570	4
गोवा	1002	—
गुजरात	491	—
हरियाणा	504	5
हिमाचल प्रदेश	347	21
जम्मू तथा कश्मीर	1308	13
केरल	20667	—
कर्नाटक	5319	—
मध्यप्रदेश	1462	2
महाराष्ट्र	14170	—
मणिपुर	25	—
मेघालय	27	—
मिजोरम	1	—
नागालैंड	4	—
उड़ीसा	6753	—
पांडिचेरी	682	—
पंजाब	2728	1
राजस्थान	454	—
तमिलनाडु	2296	1
त्रिपुरा	440	—
उत्तर प्रदेश	2740	—
पश्चिम बंगाल	47502	—
आ० हि० फौज के व्यक्ति	4805	—
जोड़	174896	50

धनवाद में "एम० ए० डी० ए०" कार्यक्रम

8765. श्री ए० के० राय : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में बिहार के धनबाद जिले में, ब्लाक;वार "एस० ए० डी० ए०" कार्यक्रम की प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1981-82 में ब्लाक-वार, कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत हुई और वास्तव में कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) क्या प्रगति की स्थिति अत्याधिक सन्तोष जनक है ; यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) बिहार सरकार द्वारा एम० ए० डी० ए० योजनाओं अर्थात धनबाद जिले में जन जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए, 1980-81 के अन्त में 13,41,300 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी । उप विकास आयुक्त, धनबाद द्वारा निम्नलिखित योजनाओं के लिए प्रशासकीय स्वीकृत दी गई है :—

(1) पशु पालन

(2) कुटीर उद्योग

(3) कृषि आर्थिक सहायता

(4) सिंचाई योजना

(5) पीने के पानी के कुओं सहित स्वास्थ्य कार्यक्रम ।

(6) टंकण में जनजाति के सदस्यों को प्रशिक्षण

(7) लघु योजनाएं (बैल गाड़ियों, सिंचाई मशीनों, पम्पिंग सैटों आदि का विवरण ।

(8) रिहायशी स्कूल आदि खोलना ।

राज्य सरकार द्वारा यह बताया गया है कि 1980-81 के दौरान स्वीकृत किए गये धन का उपयोग 1981-82 में किया गया था इन योजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा 1981-82 के लिए 14, 97 लाख रुपये का धन मार्च, 1982 के अन्तिम सप्ताह में दिया गया था और इस धन को चालू वित्तीय वर्ष के दोरान प्रयोग किया जायेगा ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्रगति की स्थिति संतोषजनक बताई जाती है।

जनशक्ति निर्यात निगम की स्थापना करना

8766. **श्री के० ए० राजन :**

श्री गदाधर साहा :

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित समुद्रपार जनशक्ति निगम की स्थापना करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अपने 21वे प्रतिवेदन में प्राक्कलन समिति ने सरकार से इसे शीघ्र स्थापित करने के लिए कहा है ताकि रोजगार के लिए विदेशों में जाने के इच्छुक भारतीय राष्ट्रिकों को प्राइवेट भर्ती एजेंसियों के शोषण से बचाया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इस समय समुद्रपार जनशक्ति निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) प्राक्कलन समिति द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता तथा उत्प्रवासी श्रमिकों की वास्तविक आवश्यकताओं के संदर्भ में भर्ती एजेंन्टों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सरकार ने समुद्र-पार जनशक्ति निगम गठित करने की आवश्यकता पर विचार किया और यह महसूस किया कि वर्तमान व्यवस्था को बेहतर ढंग से कार्यान्वित करना अपेक्षित है न कि एक अन्य सस्था द्वारा इसके सम्पूर्ण प्रतिस्थापन की आवश्यकता है, जो कि सहायक होने के बनिस्पत गम्भीर रूकावट सिद्ध होगी। इसलिए समुद्रपार जनशक्ति निगम स्थापित करने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है।

न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण करने में विलम्ब

8767. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त अन्तर विभागीय समिति ने यह शिफारिश की है कि राज्यों को कृषि के क्षेत्र में न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण करने में होने वाले विलम्ब को कम करने हेतु अधिसूचना जारी करने का तरीका अपनाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को परिवर्तन करने का सुझाव दिया है जिन्हें न्यूनतम मजुरी अधिनियम में शामिल किया जा सकता है ;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है और शेष राज्यों से उत्तर कब तक मिलने की आशा है ;

(ड.) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कृषि के क्षेत्र में न्यूनतम मजूरी के त्वरित क्रियान्विति हेतु प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ; और

(च) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या उपाय किये गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) कृषि श्रमिकों के बारे में न्यूनतम मजदूरी-दरों की समीक्षा और उनके प्रवर्तन

सम्बन्धी नए 20-सूत्री कार्यक्रम के पांचवें सूत्र के कार्यान्वियन पर विचार करने के लिए 15 फरवरी, 1982 को हुई अन्तर-विभागीय बैठक ने निम्नलिखित सिफारिशें की :-

(i) राज्य सरकारें अधिसूचना पद्धति को अपनाकर और आपत्तियों की सूचना देने वाली अधिसूचना तथा अन्तिम अधिसूचना के बीच समयान्तर को कम करके न्यूनतम मजदूरी- दरों के संशोधन में बिलम्ब को कम करें ।

(ii) राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों की संख्या की पुनरीक्षा करें ताकि समय-समय पर निरीक्षणों द्वारा कार्यान्वियन, दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने और दावों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित किया जा केके

(iii) प्रथमत :, किसी एक राज्य में कतिपय ऐसे नाजुक क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी-दरों के प्रवर्तन पर ध्यान दिया जाए, जहां कृषि श्रमिक या अनुसूचित जन-जाति के लोग ज्यादा है ।

(ग) और (घ) : राज्य सरकारों के साथ परामर्श पूरा हो चुका है । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्तावों की पुनरीक्षा के लिए गठित कुछ श्रम मन्त्रियों के कार्यकारी दल ने भी अपनी सिफारिश कर दी है ।

(ङ) और (च) : कृषि में न्यूनतम मजदूरी दरों के शीघ्र प्रवर्तन के लिए राज्य सरकारों को अभी तक कोइ केन्द्रीय सहायता नहीं दी गयी है क्योंकि ऐसी कोई योजना नही है । तथापि नए 20-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके योजना तैयार करने की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है ।

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचार) नियमावली, 1964 का पुन: प्रकाशन

8768. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (आचार) नियमावली, 1964, जिसका मूल्य 25 पैसे था, पिछली बार वर्ष 1969 में प्रकाशित की गई थी :

(ख) क्या वर्ष 1969 के बाद आचार-नियमों में कोई परिवर्तन हुए हैं ;

(ग) यदि हां तो क्या परिवर्तन हुए हैं और क्या वर्ष 1969 के बाद बिक्री के लिए आचार नियमावली को प्रकाशित किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के विभिन्न नियमों में आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तन किए गए हैं "केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 पर टिप्पणियां नाम से एक प्रकाशन 1974 में निकाला गया था । जिसमें सितम्बर,

1974 तक किए गए संशोधनों तथा निर्णयों को समाविष्ट किया गया था । इस प्रकाशन को अब अद्यतन किया जा रहा है तथा संशोधित संस्करण शीघ्र ही उपलब्ध होने की आशा है ।

(घ) उपर्युक्त (ग) पर बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नही उठता है ।

ईरान में महिन्द्रा कम्पनी द्वारा हिस्सेजोड़ कर जीपें बनाना

8769. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिन्द्रा कम्पनी ईरान में प्रतिवर्ष हिस्से जोड़कर जीपें बनाने को सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी जीपें बनाई गई हैं और इस सम्बन्ध में किए गए करार की क्या शर्तें हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) मैं० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा नामक कम्पनी ने बताया है कि उन्होंने ईरान में जीप असैम्बिल करने का समझौता नहीं किया है ।

"ये पांच हजार लोग किधर माने जाए" शीर्षक में समाचार

8770. **श्री पीयूष तिरकी** : गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 1982 के "हिन्दी हिन्दुस्तान" ये पांच हजार लोग किधर माने जाए" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया ;

(ख) क्या यमुना नदी के पास के मोजपुर और बाबरपुर गांवों के बीच लगभग 5000 लोगों की इस आबादी को मिलाए जाने के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात में कुटीर-उद्योग

8771. **श्री नवीन जाणी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योगों के विकास केलिए गुजरात को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान गुजरात में इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) क्या गुजरात राज्य ने इस प्रयोजन के लिए मिली सम्पूर्ण धनराशि को खर्च कर लिया है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में लघ और कुटीर उद्योगों के विकास सम्बन्धी प्रमुख जिम्मेदारी राज्य क्षेत्र में ग्रामीण और लघु उद्योगों के विकास के लिए 950.00 लाख रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। इस परिव्यय को 1981-82 में बढ़ाकर 1557.00 लाख रुपए कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा बताया गया वास्तविक व्यय वर्ष 1981-82 में 1351.68 लाख रुपये और वर्ष 1981-8 में 1150.00 लाख रुपए है। वर्ष 1978-79 से 1980-81 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात में हुई प्रगति नीचे दी जा रही है। :

	1978-79	1979-80	1980-81
चुने हुए उद्यमियों की संख्या	5722	1500	26096
तैयार की हुई परियोजना फ्रोफाइलों की संख्या	346	1415	280
किए गए नए पंजीकरण स्थापित नए एकक	4715	5754	7099
(क) कारीगर	4518	11683	20160
(ख) लघु उद्योग	3174	4090	4824
(ग) कुल	7692	15773	24984
सहायता प्राप्त रुग्ण एककों की संख्या वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया	204	113	49
ऋण (करोड़ रुपयों में) नकद राजसहायता प्रावधान	4.47	20.22	32.34
(करोड़ रुपयों में) जनित अतिरिक्त रोजगार	2.75	6.76	10.93
(आदमियों की संख्या) तकनीकी तथा अन्य	31800	70072	91905
सहायता प्राप्त एकक	11625	35446	13413

दोबारा उपयोग में लाई जाने वाली ऊर्जा स्रोतों का अध्ययन किया जाना

8772. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के दोबारा उपयोग में लाये जाने वाले ऊर्जा स्रोतों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में लगाए गए अनुमान का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) (क) और (ख) जी हां, ऊर्जा के नवीकरण स्रोतों में, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा, जैव-भार (गोबर अपशिष्ट सामग्री, मलजल, लकड़ी आदि सहित) समुद्री (ज्वारीय, समुद्र ऊष्मीय और उर्मिल) ऊर्जा, लद्दू पशु आदि शामिल हैं। देश में जल-विद्युत ऊर्जा विभव लगभग 400 टी० डब्ल्यू० एच० है, जो 40 प्रतिशत भार घटक पर लगभग 100000 मेगावाट शक्ति विभव के समतुल्य है देश के विभिन्न भागों में 1-1.5 × 109 के० डब्ल्यू० एच० प्रति वर्ग किलोमीटर प्रतिवर्ष सौर ऊर्जा प्राप्त हो रही है। देश के विभिन्न भागों में पवन उर्जा घनत्व प्रतिवर्ष 650 के० डब्ल्यू० एच० प्रतिवर्ग मीटर से लेकर 1800 के० डब्ल्यू० एच० प्रतिवर्ग मीटर के परास तक आती है। जहां तक जैव भार का सम्बन्ध है, पशु अपशिष्ट से 845 फीट तक का उत्पादन हो सकता है जिसका कुल शक्ति विभग 33 अरब के० डब्ल्यू० एच० प्रति-वर्ष होगा। अपशिष्ट सामग्री, जलमल आदि जैसे अन्य जैव ऊर्जा स्रोतों के विभव के सम्बन्ध में सूचना के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। गुजरात के समुद्र तट के पास ज्वारीय शक्ति विभव लगभग 18.4 टी० डब्ल्यू० एच० प्रति वर्ष है। अन्य समुद्री ऊर्जा स्रोतों के विभव का मूल्यांकन किया जा रहा है। देश के कार्यरत पशु औसतन 4 करोड़ अश्व शक्ति ऊर्जा का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। ऊर्जा के अन्य नए स्रोत जिन पर गवेषणा चल रही है, के अन्तर्गत भू-तापीय और हाईड्रोजन ऊर्जा आ जाती है।

उत्पादकों के गोदाम-मूल्य पर इस्पात की बिक्री

8773. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के विचार से संसद में यह आश्वासन दिया है कि राज्य औद्योगिक निगमों को इस्पात उपलब्ध कराया जाएगा तथा वे इन इस्पात उद्योगों को उत्पादकों के गोदाम मूल्य पर बिक्री करेंगे ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि इसे कहां तक कार्यान्वित किया जा रहा है और यदि हां, तो वर्ष 1980-81 के दौरान सभी राज्यों में, राज्यवार, लघु उद्योगों को किस-किस मूल्य पर इस्पात बेचा गया ;

(ग) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ये उद्योग अब भी उत्पादकों के बिक्री मूल्य की तुलना में 15 से 20 प्रतिशत तक अधिक राशि पर इस्पात खरीद रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो यह गड़बड़ कहां होती है तथा संसद में दिए गए आश्वासन को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) लघु उद्योग निगमों को लोहे तथा इस्पात की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने

के लिए हर कोशिश की जाती है। उनसे आशा की जाती है कि वे लघु उद्योगों को लोहे और इस्पात की सप्लाई स्टाकयार्ड मूल्यों पर करेंगे । इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । इस बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि निगम स्टाकयार्ड मूल्यों से अधिक मूल्य ले रहे हैं निगमों का कहना है कि उन्हें अपने संचालन खर्चे को पूरा करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। कुछ क्षेत्रों के लघु उद्योगों ने मांग की है कि उन्हें अपनी सप्लाई सीधे स्टाकयार्डों से प्राप्त करने की छुट होनी चाहिए। इन निगमों की मार्फत लघु इकाइयों को लोहे और इस्पात की मदों का वितरण करने की व्यवस्था अधिक सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होती है और इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक होगा।

चार दरवाजों वाली छोटी कार

8774. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चार दरवाजों वाली छोटी कार के उत्पादन के लिए मारुति उद्योग ने एक जापानी फर्म से सहयोग की सिफारिश की है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार के समक्ष कुछ अन्य प्रस्ताव भी विचारार्थ हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क), (ख) तथा (ग) विभिन्न पार्टियों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर मारुति उद्योग लि० ने परियोजना स्थापित करने के लिये एक सहयोग करार करने की दृष्टि से जापान की मेसर्स सुजुको मोटर कम्पनी के साथ 14 अप्रैल, 1982 को एक सूझबूझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। मारुति उद्योग लि० से विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने पर सहयोग के बारे में सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

माधोपुर कोयला खान के तस्कर बन्ध एकक में घातक दुर्घटना

8775. **श्री नीरेन घोष** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इ० स० एल० के अन्तर्गत माधोपुर कोयला खान के तस्करबन्ध एकक में दिनांक 20 जून, 1981 को हुई घातक-दुर्घटना की कोई जांच कराई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रबंधों की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई थी ;

(घ) यदि हां, तो इस दुर्घटना के लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं ;

(ङ) क्या सरकार ने उन लोगों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया है, जो इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं ; और

(च) यदि हां, तो कब तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (च) मथाईपुर कोसिलयरीके लस्कर बन्ध यूनिट में 20 जून, 1981 को हुई दुर्घटना की जांच खान सुरक्षा महानिदेशालय के एक अधिकारी द्वारा की गई। जांच से पता चला कि जब तीन व्यक्ति, नं० 6 पिट के दक्षिणी पार्श्व केज द्वारा नीचे जा रहे थे, तो बाइंडिंग रस्सी टूट गई और केज लगभग 43 मी० की ऊंचाई से मिड शोफ्ट से गिरने के पश्चात पिट की सतह पर आ गिरा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ऊपर जाने वाले केज में जा रहे एक और लोहार को भी भारी झटके के कारण गंभीर चोटें आईं।

महाप्रबन्धक, एजेंट, प्रबन्धक, इन्जीनियर तथा अधीक्षक इन्जीनियर, (ई० एण्ड एम०), कनिष्ठ इन्जीनियर, फोमैन इन्चार्ज, फोमैन को दुर्घटना के लिए जिम्मेवार ठहराया गया है। उनके विरुद्ध 17 दिसम्बर, 1981 को मामले दायर किए गए हैं।

"डाटर यूज्ड फार प्रोसटिट्यूशन" शीर्षक समाचार

8776. श्री विजय कुमार यादव :

डा० ए० यू० आजमी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 मार्च, 1982 के "इन्डियन एक्सप्रेस में "डाटर यूज्ड फार प्रोसटिट्यूशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जनकपुरी थाने में की गई तथा उन पर की गई कार्यवाही शिकायतों के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) शिकायतकर्ता सतनाम सिंह, पुलिस उप-आयुक्त (प० जिला) और दिल्ली में पुलिस आयुक्त से भी मिला, जिन्होंने उसकी शिकायत की आवश्यक जांच की। उसकी बहन, जिसका समाचार में उल्लेख है, विवाहित है और अपने पति के साथ हल्द्वानी में रह रही है। वह कुछ समय के लिए अपने माता-पिता के घर आई हुई है। शिकायतकर्ता के आरोप निराधार पाए गए।

सोयाबीन प्रोसेसिंग एककं

8778. श्री हरिहर सोरन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं, जिनमें सरकार ने सोयाबीन प्रोसेसिंग एककों की स्थापना की है ;

(ख) उनमें से कितने एककों का प्रबन्ध राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हाथों में है ;

(ग) क्या देश के कुछ सोयाबीन प्रोसेसिंग एककों की क्षमता बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उन एककों के नाम क्या-क्या हैं ?

विवरण

क्र० सं०	एकक का नाम	उत्पादन की वस्तु और स्वीकृत क्षमता (मी० टनों में)					
		खाद्य सोया आटा	सोया पर आधारित प्रोटीन	सोया आइसोलेट्स तथा कन्सेन्ट्रेट्स	रिफाइण्ड सोया तेल/ सोया तेल	सोया खाद्य	लेसिथिन खाद्य ग्रेड व वाणिज्यिक
1.	मैं० मोदीपोन लि०, (म० प्र०)	45,000	30,000	3,000	16,450	...	...
2.	मैं० ब्रिटेनियाइन्डस्ट्रीज लि० (म० प्र०)	25,000	...	10,000	6,000	36,000	1,000
3.	मैं० म० प्र० राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मार्यादीन भोपाल धार जिला (म० प्र०)	25,000	...	10,000	17,000	35,000	...
4.	सुजालपुर (म०प्र०)	25000	...	...	8,000	11,000	...
5.	इटारसी (म० प्र०)	25000	...	...	8,000	11,000	...
6.	साहोर (म०प्र०)	25,000	...	...	8,000	11,000	...
7.	देवास (म० प्र०)	25,000	...	5,000	10,000	11,000	...

8.	मैं० जनरल फूडस प्राइवेट लि०, इन्दौर (म० प्र०)	अधिक प्रोटीन वाले सोया खाद्य आदि 10,000 मी० टन प्रतिवर्ष के आंकड़े
9.	मैं० सोया प्रोडक्ट्स एण्ड रिसर्च एसोशिएशन, बरेली (यू० पी०)	सभी किस्म के सोया उत्पाद 900 मी० टन प्रतिवर्ष
10.	पंतनगर सोया मिल्क प्रोडक्ट्स नोएडा कॉम्पलेक्स	10,000 लिटर प्रतिदिन सोया दुग्ध
11.	मैं० माडर्न बेकरीज (इन्डिया) लि०,	मध्य प्रदेश में सोयाबीन परिशोधन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। उज्जैन में सोया तेल आदि का उत्पादन हो रहा है।

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) से (घ) सरकार ने केवल सोयाबीन परिशोधन के लिए किसी भी एकक की स्थापना नहीं की है। किन्तु, सोयाबीन उत्पादकों का उत्पादन करने के लिए सहकारी तथा निजी क्षेत्रों के एककों को अनेक आशय पत्र/पंजीकरण जारी किए गए है। इनका विवरण संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है इनमें से सहकारी क्षेत्र के कुछ एककों को नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

8779. **श्री अर्जुन सेठी** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका मंत्रालय खादी ग्रामोद्योग आयोग को कितनी सहायता देता है ;

(ख) क्या खादी ग्रोमोद्योग आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों/हरिजनों की नियुक्ति के बारे में, उनके लिए निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार, सरकारी नीति का अनुपालन कर रहा है ; और

(ग) उड़ीसा राज्य में खादी ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों की संवर्ग-वार संख्या क्या है तथा उनमें हरिजनों और आदिवासियों की प्रतिशतता क्या-क्या है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के योजना बजट के अन्तर्गत क्रमश: 85.88 करोड़ रुपये तथा 95.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया था।

(ख) जी, हां।

(ग) श्रेणी-1 और श्रेणी-2 पदों के राज्यवार संवर्ग नहीं बनाये जाते हैं। उड़ीसा में श्रेणी-3 और श्रेणी-4 के कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नप्रकार है :—

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत
श्रेणी-3	14	1	—	7 प्रतिशत
श्रेणी-4	6	3	—	50 प्रतिशत

दोहरी बिक्री प्रणाली शुरू करने के बाद भी सीमेंट की कमी

8780. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट बेचने की दोहरी प्रणाली शुरू करने के बाद भी सीमेंट की कमी बनी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो देशभर में आवश्यकतानुसार सीमेंट उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार ने छठी योजना के दौरान सीमेंट की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने

के लिए देश में अधिक सीमेंट के कारखाने खोलने की कोई योजना तैयार की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) देश में सीमेंट की सामान्यत कमी है तथा आवश्यकता को पूर्णतया पूरी कर पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। सरकार द्वारा विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग करके नई क्षमता स्वीकृत करके तथा आयात की अनुमति देकर देश में सीमेट की उपलब्धता में सुधार लाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 1-4-1982 को 292.50 लाख मी० टन की वार्षिक क्षमता के अलावा आशय पत्रों औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति देकर तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण करके 428.30 लाख मी० टन तक की अतिरिक्त क्षमता भी स्वीकृत की जा चुकी है जिसमें से 184.90 लाख मी० टन की क्षमता छठी पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक फलीभूत हो जाने की आशा है। इस प्रकार सीमेंट की उपलब्धता मे तब तक उल्लेखनीय रूप से सुधार आ जाने की आशा है।

नारियल जटा उद्योग के लिए आबंटन

8781. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान नारियल जटा उद्योग के बिकास के लिए नारियल-जटा बोर्ड को कितनी धनराशि आबटित की गई है ;

(ख) उस अवधि में राज्यवार, आबंटित धनराशि में से कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ग) क्या आबंटित धनराशि को उपयोग न किये जाने की रिपोर्ट भी मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : कायर बोर्ड के लिए योजनागत आबंटन और उसे वास्तव में दी गई राशि इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	1980-81	1981-82
आबंटन	138.00	200.00
वास्तव में दी गई राशि	36.00	73.95

1980-81 में राशि के उपयोग में कमी का प्रमुख कारण एस० एण्ड टी० कार्यक्रम के लिए आवश्यक कुछ मशीनों का उस वर्ष में आयात न किया जा सकना तथा कुछ राज्यों के साथ शुरू की जाने वाली नई योजनाएं जिन्हें अन्तिम रूप राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद ही दिया जा सकता था का स्वीकार न किया जा सकना था।

1981-82 में राशि के उपयोग में कमी का प्रमुख कारण सहकारिता करण की योजना रही है जो अब सरकार की विचारण की अंतिम अवस्थाओं में है :

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कयर उद्योग के लिए 1980-81 और 1981-82 का स्वीकृत वार्षिक योजना परिव्यय तथा 1980-81 में वास्तव में किया गया व्यय और 1981 1982 में होने वाला परिकल्पित व्यय (राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के योजना प्रलेखों में यथा उल्लिखित) इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत परिव्यय 1980-81	1981-82	वास्तविक व्यय 1980-81	परिकल्पित जैसा कि योजना प्रलेख में दर्शाया गया है 1981-82
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	3.00	6.00	2.55	6.00
आसाम	1.00	10.00	0.73	2.00
कर्नाटक	30.00	20.00	7.40	18.65
केरल	200.00	145.00	326.44	283.85
उड़ीसा	7.50	10.00	7.66	8.30
तमिलनाडु	15.00	20.00	15.20	15.65
पश्चिम बंगाल	5.00	2.60	0.57	2.60
अण्डमान एण्ड निकोबार	1.00	2.00	0.32	1.75
गोवा दमन व द्वीप	1.00	1.00	1,01	1.00
लक्षद्वीप	4.30	5 00	5.67	4.90
पाण्डिचेरी	0.50	0.50	0.38	0.05
योग	268.40	222.10	367.93	344.75

यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया गया कुछ वास्तविक व्यय दोनों ही वर्षों 1980-81 और 1981-82 में स्वीकृत योजना परिव्यय से अधिक है।

नए 20 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

8782. श्री समीनुद्दीन : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में खण्ड स्तर पर 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए इस समय क्या व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गतिविधियां अधिकांशतः राज्यों की राजधानियों तक ही सीमित है तथा जिले, खण्ड या तालुक अथवा तहसील के निचले स्तरों को इनमें शामिल नहीं किया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में स्थिति में सुधार लाने संबंधी सरकार के विचाराधीन नई योजना का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला/तालुका/खंड स्तर पर समितियां स्थापित कर चुके हैं। इन समितियों में जन प्रतिनिधियों को भी संबद्ध किया गया है। अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऐसी समितियां स्थापित कर रहे हैं या उन्होंने इस सम्बन्ध में कार्रवाई की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सभी राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को परिशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रबोधन की तरफ विशेष ध्यान देने के लिए लिखा गया है।

श्रेणी तीन और श्रेणी-चार के आरक्षित पदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती

8783. श्री एन० ई० होरो : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार के आरक्षित पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती का ढंग बदल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) (क) तथा (ख) 1-4-1982 से, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग अथवा अन्य केन्द्रीय भर्ती अभिकरणों द्वारा भरे जाने वाले पदों को छोड़कर, सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में समूह "ग" तथा "घ" पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को, जिला सैनिक बोर्डों/राज्य सैनिक बोर्डों/पुनर्व्यवस्था महा निदेशालय को अधिसूचित करना होता है। इस सम्बन्ध में अनुदेशों की एक प्रति सूचनार्थ संलग्न है जिसमें इनके ब्यौरे दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 4008/82]

श्रेणी-चार के कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मचारियों को दी जाने वाली वर्दी और भत्ते के मूल्यों में वृद्धि

8787. श्री निहाल सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

8784.

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के श्रेणी-चार के कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मचारियों की वर्दियों और जूतों के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि हुई है और हर बार कितनी-कितनी बार वृद्धि हुई है तथा क्या यह वृद्धि बाजार के मूल्यों से मेल खाती है ; और

(ख) क्या इस समय कर्मचारियों के लिए निर्धारित लागत में से बाटा और बालूजा के जूते नहीं खरीदे जा सकते ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री(श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सरकार के समूह 'ग' (श्रेणी चार) के पात्र कर्मचारियों के लिए जूतों सहित गर्मी तथा सर्दी के खादी के कपड़े की वर्दियों के अधिकतम मूल्य, वर्ष 1980-81 में निर्धारित किए गए थे। मन्त्रालय विभाग अपने लिए आवश्यक खादी के कपड़े जूतों की खरीददारी पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से अथवा अनुज्ञेय सीमा तक स्थानी बाजार से टेन्डर मंगवा कर करते हैं। चूंकि निर्धारित मूल्य, अधिकतम सीमा के मूल्य हैं इसलिए बाजार के मूल्य से उनके मेल खाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1980 तक, केन्द्रीय सरकार के सुरक्षा कर्मचारियों की वर्दियों रक्षा मन्त्रालय के आर्डिनेन्स फलोदिंग फेक्टरीज ग्रुप से खरीदी जाती थीं। वर्ष 1981 में सचिवालय सुरक्षा बल के कर्मचारियों के लिए टेरीकाट की वर्दियों का कपड़ा अखबारों के माध्यम से खुले टेन्डर मंगवा-कर खरीदा गया था।

(ख) मन्त्रालय विभाग स्वयं पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से, अथवा नहीं तक अनुज्ञेय हो, खुले बाजार से टेन्डर मंगवाकर खरीददारी करते हैं। इसलिए विशेष रूप से बाटा तथा बालूजा जूतों के खरीदे जाने का प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योगों के लिए "वस्तुओं का" आरक्षण

* 8785. श्री अन्नत रामुलु मल्लु : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु और कुटीर उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची का विस्तार करने का है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार आरक्षित सूची में कितनी वस्तुएं शामिल की की गई हैं ; और

(ग) लघु उद्योगों के संरक्षण के लिए सरकार और किन उपायों पर विचार कर रही है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार लघु क्षेत्र में उत्पादन करने के लिए आरक्षित वस्तुओं की समय-समय पर समीक्षा करती रहती है, ऐसा करते समय सरकार लघु आधार पर ऐसा उत्पादन करने में तकनीकी संभाव्यता आर्थिक औच्यता तथा इसके प्रथकत : लाभ को ध्यान में रखता है।

(ख) 1979 कोई नहीं

1980 27 वस्तुएं

1981 12 वस्तुएं

(ग) आरक्षण के अलावा, नीति में समय-समय पर किए गए परिवर्तनों में लघु उद्योगों के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं बड़े अथवा मझोले उद्योगों को उदाहरणार्थ आरक्षित वस्तुओं के लिए न तो आधिष्ठापित क्षमता को विनियमित कराने की न ही स्वत: वृद्धि अनुमत विस्तार की अनुमति दी जाती है क्षमता का पृष्ठांकन तथा सन्तुलित स्तर क्षमता पर सी० ओ० बी० लाइसेंस कड़े निर्यात दायित्वों के घीन आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन पर लागू हैं।

सरकार लघु क्षेत्र के लिए सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता तथा उसकी गुंजाइस की निरन्तर संवीदा करता रहता है।

पर्यावरण और परिस्थिति को सन्तुलन बनाए रखने के उपाय

8786. श्री के० मालन्ना : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में पर्यावरण के संरक्षण और परिस्थिति की सन्तुलन बनाए रखने की आवश्यकता की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो देश को इस समय इस सम्बन्ध में क्या-क्या खतरे हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भूमि संसाधनों का निम्नीकरण, प्राकृतिक सजीव संसाधनों की हानि, जल तथा वायु प्रदूषण और हमारे मानव आवासों में अस्वच्छता स्थिति।

(ग) केन्द्र और कुछ राज्यों में नये पर्यावरण विभागों की स्थापना के साथ, पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं या किये जाने का प्रस्ताव है। इनमें से हैं :- (1) राष्ट्रीय भूमि संसाधन संरक्षण तथा विकास आयोग की स्थापना : (2) हमारी आनुवंशिक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिनिधिक परितन्त्रों में जीवमन्डल रिजर्वों की स्थापना द्वारा वन्यजीवन संरक्षण के लिए सुरक्षित क्षेत्रों के वर्तमान तन्त्र का विस्तार तथा वनरोपण, समाज वानिकी और पारि-विकास कार्यक्रमों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की हानि को भी रोकना ; (3) जल और वायु प्रदषण के नियन्त्रण के लिए वर्तमान विधान का और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन, तथा (कुछ नगरों में मल-जल सुविधाओं और गन्दी बस्तियों की सफाई का विस्तार कराना तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मुहैया करना।

कर्मचारियों भविष्य निधि संगठन में पदोन्नत किए गए अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जाति के अधिकारी

8787. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में काम कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को श्रेणी-दो से श्रेणी एक के आरक्षित पदों पर पनोन्नति नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो आरक्षित पदों को भरने लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों न सूचित किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित पद वर्तमान आदेशों के अनुसार भरे जाते हैं ।

टेलको जमशेदपुर के कन्वाय-ड्राइवरों को भविष्य निधि के लाभ न दिए जाना

8788. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसर्स, जमशेदपुर के कन्वाय ड्राइवरों को, जिनकी संख्या 1000 से अधिक है, भविष्य निधि की सदस्यता प्रदान करने से मना कर दिया गया है, यद्यपि वे अनेक वर्षों से कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या मैसर्स टेलको ने इन सभी कन्वाय-ड्राइवरों का ट्रासपोर्ट कम्पनियों में पंजीकरण करा रखा है तथा उन्हें इन कम्पनियों से लेबर उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है ताकि उन्हें भविष्य निधि के लाभों से वंचित रखा जा स. ;

(ग) क्या जमशेदपुर का दौरा करते समय प्रधिकारियों ने इसकी जांच की थी तथा उनकी कार्यवाही का क्या निष्कर्श रहा; और

(घ) कन्वाय-ड्राइवरों को भविष्य निधि का लाभ प्रदान करने के लिए मैसर्स टेलको को सहमत क्यों नहीं किया गया है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद में वाईस प्रजीडेन्ट की नियुक्ति

8789. **श्री हीरालाल भार परमार** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में पूर्णकालिक वाईस प्रेजीडेन्ट की नियुक्ति की गई है, जबकि यह काम पहले किसी एक अथवा अन्य विभाग के मन्त्रियों द्वारा किया जा रहा था,

(ख) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद में पूर्णकालिक वाईस प्रेजीडेन्ट की इस नियुक्ति से "चीफ (प्लेनिंग)" वैज्ञनिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अन्य "चीफस" के निर्णय ये हटकर व्यवस्था दे रहे हैं,

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में लेखा-परीक्षा विभाग ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी एलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एस० सिंह) : (क) जी हां, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (सी०एस०आइ०आर) के नियम 3(2)के अनुसार मन्त्रालय और विभाग के प्रभारी मन्त्री, जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद का कार्य संभालते हैं, इसकी सोसायटी के पदेन उपाध्यक्ष होंगे ।

"तथापि किसी अवधि में जब प्रधानमन्त्री ही यह मन्त्री है तो प्रधानमन्त्री की ओर से उनके द्वारा मनोनीत कोई भी व्यक्ति उपाध्यक्ष होगा"

प्रधान मन्त्रियों ने, जब वे सी०एस०आइ०आर का कार्य सम्भालने वाले मन्त्री के रूप में रहे हैं, इसके पूर्व अन्य मन्त्रियों/योजना आयोग के उपाध्यक्ष को सी०एस०आइ० आर का उपाध्यक्ष मनोनीत करने की कृपा की है,

(ख) जी नहीं,

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत छूट-प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त दोषी प्रतिष्ठानों की संख्या में वृद्धि

8790. श्री आर० एन राकेश : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीनों के दौरान भविष्य निधि संगठन में छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों को दंडित करने के लिए उन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और गैर-छूट प्राप्त दोनों प्रकार के ऐसे प्रतिष्ठानों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि हुई है, जिन्होंने भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि छूट समाप्त करने के लिए और गैर-छूटप्राप्त प्रतिष्ठानों को दंडित करने के लिए उन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ग) क्षेत्र-वार ऐसे दोषी प्रतिष्ठान कौन-कौन से है, जिनकी ओर भविष्य निधि की एक-एक लाख रुपए से अधिक की धनराशि बकाया है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) सरकार का उन जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है, जो दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध ऐसी उपयुक्त कार्यवाही करने में असफल रहे हैं जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि भविष्य निधि अधिनियम/योजना में उपबन्ध हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क), (ख), (ग) और (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

बाल श्रमिकों का शोषण

8791. **डा० ए० यू० आजमी :**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक तरीकों से बच्चों की कम उम्र का शोषण किया जा रहा है जैसा कि 13 फरवरी 1982 के 'ब्लिटस" (हिन्दी) में "करोड़ों बच्चों के बचपन के कातिल' शीर्षक लेख में बताया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) की गई कार्यवाही का क्या ब्यौरा है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

एशियाड में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या

8792. **श्री एन० सुन्दरराजन :**

श्री सी० चिन्नास्वामी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड निर्माण कार्यों में अब तक कितने व्यक्ति मरे है और कितने व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उनके परिवारों को कोई मुआवजा दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उन्हें मुआवजा देने पर विचार करेगी ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 8 श्रमिकों की मृत्यु हो गयी और एक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुआ।

(ख) और (ग) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में व्यवस्था है कि नियोजक मुआवजे का भुगतान करे। इस मामले में नियोजक ठेकेदार है। यह सूचित किया गया है कि मृत्यु के 8 मामलों में से तीन मामलों में मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया गया है। अन्य तीन मामलों मुआवजे की राशि कर्मकार प्रतिकर आयुक्त के पास जमा करा की गई है और शीघ्र भुगतान कर कर दिया जाएगा, जबकि शेष दो मामलों में मुआवजे की राशि नियोजक द्वारा अभी जमा कराई जानी है। घायल हुए श्रमिक को मुआवजे के भुगतान के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

उद्योग भवन कॉम्प्लेक्स में तालाबन्दी

8793. **श्री राम विलास पासवान :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 में जब नए प्रबन्ध ने कार्य संभाला था, की गई इस शर्त कि इस

प्रबन्ध के समय कैंटीन को विभागीय कैन्टीन के रूप में चलाए जाएगा, के बावजूद उद्योग भवन कैन्टीन में तालाबन्दी कर दी गई है जिससे 35 कर्मचारी प्रभावित हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कैन्टीन कर्मचारियों को जनवरी, 1982 से उनका वेतन नहीं दिया गया है और उनके वेतन से काटी गयी ई० पी० एफ० की धनराशि आज तक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में जमा नहीं की गई ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं । उद्योग भवन को-आपरेटिव कैन्टीन के प्रबन्धकों ने सूचित किया है कि चूंकि वे इन कैन्टीन के काम को सुचारु रूप से नहीं चला पाए, इसलिये उन्होंने इसे बन्द कर दिया था ।

(ख) और (ग) कैन्टीन के प्रबन्धकों ने यह सूचित किया है कि धन की कमी के कारण कुछ कर्मचारियों के कुछ समय के वेतन के कुछ अंश का भुगतान नहीं कर पाये तथा कुछ राशि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा करनी बाकी है ।

अल्मोड़ा और लोहा घाट में एच० एम० टी० यूनिटों की स्थापना करना

8794. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा और लोहा घाट में इन स्थानों की प्राकृतिक जलवायु की उपयुक्तता को देखते हुए एच० एम० टी० यूनिटों की स्थापना करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) एच० एम० टी० की विद्यमान वचनबद्धताओं से इस समय अल्मोड़ा अथवा लोहाघाट में नई इकाईयां स्थापित करने में बाधा पड़ रही हैं ।

इस्पात की उत्पादन लागत कम करने की योजना

8795. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात की उत्पादन लागत कम करने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस योजना को कब लागू किए जाने की संभावना है ?

इस्पात तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे सभी उपायों से इस्पात की उत्पादन लागत में कमी होगी । यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इसके अन्तर्गत इस्पात कारखानों की समूची प्रबन्ध व्यवस्था आती है ।

मध्य प्रदेश का पशु पक्षी बलि प्रतिशोध विधेयक, 1979 को स्वीकृति देना ।

8796. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के पशु पक्षी बलि प्रतिशोध विधेयक, 1979 को राष्ट्रपति की स्वीकृति देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को स्वीकृति देने की सही तारीख क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) विधेयक के कुछ उपबंधों में नीति संबंधी मामलें शामिल हैं और मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से इनकी जांच की जा रही हैं । मध्य प्रदेश सरकार को समय समय पर पत्र लिखे गये हैं। कुछ मदों पर 16 अप्रैल, 1982 को राज्य सरकार से पुन: स्पष्टीकरण मांगे गए हैं जिनके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

पाकिस्तानियों द्वारा कश्मीर में घुसपैठ

8797. **श्री अनादिचरण दास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो हजार पाकिस्तानियों ने गैर कानूनी रूप से कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण लाइन पार कर ली है और विभाजन के समय उनके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के लिए दावा किया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सावधानी के लिए किए गए उपायों सहित तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लुपिन लेबोरेटरीज बम्बई द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा को दवाओं की सप्लाई

8799. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लपिन लेबोरेटरीज प्रा० लिमिटेड कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लिए दवाएं सप्लाई कर रही है :

(ख) यदि हां. तो गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा लुपिन लेबोरेटरीज प्रा० लिमिटेड बम्बई, से खरीदी गई दवाओं का कुल मूल्य कितना है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में, वर्ष-वार कर्मचारी-बीमा योजना संगठन द्वारा खरीदी गई दवाओं का कुल मूल्य कितना हैं और उसमें लुपिन लेबोरेटरीज प्रा० लिमिटेड, बम्बई से खरीदी गई दवाओं का प्रतिशत कितना है ;

(घ) अन्य प्रसिद्ध तथा मानक औषध निर्माता कम्पनियों के मुकाबले लुपिन लेबोरेटरीज प्रा० लिमिटेड, बम्बई को तरजीह दिया जाने के क्या कारण हैं ।

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

तटीय क्षेत्र में एल्यूमिना काम्पलेक्स की प्रगति तथा पारादीप में पोर्ट बेस्ड स्टील प्लांट

8800. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटीय क्षेत्र में एल्यूमिनियम/एल्यूमिना कम्पलेक्स और पारादीप में पोर्ट-बेस्ड विशाल इस्पात संयंत्र द्वारा क्या प्रगति की गई है ;

(ख) उपर्युक्त संयंत्रों का वार्षिक उत्पादन क्या है और इन संयंत्रों द्वारा कितने रोजगार सुलभ कराए गए हैं ; और

(ग) उनके सफलतापूर्वक संचालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) उड़ीसा एल्यूमिना-एल्यूमिनियम कम्पलेक्स तथा पारादीप इस्पात संयंत्र का ब्यौरा व वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है :—

1. उड़ीसा एल्यूमिना-एल्यूमिनियम कम्पलेक्स

ये प्रोजेक्ट प्रति वर्ष 800,000 टन एल्यूमिना तथा 218,000 टन एल्यूमिनियम के उत्पादन हेतु है ; इसके पूरी तरह चालू होने पर 4850 व्यक्तियों को सीधे रोजगार मिलने की आशा है।

यह परियोजना जनवरी, 1981 में नियमित नशनल एल्यूमिनियम कम्पनी (नालको) चला रही है। नालको ने परियोजना के मुख्य खंडों/कार्यों के लिए सलाहकार नियुक्त किए हैं। परियोजना के लिए वित्त की व्यवस्था 400 मि० अमरीकी डालर के फ्रेंच ऋण और 680 मि० अमरीकी डालर के बैंक समूह के यूरो-करेंसी ऋण से की गई हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 1242.4 करोड़ रुपए है।

परियोजना के फ्रेंच सलाहकारों ने तकनीकी निर्धारित कार्यक्रम पर तकनीकी ज्ञान और आधारभूत इन्जीनियरी आंकड़े से संबंधित कागजात दे दिए है। व्यापक इन्जीनियरी कार्य इंजीनियर्स इण्डिया लि० मुख्य भारतीय इन्जीनियरी सलाहकार के यहां चल रहा है। उपकरण निर्माण सामग्री भूमि अधिग्रहण आदि की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। परियोजना के प्रौद्योगिक खंडों के सम्बन्ध में सिविल निर्माण कार्य आगामी मानसून सत्र के बाद शुरू होने की आशा है। यह परियोजना कार्यक्रमानुसार चल रही है तथा इसके 1985-86 में चालू हो जाने की आशा है।

2. पारादीप में पत्तन आधारित इस्पात संयंत्र

मौसमी आंकड़े की जांच के आधार पर सरकार ने उड़ीसा में दूसरा इस्पात कारखाना पारादीप से लगभग 120 कि० मी० दूर दैतारी क्षेत्र में लगाने का निर्णय किया है। कारखाने

कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.5 मि० टन की होगी। रोजगार क्षमता का पता मै० डैवी मैकी से बातचीत पूरी होने पर ही चल सकेगा।

परियोजना के कार्यान्वयन हेतु एक पूर्णतया केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी "नीलाचल इस्पात निगम लि०" का गठन किया गया है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबन्ध निदेशक द्वारा दौरे

8801. श्री आर० पी० खाडंगी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबन्ध निदेशक। अक्तूबर, 1980 से 31 अक्तूबर, 1981 तक की अवधि के बीच कुल कितने दौरे पर रहे ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उन्हें कुल कितना वेतन और यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ता दिया गया ;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान उन्होंने क्रमश: बम्बई और दिल्ली का कितनी बार दौरा किया ;

(घ) क्या यह सच है कि कारपोरेट कार्यालय और उसके सहायक कार्यालयों के बीच आपसी बातचीत में सहायता हेतु "हाट लाईन" विद्यमान है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या प्रबन्ध निदेशक के दिल्ली के प्राय: दौरे उचित थे ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ग) अक्तूबर, 1980 से अक्तूबर 1981 की अवधि में राउरकेला इस्पात कारखाने के प्रबन्ध निदेशक 95 दिनों के लिए दौरे पर थे। उपर्युक्त अवधि में वह सात बार बम्बई और 28 बार दिल्ली गए थे।

(ख) उपर्युक्त अवधि में उनके वेतन, यात्रा-भत्तों तथा दैनिक-भत्तों का ब्यौरा इस प्रकार :—

(1) वेतन	49,632.00 रुपये
(2) यात्रा-भत्ता	59,276.98 रुपये
(3) दैनिक भत्ता	16,226.25 रुपये
(4) विदेशी यात्रा पर व्यय	14,512.00 रुपये

(घ) जी, हां।

(ङ.) राउरकेला इस्पात कारखाने के प्रबन्ध निदेशक से उपर्युक्त दौरे कंपनी के काम के हित में ही किए हैं ।

चैसिस की बुकिंग

8802. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरिजनों, आदिवासियों, शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों, प्रशिक्षित ड्राइवरों और अन्य व्यक्तियों को "टेलकों" (जमशेदपुर) के माध्यम से बसों और ट्रकों के चेसिस प्राथमिकता के आधार पर देने की व्यवस्था की है ;

(ख) क्या इसने बसों और ट्रकों के चैसिस बुक करने के लिए ब्याज की न्यूनतम दर पर 50 करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि एकत्रित की है ;

(ग) क्या चैसिस 20-30 हजार रुपये की दर से काले बाजार में बिक रहा है कम्पनी अपने एजेंटों के माध्यम से जाली नामों से चैसिस बुक करके कृत्रिम अभाव पैदा कर रही है ;

(घ) क्या बुकिंग संख्या 231, दिनांक 24 अप्रैल, 1981 एल० जी० 52 बस चैसिस को मिथिला मोटर्स मुजफ्फरपुर (बिहार) ने बुक कराया है ;

(ङ) क्या 21 जनवरी, 1982 को यह वापस ले लिया गया और उसी ड्राइवर ने रश्मि आटोमोबाइल्स गया में बुकिंग संख्या 60, दिनांक 21 दिसम्बर, 1981 एल० जी० 52 के माध्यम से 16 जनवरी, 1982 को डिलीवरी ले ली ;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) क्या सरकार टेलको कम्पनी के बम्बई कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष किए जा रहे करोड़ों रुपये के काले बाजार की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाएगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार ने वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माताओं को सलाह दी है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, शिक्षित बेरोजगारों तथा स्व-नियोजित भूतपूर्व सैनिकों समेत कुछ श्रेणियों के आवेदकों को वाणिज्यिक गाड़ियों के चैसिस आवंटित करने में प्राथमिकता दी जाए ।

(ख) मै० टेलकों ने बताया कि पूरे देश में उनके विक्रेताओं द्वारा 28-2-1982 तक गाड़ियों के पंजीकरण के लिये लगभग 50 करोड़ रुपये की राशि जमा राशियों के रूप में इकट्ठी की गई थी । गाड़ियों की सुपुर्दगी तक इन जमा राशियों पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है ।

(ग) कम्पनी ने बताया है कि किसी भी इच्छुक ग्राहक के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह अधिकृत मूल्य से ज्यादा राशि का भुगतान उनके विक्रेताओं को करें । वाणिज्यिक गाड़ियों की बिक्री और वितरण में कदाचार को रोकने के लिये सरकार ने वाणिज्यिक गाड़ियों की खरीद की प्रारम्भिक तिथि से दो वर्ष की अवधि तक उनकी पुनः बिक्री पर रोक लगा दी है ।

(घ), (ङ.) तथा (च) कम्पनी ने बताया है कि यदि किसी ग्राहक के कारोबार को स्थान

अथवा निवास एक से ज्यादा जगह पर स्थित है तो संबन्धित स्थानों पर किसी अथवा सभी विक्रेताओं के पास वाणिज्यिक गाड़ियों के लिये उसके द्वारा बुकिंग करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, या अनियमितता नहीं है। ग्राहक अपने आर्डरों को रद्द करने के लिये भी स्वतन्त्र है।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गंगा नदी द्वारा मुकेमाघाट स्थित रिजर्व पुलिस शाखा शिविर की जमीन का क्षारण

8803. **श्री कुवंर राम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुकेमाघाट स्थित रिजर्व पुलिस शाखा शिविर की जमीन का नदी द्वारा क्षारण हो रहा है ;

(ख) इसकी संरक्षण की योजना कब बनाई गई थी ;

(ग) इसकी क्रियान्वित हेतु वर्ष 1979, 1980 और 1981 में क्या कदम उठाये गए हैं और क्या सरकार इसकी प्रगति से संतुष्ट है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त परियोजना की क्रियान्वित में तेजी लायेगी ताकि इसके पूरा होने में विलम्ब के कारण उस पर होने वाले भारी व्यय से बचा जा सके ; और

(ङ) क्या उक्त परियोजना में साल लकड़ी के खम्भों के स्थान पर सीमेंट के खम्भों का प्रयोग करने का प्रस्ताव है और क्या इसके व्यय में कई गुना वृद्धि होगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) इस समय मुकेमाघाट स्थित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के परिसर का गंगा के पानी से क्षारण नहीं हो रहा है। परन्तु भू-क्षरण की संभावना को समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि गंगा की धारा में थोड़ा-सा परिवर्तन हो गया है।

(ख) बिहार सरकार ने सितम्बर, 1977 में भू-क्षरण से बचाव की एक योजना शुरू की थी।

(ग) बिहार सरकार के बाढ़ नियंत्रण निदेशक द्वारा तैयार की गई योजनाएं और आकलन अप्रैल, 1979 में प्राप्त हुए थे। इस आधार पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने आकलन तैयार किए थे। योजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था और जनवरी, 1980 में 14,51,240 रुपये की स्वीकृति दे दी गई थी। निविदायें मांगने के पश्चात् केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पटना ने मूल्यों में वृद्धि के कारण 14,54,260 रूपये की अतिरिक्त राशि के लिये नवम्बर, 1980 में मामले को पुनः प्रस्तुत किया था। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सितम्बर, 1981 में संशोधित आंकलन तैयार किये और तदानुसार योजना के शीघ्र और संतोषजनक कार्यान्वयन के लिये आंकलों को बढ़ाकर 26,19,200/-रुपये करने के लिए अक्तूबर, 1981 में अनुमति दी गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संशोधित आंकलनों में साल की बल्लियों का प्रावधान किया गया था। परन्तु

अपेक्षित परिमाप की साल की बल्लियां उपलब्ध न होने होने और उनकी कीमत अत्यधिक होने के कारण सामग्री के प्रयोग से सम्बन्धित निर्णय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उपयुक्त समय पर किया जाएगा।

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण सम्बन्धी समिति की सिफारिश

8804. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

श्री गुलाम मोहम्मद खां : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण हेतु व्यवस्था की पुनरीक्षा करने सम्बन्धी समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त सिफारिशों पर विचार करने के लिए हाल में दिल्ली में अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था ; और

(ग) यदि हां तो उसके क्या परिणाम रहे और उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी चव्हाण) : (क) जी, हां। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 1981 में प्रस्तुत की थी।

(ख) जी, हां। अधिकारियों का सम्मेलन 18 और 19 मार्च, 1982 को हुआ था। अधिकारियों के इस सम्मेलन में हुए विचार-विमर्शों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) विभिन्न सिफारिशों पर हुई आम सहमति को राज्य सरकारों और संबन्धित संस्थाओं को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित करने का प्रस्ताव है। सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिजर्व बैंक और योजना आयोग द्वारा यथा समय समीक्षा की जाएगी।

ओखला फेज-11, नई दिल्ली में शेडों का आबंटन

8805. **श्री आर० वाई० घोरपडे :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्यमियों का 1974-75 में ओखला फेज-11 में आवंटित शेडों के मूल्य कब निर्धारित किए जायेंगे ;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि डी० एस० आई० डी० सी० ने लारेंस रोड में शेड नं० 23 को प्रादीप अग्रवाल से खाली कराने के लिए यह आरोप लगाकर कार्यवाही की है कि जुलाई, 1979 को उसने निगम को 54,850.97 करोड़ रुपये देना था परन्तु 15 दिसम्बर 1974 को रुपया वसूल किए बिना मुकदमा वापस ले लिया गया ;

(ग) यदि हां, तो ओखला-11 के उद्यमियों के खिलाफ मुकदमें वापस न लेने के क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उन सभी के विरुद्ध मुकदमें न चलाने के क्या कारण हैं कोई किराया नहीं दे रहे हैं या दिया है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार मामले पर विचार कर रही है ।

(ख) जी, हां । केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जांच की जा रही है ।

(ग) कानूनी अदालतों में निर्णयाधीन पड़े शेड खाली कारवाने के मामलों को वापिस लेना नीति और समय-समय पर निर्धारित की गई शर्तों पर निर्भर करता है ।

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शेड खाली करवाने के लिये मुकदमे दायर कर दिए गए/किए जा रहे हैं ।

हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क के मालिक

8806 श्री नारायण चौबे : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड के मालिक कौन हैं और क्या इस कम्पनी के मालिक बदल गए हैं और यदि हां, तो कितनी बार मालिक बदले हैं और इस समय मालिक कौन हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस कम्पनी के बहुत से पूर्जे उठा लिए गए हैं या चोरी कर लिये गए हैं ; और

(ग) कम्पनी की इमारत में कितने बेंगन रुके पड़े हैं उसकी टूट-फूट कितनी है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) अगस्त, 1081 तक मैसर्स हिन्दुस्तान पिलिंगठन ग्लास वर्क्स लिमिटेड पिलिंगटन ब्रादर्स लिमिटेड, इंग्लैण्ड, जिसके इसमें 56.12 प्रतिशत इक्विटी शेयर थे, की एक सहायक कम्पनी थी। अगस्त, 1981 में, मैसर्स पिलिंगटन ब्रादर्स लिमिटेड, इंग्लैंड ने अपने आधे इक्विटी शेयर कलकत्ता के श्री एच० सी० सोमानी को हस्तान्तरित कर दिए थे।

(ख) और (ग) चूंकि कारखाने में दिनांक 25 मई, 1980 से तालाबन्दी चल रही है अतः जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

पश्चिम बंगाल वार्षिक योजना 1982-83

8807. श्री चित्त बसु : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना के लिए गत वर्ष 638.50 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव का रखा है ; और

(ख) यदि हां तो अधिक धन आवंटन के बारे में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1981-82 के लिए 638 करोड़ रु० के अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले 1982-83 की वार्षिक योजना के लिए 799 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया था।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार के साथ विचार-विमर्श हुआ था, परन्तु व्यय/ राज्य के

साधनों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना के अभाव में तथा राज्य सरकार के अनुरोध पर यह विचार-विमर्श स्थगित कर दिया गया था ।

डेमोक्रेटिक यूथ फैडरेशन आफ इण्डिया, त्रिपुरा का ज्ञापन

8808. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री को डेमोक्रेटिक यूथ फैडरेशन आफ इन्डिया त्रिपुरा राज्य समिति से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है है ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में उठाई गई मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) डेमोक्रेटिक यूथ फैडरेशन आफ इन्डिया द्वारा की गई मांगों के सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) (क) जी हां, श्रीमान् । दिनांक 9-3-82 का एक ज्ञापन 20 मार्च, 1982 का प्राप्त हुआ था ।

(ख) मुख्य बातें इस प्रकार हैं (1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को चालू रखने के लिए अधिक धन और भोजन की व्यवस्था (2) शारीरिक रुप से विकलांग, नेत्रहीन और वृद्ध व्यक्तियों को दिये जाने वाले वर्तमान 30 रु० मासिक भत्ते को राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया जाना (3) स्वायतशासी जिला परिषद के सुचारु रूप से कार्य करने के लिये निधियों की व्यवस्था (4) त्रिपुरा सरकार द्वारा स्थ पित किये गये वेतन आयोग को सिफारिशों के कार्यान्वित के लिये त्रिपुरा सरकार को वित्तीयीय सहायता, और (5) राज्य में पिछले सूखे के दौरान क्षतिग्रस्त हुई झूम फसलों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता ।

(ग) सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयों और त्रिपुरा सरकार को उनसे सम्बन्धित बातों पर उपयुक्त कारंवाई करने के लिए कहा गया है ।

शराब की दुकानों में हेराफेरी

8809. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के अन्तर्गत चलने वाली शराब की दुकान में उनके कर्मचारियों के विरुद्ध हेराफेरी के कोई मामले हाल में सतर्कता विभाग को भेजे गए थे ;

(ख) यदि हां, तो उन मामलों का ब्योरा क्या है; और

(ग) संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध तथा ऐसे मामलों की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) जी हां ।

(ख) प्रकरणों का संबंध अधिक कीमत लेने, कैश-मीमों जारी न करने, स्टाक में होने के

बावजूद ग्राहकों द्वारा मांगे गए ब्रान्ड को न बेचने, पर्यवेक्षण की कमी नकदी के गबन और स्टाक में कमी के आरोपों से है।

(ग) अभी तक निपटाए गए छह मामलों में सात कर्मचारियों पर जुर्माना किया गया है। शेष आठ मामलों में जांच कार्य चल रहा है। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आकस्मिक निरीक्षण, कर्मचारियों का सावधिक स्थानातरण, वास्तविक स्टाक/नकदी का मिलान आदि जैसे विभिन्न अभ्युपाय किये जा रहे हैं। आई० एम० एफ० एल० एकाउन्टस डिविजन द्वारा लेखों के समाधान की भी देख रेख की जा रही है।

रोजगार हेतु विदेशों में गए व्यक्ति

8810. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जो गत वर्ष रोजगार के उद्देश्य से विदेश गए उनका राज्यवार ब्योरा क्या है और वे विदेश किस प्रकार के रोजगार के लिए गए ;

(ख) वे एजेन्सी के माध्यम से विदेश गए और क्या विदेश जा रहे व्यक्तियों द्वारा उठाई गई कठिनाई के बारे में सरकार को कोई शिकायत मिली है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) हमारे दूतावास द्वारा उन भारतीय राष्ट्रिकों को क्या सहायता दी गई है जो रोजगार के उद्देश्य से विदेश गए हैं और गत वर्ष कितने व्यक्तियों को ऐसी सहायता प्रदान की गई ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) ऐसे व्यक्तियों के संबध में, जो उत्प्रवास के लिए उत्प्रवासियों के प्रोटेक्टरों के पास पजीकृत थे, निम्नलिखित अन्तिम आंकड़े उपलब्ध हैं :—

बम्बई	176041
दिल्ली	62586
चंड़ीगढ़	7443
कोचीन	11497
त्रिवेन्द्रम	7247
मद्रास	10333
कलकत्ता	8 0

इनमें से वास्तव में, में कितने विदेश गए और उनकी राज्य-वार तथा नौकरी वार सूचना के आंकड़े संकलित नहीं किए गए हैं।

(ख) एजेन्सी-वार ब्योरा देना संभव नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अधीन पंजीकरण प्रक्रिया के समाप्त किये जाने के परिणामस्वरूप एजेन्सियों की संख्या पर कोई

नियंत्रण नहीं है। विदेशों में व्यक्ति श्रमिकों से समय-समय पर दुर्व्यव्यवहार, मजदूरी में कटौती, संविदे के विपरीत कार्य, आदि सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई है।

(ग) वित्तीय सहायता के आलावा, हमारे दूतावास उत्प्रवासी श्रमिकों को, नियोजकों का पता लगाने में विदेश में आने वाले ऐसे श्रमिकों के लिए रोजगार ढूंढने में जिन्हें वे कम्पनियां स्वीकार नहीं करती जिनके लिए वे आते हैं, सहायता भी प्रदान करते रहे हैं। नियोजकों के साथ समस्याओं का निपटारा करने में भी सहायता देते हैं और यहां तक कि श्रमिकों की ओर से श्रम न्यायालयों को आवेदन पत्र भी लिखते हैं। ऐसे श्रमिकों की संख्या बताना संभव नहीं है, जिनको हमारे सभी दूतावासों द्वारा गत वर्ष के दौरान सभी देशों में सहायता दी गई।

खेतीहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित करना

8811. **श्री गदाधर साहा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औषध अनुसंधान परिषद से भूतपूर्व महानिदेशक और इस समय न्यूट्रीशन फाउंडेशन आफ इन्डिया के चीप डा० सी० गोपाल ने भूमिहीन खेतीहर मजदुर की न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिए कौन सा मापदंड का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव को ध्यान में रखकर वर्तमान न्यूनतम मजूरी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और क्या न्यूनतम मजूरी अधिनियम में संशोधन के संदर्भ में यह मापदंड न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिए लागू किया जाएगा और (20 सूत्री कार्यक्रम (के अनुसार) भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए इसे लागू किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) समाचार पत्रों में 23 और 24 मार्च, 1982 को प्रकाशित अपने लेख में डा० सी० गोपालन ने सुझाव दिया कि भोजन की न्यूनतम जरूरत का हिसाब दो वयस्कों तथा दो बच्चों के परिवार के लिए कुल 8100 केलरियों ग्रहण करने के आधार पर करना चाहिए, अर्थात सामान्य क्रियाशीलता वाले साधारण वयस्क के लिए 2700 कैलरियां की औसत दर पर, जबकि योजना आयोग ने यह माना है कि शहरी क्षेत्रों में कुल 2100 कैलरियां तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलरियां ग्रहण की जानी चाहिए।

(ख) और (ग) इस समय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का कोई मानदंड नहीं है। श्रम मंत्रियों की उप समिति ने 12 फरवरी, 1981 को हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के मानदंड की जांच करने के लिए उप समिति में प्रतिनिधित्व प्राप्त छः राज्यों के सचिवों की एक समिति गठित की जाये जिस की अध्यक्षता श्रम मंत्रालय में अपर सचिव करें। समिति ने अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देते समय डा० गोपालन के विचारों को ध्यान में रखा है। इस रिपोर्ट पर श्रम मंत्रियों के अगले सम्मेलन में विचार किया जाएगा।

खुली बिक्री के सीमेंट की बाजार में उपलब्धता

8812. श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम आयातित सीमेंट का उपभोक्ताओं तथा राज्यों में वितरण का काम करेगा ;

(ख) क्या आयातित सीमेंट की लागत देश में निर्मित सीमेंट से कम होगी और उसे राज्यों में वितरण करने का क्या मानदंड होगा तथा 1982 के लिए कुल सीमेंट आयात में राज्यों का कितना हिस्सा होगा ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 24 मार्च, 1982 के "स्टेटसमैन" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार द्वारा 27 फरवरी, 1982 को घोषित की गई इस नई नीति से सीमेंट वितरण की स्थिति सरल बनाने के बजाए जहां तक उसकी उपलब्धता का प्रश्न है, वह मकान बनाने वालों के लिए और कठिन हो जाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से सहमत है और यदि नहीं, तो इस नीति की घोषणा के बाद से क्या खुली बिक्री के लिए सीमेंट की बाजार में उपलब्धता काफी बढ़ गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और इस सम्बन्ध में सरकार की आशाएं कहां तक पूरी हो गई है।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सीमेंट कारपोरेशन आफ इन्डिया ऐसी आयातित सीमेंट के वितरण का कार्य कर रहा है जिसके लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा 28-2-82 से पूर्व विद्यमान आयात योजना के अन्तर्गत पहले से ही अनुबंध कर लिया गया है। आयातित सीमेन्ट मूल्य तथा वितरण नियन्त्रण से मुक्त है।

वर्ष 1982-83 की आयात तथा निर्यात नीति के अन्तर्गत राज्य व्यापार निगम को तथा प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी क्षेत्र के अभिकरण को वास्तविक उपभोक्ता लेखे पर सीमेन्ट का आयात करने की अनुमति है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा हाल ही में घोषित सीमेन्ट की आंशिक विनियंत्रण संबंधी नीति के अन्तर्गत 80 वर्ग मीटर तक के कुर्सी (प्लिन्थ) क्षेत्र वाले रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए सीमेन्ट सम्बन्धी आवश्यकता लेवी कोटे के सीमेन्ट से पूरी की जाती है। जहां तक बड़े रिहायशी मकानों जो लेवी सीमेन्ट के पात्र नहीं है, सीमेन्ट सम्बन्धी आवश्यकता का सम्बन्ध है, सीमेन्ट उत्पादक संघ के प्रतिनिधियों ने सरकार को यह आश्वासन दिया है कि सीमेन्ट उद्योग परिवहन लागत की चिन्ता किए बिना कमी वाले क्षेत्रों सहित देश में सभी क्षेत्रों को कम से कम 1981 में प्राप्त स्तर तक सीमेन्ट की सप्लाई गैर लेवी कोटे से करता रहेगा।

रेफ्रिजरेटरों को आवश्यक वस्तु घोषित करना

8813. श्री भीकू राम जैन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेफ्रिछरेटर निर्माताओं ने सरकार से रेफ्रिजरेटर को आवश्यक वस्तु घोषित करने तथा छोटी यूनिटों को प्रोत्साहन देने और नए उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए उत्पादन शुल्क में पर्याप्त राहत देने, आदानों पर प्रोफार्मा ऋण देने तथा बिना उत्पादन वस्तु के राजनयिकों को उनकी बिक्री करते समय अन्य प्रकार के प्रोत्साहन देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर निर्णय कब लिया जाएगा ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयात प्रतिस्थापन समितियां

8814. **श्री के० रामा मूर्ति** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात प्रतिस्थापन सम्बन्धी अग्रवाल समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) टेक्सटाइल क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने और विनिर्यात लक्ष्य सम्बन्धी टंडन समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) समिति की विभिन्न सिफारिशों पर विचार करने के लिए शक्ति प्राप्त एक अन्तर मंत्रालयीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है । शक्ति प्राप्त समिति ने अब तक तीन बैठकें बुलाई हैं। अपनी जांच पूरी करने में समिति को अभी कुछ समय लगेगा । शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर ही सरकारी निर्णय लिए जा सकेंगे ।

(ख) वस्त्र उद्योग पर टंडन समिति ने 9 सिफारिशें की थी जिनमें से तीन सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित किया गया है । सरकार द्वारा स्वीकार की गई एक सिफारिश अतिरिक्त क्षमता और विशिष्ट निर्यात लक्ष्यों कर सृजन करन के बारे में है ।

सामग्री के आयात के लिए लाइसेंस देने में उद्योग विभाग के अधिकारियों पर आरोप

8815. **श्री सुभाष यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली प्रशासन द्वारा अपने उद्योग विभाग के उन पांच अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या औचित्य है जिसके विरुद्ध ऐसी सामग्री के आयात के लिए प्राइवेट फर्मों के बढ़े चढ़े दावों के आधार पर लाइसेंस देने के पक्षपात करने के आरोप थे, जो इलेक्ट्रानिक महानिदेशक की राय के अनुसार आयात करनी आवश्यक नहीं थी तथा जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का अपव्यय हुआ (देखिए—केन्द्रीय सतर्कता आयोग का 1980 के लिए प्रतिवेदन, पृष्ठ 20,51 (5)/(7)

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : दिल्ली प्रशासन द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं करने के औचित्य को केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह (वर्ष 1980 के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग की 17 वीं वार्षिक रिपोर्ट) को अस्वीकार करने के कारणों को बताने वाले ज्ञापन के पैराग्राफ 6,1 से 6,6 में स्पष्ट किया गया है, जिसे 18 सितम्बर, 1981 को सभा पटल पर रखा गया था।

राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की प्रति व्यक्ति आय

8816. **श्री रास बिहारी बेहरा** : क्या **योजना** मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1981-82 के दौरान विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की प्रति व्यक्ति आय क्या है ;

(ख) कौन से राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश प्रति व्यक्ति आय के राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं ; और

(ग) इन क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों के प्रति व्यक्ति आय का सरकारी अनुमान सम्बन्धित राज्य सांख्यिकीय कार्यालयों द्वारा संकलित किया जाता है। वर्ष 1981-82 के लिए यह अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। सभी राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों (जो इन अनुमानों को जारी करते है) के लिए प्रति व्यक्तिआयका अद्यतन अनुमान वर्ष 1977-78 के लिए उपलब्ध हैं। ये अनुमान प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद के साथ संलग्न विवरण पत्र में दिए जा रहे हैं। प्रयुक्त स्रोत सामग्री में भिन्नताओं के कारण राज्यवार अनुमान पूर्णरूपेण तुलनीय नहीं हैं। तथापि आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय से कम हैं।

(ग) पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों में से एक क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना भी सम्मिलित रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित उपायों को अपना कर समस्या का समाधान किया गया है :—

(1) राज्यों को केन्द्रीय स्तर पर संघ संसाधनों के अन्तरण के लिए उपयुक्त नीति तैयार करने में असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्कम तथा त्रिपुरा विशेष श्रेणी के राज्य समझे जाते हैं तथा उनके संसाधनों की आवश्यकताएं कुल केन्द्रीय सहायता पूल में पहले से ही अधिकृत हैं। अन्य राज्यों को केन्द्रीय सहायता संघोचित गाडगिल सूत्र के आधार पर आवंटित की जाती है जो पिछलेपन को महत्व देता है।

(2) जन जातिय क्षेत्रों, सूखा प्रवृतक क्षेत्रों, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि जैसे विनिर्दिष्ट समस्या प्रधान क्षेत्रों एवं लक्ष्य समूहों तथा राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की सहायता से।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों जिनका विशेष उद्देश्य पीछड़े क्षेत्रों का विकास करना है, और

(4) रिसायती वित्त बीज/अल्प ब्याज रुपया स्कीम, केन्द्रीय निवेश सहायिकी स्कीम, कर छूट, विशेष ब्याज सहायिकी योजनाओं द्वारा जिसी उद्यमियों को प्रोत्साहन।

विवरण

प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद 1977-78

(प्रचालित भावों पर)

राज्य/संघ शासित प्रदेश/अखिल भारत	प्रति व्यक्ति आय (रु० में)
1. आन्ध्र प्रदेश	1018
2. असम	912
3. बिहार	728
4. गुजरात	1462
5. हरियाणा	1736
6. हिमाचल प्रदेश	1178
7. जम्मू कश्मीर	986
8, कर्नाटक	1129
9. केरल	1004
10. मध्य प्रदेश	900
11. महाराष्ट्र	1637
12. मणिपूर	808
13. उड़ीसा	820
14. पंजाब	1966
15. राजस्थान	969
16. तमिलनाडु	1027
17. त्रिपुरा	862

1	2
18. उत्तर प्रदेश	952
19. पश्चिम बंगाल	1263
20- दिल्ली	2310
21. गोआ, दमण और दीव	2000
22. पांडिचेरी	2021
अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद	1201

टिप्पणी : मेघालय, नागालैण्ड और सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप तथा मिजोरम के संघ शासित प्रदेश ऐसे अनुमान तैयार नहीं करते।

"इण्डिया-सर्वे आफ दी टेक्सटाईल मशीनरी इंडस्ट्रीज" की रिपोर्ट

8817. **श्री एस० ए० डोराई सेक्रास्तियन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "इण्डिया-सर्वे आप दी टेक्सटाईल मशीनरी इण्डस्ट्री" पर विश्व बैंक की रिपोर्ट मुख्य सिफारिशें क्या है ; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) विश्व बैंक के वस्त्र मशीन उद्योग सर्वेक्षण में प्रमुख सिफारिशों में वस्त्र मशीनों और वस्त्र उद्योगों से संबंधित निम्नलिखित पहलुओं पर बल दिया गया है :—

(1) मशीन निर्माण क्षमताओं का आधुनिकीकरण और एक निर्यातोन्मुख वस्त्र उद्योग का विकास ;

(2) स्वदेशी वस्त्र मशीन निर्माण आधार को मजबूत करना और इसके परिणामस्वरूप निर्यात पर बल देना ;

(3) डिजाइनों की खरीद या सहयोग करारों पूंजीगत सामान, फालतू पुर्जों और हिस्सों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की अधिक सहायता, विशेष रूप से निर्यात करने वाली फर्मों के लिए, की अनुमति देकर डिजाइन का उन्नयन ;

(4) विनियमों की समीक्षा करना ताकि उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके और अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्र मशीन निर्माताओं के साथ संयुक्त उद्यमों को भी बढ़ावा दिया जा सके ।

(ख) ये टिप्पणियां सामान्यतौर पर वस्त्र मशीनों सहित पूंजीगत सामान उद्योग के विकास के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीतियों और पद्धतियों के इस सहायता का उद्देश्य मुख्यरूप से प्रौद्योगिकी का उन्नयन, आधुनिकीकरण और क्वालिटी नियंत्रण तथा निर्यात विकास करना है। वस्त्र मशीन उद्योग और वस्त्र मिल उद्योग इस योजना के अधीन प्रमुख लाभग्राही रहे है। पिछले पांच वर्षों में वस्त्र मशीनों के निर्यात के क्षेत्र में कार्य निम्न प्रकार रहा है :—

(करोड़ रु० में)

वर्ष	बुनाई मशीनों सहित वस्त्र मशीने और सहायक सामान
1977-78	10.02
1978-79	9,77
1979-80	13.31
1980-81	18.50
1981-82	25.00 (अनुमानित)

उद्योग पर यह बल दिया गया है कि उन्हें सतत आधार पर निर्यात के क्षेत्र में जोरदार प्रयास करना चाहिए।

खादी भवन, नई दिल्ली में नियुक्तियां

8818. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी भवन, नई दिल्ली में नियमित अथवा अस्थाई नियुक्तियों के लिए रोजगार केन्द्रों से नाम नहीं मांगे जाते हैं और वे नियुक्तियां मनमाने ढंग से की जाती हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वहां नियमित अथवा अस्थाई नियुक्तियों के लिए रोजगार केन्द्र से कितनी बार नाम मांगे गए थे और इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा क्या है तथा उनमें से कितने व्यक्ति वास्तव में नियुक्त किए गए ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं। जहां तक खुली भर्ती द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों का सम्बन्ध है, इनके बारे में विज्ञापन दिया जाता है तथा रोजगार केन्द्रों को अधिसूचना भेज दी जाती है। रोजगार केन्द्रों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है तथा एक विधिवत गठित कर्मचारी चयन समिति द्वारा चयन किया जाता है।

जहां तक गांधी जयन्ती के उपलक्ष्य में बिक्री में छूट देने की अवधि के दौरान भवन द्वारा नियोजित आकस्मिक कामगरों का सम्बन्ध है, प्रबन्धक खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली, भवन के कर्मचारियों को एक परिपत्र जारी करने के अलावा समाचार पत्रों में एक विज्ञापन देता है। जिसकी एक प्रति रोजगार केन्द्र को भी भेजी जाती है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान नियमित और अस्थायी नियुक्तियों के लिए रोजगार केन्द्र से सात बार निम्न नाम मंगाए गए थे :—

परिपत्र संख्या	तिथि	नियमित या आकस्मिक
1. के० जी० बी०/एडमन/34/6340	20.1.1979	नियमित
2. के० जी० बी०/एडमन/34/79/5000	20.10.79	नियमित
3. के० जी० बी०/एडमन/34	7.2.80	नियमित
4. के० जी० बी०/ए० सी०/इसेट/80-81/470	16.4.81	नियमित
5. के० जी० बी०/2865	अगस्त, 79	आकस्मिक
6. के० जी० बी०/केजुअल/80/2872	19.8.80	आकस्मिक
7. के० जी० बी०/81-82/3267	7.8.71	आकस्मिक

उपयुक्त सूचनाओं के जवाब में रोजगार केन्द्र द्वारा उपर्युक्त क्र० सं० 5 की सूचना को छोड़कर किसी भी सूचना के लिए कोई भी नाम प्रायोजित नहीं किया गया था। इस सूचना के उत्तर में रोजगार केन्द्र ने सेल्समैनों के आकस्मिक पद के लिए 26 उम्मीदवारों के नाम भेजे थे तथा सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। साक्षात्कार के लिए केवल 17 उम्मीदवार ही आए थे जिनमें से 7 उम्मीदवार चुने तथा नियुक्त किए गए।

खादी ग्रामोद्योग मण्डलों का निरीक्षण

8819. **श्री चतुर्भुज** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 31 मार्च, 1981 तक खादी ग्रामोद्योग बोर्डों का निरीक्षण किया गया है ;

(ख) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 1981 तक राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों में किए गए निवेश के उचित उपयोग का प्रमाण पत्र दे दिया है ;

(ग) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों को कुल कितनी राशि आबंटित की गई तथा आयोग द्वारा उचित उपयोग के बारे में की गई जांच के अनुसार कुल कितनी राशि का दुरूपयोग पाया गया ; और

(घ) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उक्त अवधि के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान को कुल कितनी राशि का आबंटन किया गया तथा आयोग द्वारा की गई जांच के अनुसार उक्त अवधि के दौरान वर्ष 1981 तक कुल कितनी राशि का दुरूपयोग पाया गया ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग इस प्रकार का निरीक्षण नहीं करता है बल्कि सांविधिक अध्ययनों, वार्षिक बजट पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श और राज्य महालेखाकार की रिपोर्टों को आंतरिक लेखा

परीक्षा करता रहता है लगभग सभी राज्य बोर्डों को इसी प्रकार की अथवा अन्य प्रकार की समीक्षा के अन्तर्गत ले लिया गया है ।

(ख) और (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग राज्य बोर्डों को निधियों के समुचित उपयोग के लिए किसी प्रकार के प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है । कार्यान्वयन अभिकरणों आदि द्वारा आयोग को निधियों उपयोग सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं । आयोग द्वारा उपयोग सम्बन्धी इन रिपोर्टों की जांच की जाती है तथा सभी प्रकार से सही पायी जाने पर इन्हें स्वीकार कर लिया जाता है । विभिन्न राज्य बोर्डों को उनके द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रस्तावों के आधार पर आबंटन किया जाता है । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के लेखों के विवरण हर वर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं ।

(घ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राजस्थान राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को वर्ष 1980-81 में निम्नलिखित राशि वितरित की गई है :—

(लाख रुपयों में)

		अनुदान	ऋण
1.	खादी	0.46	93.63
2.	ग्रामोद्योग	39 01	225.69
		39.47	319.32

राज्य खादी और, ग्रामोद्योग बोर्डों के सुचारु कार्यकरण के लिए विधेयक

8820. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1981 में उद्योग और ग्रामीण विकास मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के ठीक और सुचारु कार्यकरण के लिए नमूना विधेयक (मांडल बिल) लाने के लिए विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य मन्त्रियों के साथ परामर्श करके नमूना विधेयक (मांडल बिल) तैयार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक सदन में पुन: स्थापित किया जाएगा और इस सम्बन्ध ने विलम्ब के क्या कारण हैं।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) जी हां ।

(ख) और (ग) माडल विधेयक बिल का एक मसौदा तैयार किया गया है और टिप्पणियों के लिए राज्य सरकारों में परिचालित किया गया है । राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के गठन से सम्बन्धित कानून सम्बन्धित राज्यों के विधानों द्वारा अधिनियमित किया जाता है ।

बायो गैस योजना

8821. **श्री संतोष मोहन देव :**

श्री चिन वांग कोनयक : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अवशिष्ट के उपयोग के लिए लोगों को पुरातन दृष्टिकोण तथा तकनीकी विशेषज्ञता की कमी, अपर्याप्त वित्तीय सहायता तथा योग्य उपकरणों की अनुपलब्धता की दृष्टि से बायो गैस योजना लोकप्रिय नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो तकनीकी और वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने तथा छोटी यूनिटों के लिए आवश्यक निवेश में कटौती करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ; और

(ग) देश में बायो गैस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह : (क) जैव गैस कार्यक्रम, जिसे पांचवीं पंज वर्षीय योजना अवधि (1974-75 से 1978-1979) के दौरान आरम्भ किया गया था, के लोगों को अनुकूल अनुक्रिया बढती जा रही है। इस अवधि के दौरान 100,000 के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले में 70,7000 जैव गैस संयंत्र प्रतिष्ठापित किये गए। तकनीकी विशेष योग्यता, वित्तीय सहायता और संगठनात्मक/संस्थान प्ररक संरचनाओं के सृजन के रूप में इस कार्यक्रम को पर्याप्त समर्थन प्रदान किया गया है।

(ख) और (ग) 1976 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश में 7 अनुसंधान संस्थाओं के सहयोग से एक बहुसांस्थानिक अन्त: विषय शास्त्रीय अखिल भारतीय समन्वित कार्यक्रम आरम्भ किया गया था, ताकि जैव गैस प्रौद्योगिकी के अनुसंधान, विकास, लोकप्रियोकरण और प्रबन्ध सम्बन्धी पक्षों को हाथ में लिया जा सके। तब से अनुसंधान कार्य में पर्याप्त सफलता प्राप्त की जा चुकी है और कई नए डिजाइनों और तकनीकी जानकारी का विकास किया जा चुका है। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग के अधीन जैव गैस की एक राष्ट्रीय तकनीकी समिति क[illegible]। जैव गैस विकास को एक राष्ट्रीय परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है और छठी योजना के दौरान देश में 400,000 जैव गैस यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश में जैव गैस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने और इसका सम्वर्दधन करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं इसका लाभ उठाने वालों को केन्द्रीय रियायत प्रशिक्षित जन शक्ति का सृजन टन की आधार पर नियमित निकायों द्वारा जैव गैस यूनिटों की स्थापना इनकी गारंटी एक वर्ष होगी, गांव के कार्यकर्ताओं को सम्वर्दधनात्मक प्रोत्साहन, राज्य सरकारों को संगठनात्मक समर्थन प्रचार और विस्तार समर्थन, प्रकाशन (स्थिति रिपोर्ट, न्यूज लैटर) सामुदायिक जैव गैस संयत्रों के प्रदर्शन व प्रायोगिक यूनिटों की स्थापना, फिल्मों और दृश्य श्रव्य सहायक साधनों का निर्माण आदि।

वैल्यूर न्यूज प्रिंट परियोजना के लिए भाप और कोयले की आवश्यकता

8822. **श्री एम० एम० लारेंस :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेल्यूर न्यूज प्रिंट परियोजना की मशीन भाप और कोयले से चलती है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिदिन कितनी भाप की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए कितने कोयले की जरूरत होती है ;

(ग) वेल्यूर न्यूज प्रिंटपरियोजना की मशीन में कोयले की कितनी राख का इस्तेमाल किया जाता है ; और

(घ) सरकार ने बिना रुकावट कोयला प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ,

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ग) 120 मी० टन स्कीम का प्रति घन्टे जनित्रण करने वाले कोयले से जलने वाले दो बायलरों के सामान्य संचालन के लिए 26 प्रतिशत राख स्तर पर प्रतिदिन 480 मी० न कोयले की आवश्यकता होगी । वर्तमान में संभरित कोयले में 36 प्रतिशत राख स्तर है । अत: कोयले की मात्रा प्रतिदिन 600 मी० टन आवश्यक है ।

(घ) तकनीकी विकास के महानिदेशालय ने पर्याप्त मात्रा में परियोजना को कोयले का आबंटन किया है और सम्बद्ध प्राधिकरणों से यथा समय आवश्यक मात्रा में कोयले का सभरण सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही चल रही है ।

कर्नाटक में उद्योगों की स्थापना

8823. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसे जिलों की अच्छी संख्या है जो संसाधनों में अमीर हैं किन्तु वहां कोई उद्योग नहीं है,

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में ऐसे कितने जिले हैं और वहां किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं,

(ग) क्या वहां नए उद्योग शुरू करने के लिए उन पर निवेश आकर्षित करने हेतु बड़े व्यापारिक घरानों को केन्द्र और सम्बन्धित राज्यों द्वारा अतिरिक्त सुविधाएं देने का विचार है, और

(घ) यदि हां तो इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का स्वरूप क्या है और वर्ष 1982-1983 में ऐसे उद्योग खोलने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) देश के 18 राज्यों में से अभी हाल ही में 83 जिलों का पता लगाया गया है जहां कोई बड़ा अथवा मझोला औद्योगिक एकक नहीं है ।

(ख) कर्नाटक राज्य में ऐसा एक जिला बीदर है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) केन्द्रीय मंत्रालयों की इस प्रकार के जिलों में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने और अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने में प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है । राज्य सरकारों को भी इस प्रकार के जिलों की ओर विशेष ध्यान देने को कहा गया है जिससे कि समुचित अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो और इस प्रकार के जिलों में मझोले और बड़े आकार के औद्योगिक उपक्रम स्थापित हों । ये अभ्युपाय दीर्घावधि अभ्युपाय हैं और इनके फलीभूत होने में समय लगेगा ।

सीमेंट नियंत्रक कार्यालय से प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को उनके मूल कार्यालयों में वापिस भेजना

8825. **श्री दयाराम शाक्य :**

श्री मृत्युंजय नायक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी संकल्प सं० 1-16/70-सी० ई० एस०, दिनांक 22 जुलाई, 1976 में यह उल्लिखित है कि वे प्रतिनियुक्ति कर्मचारी जिन्होंने सरकारी वेतन और भत्तों पर सीमेंट नियन्त्रक कार्यालय में खपाये जाने को विकल्प नहीं दिया था विकल्प के लिये दिये गए दो माह के समय के समाप्त होने के बाद उनके मूल कार्यालयों को वापस भेज दिया जायेगा ;

(ख) क्या प्रस्ताव में किये गये प्रावधान के अनुसार ऐसे प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को उनके मुल कार्यालय को वापिस भेज दिया गया था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उपरोक्त प्रस्ताव में यह भी अपेक्षित था कि ऐसे कर्मचारियों को सीमेंट नियंत्रक संगठन के एक सम्बद्ध सरकारी कार्यालय में बदले जाने से पूर्व देय, वेतन और भत्ते दिए जाएंगे ;

(घ) यदि हां, तो क्या इन प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को वास्तव में प्रस्ताव में किये गए प्रावधान के अनुसार वेतन और भत्ते दिए गए थे ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

उद्योगतथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : जी, हां ।

(ख) चूंकि उपयुक्त योग्यताएं और अनुभव वाले व्यक्ति तुरन्त उपलब्ध नहीं थे, अत: 28 कर्मचारियों को जिन्होंने नहीं खपाये जाने का विकल्प दिया था, दो महीने की नियत अवधि के समाप्त होने के पश्चात रखा गया था । एक को छोड़कर इनमें से सभी को उनके मूल कार्यालय में वापस भेज दिया गया है और उसको नहीं खपाये जाने का प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है ।

(ग) से (घ) दिनांक 22 जुलाई, 1976 के संकल्प के अनुसार उन कर्मचारियों को जिन्हें विकल्प देने के कारण दो महीने की अवधि के दौरान नहीं रख लिया गया था उस समय ग्राह्य

वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाना था। प्रतिनियुक्ति पर रखे गए ऐसे कर्मचारियों को अधिक भत्ता मन्जूर किए जाने का प्रश्न वित्त मन्त्रालय के परामर्श से विचाराधीन है।

संघ लोक सेवा आयोग के पास केन्द्रीय राजभाषा सेवा के "ए" तथा "बी" पदों से संबंधित विचाराधीन नियम

8826. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या गृह मन्त्री संघ लोक सेवा आयोग के पास केन्द्रीय राज भाषा सेवा के "ए" तथा "बी" पदों से संबंधित विचाराधीन नियमों के बारे में 2 नवम्बर 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 601 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)) क्या इन नियमों को अन्तिम रुप देने के बारे में गृह मन्त्रालय और संघ लोक सेवा के अधिकारियों के बीच एक बैठक आयोजित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बैठक कब आयोजित की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रजन लस्कर) : (क) व (ख) जी हां, राजभाषा विभाग (गृह मन्त्रालय) तथा संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के बीच 8.4-1982 को बैठक हुई थी जिसमें केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा समूह "क" और "ख" के पदों के लिए नियमों के मसौदे पर विचार विमर्श किया गया था।

मृत्तिका शिल्प में स्नातक पूर्व डिप्लोमा

8827. **श्री ई० के० इब्राहीमबावा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डिजायन संस्थान के सीटेमिक डिसेप्रिन इन दि फैकल्टी आफ इन्डस्ट्रियल डिजायन्स द्वारा केवल दो छात्रों को मृत्तिका शिल्प में स्नातक पूर्व डिप्लोमा दिया गया है, जबकि इस फैकल्टी में देखरेख के लिए छः सदस्य हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस फैकल्टी के अत्यन्त असन्तोषजनक कार्य करने के क्या कारण हैं ;

(ग) फैकल्टी के सदस्यों पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(घ) क्या प्रति खर्च दस लाख रुपया अथवा पांच लाख रुपये है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) अभी तक तीन छात्रों को मृत्तिका (सिरेमिक) डिजाइन में डिप्लोमा किये गए हैं। अन्तिम विशेषज्ञता को ध्यान में रखे बिना, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के सभी छात्रों को मृत्तिका डिजाइन सहित विभिन्न डिजाइनों के विषयों में बुनियादी प्रशिक्षण में भेजने की आवश्यकता है।

संकाय के तीन सदस्यों ने मृत्तिका डिजाइन में विशेषज्ञता प्राप्त की है। वे अपनी विशेषज्ञता के साथ-साथ, अन्य डिजाइन विषयों को भी पढ़ाते हैं। पढ़ाने के अलावा वे लघु क्षेत्र

शिल्प, और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने से सम्बन्धित कार्यकलापों और विस्तार प्रशिक्षण सेवाओं में भी भाग लेते हैं। वे संकाय के अन्य सदस्यों के साथ, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को सौंपे गए परामर्श कार्यों में भी भाग लेते हैं।

(ग) वर्ष 1974-75 से 1981-82 की अवधि के दौरान मृत्तिका डिजाइन में संकाय के तीन विशेषज्ञ सदस्यों पर हुआ कुल खर्च 3,28 540, रुपये है।

(घ) प्रति छात्र व्यय लगभग 8000/-रुपं० प्रति वर्ष है।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग करना

8828. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में राजभाषा की नीति को लागू करने के बारे में विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अभी भी अधिकांश पत्र अंग्रेजी में जारी किए जा रहे हैं;

(ख) क्या इसका मुख्य कारण मन्त्रालयों/विभागों में इस बारे में किए अपर्याप्त प्रबन्ध हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में उचित प्रबन्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) तथा (ख) जी नहीं। विभिन्न मन्त्रालयों/ विभागों में संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के कार्य पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए गए हैं।

संघ सरकार के मन्त्रालयों/विभागों/कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान, राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसके अधीन बनाये गये राजभाषा नियम 1976 में तीन प्रमुख तत्व हैं। पहला यह कि हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जायेंगे। दूसरा तत्व जो कि एक संवधानिक अनिवार्यता है वह यह है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) में उल्लिखित सभी अधिसूचनाएं, संकल्प, सामान्य आदेश और अन्य कागजात अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जारी होने चाहिए। तीसरी अनिवार्यता यह है कि हिन्दी भाषी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों (क, क्षेत्र) की सरकारों और उनमें स्थित व्यक्तियों के साथ पत्राचार हिन्दी में होगा और वहां स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ पत्राचार में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग उस अनुपात में किया जाएगा जो कि समय समय पर निर्धारित किए जाएं। गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़ और अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित क्षेत्रों ("ख" क्षेत्र) के साथ भी पत्राचार सामान्य तौर पर हिन्दी में होना चाहिए। मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा इन प्रावधानों की पूर्ति लगभग की जा रही है और केन्द्रीय सरकार के काम काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में संतोषजनक प्रगति हुई है।

राजभाष नीति के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :—

1 सभी मन्त्रालयों विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित सभी कागजजात हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी करें। राजभाषा नीति के इस प्रावधान तथा अन्य प्रावधान के कार्यान्वियन पर विभिन्न स्तरों द्वारा कड़ी नजर रखी जाती है।

2. प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में एक हिन्दी समिति तथा संबंधित मन्त्रियों की अध्यक्षता में 25 मन्त्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियों के अतिरिक्त मन्त्रालयों, विभागों, सम्बद्ध कार्यालयों अधीनस्थ कार्यालयों और केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों तथा नियमों में विभिन्न स्तरों पर राजभाषा कार्यान्वियन समितियों बनाई गई है।

3. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के काम में राजभाषा नीति के कार्यान्वियन के समन्वय के लिए देश के 56 नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वियन समितियों का गठन।

4. गृह मन्त्रालय में भारत सरकार के एक सचिव की देख रेख में एक पृथक राजभाषा विभाग का गठन ।

5. सरकार द्वारा संचालित हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों के लिए हिन्दी के सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा सभी टाइपिस्टों और आशुलिपिकों के लिए हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

6. हिन्दी परीक्षाएं पास करने तथा सरकारी काम काज में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों और नकद पुरस्कारों की व्यवस्था ।

7. सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के संबंधित संवैधानिक अनिवार्यताओं की पूर्ति करने के लिए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों, विभागों और कार्यालयों में पर्याप्त हिन्दी स्टाफ की व्यवस्था ।

8. भारत सरकार के मन्त्रालयों,/विभागों/द्वारा कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम का बनाया जाना । वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वियन में हुई प्रगति की लगातार समीक्षा के उद्देश्य से संघ सरकार के सभी मन्त्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की व्यवस्था । इन कार्यक्रमों के कार्यान्वियन की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट हर वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

9. टाइपलेखन, मुद्रण और दूर संचार के क्षेत्र में देवनागरीय लिपि के प्रयोग के लिए अध्ययन तकनीक लागू करने तथा हिन्दी में काम करने के लिए यांत्रिक तथा

इलैक्ट्रानिकी साधनों के विकास के लिए समन्वित कदम उठाया जाना ।

10. विभिन्न केन्द्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा में वैकलपिक माध्यम के रूप में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति ।

वर्ष 1981 के दौरान आत्म हत्याएं

8829. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान हमारे देश में राज्यवार कितने लोगों ने आत्म हत्यायें की ;

(ख) उनमें से कितने पुरुष, महिलाएं और अवयस्क (18 वर्ष से कम) थे ; और

(ग) क्या सरकार ने उनकी आत्म-हत्याओं के कारणों का मूल्यांकन किया तथा उन कारणों को दूर करने के लिए जिनके कारण लोग आत्महत्या करते हैं कोई कार्यवाही की है।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क), (ख) और (ग) वर्ष 1981 के दौरान हमारे देश में राज्यवार लोगों द्वारा की गई आत्महत्या और पुरुषों, महिलाओं और अवयस्कों (18 साल से कम) द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या के विषय में अखिल भारतीय स्तर पर आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं ; क्योंकि अपराध सहित कानून और राज्य का विषय है । लम्बे अर्से की बीमारी, मानसिक क्लेश, माता पिता के साथ झगड़ा सास-सुसर के साथ झगड़ा आत्म-हत्या के कुछ मुख्य कारण हैं । आत्म हत्या के कुछ मुख्य कारण हैं । आत्म-हत्या के मामले दंड प्रतिक्रिया संहिता के अधीन दर्ज किए जाते हैं और उनकी जांच पड़ताल की जाती है ।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का अनुमानित उत्पादन

8830. **श्री पी० राज गोपाल नायडू** : इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात सयंत्र का अनुमानित उत्पादन कितना होगा ; और

(ख) यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) कारखाने की क्षमता 34 लाख टन द्रव इस्पात तैयार करने की होगी और यह कारखाना वर्ष 1987 के अन्त तक तैयार हो जाएगा ।

दक्षिणी ध्रुव के अभियान के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाने वाला सहयोग

8831. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सहयोग के बिना दक्षिणी ध्रुव का अभियान सफल नहीं होता ; और

(ख) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिए गए सहयोग का ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और समाज विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) (क) महोदय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सहित कई सरकारी अभिकरणों ने दक्षिणी ध्रुव को अभियान भेजने में सहयोग दिया ।

(ख) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन एक संस्था राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने नोडीय अभिकरण के रूप में कार्य किया । महासागर विकास विभाग के निदेशों के अन्तर्गत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कुछ प्रशासनिक कार्य भी सम्भाला । वैज्ञानिकों की 21 सदस्यीय टीम में से 7, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के थे ।

दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टरों के साथ अर्दली के रूप में कार्य कर रहे सिपाही

8832. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस का एक इंस्पेक्टर सिपाही को अर्दली के रूप में रखने का हकदार है ; और

(ख) यदि हां, तो वह अर्दली के रूप में कितने सिपाही रख सकता है और इस समय ऐसे अर्दलियों की कुल संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) 1968 में इस मन्त्रालय द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार दिल्ली पुलिस का एक निरीक्षक एक कांसटेबल अर्दली रखने का हकदार है । इस समय 20वीं कांस्टेबल पुलिस निरीक्षकों के साथ अर्दलों के रूप में कार्य कर रहे हैं । शेष निरीक्षक जिनकी संख्या 176 है, को अर्दली नहीं दिए गए हैं ।

पुलिस बल की कार्यकुशलता पर कोई असर डाले बिना कांस्टेबल अर्दली पद्धति के स्थान पर कोई अन्य पद्धति लाने के निदेश दिए गए थे । इस सबन्ध में दिल्ली प्रशासन के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

कर्नाटक में सीमेंट फैक्ट्रियां

8833. **श्री डी० के० नायकर** : उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में आज तक कितनी सीमेंट फैक्ट्रियां स्थापित की जा चुकी हैं ;

(ख) वर्ष 1980-81 और 1981-82 में इन फैक्ट्रियों ने कुल कितने सीमेन्ट का उत्पादन किया ;

(ग) राज्य की प्रतिवर्ष मांग कितनी है ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि कर्नाटक में आवास निर्माण की गतिविधियां सीमेंट के अभाव के कारण रुकी पड़ी हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने सीमेंट की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) आठ

(ख) 1980-8 15.54 लाख मी० टन

1981-82 14.94 लाख मी० टन० (लगभग)

(ग) कर्नाटक राज्य सरकार ने बताया है कि उनकी सीमेंट सम्बन्धी तिमाही आवश्यकता 4 लाख मी० टन होगी ।

(च) और (ङ.) कर्नाटक सहित देश में सीमेंट की सामान्यत: कमी है, इस हद तक यह संभव है कि कुछ गृह निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों पर इसका प्रतिकूल पड़ रहा होगा। सरकार विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग करके, नई क्षमताएं स्वीकृत करके तथा आयात करके देश में सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने के हर संभव प्रयास कर रही है।

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना करना

8934. **श्री ई० बाला नन्दन** : उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डिजाईन के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान, सेवा और प्रशिक्षण के लिए एक स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान के तौर पर एक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त संस्थान से अब तक कितने छात्रों ने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है ;

(ग) प्रति छात्र कितना व्यय होता है ; और

(घ) कितने छात्र बीच में ही शिक्षा छोड़कर चले गये और इसके क्या कारण थे तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उद्योगतथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) (1) व्यायवसायिक (प्रोफेशनल) शिक्षा

कार्यक्रम 5/1/2 वर्ष का पाठ्यक्रम 118

(2) उच्च स्तरीय कार्यक्रम 39

(ग) लगभग 8000 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष

(ग) व्यावसायिक (प्रोफेशनल) शिक्षा कार्यक्रम

जो बीच में ही छोड़ देने वाले छात्र	39
उच्च स्तरीय कार्यक्रमों बीच में ही छोड़ देने वाले छात्र	27

चूंकि निर्धारित स्तर श्रमसाध्य है इसलिए जो विद्यार्थी उस स्तर का परिश्रम कर सकते हैं वे पाठ्यक्रमों को बीच में ही छोड़ जाते हैं।

जमेहारी कोयलाखान, कलकत्ता से विस्फोटक पदार्थों का लूटा जाना

~~8823~~ 8835 **श्री के० लक्कप्पा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने जमेहारी कोयला खान, कलकत्ता पश्चिम बंगाल के उत्तर बुक यूनिट की मेगेजीन से लाखों रुपये मूल्य के 150 किलोग्राम विस्फोटक, 3054 डिटोनेटर और 36 लूज कार्टेज लूटे जाने के सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय से तुरन्त हस्तक्षेप करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ईस्टर्न कोल फील्ड्स ने मजदूर संगठनों की आन्तरिक प्रतिद्वंद्विता के कारण हुई अनेक मौतों की भी सूचना दी है ;

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क), (ख), और (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"न्यूजप्रिण्ट प्राइस हाइक सून शीर्षक से समाचार

8836. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 मार्च, 1982 के इकोनामिक टाइम्य "में" न्यूज प्रिन्ट प्राइस हाइक सून" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की तरफ दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार देश में उत्पादित अखबारी कागज के मूल्यों में काफी वृद्धि करने का है जिससे अधिक उत्पादन लागत को निष्प्रभावी किया जा सके ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने न्यूयार्क की मन्डी में विद्यमान अधिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आयातित अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय किया है जिसका इस समय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो स्वदेश में उत्पादित कागज के लिए कितनी वृद्धि की जायेगी तथा क्या बी० आई० सी० पी० से काम चालाऊ मूल्य व्यवस्था सुझाने के लिए कहा गया है ; और

(ङ) वर्ष 1982-83 में कुछ कितने स्वदेशी अखबारी कागज के उत्पादन का अनुमान है तथा कुल कितना आयात किया जायेगा ।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) देश में तैयार किए गए अखबारी कागज का मूल्य उत्पादन लागत से सम्बद्ध होगा जो खासतौर से नए एककों के मामलों में अधिक हो सकता है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरों से अखबारी कागज के एककों की उत्पादन लागत का अध्ययन करने के लिए कहा गया है । मूल्यों में कितनी वृद्धि होगी यह अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

(ङ) 1982-83 में अखबारी कागज का घरेलू उत्पादन लगभग 1,50,009 मी० टन के स्तर तक पहुंचने की आशा है और 1.84.000 मी० टन के लगभग आयात हो सकता है ।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए श्रमिकों और मालिकों में सहयोग

8837. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए समूचे प्रयास के रूप में श्रमिकों और मालिकों में बृहत्तर समझ-बूझ तथा सहयोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की ई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ; और

(ख) सरकार को इस दिशा में की गई प्रगति में किस सीमा तक सफलता मिली है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) श्रमिकों और नियोजकों के बीच अधिक मैत्री तथा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाहियां की है :—

(1) श्रमिक सहभागिता की अनेक योजनाओं को प्रारम्भ करके,

(2) त्रिपक्षीय मंचों के माध्यम से ;

(3) औद्योगिक समितियों की स्थापना करके ;

(4) सांविधिक और गैर-सांविधिक सलाहकार बोर्डों और समितियों के माध्यम से, और

(5) त्रिपक्षीय स्तर पर मंत्रालय में विचार-विमर्शों की लगातार प्रतिक्रिया को बनाए रखके ।

(ख) इस तथा से कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, यह प्रकट होता है कि सरकार ने इस दिशा में व्यापक सफलता प्राप्त की है ।

भाजुदीह कोल वाशर परियोजना में जिन लोगों की जमीन छिन रही है उनको रोजगार दिया जाना

8838. **श्री वासुदेव आचार्य** : इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अन्तर्गत भाजुदीह कोल वाशर परियोजना में जिन लोगों की जमीन छिन गयी थी उन सभी लोगो को रोजगार नहीं दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) उन सभी व्यक्तियों को. जिनकी भूमि अर्जित की गई थी तथा जिन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया था, भोजडीह कोयला शोधनशाला परियोजना में रोजगार दे दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सीमेण्ट के लिए दोहरी मुल्य नीति द्वारा सीमेण्ट उत्पादकों को अनुसूचित लाभ

8839. **श्री चित्त महांता** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट के दोहरे मूल्य कर नीति से देश में सीमेंट उत्पादकों अनुचित लाभ कमाने की गुजाइश बन रही है, और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ;

उद्योग इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सरकार सीमेंट के आंशिक विनियन्त्रण का निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ राजसहायता समाप्त करने, अधिक क्षमता उपयोग को बढ़ावा देने तथा कमी वाले क्षेत्रों के समीप नई सीमेंट क्षमता स्थापित करने के उद्देश्य से लिया गया था । सीमेंट के आंशिक विनियन्त्रण की नीति दिनांक 26-2-1982 से कार्यान्वित की गई है, इसलिए इस नीति से सीमेंट उत्पादकों की लाभप्रदता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में ठीक-ठाक बताना अभी समयपूर्व होगा ।

जयपुर उद्योग लिमिटेड, राजस्थान के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेना

8840. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर राजस्थान का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो जयपुर उद्योग लिमिटेड के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार की इस उपक्रम के बारे में आगे क्या नीति होगी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार ने भविष्य में कम्पनी की व्यवस्था सम्बन्धी कोई निर्णय अभी नहीं लिया है ।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस द्वारा विज्ञान शिक्षा को लोकप्रिय बनाना

8841. **श्री राजेश पायलट** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस तथा वैज्ञानिक शिक्षाविदों द्वारा विज्ञान की गति बनाए रखने हेतु सरकार ने गरीब और सामाजिक अन्याय दूर करने के लिए विज्ञान शिक्षा को लोकप्रिय बनाने में क्या कदम उठाए हैं ;

(ख) सरकार ने पिछले दो वर्षों में क्या योगदान या प्रोत्साहन दिया है ; और

(ग) क्या सरकार को उपरोक्त (क) में सहयोग के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो कब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क), (ख) और (ग) मन्त्रिमण्डल की वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एस० ए० सी० सी०) ने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के पूरे मामले पर विचार विमर्श किया था जिसके अन्तर्गत विदेशों में हुई वैज्ञानिक घटनाओं तथा भारतीय योजनाओं और विज्ञान शिक्षा की उपलब्धियों के प्रसार के पहलुओं तथा देश में वैज्ञानिक स्वभाव के सृजन सहित विज्ञान को लोक प्रिय बनाने के समग्र मामले पर विचार विमर्श किया था । सामाजिक और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु विज्ञान की वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में इसके अनुप्रयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है । जैसा कि एस० ए० सी० सी० द्वारा सिफारिश की गई है, मन्त्रिमण्डल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय संचार परिषद (नेशनल कांउसिल फार एस० एण्ड टी० कम्यूनोकेशन) जिसके अध्यक्ष सूचना और प्रसारण मन्त्री होंगे और उपाध्यक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राज्य मन्त्री के गठन के लिए हाल ही में अनुमोदन प्रदान किया । इस परिषद को विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग द्वारा सचिवालय सेवा प्रदान की जाएगी । इस परिषद के निम्न-लिखित मुख्य लक्ष्य होंगे — विभिन्न विभागों/अभिकरणों और प्रचार साधनों का उपयोग करके देश में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सूचना के प्रसार के लिए कार्यविधि तैयार करने के लिए नीति-विषयक मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रदान करना ; कार्यक्रम और राष्ट्रीय क्षेत्र में उनके प्रभाव का मानीटरन और मूल्यांकन करना, राष्ट्रीय विज्ञान सूचना ब्यूरो (नेशनल साईन्स इन्फार्मेशन ब्यूरो) और इसी प्रकार के संगठनों के उपयुक्त संगठनात्मक संरचनाओं की स्थापना करना, प्रामाणिक

सूचना और सामग्री के केन्द्रीयकृत स्रोत के रूप में कार्य करना, बड़ी संख्या में कई स्वयसेवी अभिकरणों और अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को सह ोग से प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रमो को हाथ में लेना और उन्हें अनुमोदित करन, विज्ञान को लोकप्रिय बनान के सम्बन्ध में विशिष्ट कार्यक्रमों को हाथ म लेने के लिए राज्य स्तर पर समितियो की स्थापना करना और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के सम्बन्ध मे अन्य मदों और देश में वैज्ञानिक स्वभाव के सृजन पर विचार करना। डी० एम० टी० में सेल देश भर में विज्ञान शिक्षा का प्रसार करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर शैक्षणिक सस्थाओं के बीच सन्निकट समन्वय को सुनिश्चित करेगा। आशा है कि उपरोक्त में सभी प्रयासों जैसे इडियन साईन्स कांग्रेस के तथा विज्ञान शिक्षा के क्षेत्रों में अन्य कार्यक्र ों, का पूर्णतम उपयोग किया जाएगा।

मधुबनी और दरभंगा में उद्योग की स्थापना करना

8842. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 के दौरान मधुबनी और दरभगा जिलों म युवा उद्यमियों के लिए उत्पादक उद्यमों के माध्यम से अपना रोजगार अपने आप प्राप्त करने के लिए एक औद्योगिक सेमिनार आयोजित की गई थी, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ;

(ख) ब्लाक-वार कितने रजिस्टर्ड यूनिटो अपने लघु और कुटीर उद्योग शुरू करने में समर्थ हुए हैं और कितने अभी पिछड़े हुए है ; और

(ग) उनको शीघ्र उद्योग शुरू करते के योग्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और उन्हें क्या प्रोत्साहन, राज सहायता, ऋण दिए गये है ।

उद्योग तथा इस्पात और खान मत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां। जिले में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों की सभावनाओं और उद्यमिता और विकास कार्यक्रम पर 20 से 21 अप्रैल, 1981 तक मधुवनी मे स्वतन्त्र रूप स एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। दो दिन की गोष्ठी में विचार विमर्श हेतु 270 से अधिक व्यक्तियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था जिसमें उन्होंने अपने उत्पादों का विवरण दिया और 150 से अधिक उद्योगों का उसी समय पजीकरण किया गया था।

मधुबनी में एक प्रदर्शन कार्यक्रम-सह संगोष्ठी, आयोजित की गई थी जिसमें स्याही, खड़िया से चित्र बनाने, नाखून पालिस, बूट पालिस, लिपस्टिक, जूते आदि, कपड़े धोने के साबुन जैसी वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया का उसी स्थान पर प्रदर्शन किया गया था।

जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा द्वारा उद्यमिता विकास के लिए 0 से 21 नवम्बर, 1981 तक जिला स्तर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इन गोष्ठी में प्रस्तावित 115 लघु उद्योग एकक तथा 25 कारीगर वाले एककों का पंजीकरण किया गया था। पशुपालन पर आधारित 11 एककों को भी पंजीकृत किया गया एवं खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड में 9 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान मधुबनी और दरभंगा जिला उद्योग केन्द्रों में स्थापित किए गए पंजीकृत और गैर पंजीकृत एककों की संख्या निम्नप्रकार है:—

वस्तु	जिला उद्योग केन्द्र दरभंगा		जिला उद्योग केन्द्र मधुबनी	
	1979-80	1980-81	1979-80	1980-81
स्थापित नए एकक (संख्या)	388	2126	458	6875

(ग) लघु उद्योग विकास संगठन ने मुजफ्फरपुर में एक लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना की है जो मधुबनों और दरभंगा जिले में लघु उद्यमियों को प्रक्रिया के बारे में तकनीकी, आर्थिक और प्रबन्धक संबंधी विषयों में परामर्श देने परीक्षण सुविधाएं, प्रशिक्षण तथा विपणन सहायता आदि देने सहित लघु एककों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है ।

दरभंगा जिले को जैसा कि वह पुनर्गठन से पूर्व था वित्तीय संस्थाओं से रियायती वित्त प्राप्त करने के अलावा अचल निवेष पर 15 प्रतिशत की पूंजीगत सहायता पाने के पात्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित कर दिया गया है । बिहार सरकार द्वारा लघु एककों को बिक्री कर में छूट परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए राजसहायता, विद्युत प्रशुल्कों पर, छूट, निजी परामर्शदायी सेवाओं के लिए राजसहायता, ब्याज राजसहायता, योजना मूल/सीमान्त धनराशि योजना आदि जैसी अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ।

डी० एस० आई० डी० सी० की ऋणदेयता

8843. **डा बसंत कुमार पंडित** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा 31 मार्च, 1982 को विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को कुल कितना ऋण देना है,

(ख) वर्ष 1980,81 और 1981-82 के दौरान दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम की कुल आय, विभिन्न बैंकों को देय कुल ब्याज और कुल व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उद्योग के ऐसे उद्यमियों की सूची क्या है जिन्हें शेड बनाने के लिए तीन लाख और उससे अधिक रुपयों का ऋण दिया गया था और जिनकी और राशि बकाया है,

(घ) उक्त ऋणों को वसूल करने के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं तथा वसूली के लिये प्रत्येक के विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई है, और

(ट.) क्या सरकार यह योजना बना रही है कि जब तक वित्तीय स्थिति में सुधार न हो दिल्ली राज्य औद्योगिक बिकास निगम की गतिविधियों को बन्द कर दिया जाय,

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) : दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थानों से 612.01 लाख रूपये के साव-

धिक ऋण लिये थे। इसके अतिरिक्त निगम एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 2.00 करोड़ रू० की सीमा में मकद ऋण भी ले सकता है।

(ख) 1980-81 और 1981-82 के लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने उद्यमियों को शेडों के निर्माण के लिये कोई ऋण नहीं दिये हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही।

हिमाचल प्रदेश में स्थित भारत सरकार के कार्यालय

8844. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में भारत सरकार के कितने कार्यालय हैं, और

(ख) उनमें हिमाचल प्रदेश के कितने कर्मचारी हैं और उनमें उच्च अधिकारी कितने हैं तथा उनकी भर्ती के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) तथा (ख) रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अधीन एकत्र की गयी अद्यतन सूचना के अनुसार, 30.9.1981 को हिमाचल प्रदेश में भारत सरकार के प्रतिष्ठानों तथा उनमें तत्सम्बन्धी रोजगार की संख्या इस प्रकार थी:—

	प्रतिष्ठानों की संख्या	रोजगार
केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठान	146	23307

यह सूचना न तो कर्मचारियों के मूल राज्य के आधार पर और न ही उनकी भर्ती के मानदंड के आधार पर एकत्र की जाती है।

वर्ष 1980-81 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नौकरियों के कोटे का उपयोग

8845. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को नौकरियों में कोटा अधिकांशतः अनुपयुक्त रहा ;

(ख) उपर्युक्त वर्ष में विभिन्न श्रेणियों, श्रेणी एक, श्रेणी दो, श्रेणी तीन, और श्रेणी चार में कितने प्रतिशत कोटे का उपयोग हुआ ; और

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के नौकरी में कोटे के कम उपयोग होने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा यह सूचना किसी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में एकत्रित नहीं की जाती बल्कि इसे एक कलेन्डर वर्ष के सम्बन्ध में एकत्रित किया जाता है। दिनांक 1-1-81 की स्थिति के अनुसार सरकार को उपलब्ध सूचना अनुबन्ध-I में दी गई है।

(ग) दिनांक 1-1-81 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रतिनिधित्व के ब्यौरे अनुबन्ध-II में दिये गए हैं। अनुसूचित जातियों की कमी मुख्यत: समूह "क" और समूह "ख" में है और अनुसूचित जनजातियों की यह कमी सभी समूहों में है, हालांकि अनुसूचित जातियों की कुल प्रतिशतता 15 प्रतिशत की सीमा पार कर गई है। इस कमी के अन्य कारणों में से कुछ कारण ये हैं कि सभी समूहों में उपयुक्तता की शर्त के अध्यधीन वरिष्ठता द्वारा पदोन्नति में आरक्षण पहले पहल केवल 1972 में ही लागू किया गया था और समूह "क" की निम्नतम सीढ़ी तक चयन द्वारा पदोन्नति पर इसे केवल 1974 में लागू किया गया था। समूह 'क' की निम्नतम सीढ़ी तक के वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को आरक्षण आदेशों के विचार क्षेत्र के भीतर केवल 1975 में ही लाया गया है। इन कारणों के अलावा, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के निम्न प्रतिनिधित्व का एक प्रमुख कारण अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों का न मिल पाना भी है।

विवरण

समूह	भरी गई रिक्तियों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों की संख्या	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उपलब्ध उम्मीदवार की संख्या		प्रयुक्तता की प्रतिशतता	
	अ. सू. जा.	अ.सू. ज. जा.	अ. सू. जा.	अ. सू. जा.	अ. सू. जा.	अ. ज. जा.
क	3977	413	144	309	70	74.82	48.61
ख	6220	896	395	766	146	82.14	36.96
ग	126026	20430	10201	19447	5810	95.19	56.99
घ	6216	10000	6293	13190	3207	131.90	50.16

(सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)

*इन आंकड़ों में डाक व तार महा निदेशालय तथा आवास मन्त्रालय की सूचना शामिल नहीं है

समूह (श्रेणी)	कर्मचारियों की कुल संख्या	अ० जा०	प्रतिशतता	अ० सू० जा०	प्रतिशतता
क (श्रेणी)-1	48,353	2,783	5.74	565	1.17
ख (श्रेणी)-2	52,802	4,410	8.35	707	13.4
ग (श्रेणी)-3	13,70,855	1,72,007	12.55	41,665	3.04
घ (श्रेणी)-4 सफाई कर्मचारियों को छोड़कर	11,34,543	2,17-475	19.17	57,296	5.05
जोड़ :	26,06,553	3,96,475	15.21	1,00,233	3.85

*इन आंकड़ों में डाक व तार महानिदेशालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय की सूचना शामिल नहीं है ।

उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक

8846. **श्री चिरजी लाल शर्मा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6 फरवरी, 1982 को चंडीगढ़ में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद में क्या निर्णय लिए गए तथा क्या सिफारिश की गई ; और

(ख) उनको लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) 6 फरवरी, 1982 को चंडीगढ़ में हुई उत्तर क्षत्रीय परिषद की 17वीं बैठक की कार्रवाई को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । अन्तिमरूप दिए जाने के बाद सिफारिशों को उन पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सम्बन्ध राज्यों और केन्द्रीय मन्त्रालयों को भेजा जाएगा ।

इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया द्वारा चलाये जा रहे समुद्र पार की परियोजनाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रतिनिधित्व

8847. **श्री त्रिलोक चन्द्र :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्जीनियरिंग प्रोजेक्टस इण्डिया द्वारा चलाये जा रहे समुद्र पार की परियोजनाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और सरकार ने इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो "पिछले दो सालो के दौरान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की वरीयता" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के कितने लोगों को

चुना गया तथा इन तथ्यों को बताते हुए कि वे किस काम के लिए चुने गए और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां के वे निवासी थे ?

उद्योग तथा इस्पात और खानमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क), (ख) तथा (ग) इन्जीनियरिंग प्रोजेक्टस (इण्डिया) लि० (ई० पी० आईक) अपनी समुद्रपारीय परियोजनाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये ठेके/अस्थाई आधार पर कुशल, अर्द्ध-कुशल, हेल्पर/पर्यवेक्षी श्रेणियों में व्यक्तियों की भर्ती करती है । ऐसा करते समय कम्पनी अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के वाजिब प्रतिनिधित्व देने के लिये सभी प्रयास कर रही है बशर्ते वे कार्य के लिये उपयुक्त हों । पिछले दो वर्षों में अपनी विभिन्न समुद्रपारीय परियोजनाओं के लिये ई० पी० आई द्वारा ठेके/अस्थाई आधार पर चयन किये गये 817 व्यक्तियों में से 120 अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित हैं । वे विभिन्न राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित हैं ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में चयनग्रेड के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित-जनजाति के प्रतिनिधित्व पर पुनर्विचार करने हेतु समिति की नियुक्ति

8848. **श्री आर० आर० भोले** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने के बारे में फरवरी, 1979 में मन्त्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिवों की समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ;

(ख) क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में चयन ग्रेड के पदों पर अनुसूचित जातियों के लोगों को अब पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा चुका है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उपर्युक्त सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देने पर पुनर्विचार करने के लिए एक दूसरी समिति नियुक्त करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) (क) उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुपालन में मन्त्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिवों की एक समिति 16.2.76 को गठित की गई थी । समिति का विचारार्थ विषय केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के प्रश्न की जांच करना और उनके प्रतिनिधित्व में कमी को पूरा करने के लिए उपाय सुझाना था । तत्तकालीन गृह मन्त्री ने दिनांक 5.7.1979 को आयोजित वरिष्ठ सचिवों की समिति की बैठक की अध्यक्षा की थी और उक्त समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुख्य उपायों का सुझाव दिया था ।

(1) प्रमुख नियोक्ता मन्त्रालयों/विभागों को अपने नियंत्रणाधीन समूह "ख" सेवाओं में ~~अनुसूचित~~ में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करना चाहिए

और पिछली रही कमी को दूर करने के लिए किए किए जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करने चाहिये।

(2) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्रवेश-पूर्व कोचिंग और नियुक्ति-पूर्व प्रशिक्षण देने के लिए विद्यमान सुविधाओं को कारगर बनाया जाना चाहिए और उनमें वृद्धि की जानी चाहिए।

(3) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों का एक आरक्षित पूल बनाया जाए जिससे कि भविष्य में विभिन्न नौकरियों के लिए उपयुक्तता के अपेक्षित स्तर वाले अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की लगातार और निर्बाध पूर्ति सुनिश्चित की जा सके, तथा व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण देने के विशेष उपाय किए जाएं। ये सिफारिशें सम्बन्धित मन्त्रालयों के ध्यान में लाई गई हैं ताकि उन पर उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उप सचिव का पद ही एक मात्र चयन ग्रेड पद है। चूंकि यह ग्रेड समूह "क" की निम्नतम सीढ़ी से ऊपर का है और चयन द्वारा भरा जाना है, इसलिए इस ग्रेड में कोई आरक्षण नहीं किया गया है। किन्तु केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कुल 325 उप सचिवों में से 18 अनुसूचित जातियों के और 3 अनुसूचित जनजातियों के हैं।

(ग) जी, नहीं।

जनगणना निदेशालय के कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किस्त का भुगतान

8849. **श्री एन० के० शेजवलकर** :क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत भर में जनगणना निदेशालय में रेबुलेटर/कोडरों के लिए समेकित वेतन निर्धारित करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की कितनी किस्तों का भुगतान कर दिया गया है ;

(ख) क्या जनगणना निदेशालय के ऐसे समेकित वेतन कर्मचारियों को जिन्हें 1961 और 1971 में टाइम स्केल कर्मचारी किया गया था, मंहगाई भत्ता दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बार भाग (क) में उल्लिखित अतिक्ति महंगाई भत्ते का लाभ जनगणना के समेकित वेतन कर्मचारियों को देने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) (क) 8 (आठ)

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में समान पदों के वेतन मे असमानता

8850. **श्री आर० एन० त्रिपाठी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तीन प्रमुख समाज सुरक्षा योजनाओं का प्रबन्ध देख रहा है और कर्मचारी राज्य बीमा निगम केवल एक ही योजना का प्रबन्ध सम्भाल रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पी० एफ० आई० (ग्रेड-II) अधीक्षक तथा सहायक दो तीन योजनाओं का काम करने के बाद भी उतना वेतन नहीं मिल रहा है जितना कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उनके समान पद वाले लोगों को मिल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उपर्युक्त श्रेणी के वेतनमान क्या हैं और कर्मचारी भविष्य निधि के कर्मचारियों को वेतन को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में विद्यमान वेतनमानों के समान करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसका क्या औचित्य है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना और कर्मचारी जमा सम्बन्ध बीमा योजना का प्रशासन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रशासन किया जाता है, जो चिकित्सा प्रसुविधा, बीमारी के दौरान नकद भत्ते, प्रसूति, प्रसुविधा, नि.शक्तता प्रसुविधा और चोट के मामलों में आश्रित प्रसुविधा आदि अनेक प्रसुविधाओं की व्यवस्था करती है। दोनों संगठनों द्वारा प्रशासित योजनाओं की तुलना नहीं की जा सकती है।

(ख) और (ग) : कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अधीक्षक का कोई पद नहीं है। जहां तक निरीक्षकों का सम्बन्ध है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निरीक्षकों के दो ग्रेड हैं लेकिन कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निरीक्षकों का एक ग्रेड है। तुलनात्मक वेतन-मान नीचे दिये गए है :—

पद का नाम	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में वेतन-मान	कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वेतन-मान
1. भविष्य निधि निरीक्षक ग्रेड-1)	650-1200 रुपये	—
2. भविष्य निधि (निरीक्षक) ग्रेड-2)	470-750 रुपये	—
3. बीमा निरीक्षक	—	550-900 रुपये
4. सहायक	425-640 रुपये	425-700 रुपये

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की संगठन में कुछ वर्गों के पदों के वेतन-मान में संशोधन के बारे में सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

हिन्दी आशुलिपिक पाठ्यक्रम

8851. **श्री केशव राव पारधी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी आशुलिपि पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार करने के लिए सितम्बर 1981 में विशेषज्ञ समिति की एक बैठक बुलाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक कितने साल बाद बुलाई गई और आयोजित करने के क्या कारण थे ;

(ग) इस बैठक में हिन्दी आशुलिपि पाठ्यक्रम में क्या सुधार सुझाए गए ? और

(घ) आशुलिपि और टंकण की उन पाठ्य पुस्तकों के नाम क्या हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा हुई ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) (क) जी हां।

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इस व्यवसाय को प्रारम्भ करने के बाद पाठ्यक्रम के पुनर्विचार और संशोधन के लिए यह प्रथम बैठक थी। पाठ्यक्रमों का आवधिक पुनर्विचार/संशोधन श्रम मंत्रालय की सामान्य नीति का एक भाग है। तथापि, इस मामले में आशुलिपि लिखने की एकरूप पद्धति तथा इस व्यवसाय में प्रशिक्षण के स्तर को बढ़ाने के लिए उपाय ढूंढ निकालने की आवश्यकता को महसूस किया गया था।

(ग) सुझाए गए कुछ प्रमुख सुधार इस प्रकार है :

(1) राष्ट्रीय स्तर पर एक सामान्य प्रणाली अपनाना

(2) पढ़ाने के घण्टों की संख्या में वृद्धि।

(3) प्रशिक्षण और दक्षता के स्तर को बढ़ाना ताकि प्रशिक्षणार्थियों को और अधिक नियोजन योग्य बनाया जा सके।

(3) औजारों और उपकरण की सूचियों अद्यतन बनाना।

(घ) ऋषि, सिंह, पिटमैन, नवीन आशुलिपि, विशिष्ट और मानक प्रणालियों जैसी विभिन्न प्रणालियों पर विस्तार से विचार किया गया था और केवल मानक प्रणाली को अपनाने के लिए, जिसे तैयार किया गया है अनुमोदित किया गया है और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिन्दी आशुलिपि व्यवसाय को पढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा हैं, सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था। तदनुसार, इस पद्धति पर भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की जांच की गई थी तथा पाठ्यपुस्तकों के रूप में निर्धारित किया गया तथापि, अन्य प्रणालियों की पुस्तकों पर भी बिचार किया गया तथा उनमें से कुछ पुस्तकों की संदर्भ पुस्तकों के रूप में सिफारिश की गई थी।

कर्मचारी भविष्य निधि के न्यास मंडल द्वारा दिए गए सुझावों का क्रियान्वयन

8853. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भविष्य निधि न्यास मंडल द्वारा वर्ष 1977-78 में दिए गए सुझावों में से अब तक कितने सुझावों को क्रियान्वित किया गया है और शेष सुझावों को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा तथा दरों में संशोधन करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण है ;

(ख) संशोधन संबंधी कार्य के बारे में रामानुजम समिति द्वारा वर्ष 1980 में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित न किए जाने के क्या क्या कारण है और उन्हें कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ; और

(ग) वर्ष 1971 से जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के 561 से बढ़कर वर्ष 1981 में 1306 हो जाने को ध्यान में रखते हुए क्या इस पुनर्निरीक्षण पर भी प्रभाव पड़ेगा विशेषकर ऐसे लोगों के मामले में जिनकी पेंशन न्यूनतम 40/-रु० से भी कम है : प्रभाव पड़ेगा और तदनुसार क्या सूचकांक में वृद्धि के साथ-साथ उनकी पेन्शन की राशि में भी शीघ्र ही वृद्धि की जाएगी ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि पुनरीक्षा समिति (रामानुजम समिति) द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है और उन सिफारिशों को, जिनसे अधिनियम में संशोधन करना पड़े, अधिनियम में संशोधनों के वर्ग में शामिल कर लिया गया है जिस पर सरकार विचार कर रही है। अन्य सिफारिशों के बारे में, जिनमें अधिनियम में संशोधन की जरूरत नहीं है, कुछ मामलों को छोड़कर, जिन पर उन मंत्रालयों/विभागो के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है, जिनका संबंध इस मामले में बाकी सभी मामलों में निर्णय ले लिया गया है।

(ग) परिवार पेन्शन योजना में संशोधन करने का निर्णय किया गया है ताकि कम से कम 60/-रू० प्रतिमाह की परिवार पेन्शन की अदायगी और साथ ही बढ़ते हुए निर्वाह व्यय को दृष्टि में रखते हुए हुए पेंशन में तदर्थ वृद्धि की व्यवस्था की जा सके। आशा है कि आवश्यक अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी।

राज्य को पुलिस आसूचना शाखा की सेवाओं का उपयोग

8854. **श्री एन० डेनिस** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार राज्यों की पुलिस अधिसूचना शाखा की सेवाओं का उपयोग करती है,

(ख) यदि हां, तो राज्य पुलिस की सेवाओं के लिए अदायगी की जाती है, और

(ग) भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्ष में, राज्य वार पुलिस को की गई अदायगी का ब्यौरा क्या है।

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) (क), (ख) और (ग) केन्द्र

सरकार का आसूचना ब्यौरा और राज्य पुलिस का आसूचना विंग राष्ट्रीय हित में सहयोग की भावना से आपस में कार्य करते हैं। आपसी हित के इस प्रबन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरसरकार को या राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को किसी प्रकार की अदायगी का कोई प्रश्न नहीं है।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के सहायक निदेशों अनुसंधान अधिकारियों को विभिन्न विभागों में संवर्ग बाह्य पदों के लिए आवेदन करने से रोकना

8855. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवा में ग्रेड-4 में सन्दर्भ आधार पर सहायक निदेशक अनुसंधान अधिकारी के रुप में कार्य कर रहे "फीडर" पद धारियों को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में जो इस सेवा में सम्मिलित नहीं हैं ; और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न संवर्ग बाह्य पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के लिए उस विभाग द्वारा परिचालित पत्र पर आवेदन करने से बन्धित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस मामले को ठीक करने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) और (ख) भारतीय सांख्यिकी सेवा में विभाग न लेने वाले विभागों कार्यालयों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि में ऐसे संवर्ग—बाह्य पदों को जिनके लिए भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों की सेवाएं अपेक्षित हैं, इस सेवा के पात्र अधिकारियों में उनकी इच्छा तथा उपलब्धता को जानने के लिए परिचालित किया जाता है। भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड-चार पदों सन्दर्भ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे फीडर पदधारी इस सेवा के सदस्य नहीं हैं, इसलिए भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों में परिचालित पदों के लिए उनका आवेदन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में कार्य के लिए पंजीकरण

8856. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के विदेशों में कार्य सम्बन्धी प्रभाग में जिन व्यक्तियों ने वित्तीय वर्ष 1980-81 के नाम दर्ज कराएहैं उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त वर्ष में विदेशों में काम पाने वाले व्यक्तियों तथा देशों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 1.4.1980 से 31-3- 1981 तक की अवधि के दौरान विभिन्न विदेश नियुक्ति पैनलों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :

(1) इंजीनियरी विशेषज्ञ 2529

(2) अध्यापन विशेषज्ञ 2644

(3) मेडिकल तथा पैरा मेडिकल विशेषज्ञ 3652

(4) वित्तीय तथा विविध विशेषज्ञ 2636

(ख) वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों का देशवार तथा एर्ग-वार चयन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

देश	चिकित्सक	नर्स तथा अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ	प्रोफेसर अध्यापक शिक्षा अधिकारी	इंजिनियर, वास्तुविद, भूविज्ञानी तथा अन्य तकनीकी विशेषज्ञ	वित्तीय विशेषज्ञ, लेखाकार, अर्थशास्त्री तथा सांख्यिकी चिद् आदि ।	विविध विशेषज्ञ	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
अल्जीरिया	—	—	150	31	—	—	181
भूटान	—	—	2	3	7	—	12
बहरीन	—	—	1	—	—	—	1
बर्मा	—	—	—	—	—	2	2
इथोपिया	26	—	28	—	1	—	55
घाना	—	—	—	—	—	1	1
ईराक	44	—	187	217	2	3	453
ईरान	2	—	—	—	—	—	2
केन्या	—	—	1	21	2	—	24
लेसोथी	—	—	—	—	—	1	1
लीबिया	35	5	1	16	5	3	65
मोजाम्बिक	—	—	—	—	—	25	25
नारु	—	—	—	3	1	—	4
नाईजिवरया	12	—	24	27	2	2	67
ओमान	7	—	—	—	—	—	7
सोमालिया	—	—	7	—	—	2	9

1	2	3	4	5	6	7	8
सीचलीज	—	—	—	3	2	10	15
तंजानिया	—	—	2	12	45	1	60
उगांडा	2	—	—	—	—	1	3
यमन	3	—	10	—	—	—	13
जाम्बिया	20	—	2	—	15	1	38
योग :—	151	5	415	333	82	52	1038

उपदान अदायगी अधिनियम में संशोधन

8857. **श्री सूरज भान** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उपदान अदायगी अधिनियम, 1972 में संशोधन के बारे में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर कोई निर्णय लिया है ;

(ग) यदि हां, तो निर्णय सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में निर्णय लेने से विलंब के क्या कारण हैं और शीघ्र निर्णय लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपयोग मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) उपदान संक्षय अधिनियम के संशोधन के लिए कुछ प्रस्तावों पर सरकार ने निर्णय लिया है जो निम्नलिखित से सम्बन्धित है :—

(क) मजदूरी सीमा में वृद्धि ;

(ख) अधिनियम के क्षेत्राधिकार का कुछ ऐसे वर्गों पर विस्तरित करना जो कि अभी इसके अन्तर्गत नहीं आते ;

(ग) मौसमी प्रतिष्ठानों के स्थायी कर्मचारियों को देय उपदान की दर में वृद्धि ;

(घ) नियंत्रक प्राधिकारियों की शक्तियों को बढ़ाना ;

(ङ) समुचित सरकार को प्रवर्त्तन अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करना ।

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा को आर्डरों की प्राप्ति

8858. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा को (राजस्थान) को 1968 से 1980 तक वर्षवार,

तापीय तथा अन्य विजलीघरों, से कितने मूल्य के आर्डर प्राप्त हुए, और उनके कितनी आय हुई ;

(ख) उक्त कम्पनी को 1981-82 में कितने आर्डर प्राप्त हुए और उनसे कितनी आय हुई ;

(ग) उक्त अवधि में सरकारी तथा गैर सरकारी कम्पनियों को प्राप्त आर्डरों का ब्यौरा क्या है और उनसे पृथक-पृथक कितनी आय प्राप्त हुई ; और

(घ) 1981-82 में कम आर्डर प्राप्त होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमि० कोटा को थरमल सेक्टर से प्राप्त क्रयादेश व पण्यावर्त

क्रमांक	वर्ष	क्रयादेश		पण्यावर्त	
		सरकार क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
		(लाख रुपयो में)			
1.	1968-69	285	—	उप. नहीं	उप. नहीं
2.	1969-70	418	—	,,	,,
3.	1970-71	1471	—	,,	,,
4.	1971-72	1153	235	,,	,,
5.	1972-73	1284	—	,,	,,
6.	1973-74	1362	32	,,	,,
7.	1974-75	1259	—	,,	,,
8.	1975-76	1093	128	420	115
9.	1976-77	1575	360	894	80
10.	1977-78	3097	—	1193	93
11.	1978-79	2709	80	1907	129
12.	1979-80	2696	224	2273	153
13.	1980-81	2249	4	2225	88
14.	1981-82	2277	11	उप. नहीं	उप. नहीं

टिप्पणी : लगभग

निर्यात आदेश

उप. नहीं तत्काल उपलब्ध नहीं

नोट— किसी वर्ष में बुक किये क्रयादेशों के अनुरूप पण्यावर्त हो ही यह आवश्यक नहीं

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों के खाली पदों को भरना

8859. **श्री के० वो० एस० मणि** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों के कुछ पद खाली पड़े हैं ; और

(ख) क्या इन पदों को भरने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिहार रंजन मजूमदार) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का गठन जुलाई, 1978 में एक सरकारी संकल्प द्वारा किया गया था, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि आयोग का एक अध्यक्ष होगा और 4 से अधिक सदस्य नहीं होंगे । आयोग को 16 अगस्त 1981 को पुनर्गठित किया गया । इसके अध्यक्ष श्री के० राजमल्लू, सांसद और सदस्य श्री होकिशी सीमा हैं ।

कर्मचारी भविष्य निधि, संगठन के क्षेत्रीय केन्द्रीय कार्यालयों में ii ग्रेड के अधीक्षकों के रिक्त पद

8860. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालय में पी० एफ० आई० (ग्रेड दो)/ अधीक्षक के संवर्ग में अनेक पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछली परीक्षा बहुत समय पहले हुई थी और दूसरी ई० पी० एफ० एकाउन्टस सेवा (भाग एक) परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जा रही है ;

(ग) यदि हां, इस परीक्षा को आयोजित करने और उपरोक्त रिक्त पदों को भरने के लिए संगठन का क्या कार्यवाही करने का विचार है और किस तिथि तक ऐसा किया जाएगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड-ii) और अधिक्षकों के संवर्ग में कुछ रिक्तियां हैं ।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सेवा परीक्षा (भाग-1) जून, 1981 में हुई थी ।

(ग) और (घ) जुलाई, 1982 में कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सेवा की अगली परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव है ।

जेलों में कैदी तथा विचाराधीन बच्चे

8861. **श्री जेवियर अरकल :**

श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेलों में कितने कैदी और विचाराधीन बच्चे हैं ;

(ख) सरकार ने जेलों में बच्चों के हितों की रक्षा तथा उनकी सुरक्षा के लिये क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) क्या जेलों में बच्चों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) कानून के दिायरे में आने वाले बच्चे उन क्षेत्र में जेलों में रखे जाते हैं जहां बाल अधिनियम लागू नहीं है अथवा जहां उनको हिरासत के लिए पृथक संस्थाए नहीं है। 30.6.1981 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी राज्यो और संघ शाषित क्षेत्रों (आन्ध्र प्रदेश को छोड़कर जिसके लिए केवल 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बारे में 1.1.82 तक के आंकड़े लिये गये हैं) की जेलों में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 2209 थी।

(ख) बाल कैदियों के हितों के संरक्ष के उद्देश्य से राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्र प्रशासनों ने, जो जेलों के प्रशासन तथा कैदियों के रखरखाव के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हैं, कुछ को छोड़कर बाल अधिनियम अधिनियमित किये हैं। इन अधिनियमों के अधिनियमों के अधीन व्यवस्था के अनुसार अपराधी बच्चे जेलों में नहीं भेजे जाते बल्कि उनके विरूद्ध जांच होने तक पर्यवेक्षण गृहों मे रखे जाते हैं और उनको दोषसिद्धि के बाद स्वीकृत अथवा प्रमाणित स्कूलों में रखे जाते हैं। अधिनियमों में उनके विचारण देखरेख, संरक्षण, प्रशिक्षण, शिक्षा तथा पुनर्वास को भी व्यवस्था है। बच्चों के जेलों में रखने पर भी उन्हें व्यस्क कैदियों से अलग रखना आवश्यक है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की सलाह दी है कि वे बाल अधिनियमों के अधीन सुविधाओं में वृद्धि करें, जेलों में बच्चों को पृथक रखने के लिए प्रभावकारी प्रबन्ध करें, निरीक्षण तथ पर्यवेक्षण तत्र को मजबूत बनाएं और नियमित रूप से जेलों का दौरा करने तथा वहां व्याप्त स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को रिपोर्ट करने के लिए बोर्ड आफ बीजीटर्स नियुक्त करें।

(ग) 23 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त हुई है और उनमें से किसी ने भी हिरासत में अथवा जेलों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की किन्हीं घटनाओं की सूचना नही दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी संचित किया है कि जिला जेल, कानपुर में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए, जांच करने पर सही नहीं पाये गये हैं।

बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी के कर्मचारी

8862. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लि० का इसलिए अधिग्रहण किया था क्योंकि इसमें खराब प्रशासन था जो अब भी चल रहा है ;

(ख) ऐसा कैसे है कि इसके लगभग 90 प्रतिशत अधिकारी और कर्मचारी एक ही जाति के हैं ;

(ग) क्या अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद इम्पालायमेंट न्यूज मैगजीन (भारत सरकार का प्रकाशन) में अधिसूचित किये जाते हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान भरे गये कुल रिक्त पदों की तुलना में इम्प्लायमेंट न्यूज मैगजीन में अधिसूचित पदों का अनुपात क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) बर्न एण्ड कम्पनी और इण्डियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी का राष्ट्रीयकरण इस दृष्टि से किया गया था कि अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण सामान का लगातार उत्पादन होने और विदेशों को रेल वैगनों की सप्लाई हेतु ठेकों को पूरा कर और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों को पूरा करने का सुनिश्चय हो सके जैसा इन कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण अधिनियम में घोषित किया गया है ।

(ख) अपने कर्मचारियों के बारे में कम्पनी समुदाय-वार जानकारी नही रखती है ।

(ग) तथा (घ) कम्पनी द्वारा सम्बन्धित रोजगार कार्यालयों को रोजगार अधिसूचनाएं भेजी जाती है । अधिकारियों को भर्ती के लिए प्रमुख समाचार-पत्रों में रिक्तियां अधिसूचित की जाती हैं । बर्न स्टैंडर्ड कं० लि० रोजगार समाचार मैगजीन में भी रिक्तयों को अधिसूचित करती रही थी । इसके प्रकाशन में असामान्य बिलम्ब के कारण हाल में रोजगार समाचार में अधिसूचना नहीं दी गई है ।

देवराजन और रुई सिंचाई परियोजनाएं

8863. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देवराजन और रुई सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी प्राक्कालित लागत तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां । देवराजन और रुई सिंचाई परियोजनाओं को क्रमश: 152,65 लाख रु० और 178.18 लाख रु० की अनुमानित लागत से योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया है ।

महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में देवराजन परियोजना से 1880 हैक्टेयर भूमि की और रुई परियोजना से 1620 हैक्टेयर भूमि की वार्षिक सिंचाई होगी ।

चेसिस का वितरण

8864. **श्री रूप चन्द पाल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : विभिन्न राज्यों को पिछले दो वर्षों में राज्यवार, कितने बस चेसिस दिए गए है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैसर्स टेल्कों, अशोक लेलैंड, हिन्दुस्तान मोटर्स तथा प्रेमियर ओटोमोबाइल्स लि०, बस चेसिस का निर्माण करते हैं। निर्माताओं द्वारा बताये अनुसार प्रसंगाधीन अवधि में राज्यवार बस चेसिसों के वितरण को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	वितरित बस चेसिसों की कुल संख्या	
		1980-81	1981-82
			(फरवरी,82 तक)
1.	जम्मू व काश्मीर	163	232
2.	पंजाब	629	371
3.	हरियाना	243	169
4.	चंडीगढ़	69	8६
5.	हिमाचल प्रदेश	126	99
6.	दिल्ली	900	601
7.	उत्तर प्रदेश	1022	1707
8.	पश्चिम बंगाल	462	695
9.	असम और मेघालय	109	204
10.	अरूणाचल प्रदेश	—	5
11.	त्रिपुरा, मनीपुर, नागालैंड	30	78
12.	बिहार	352	220
13.	उड़ीसा	175	82
14	राजस्थान	364	322
15.	मध्यप्रदेश	526	525
16.	गोवा	71	80
17.	महाराष्ट्र	1902	1752
18.	गुजरात	1129	1084
19.	आंध्र प्रदेश	1126	475

1	2	3	4
20	कर्नाटक	919	967
21.	तमिलनाडु	2061	2221
22.	केरल	506	685
23.	पांडिचेरी	7	5

राजस्थान में आदिवासियों का कल्याण

8865. **श्री जयनारायण रोत** : क्या गृह मन्त्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में आदिवासियों के कल्याण के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) सरकार ने हाल ही में शुरू की गई आदिवासी उपयोजना के लिए वर्ष 1981-82 में संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (अप्रोच) के अन्तर्गत कितनी संस्थाओं को सहायता दी है ; और

(ग) इससे कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओ में हुई प्रगति का एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(ख) संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी संस्था को प्रत्यक्षरूप से कोई सहायता नहीं दी जाती । फिर भी, राजस्थान सरकार को संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 1980-81 और 1981-82 दौरान क्रमश: 210 लाख रूपये और 206.75 लाख रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई है ।

(ग) आदिवासी क्षेत्र विकास सहकारी संघ की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 1980-81 के दौरान 4416 व्यक्तियों और 1981-82 के दौरान 4725 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा राजस्थान लघु उद्योग निगम और हथकर्घा बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जनजाति उप योजना क्षेत्र में हर वर्ष 327 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा ।

विवरण

1974-75 से दिसम्बर, 1981 तक निष्पादित महत्वपूर्ण कल्याण योजनाओं की प्रगति इस प्रकार है :-

1. कृषि

(क) कृषि विस्तार कार्यक्रम के अधीन 28133 संम्पर्क कृषकों में से 17790 आदिवासी हैं ।

(ख) हर वर्ष लगभग 50,000 से 70,000 हैक्टेयर भूमि अधिक उपज वाले किस्म के बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत लाई गई।

(ग) उन्नत किस्म के लगभग 25-500 क्विंटल बीज और 43,200 मीट्रिक टन उर्वरक वितरित किये गए।

(घ) 4²I3 प्रदर्शन किये गये।

(ङ) 3,86,000 फल पौधे मुफ्त वितरित की गई।

(च) प्रतापगढ़ और झादोल जिलों में अद्यतन भूमि अभिलेख पूरे किए गये।

2. सिचाई

(क) माही, झेकम, सोम कमला अम्बा और सोम कागदार बांध निर्माणाधीन हैं। दया बांध का निर्माण हो गया है।

(ख) 2200 कुएं विस्फोट द्वारा खोदे गए।

(ग) 2400 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि के साथ तीन लघु सिचाई योजनाएं पूरी की गई हैं और अन्य 20 योजनाओं पर कार्य चल रहा है।

पशुपालन और मत्स्य उद्योग

(क) 15 पशु पालन संस्थान और 3 मत्स्य फार्म शुरू किए गए।

4. वनखण्ड

(क) 14,120 हैक्टेयर भूमि में घटिया दर्जेक वनों का पुन: रोपण किया गया।

(ख) फार्म वनखण्ड के अधीन 10,000 आदिवासियों को एक लाख पौधे वितरित किए गए।

5. विद्युतीकरण

(क) 1100 गांवों का विद्युतिकरण किया गया।

(ख) 6200 कुओं को उर्जित किया गया।

6. सड़कें :-766 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया।

7. शिक्षा

(क) 634 नये प्राईमरी स्कूल खोले गए।

(ख) 217 प्राईमरी स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर अपर प्राईमरी स्कूल किया गया।

(ग) 99 यू० पी० एस०/एस० एस० का दर्जा बढ़ाकर एस० एस०/एच० एच० एस० किया गया।

(घ) 27 आश्रम स्कूल स्वीकृत किए गए, 12 शुरू किये गये और 15 निर्माणाधीन हैं।

(ङ.) अनुसूचित जनजाति के लगभग 1 लाख छात्रों को शिक्षा प्रोत्साहनों के माध्यम से लाभ पहुंच रहा है।

(च) गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र और 200 खेल(प्ले) केन्द्र चल रहे हैं

8. चिकित्सा और स्वास्थ्य

(क) 32 नई एलोपैथिक और 87 आयुर्वेदिक औषधालय खोले गए।

(ख) 21 नए उप केन्द्र शुरू किए गए और 35 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का दर्जा बढाकर रैफरल अस्पताल किया गया।

(ग) 13 एम० एच० सीज० स्वीकृत किए गए, जिनमें से 9 शुरू किए गए और 4 निर्माणधीन हैं।

9. ग्रामीण जल आपूर्ति

(क) 66 पी० एण्ड० टी० योजनाएं पूरी की गई और 2,500 हैंड पम्प लगाये गए।

(ख) 1520 समस्यायुक्त गांवों को पेय जल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।

विदेशी नागरिकों का पता लगाना

8866. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बिदेशों नागरिकों का पता लगाने के लिए कोई मार्ग निर्देश तैयार किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क), (ख) और (ग) अनधिकृत रूप से रह रहे विदेशियों के विरुद्ध संबंधित कानूनों और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्रवाही की जाती है। कार्यकारी प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए समय-समय पर निर्देश भी भेजे जाते हैं।

उत्पादन वितरण और बिक्री की समन्वित नीति

8867. **श्रीराम प्यारे पनिका** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार उत्पादन, वितरण और बिक्री के लिए एक समन्वित नीति बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यह नीति कौन सी तारीख से लागू होगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) जी, नहीं।

किन्तु सीमेंट, कागज जैसी कुछ वस्तुओं के वितरण और मूल्य पर पहले से ही कुछ नियंत्रण लागू है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जेलों में बच्चों को उत्पीड़ित करना

8868. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :**

श्री के० लक्कप्पा :

डा० ए० यू० आजमी : क्या गृह मन्त्री बताने की बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जेलों में बच्चों को उत्पीड़ित करने को रिपोर्टों की जानकारी है,

(ख) यदि हां, तो चटनाओं सहित ऐसे मामलों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) जेल में इस प्रकार का उत्पीड़न बन्द करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क), (ख) और (ग) 27 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों जिन्होंने अब तक सूचना भेजी है, में से किसी ने भी जेलों में बच्चों को उत्पीड़ित करने को किसी घटना की सूचना नहीं दी है। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उनको कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित जिला जेल, कानपुर में बच्चों के तथा-कथित उत्पीडन के सम्बन्ध में रिपोर्टों को जानकारी है किन्तु इन आरोपों को सत्य नहीं पाया गया है। इसके बावजूद भी भारत सरजार ने बाल अधिनियम के अधीन सुविधाओं में वृद्ध करने ताकि बच्चों को जेलों में न जाना पड़े जेलों में बच्चों के लिए प्रभावकारी अलग प्रबन्ध करने, जांच पड़ताल और पर्यवेक्षण तंत्र को कड़ा करने और नियमित रूप से जेलों का दौरा करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी अधिकारियों को शामिल करके आगन्तुकों का बोर्ड नियुक्त करने और वहां पर व्याप्त दशाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को सूचित करने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है।

कच्चे माल की कमी

8869. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों को जलाई-सितम्बर, 1982 में कोयला, लोहे और इस्पात जैसे कच्चा माल बहुत कम उपलब्ध हुआ और जनवरी, 1982 के पश्चात भी यही स्थिति बनी हुई है ;

(ख) यदि हाँ तो क्या दिसम्बर, 1981 में प्रकाशित वाणिज्य और उद्योग के पी० एच० ओ० चैम्बर द्वारा किए गए सर्वेक्षण का निष्कर्ष है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(घ) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ङ) कच्चे माल की उपलब्धता के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) पंजाब हरियाणा और दिल्ली वाणिज्य एव उद्योग मण्डल ने अक्तूबर-दिसम्बर 1981 की तिमाही के अपने सर्वेक्षण में अन्य बातों के साथ इस बात का भी उल्लेख किया है कि यद्यपि अप्रैल-जून, 1981 मे कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार हुआ था फिर भी उत्तरी क्षेत्रों के एककों में बाद के महीनों में सुधार की यह गति बनाए नहीं रखी गई । किन्तु संपूर्ण भारत के कोयला, लोहा और इस्पात (धातु) के उत्पादन सम्बन्धी केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन आंकड़े दर्शाते हैं कि 1981-1982 की बाद की तीन तिमाहियों में इन वस्तुओं के उत्पादन में सुधार हुआ है और जनवरी, 1982 के आंकड़े इन तीन तिमाहियों के औसत से अधिक हैं ।

उद्योग के कार्यानिष्पादन में अग्रेतर सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए अभ्युपायों में क्षमता का पूर्ण उपयोग, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भली-भांति मानिटरिंग करना, आवश्यक निविष्टियों की समय पर उपलब्धि सुनिश्चित करना, विद्युत जनित्रण और वितरण पर बल देना और विविधीकरण सहित परियोजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन करना आदि सम्मिलित है । कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण उद्योगों के संदर्भ में औद्योगिक उपक्रमों की परिचालन संबंधी सहायता देने तथा उत्पादन में आने वाली अड़चनों से सम्बन्धित समस्याओं से निपटने के लिए उद्योग मंत्रालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

औद्योगिक अवस्थापना की मंत्रिमण्डल समिति उद्योगों की अवस्थापना समस्याओं की समीक्षा करती रही है और उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए निदेश जारी करती रही है ।

उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों और अवस्थापना के लिए एक केन्द्रीय मानिटरिंग आरम्भ कर दी गई है । मासिक उत्पादन लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं और उनकी मानिटर किया जा रहा है। इसे अवस्थापना को अपनी परिधि में समेट लेने वाले समूचे नियोजन कार्य से सम्बद्ध किया जा रहा है ।

सुरेन्द्रनगर में क्रान्ति काटन मिल का बन्द होना

8870. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुन्दर नगर, गुजरात में क्रान्ति काटन मिल कितने दिन बन्द रही ;

(ख) अब तक भविष्य निधि की कितनी राशि जमा हो गई है ;

(ग) क्या इस राशि में से 75 प्रतिशत राशि श्रमिकों को देने का अनुरोध किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो यह राशि कब दी जाएगी ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कर्मवीर) : (क) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, यह मिल 9.6.81 से बन्द पड़ी है ।

(ख) बकाया भविष्य निधि राशि 1 58 करोड रूपये है ।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात ने श्रमिकों से आवेदन-पत्रों के प्राप्त होने पर 65.27 लाख रूपये की कर्मचारियों के हिस्से के अंशदान की पूर्ण प्रतिपूर्ति कर दी है । संचित राशियों में से नियोजकों के हिस्से के 75 प्रतिशत का भुगतान इसी प्रकार सदस्यों से आवेदन-पत्रों के प्राप्त होने पर किया जायेगा ।

हंगरी का हैवी ट्रकों के निर्माण के लिये प्रस्ताव

8871. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी ने हैवी ट्रकों के निर्माण के लिए भारत को अपनी तकनीकी जानकारी तथा अपनी विशेषज्ञता देना का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार का उत्तर क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) हंगरी के मे० राबा की तकनीकी सहायता से भारी गाड़ियों का निर्माण करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस हेतु मे० किर्लोस्कर कुमिंस लि० ने सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत किया है । यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

उत्पादक वर्ष के रूप में 1982

8872. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमन्त्री की वर्ष 1982 की उत्पादकता वर्ष घोषित करने की इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ख) पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा औद्योगिक नीति में दी गई छूट संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उनके अपेक्षित परिणाम निकले है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1982 को "उत्पादकता वर्ष" घोषित किए जाने के अनुसरण में उत्पादन बढ़ाने में औद्योगिक उपक्रमों को समर्थ बनाने हेतु कुछ प्रस्ताव बनाए गए है । ये प्रस्ताव उत्पादन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने, उत्पादन प्राथमिकताओं की पुन: परिभाषित करने एवं क्षेत्रवार अन्त: सम्बद्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के बारे में है ।

(ख) औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए महत्वपूर्ण उपायों और छूटों में निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं :—

(1) प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से स्वत: वृद्धि का प्रावधान बशर्ते कि 5 वर्षों की अवधि में अधिकतम 25 प्रतिशत वृद्धि हो ।

(2) आधारिक और अत्यन्त महत्व वाले तथा निर्यातक्षम उद्योगों में लाइसेंसी/पजीकृत क्षमता से अधिक क्षमता को मान्यता ।

(3) 100 प्रतिशत निर्यातपरक एककों के लिए एक योजना का बनाना ।

(4) लघु क्षेत्र के लिए उत्पादन के अधीन क्षमता का पृष्टांकन करने के आधार पर उत्पादन को मान्यता देना ।

(5) "उद्योग रहित जिलों" तथा अधिसूचना पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए विशेष ध्यान देना ।

(6) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने विषयक योजनाओं लाइसस हटाना ।

(7) निर्यात हेतु किए जाने वाले उत्पादन को लाइसेंसीकृत क्षमता से अलग मानना ।

(ग) जी, हां । उत्पादन वृद्धि की दर जो 1979-80 में नकारात्मक थी, उसमें सुधार हो गया है तथा अप्रैल, 1981 से जनवरी 1982 की अवधि में यह 9.1 प्रतिशत हो गई है जबकि अप्रैल 1980 से जनवरी 1981 की अवधि में यह 4 प्रतिशत थी ।

हिन्दी अनुवादकों और हिन्दी अधिकारियों की संख्या

8873. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों, मन्त्रालयों और स्वायतशासी निकायों सहित विभागों में हिन्दी अनुवादक और हिन्दी अधिकारियों की पद-वार, योग्यता-वार वेतनमान-वार संख्या कितनी है,

(ख) गृह मन्त्रालय और स्वायतशासी निकायों ने अनुवादक के लिए कितना कार्य निर्धारित किया गया है और वास्तव में उन्हें कितना कार्य दिया जाता है ।

(ग) क्या उनकी योग्यता वेतन-मान और उनको दिए जाने वाले कार्य में कोई विषमता है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है । यह विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के लिए धनराशि

8874. **श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग को राज्यों की वार्षिक योजनाओं की पुनरीक्षा

करने के लिए कहा गया हैं ताकि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनानों के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि का आवंटन किया जा सके,

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग की प्रक्रिया क्या है,

(ग) क्या हाल ही में गृह मन्त्री की अध्यक्षता में उत्तरी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की की नई दिल्ली में बैठक हुई हैं और उन्होंने योजना आयोग को अपने प्रस्ताव से अवगत करा दिया है,

(घ) यदि हां तो उक्त बात को ध्यान में रखकर योजना आयोग राज्य योजनाओं की पुनरीक्षा का विचार कर रहा है, और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ड.) तक उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 6 फरवरी 1982 को हुई बैठक में सदस्य राज्यों ने यह सुझाव दिया था कि 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद की 14 मार्च, 1982 को हुई बैठक में विशेष विकास कार्यक्रमों के लिए, जो 20 सूत्री कार्यक्रम के भाग हैं, योजना की अधिकतम राशि की अपर्याप्तता का उल्लेख किया गया था ।

वर्ष 1982-83 के लिए राज्य योजनाओं पर नए सिरे से विचार करना इस समय संभव नहीं है। वर्तमान स्थापित कार्यविधियों में उपलब्ध ससाधनो के भीतर राज्य योजना के परिव्ययों में समायोजनों के लिए व्यवस्था है ।

इण्डिया आटोमोबाइल को सक्रिय बनाना

8875. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डिया आटोमोबाइल उद्योग को सक्रिय बनाने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्ततिवारी) : (क) तथा (ख) भारतीय मोटर उद्योग का आधुनिकीकरण और उन्नयन करने की दृष्ट से सरकार ने मोटरगाड़ी बनाने वाली इकाइयों को विभिन्न प्रकार की मंजूरियां दी हैं । इन उपायों में क्षमताओं को लाइसेंस देना और क्षमताओं का विस्तार करना जिससे मात्रा के अनुसार बचत को बढ़ावा दिया जा सके, निर्माण और उत्पादन को अद्यतन प्रौद्योगिकयों को शुरू करना अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और निर्यात में वृद्धि करने के लिए सुविधाएं, आदि शामिल हैं ।

संसद सदस्यों के लिए बजाज स्कूटर का कोटा

8876. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों, राज्य विधायकों तथा अन्य उच्च अधिकारियों के लिए बजाज स्कूटर का कोटा पुनः देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्रभावी होगा ; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव क्रियान्वित करने के लिये अब तक क्या प्रगति हुई है ;

उद्योग तथा इस्पात श्री खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क), (ख) से (ग) विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों इत्यादि जैसी किसी भी विशेष श्रेणी के लिए कोटे पुनः शुरू करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, निर्माण करने वाली कम्पनी ने बताया है कि वे बजाज स्कूटर देने में माननीय संसद सदस्यों प्राथमिकता अवश्य देते हैं।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष मृत्यु दण्ड के विचाराधीन मामले

8877. **श्री मगन भाई बरोट** :

श्री जेवियर अराकल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रंगा-बिल्ला के मामले में 17 नवम्बर 1981 को दिये गये सामान्य स्थान आदेश के परिणामस्वरुप फांसी की सजा के कितने मामले स्थगित किये गये, और

(ख) उच्चतम न्यायालय के समक्ष मृत्युदण्डे से सम्बिन्धित कितने मामले अपील के रूप में विचाराधीन है ; और मृत्युदण्ड से विरुद्ध कितनी अपीलें भारत के राष्ट्रपति के विचाराधीन हैं ? और मत्युदण्ड के विरुद्ध कितनी अपीलें भारत के राष्ट्रपति के विचाराधीन हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) फांसी की सजा का सामान्य स्थगन आदेश 7.11.1981 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया था और उसके परिणाम स्वरुप 7 फांसी सजायाफ्ता कैदियों की फांसी स्थगित की गई थी।

(ख) 19.4.82 की उच्चतम न्यायालय के समक्ष मृत्यु दण्ड में सम्बन्धित अलील/रिट याचिकाओं की विशेष मन्जूरी के लिए अपीलों/याचिका के 36 मामले विचाराधीन है।

मृत्यु दण्ड प्राप्त अपराधी राष्ट्रपति से कोई अपील करना नहीं चाहते किन्तु दया याचिका प्रस्तुत करते हैं। 35 ऐसे अपराधियों से सम्बन्धित 23 मामले हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के विचारार्थ दया याचिकाएं प्रस्तुत की हैं।

टायरों के मूल्यों में वृद्धि

8878. **श्री जगपाल सिह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ टायर और ट्यूब निर्माता 1978 के बाद उत्पादन दर में कम होने पर

भी लाभ की प्रतिशतता में कारण वृद्धि ही अपने उत्पादों के मूल्य बढ़ा कर मोटर-चालकों का शोषण कर रहे हैं तथा सरकार और उपभोक्ताओं की चालान दरें तथा संभालने के प्रभार में वृद्धि करके उन्हें धोखा दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरे सहित क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) मोटरगाड़ियों के टायरों और ट्यूबों पर किसी प्रकार का औपचारिक या अनौपचारिक नियंत्रण नहीं है किन्तु मोटर गाड़ियों के टायरों के उत्पादकों के इस दावे की कि लागत सम्बन्धी अपरिहार्य तत्वों के कारण मूल्य में वृद्धि की गई है औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों से जांच करने का और सरकार को और अधिक उपयुक्त अभ्युपायों की सलाह देने का अनुरोध किया जा चुका है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जतियो की यूनियनों एशोसिशनों को मान्यता

8879. **श्रीराम लाल राही** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की यूनियनों की एशिसिएशनों को जाति के आधार पर मान्यता देना बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहाल रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) नीति के रूप में, सरकार ऐसी किसी भी यूनियनों/एसोसिएशनों को मान्यता प्रदान नहीं करती है जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा जाति/जनजाति के आधार पर बनाई गई हों किन्तु, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा बनाई गई स्वैच्छिक एशोसिएशनों को, उन्हें आरक्षित रिक्तियां अधिसूचित करने के सीमित उद्देश्य के लिए मान्यता प्रदान की गई हैं।

दिल्ली में मादक पदार्थों का धंधा

8880. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मार्च , 1982 के (इन्डियन एक्सप्रेस) (दिल्ली संस्करण में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह रहस्योदघाटन किया गया है कि दिल्ली के अतिविशिष्ट व्यक्तियों के रहने वाले क्षेत्र में चार सरकारी कर्मचारियों द्वारा चलाए जा रहे माददक पदार्थों के धंधे के बारे में पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस धन्धे की जांच करने और दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) :

(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और आबकारी शुल्क अधिनियम की धारा 61/1/14 के अन्तर्गत मामले दर्ज किए गए हैं । जांच पूरी होने पर न्यायालय में उनका चालान किया जाएगा ।

सीमा सुरक्षा बल के संचार स्कन्ध का सशक्त बनाया जाना

8881. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीम सुरक्ष' बल के संचार स्कन्ध को सशक्त बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या इस प्रयोग के लिए सीमा सुरक्षा बल में कोई नई नीति अपनाई गई है ;

(ग) नई नीति लागू करने के लिए सीमा सुरक्षा बल में क्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं ; और

(घ) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी हाँ । अधिक दक्ष और निर्बाध संचार व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अधिक शक्ति वाला उपकरण प्राप्त किया गया है । अधिक दूरी के संचार के लिए उपग्रह प्रतिबिम्ब को प्रयोग करने का भी प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) नए उपकरण को संचालित करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के स्वरुप को सुधारने के लिए उच्च पाठ्यक्रमों के पाठ्य-विवरण का समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए पुनरीक्षण किया जाता है कि इलैक्ट्रोनिक के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी को शामिल किया जा सका । निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रति वर्ष आयोजित किये जाते हैं :—

(i) संचार अधिकारियों के लिए —3

(ii) रेडियो मैकिनक्स/आपरेटर्स तथा साइफर आपरेटर्स के लिए —27

(iii) जी० डी० कार्मिकों/फिटरस के लिए जनरल सिगनल कोर्स — 4

विदेशी तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग

8882. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1981 की अन्तिम तिमाही के दौरान विदेशी तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग के लिये कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त अवधि में सरकार द्वारा ऐसे कुल कितने प्रस्तावों को मजूरी दी गई ;

(ग) उन देशों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिनके साथ सहयोग होने जा रहे हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 1981 की अन्तिम तिमाही के दौरान विदेशी सहयोग के लिए 102 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग के प्रस्तावों संबंधी ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूज लैटर" के परिशिष्ट के रूप में त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती है।

उड़ीसा में छठी योजना के दौरान उप योजना कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता

8883. **श्री चिंता मणि जेना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के विभिन्न उप-योजना कार्यक्रमों के लिए छठी योजना अवधि में किननी विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ख) ई० आर० आर० पी० के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को सहाथता अंश देने के लिए उड़ीसा राज्य को क्या आवश्यकताएं हैं जिनसे आदिवासी परिवारों को लाभ हो तथा छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में आदिवासी उप-योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की कुल आवश्यकतायें कितनी हैं ;

(ग) राज्य को छठी योजना में इन दोनों के लिए कुल कितना नियतन किया गया है ; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से विशेष केन्द्रीय सहायता की मात्रा बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है, यदि हाँ, तो कितनी वृद्धि का अनुरोध किया गया है और उस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) छठी योजना अवधि के दौरान जनजातीय उप-योजना कार्यक्रमों के लिए राज्यों को 56.51 करोड़ रूपये की विशेष केन्द्रीय सहायता आबंटित की गई है।

(ख), (ग) तथा (घ) राज्य सरकारों से प्राप्त जनजातीय उप योजना दस्तावेज 1980-85 में छठी योजना अवधि के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की कुल आवश्यकता के लिए 126.06

करोड़ रूपये का अनुमान लगाया गया था और जनजातीय उप-योजना के लिए ई आर० आर० पी० के अन्तर्गत 45 करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई गई थी। योजना आयोग में अप्रैल '1981 में राज्य प्राधिकारियों के साथ परामर्श करने के पश्चात छठी योजना अवधि में जनजातीय उप योजना कार्यक्रमों के लिए 56.59 करोड़ रूपये के अस्थाई आबंटन को सहमति दी गई थी। उक्त आबंटन में से छठी योजना अवधि के दौरान ई० आर० आर० पी० कार्यक्रम के लिए 30 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता आबंटित किए जाने की सम्भावना है।

नमक का उत्पादन करने वाले राज्य

8884. **श्री के० प्रधानी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के नमक का उत्पादन करने वाले मुख्य राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) उन राज्यों में 1980-81, 1981-82 में कुल कितनी मात्रा में नमक का उत्पादन किया गया ;

(ग) उन राज्यों से 1982-83 में नमक के कितने औसत उत्पादन की आशा है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा द्वीप दमन, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश तथा पाण्डिचेरी।

(ख) नमक उत्पादन के आंकड़े पंचांग वर्षवार रखे जाते हैं। वर्ष 1980 और 1981 के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

1980	80.07 लाख मी० टन
1981	89.23 लाख मी० टन

(ग) वर्ष 1982 में 100.71 लाख मी० टन नमक का उत्पादन होने की आशा है।

(घ) वर्ष 1980 और 1981 का राज्य-वार उत्पादन तथा वर्ष 1982 का संभावित उत्पादन निम्नलिखित है :—

राज्य	1980	1981	1982
		में उत्पादन (हजार मी० टन में)	
गुजरात	4212.9	5408.5	6000
तमिलनाडु	1692.0	1596.1	1000
राजस्थान	937.2	953.9	1000
महाराष्ट्र	404.3	562.0	600

1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	404.2	330.1	400
कर्नाटक	14.6	24.1	40
गोवा द्वीप दमन	15.4	20.5	20
उड़ीसा	113.6	17·5	65
पश्चिम बंगाल	12.7	5.3	20
हिमाचल प्रदेश	4.7	4.4	5
पाण्डिचेरी	0.3	0.7	1

सर्किल सख्या 43, ब्रह्मपुरी शाहदरा द्वारा जारी किए गए सीमेंट परमिट

8885 : **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह प्रथा है कि नागरिक पूर्ति विभाग दिल्ली प्रशासन लोगों को सीमेंट देने के लिए महीनों के अन्तिम दिन तथा पहले और दूसरे दिन परमिट नही दे रहा हैं :

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सुस्थापित पत्रति का उल्लंघन करते हुए खाद्य तथा संभरण सर्किल संख्या 43, ब्रह्मपुरी शाहदरा, दिल्ली-53 ने 2 जनवरी को कुछ व्यक्तियों को 3 परमिट जारी किए थे ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और जिन व्यक्तियों को परमिट दिए गए उनका ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि खाद्य तथा पूर्ति सर्किल संख्या 43, द्वारा ये परमिट ऐसे क्षेत्रों के लिए दिए गए जो इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं। और यदि हां तो क्या कोई जांच की गई हैं, और उसके क्या परिणाम निकले ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां,

(ख) जी नहीं, 2 जनवरी, 1982 को कुछ परमिट केवल पुनर्वेध कर दिए गए थे।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल के पालघाट जिले में बंधुआ हरिजन

8886. **श्री पियूस तिरकी** : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में हजारों हरिजन बन्धुआ हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पालघाट तथा निकटवर्ती जिलों में एक बड़ी संख्या में हरिजनों के पास रहने के लिए मकान नहीं हैं :

(ग) इस क्षेत्र मे हरिजनों के लिए कितने मकान बनाए गये थे ;

(घ) क्या यह सच है कि इन हरिजनों को एक दिन के लिए दो से तीन रूपए मजूरी के रुप में मिलते हैं ; और

(ङ) बन्धुआ मजदूरों की प्रथा समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल और बिहार में बंगल देश के राष्ट्रिकों की घुसपैठ

8887. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलादेश में पांच लाख राष्ट्रिकों ने पश्चिमी बंगाल के सात सीमा-वर्ती जिलों तथा बिहार के तीन जिलों में घुसपैठ की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) बंगला देश से आये ऐसे घुसपैठियों को रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

परमाणु प्रसार रोक संधि

8888. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने परमाणु-प्रसार रोक संधि पर हस्ताक्षर करने में भारत की अनिच्छा के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के महानिदेशक की टिप्पणियों पर उस एजेन्सी के समक्ष विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी की क्या प्रतिक्रियाएं हैं तथा हमारे विरोध का किस प्रकार का उत्तर दिया गया है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के महानिदेश ने कुछ विदेशी पत्रकारों के साथ अपने एक साक्षात्कार के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा था कि भारत तथा कुछ अन्य देश परराणु अस्त्र प्रसार निरोध संधि पर हस्ताक्षर करने के "इच्छुक नहीं हैं"। भारत सरकार ने यह बात अनेक अवसरों पर दोहराई है कि क्योंकि वह परमाणु अस्त्र प्रसार निरोध संधि को अत्यधिक भेदभाव करने वाली और असमानता लाने वाली समझती है, इसलिए वह उस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगी ।

भारत सरकार ने महानिदेशक द्वारा अकारण दी गई और अनुचित टिप्पणी को बहुत

ही गम्भीरतापूर्वक लिया था। तदनुसार, वियाना में नियुक्त हमारे राजदूत ने महानिदेशक को एक विरोध पत्र दिया था।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के महानिदेशक ने भारतीय विरोध पत्र को लेते हुए यह चाहा कि उसके साक्षात्कार के बारे में समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट के सम्बन्ध में, उनके द्वारा व्यक्त "अत्यधिक खेद और क्षमा याचना" भारत सरकार तक पहुंचा दिए जाएं।

वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के लिए जस्ते का उत्पादन लक्ष्य

8889. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए जस्ते का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) क्या उपरोक्त वर्षों में उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उन वर्षों में जस्ते का वास्तविक उत्पादन कितना हुआ ; और

(घ) क्या देश जस्ते के उत्पादन में आत्म निर्भर हो सकेगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) देश में जस्ते का उत्पादन हिन्दुस्तान जिंक लि० (सरकारी क्षेत्र) तथा मै० कोमिन्को दिननी जिंक लि० (गैर सरकारी क्षेत्र) दो कम्पनियां करती हैं। वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान हिन्दुस्तान जिंक लि० के उत्पादन लक्ष्य क्रमश: 66,000 टन तथा 57,000 टन तथा मै० कोमिन्को बिनानी जिंक लि० के लक्ष्य क्रमश: 14,000 टन और 15,000 टन हैं।

(ख) जी नहीं। निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में हिन्दुस्तान जिंक लि० की मुख्य बाधा कम बिजली पूर्ति की थी। कोमिन्को बिननी जिंक लि० के उत्पादन पर 1980-81 में लगभग 9 महीने तक मजदूरों की हड़ताल और 1081-82 में रोस्टर टूट जाने का प्रतिकूल असर पड़ा।

(ग) 1980-81 और 1981-82 के दौरान जस्ते का वास्तविक उत्पादन हिन्दुस्तान जिंक लि० का क्रमश: 44,551 टन और 46,516 टन तथा कोमिन्को बिनानी जिंक लि० का उत्पादन क्रमश: 975 टन तथा 11,157 टन था।

(घ) सरकार द्वारा गठित अलौह धातु (सीसा और जस्ता) सम्बन्धी कार्यकारी दल के अनुमानों के अनुसार रामदुरा अगूवा तथा अन्य निक्षेपों पर आधारित एक नए जस्ता प्रदावक चालू होने से देश के 1989-90 तक जस्ता उत्पादन में लगभग आत्म-निर्भर हो जाने की आशा है।

टायर उद्योग में मन्दी

8890. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर उद्योग की मांग प्राप्त करने में मन्दी चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो टायर उद्योग को इस स्थिति का सामना किन कारणों से करना पड़ा ; और

(ग) टायर उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) उत्पादन तथा बिक्री की प्रवृत्तियों में ऐसे कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली प्रशासन को अनुसूचित जातियों के लिए योजना

8891. श्री मनमोहन टुडू : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये 1982-83 में कोई योजनातैयार की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस अनुसूचित जाति कल्याण योजना को क्रियान्वित करने के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ग) क्या अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कोई अन्य योजना आरम्भ की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि नियत की गई है और चालू वित्त वर्ष के दौरान कौन-से कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) तथा (ख) अनुसूचित जातियों के लिये विशेष कम्पोनेंट योजना पहली बार 1980-81 के लिये दिल्ली के संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा तैयार की गई थी । विशेष कम्पोमेंट योजना संघशासित क्षेत्र योजना का एक भाग है और सम्बन्धित राज्य/ संघ शासित क्षेत्र योजना स्कीम से अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित निधियों को दर्शाती है ।

दिल्ली प्रशासन ने 1982-83 को संघशासित क्षेत्र योजना से 1982-83 को अपनी पहली प्रारुप विशेष कम्पोमेंट योजना में मात्रा निश्चित करने के लिये 1206.17 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है । प्रस्तावित क्षेत्रवार अ बंटन इस प्रकार है :—

		(रुपये लाखों में)
1.	कृषि तथा सहबद्ध सेवाएं	7.91
2.	सहकारिता	6.18
3:	सिंचाई तथा बिजली	37.00

4.	उद्योग और खनन	88.67
९.	परिवहन और संचार	1.00
6.	सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं	1065।41

संघ शासित क्षेत्र को विशेष कम्पोमेंट योजना) 1982-83) पर अभी योजना आयोग में विचार विमर्श किया जाना है उक्त आवंटनों में योजनाओं के किसी बाद के संशोधन के कार भिन्नता हो सकती है ।

विशेष कम्पोमेंट योजना में उक्त आवंटनों के अतिरिक्त भारत सरकार राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को विशेष कम्पोमेंट योजनाओं के लिये योगात्मकता के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता भी दे रही है । 1982-83 के लिए दिल्ली के संघशासित क्षेत्र प्रशासन को प्रयत्नों पर आधरित मानदण्ड पर भिन्नताओं के अधीन 87.60 लाख रुपये को विशेष केन्द्रीय सहायता का अस्थाई आवंटन किया गया है।

(ग) तथा (घ) जी नहीं श्रीमान । चूंकि दिल्ली संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा कोई अलग जनजातीय उप-योजना तैयार नही की गई है ।

इस्पात उद्योग में ठेका श्रमिकों की संख्या

8892. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात उद्योग में (उद्योग-वार) ठेका श्रमिकों की अद्यतन संख्या कितनी हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1970 में सभी ठेका श्रमिकों को मुक्त करके स्थायी करने के लिए कोई करार किया गया था ?

(ग) यदि हां, तो यह करार कहाँ तक लागू किया गया था और ऐसे कितने श्रमिकों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ; और

(घ) ऐसे सभी ठेका श्रमिकों को स्थायी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

बिहार के सिंहभूम जिले में आदिवासियों पर अत्याचार

8893. **श्री ए० के० राय** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सिंहभूम जिले में गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष वार आदिवासियों पर किये गये अत्याचारों के कितने मामले हुए तथा कितने आदिवासी लोग हताहत हुए ;

(ख) क्या आदिवासियों के लिए अभियुक्त किसी को इसी अवधि में दंड दिया गया है ;

(ग) क्या बिहार में आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों के सम्बन्ध में शीघ्र मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; यदि हां, तो उसके ब्यौरेवार तथ्य क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क), (ख), (ग) और (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जागगी ।

पश्चिम बंगाल में आदिवासी लोगों पर अत्याचार

8894. **श्री ए० के० राय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में आदिवासी लोगों पर अत्याचारों के बारे में गत दो वर्षों में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त अवधि में संसद सदस्यों द्वारा कितनी शिकायतें अग्रेषित की गई ;

(ग) प्रत्येक शिकायत पर राज्य सरकार से क्या अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 1.4.1980 से 31.3.1982 तक की अवधि के दौरान गृह मन्त्रालय में ध्यान में लाई गई अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की शिकायतों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) इस अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की [redacted]न शिकायतें संसद सदस्यों से प्राप्त हुई थी ।

(ग) और (घ) : प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्रवाई विवरण में दी है ।

कुछ अन्य मामलों में प्राप्त हुई मूल शिकायतें आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दी गई हैं ।

विवरण

क्रम संख्या	शिकायत का ब्यौरा	की गई कार्रवाई
1.	आदिवासी गांव, कोलोमति थाना ईटानगर पश्चिम दीनाजपुर जिला पर संगठित आक्रमण के बारे में संसद सदस्य श्री ए० के० राय से प्राप्त शिकायत ।	इस मामले के सम्बन्ध में राज्य सरकार को लिखा गया और एक रिपोर्ट प्राप्त हुई । राज्य सरकार ने सूचित किया कि कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध मामले चलाए गए । इस क्षेत्र में पुलिस सतर्कता कड़ी कर दी

गई संसद सदस्य को भी उत्तर भेज दिया गया है।

2. घोरारस, थाना बसोरहाट, जिला 24-परगना के ग्रामों से उनकी झोपड़ियों को आग लगाने और सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने, छेड़छाड़ करने इत्यादि के बारे में शिकायत। — राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है और वह अभी प्रत्याशित है।

3. पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासियों को तंग करने के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद दार्जिलिंग, पहाड़ी क्षेत्र शाखा से प्राप्त शिकायत। — —तदैव—

4. महानन्दपुर, थाना ईटाहर पश्चिम दीनाजपुर जिले में दो आदिवासियों के मारे जाने के बारे में संसद सदस्य श्री ए० के० राय से प्राप्त शिकायत। — —तदैव—

5. लच्छीपुर, संथाल दोराह, थाना कुलटी, जिला बंदवान में आदिवासी घरानों पर आक्रमण के बारे में संसद सदस्य श्री ए० के० राय द्वारा भेजी गई शिकायत। — —तदैव—

6. 24 परगना जिले में ईंटों के भट्टों के मालिकों द्वारा बिहार के सिंह भूम जिले के चक्रधर क्षेत्र से एक अधिवासी लड़की के शोषण के बारे में शिकायत। — —तदैव—

7. श्री हरिपद शरण, एक आदिवासी (संथाल) की हत्या के बारे में शिकायत। — शिकायत राज्य सरकार को उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दी गई।

गैस सिलिंडर के एकक

8895. **श्री नवीन रवाणी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-से औद्योगिक एकक गैस सिलिंडरों का निर्माण कर रहे हैं तथा उनका वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या देश में गैस-सिलिंडरों की भारी मांग है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मांग पूरी करने के लिए नये सिलिंडर बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) तथा (ग) **अद्योगिक गैस सिलेन्डर**

हाई प्रेशर इण्डस्ट्रियल आक्सीजन । नाइट्रोजन सिलेन्डरों की वर्तमान मांग 75,000 नग प्रतिवर्ष है जिसके बढ़कर 1984-85 तक लगभग 100,000 नग होने की सम्भावना है।

हाई प्रेशर गैस सिलेन्डरों की आवश्यकता अमोनिया, क्लोरीन, रेफ्रजरेन्ट गैसों, आदि को भरने और परिवहन के लिए भी होती है । इनकी आवश्यकता अस्पतालों, नर्सिग होम, आदि में उपयोग के लिए मेडिकल आक्सीजन और नाट्रस आक्साइड के परिवहन के लिए भी होती है । इन सिलेन्डरों की मांग के सम्बन्ध में यथाथ आँकड़ उपलब्ध नहीं है ।

वेल्ड किए गए सिलेन्डर द्रवीभूत एसीटिलीन गैस भरने के लिए इस्तेमाल में लाये जाते हैं । इस प्रकार के गैस-सिलेन्डरों का वर्तमान वार्षिक मांग 25,000 है जिसके बढ़कर 1984-85 तक लगभग 30,000 नग होने की सम्भावना है ।

चूंकि सप्लाई मांग के बराबर नहीं है अत: इस प्रकार के सिलेन्डरों का सीमित मात्रा में आयात करने की अनुमति दी गई है । भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड ने अपनी क्षमता का अच्छा उपयोग करने के लिए आयातित सिलेन्डर ब्लैंक्स पर सीमा शुल्क न लेने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । यह सरकार के विचाराधीन है ।

एल० पी० जी० सिलिंडर

1982-83 के लिए 20 लाख सिलेन्डरों की मांग है । इस मांग को पूरा करने के लिए अनेक नये एककों जिनकी संख्या 140 को इन सिलेन्डरों का निर्माण करने के लिए पंजीकृत किया गया है । इन नये एककों में से महत्वपूर्ण एकक निम्नलिखित है.:—

	नाम	वार्षिक पंजीकृत क्षमता
1.	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर्स लि०	1 लाख
2.	भारत वेगन एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड	1 लाख
3.	बालमेर लावरी एण्ड कम्पनी लि० लिमिटेड	

इन सिलेन्डर के उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए तेल कम्पनियों निर्माताओं के लिए इस्पात की व्यवस्था करती हैं । और विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध करती है कि इन एककों की बिजली की कटौती से छुट दी जाए ।

स्वदेशी क्षमता देत की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है ।

विवरण

गैस सिलेन्डरों का निर्माण करने वाले एकक

क्रमांक	एकक का नाम	प्रतिवर्ष पंजीकृत/ लाइसेंस प्राप्त क्षमता	प्रतिवर्ष उत्पादन
	औद्योगिक गैस-सिलेन्डर		
1.	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर्स लि०, इलाहाबाद	1,10,000	40,000
2.	एवरेस्ट केन्टो सिलेन्डर प्रा लि० औरंगाबाद	90,000	26-000
		2,00,000	66,000
	एल० पी० जी० सिलेन्डर		
1.	कोसन मेटल प्रोडक्ट्स, बम्बई	2,80,000	3,00,000
2.	—वही— नागपूर		
3.	गैनन डंकरली एण्ड कं० लि०, बम्बई	1,00,000	2,80,000
4.	हैदराबाद आल्विन मेटल वर्क्स लि०, हैदराबाद।	3,00,000	3,20,000
5.	इण्डियन गैस सिलेन्डर्स, फरीदाबाद	5,00,000	2,80,000
6.	मिडको कन्टेनर्स लि०, अहमदाबाद	1,80,000	—
7.	हिन्दुस्तान जनरल इन्डस्ट्रीस, दिल्ली	2,00,000	8,000
8.	अपीजो स्ट्रक्चरल्स लि०, बर्द्धवान	92'500	—
9.	यूनिवर्सल सिलेन्डर लि०, अलवर	3,00,000	70,000
10	स्टैंडर्ड सिलेन्डर्स प्रा० लि०, गुडगांव।	1,50,000	70,000
		20,72,500	12,88,000

गुजरात में उद्योगों की स्थापना के लिए, आशय-पत्र

~~8889~~ श्री मोहन पटेल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

8896

(क) गुजरात राज्य में चालू वर्ष के दौरान उद्योगों की स्थापना के लिए गैर-सरकारी उद्यमिओं, को कितने आशय-पत्र जारी किये गये हैं ;

(ख) उन जारी किये गये आशय-पत्रों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनके निष्पादन की नवीनतम स्थिति क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जनवरी से मार्च, 1982 के दौरान गुजरात राज्य में गैर-सरकारी उद्यमों की स्थापना करने के लिए 24 आशयपत्र स्वीकृत किए गए थे।

(ख) भारतीय निवेश केन्द्र ने अपने "मन्थली न्यूज लेटर" में सभी आशय पत्रों का विवरण प्रकाशित किया है। इस प्रकाशन की प्रक्रिया संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) आशय-पत्र एक वर्ष की प्रारम्भिक वैधता अवधि के लिए स्वीकृत किया जाता है और उचित कारण होने पर उसे दो बार छः छः महीने की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति दी जाती है। जनवरी से मार्च, 1982 के दौरान स्वीकृत किए गए आशय-पत्र कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए होस्टल

8897. **श्री चिन्तामणि जैन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 90 प्रतिशत छात्रों द्वारा स्कूल छोड़ देना रोकने के लिए उप-योजना क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के एक होस्टल के आधार पर छठी योजना अवधि में इन छात्रों के लि० 1209 होस्टलों की व्यवस्था कर रही है ;

(ख) क्या चालू योजना में राज्य के लिए राज्य योजना निधियां या विशेष केन्द्रीय सहायता यह व्यय पूरा करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता मांगी है ; यदि हां, तो उस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) राज्य सरकार को इस मामले में निर्णय के बारे में कब तक सूचित कर दिया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार लास्कर) : (क) राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ देने की प्रतिशतता कम करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आवासीय स्कूल खोलने का प्रस्ताव किया था। उन्होंने योजना के लिए अनावर्ती खर्च के रूप में 24.00 करोड़ रूपये की धनराशि और आवर्ती खर्च के रूप में 7.00 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया था। छठी योजना अवधि के दौरान राज्य जनजातीय उप-योजना दस्तावेज 1982-83 में 1209 छात्रावासों की योजना शामिल थी।

(ख), (ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा 31.00 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता की मांग की गयी थी। उनको यह सूचित किया गया था कि गृह मन्त्रालय के पास उपलब्ध कुल विशेष केन्द्रीय सहायता पर विचार करते हुए छठी योजना अवधि के लिए आबंटित 56.51 करोड़ रुपए से अधिक विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं होगी। राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि राज्य योजना और विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि और प्राथमिकताओं का पुन: निर्धारण करके शिक्षा के लिए अधिक धनराशि निर्धारित की जा सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिक में अनुसंधान

8898. **चिन्तामणि जेना** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों के विशेष सन्दर्भ में उपयुक्त प्रौद्योगिकी में अनुसंधा विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है ;

(ख) यदि, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए नियत राशि के साथ-साथ इसका ब्योरा क्या है और 1982-83 के लिये कितनी राशि नियत करने का विचार है तथा इस कार्यक्रम के लिये किन संस्थाओं को समर्थन दिया गया है ; और

(ग) इस कार्यक्रम के अब तक के प्रभाव का ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिक तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क), (ख) और (ग) जी हां। स्थानीय रुप से उपलब्ध प्रचुर संसाधनों के बेहतर उपयोग को प्राप्त करने, दुर्लभ सामग्री के स्थान पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कच्चे माल की प्रतिस्थापना, सरल प्रक्रियाओं और तकनीकों आदि के लिए सरकार ने उपयुक्त प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास और प्रशिक्षण की आवश्यक को स्वीकार कर लिया है।

इस समय ग्रामीण और लघु उद्योगों के क्षेत्र में विभिन्न अखिल भारतीय बोर्डों और संगठनों द्वारा अनुसंधान तथा विकास (आर एंड डी०) प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण और लघु उद्योग के लिए छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में जिस परिव्यय की व्यवस्था की गई है इसके अन्तर्गत उपयुक्त प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा विकास भी आ जाते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र का एक समय, एन० आर० डी० सी० भी उपयुक्त प्रौद्यागिकियों के प्रोत्साहन और विकास में लगा हुआ है। 1980 में इस कार्पोरेशन द्वारा एक योजना शुरू की गई थी। मार्च, 1982 तक इस पर 5.5 लाख रुपये खर्च किये गए हैं। 1982-83 के दौरान 15 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है जिन संस्थानों/अभिकरणों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की है उनमें स्कूल आफ एप्लायड रिसर्च, सांगली नेशनल डेबरी डिवेल्पमेंट बोर्ड, आनन्द तथा इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन, पूर्ण शामिल हैं।

ग्रामीण जनसंख्या पर उपयुक्त प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास के प्रभाव का मूल्यांकन करना अभी समय-पूर्व होगा, परन्तु इसके प्रति कई संस्थानों मे रूचि हो गई है।

चेसिसों की बुकिंग के लिए एजेंसियां

8900. **श्री निहाल सिंह :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रकों तथा बसों के चैसिसों के लिए जिन फर्मों/ एजेन्सियों के माध्यम से बुकिंग की जाती है उनके नाम और पते क्या हैं ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक एजेन्सी के यहां कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं और वे कब से पंजीकृत हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माताओं ने बताया है कि चेसिसों के लिए बुकिंग उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए नियुक्त किए गए अधिकृत डीलरों द्वारा की जाती है। इन डीलरों को नियुक्त सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा अपनी वाणिज्यिक पद्धति के अनुसार की जाती है और इन डीलरों के नामों और पतों के सम्बन्ध में सरकार जानकारी नहीं रखती है।

(ख) मुख्यत: टेल्को और अशोक लेलैंड, जो अधिक पसन्द किये जाने वाले मेक हैं, के सम्बन्ध में मांग की पूर्ति नहीं है। इन गाड़ियों के लिए 31-1-1982 को बकाया पड़े सक्रिया देशों का ब्यौरा जैसा निर्माताओं ने बताया है नीचे दिया जाता है :—

	टेल्को	अशोक लेलैंड
बस चेसिस	10,469	4,627
ट्रक चेसिस	1,40,848	33,330
योग	1,51,317	27,957

निर्माताओं ने बताया है कि बुकिंग की अवधि प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होती है और अधिकतम विचाराधीनता लगभग 3 वर्ष की है। किन्तु चेसिसों की उपलब्धता में हाल ही में काफी सुधार हुआ है और निर्माताओं ने बताया है कि शीघ्र ही बकाया क्रयादेशों को पूरा करना और बुकिंग की एक वर्ष की अवधि के अन्दर गाड़ियों को डिलीवर करना सम्भव हो सकेगा।

सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए उपकरण

8901. **श्री निहाल सिंह :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के कौन-कौन से उपकरण विकसित किए हैं तथा प्रत्येक उपकरण का मूल्य क्या है और उनका किन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है ; और

(ख) क्या परम्परागत ऊर्जा सस्ती पड़ती है या सौर ऊर्जा ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : सौर ऊर्जा को उपयोग में लाने की दिशा में अनुसंधान और विकास के परिणाम स्वरुप विभिन्न प्रौद्योगिकियों का देश में ही विकास किया गया है ; खाना पकान, पानी गर्म करने, फसल शुष्कन, काष्ठ संशोषण, शीत संग्रहागार, आसवन और जल पम्पन जैसे अनुप्रयोगों के लिए युक्तियों और प्रणालियों का विकास किया गया है । ये व्यापारिक दोहन के लिए तैयार हैं और कई फर्मों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ।

इन युक्तियों और प्रणालियों आरम्भिक लागतें आज परम्परागत ऊर्जा पर आधारित युक्तियोंऔर प्रणालियों की अपेक्षा अधिक हैं । बहरहाल, इनको चलाने की लागतें नगण्य हैं। साथ ही, सौर ऊर्जा प्रणालियां और युक्तियां विशेष रुप से विकेन्द्रकृत अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में, जो कि परम्परागत ऊर्जा आपूर्ति से दूर स्थित हैं, कई अब लागत प्रभावी हैं । यह आशा की जाती है कि प्रौद्योगिकियों और कुशलताओं में और प्रदर्शन और क्षेत्रीय परीक्षणों में सुधारों से इनकी लागतें और कम हो जाएगी और इससे बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों के व्यापारिक उत्पादन और व्यापक उपयोग के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा ।

रेफ्रीजरेटरों के निर्माता

8902. **श्री मिहाल सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेफ्रीजरेटरों का निर्माण करने वाली फर्मों के नाम तथा पते क्या हैं और इन प्रत्येक फर्मों का वार्षिक उत्पादन क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने रेफ्रीजरेटरों के निर्यात के बारे में किसी विदेशी फर्म के साथ बातचीत की है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) रेफ्रिजरेटर बनाने वाली फर्मों के नाम और पते तथा 1981 में उनका उत्पादन निम्न प्रकार है :

क्र० सं०	फर्म का नाम तथा पता	1981 में उत्पादन (संख्या)
1.	मैं० गोडरेग एंड वोपस मैन्यु, कं (प्रा०) लि०, लक्ष्मी इन्स, बिल्डिंग आसफ अली रोड, नई दिल्ली-2	117938
2.	मैं० वोल्टस लि०, सैकण्ड पोखरान रोड, पो० बा० 72, थाना (महाराष्ट्र)	13

3.	मैं० हैदराबाद एलविन सनतनगर, हैदराबाद	44101
4.	मैं० फीडर्स लायड कारपोरेशन, (प्रा०) लि०, पूंज हाउस, एम-13, कनाट प्लेस, नई दिल्ली	22474
5.	मैं० केलवीनेटर आफ इन्डिया लि०, 28, एम० आई० टी०, फरीदाबाद-(हरियाणा)	1,1604
6.	मैं० सुर ईन्डस्ट्रीज (प्रा०) लि० 163, आचार्य जगदीश बोस रोड कलकत्ता-13	3

(ख) जी, नहीं।

(इसीला)

खनिज सम्पदा का एअरोमेगनेटिक सर्वेक्षण

8902. **श्री के० मालन्ना :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश की खनिज सम्पदा का एअरोमेगनेटिक सर्वेक्षण करने के आधुनिक विमान मंगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आवश्यकता का ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) और (ख) देश का हवाई चुम्बकीय सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक आधुनिकतम यान की आवश्यकता की जांच हेतु सरकार ने एक समिति बनाई है जिसमें अन्य के साथ-साथ, सिविल विमानन महानिदेशालय, हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लि०, राष्ट्रीय भौगोलिक शोध संस्थान तथा भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रतिनिधि हैं। यह समिति विभिन्न किस्म के विमानों के निष्पादन आदि का मूल्यांकन भी करेगी तथा यदि आवश्यक हुआ तो, इस बारे में सरकार को उपयुक्त सिफारिशें भी करेगी।

राउरकेला तथा विलाखापत्तनम इस्पात संयंत्रों के लिए तकनीकी जानकारी लेने हेतु विदेशों के साथ सहयोग

8904. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राउरकेला तथा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्रों के लिए तकनीकी जानकारी तथा अन्य मशीन प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य देशों से सहयोग लेने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे सहयोग से "भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड" तथा "इंस्ट्रमेंट सिस्टम ग्रुप" के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वे इन इस्पात संयंत्रों को तकनीकी जानकारी की मुख्य सप्लाईकर्त्ता हैं ;

(ग) यदि हां, तो "भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०" तथा "इन्स्ट्रमेंट सिस्टम ग्रुप" में उपलब्ध तकनीकी जानकारी के समुचित उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक कदम उठाये जाने का विचार है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

कर्नाटक में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

8905. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्य को और औद्योगिक लाइसेंस देने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश की हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कर्नाटक राज्य में सीमेंट संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 25,39 लाख टन बताई गई है, केन्द्र को भेज दी है ;

(ग) यदि हां, तो राज्य में सीमेंट संयत्रों की स्थापना के लिए बाद में लाइसेंस हेतु किन-किन फर्मों ने आवेदन किया है ;

(घ) क्या इन फर्मों को लाइसेंस जारी किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई है ; और

(ड.) यदि हां, तो केन्द्र सरकार कहां तक सहमत हो गई है और सीमेंट संयंत्रों की स्थापना हेतु कितने लाइसेंस जारी कद दिए हैं ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ड.) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया के अनुसार निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में रुचि रखने वाली पार्टियां केन्द्रीय सरकार को आवेदन प्रस्तुत करती है और इन पर गुणा व गुणों के आधार पर विचार किया जाता है इस

प्रकार के आवेदन पत्रों पर निर्णय लेते समय राज्य सरकार की सिफारिशों पर विचार किया जाता है।

25.39 लाख मी० टन की सीमेंट क्षमता करने के लिए कोई विशेष योजना कर्नाटक सरकार से प्राप्त नहीं हुई है फिर भी, कर्नाटक में सीमेंट संयत्रों की स्थापना करने के लिए 1.1 1980 तक प्राप्त 20 आवेदन पत्रों में से 11 आवेदन पत्र स्वीकृत और 7 आवेदन नामजूर कर दिए गए थे और 2 आवेदन पत्र विचारार्थ लंबित हैं।

नागाओं द्वारा मारे गए सैनिक कार्मिकों के स्थान से मणिपुर राइफल्स की चौकी को हटाया जाना

8906· **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस स्थान पर जहां 19 फरवरी, 1982 को 20 सैनिक कार्मिक नागाओं द्वारा मारे गए थे, चौथी बार निशाना बने हैं, तथा क्या मणिपुर राइफल्स ने वहां से अपनी चौकी हटा ली गई है और इस काफिला वायरलैस सैट से रहित है ;

(ख) क्या आसूचना एजेन्सियों के कार्यकरण की गहराई से समीक्षा की गई है तथा आरक्षण प्राप्त करने के तरीकों में सुधार करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क), (ख) और (ग) हालांकि विगत में इस सड़क पर घात लगाई गई थी लेकिन यह कहना सही नहीं है कि 19.2.82 को जिस स्थान पर घात लगाई गई थी उस स्थान पर यह चौथी घात थी। मणिपुर राइफल चौकी को दिसम्बर, 1979 में हटा दिया गया था। जिस कानवाई पर घात लगाई गई थी उसके पास रेडियो सेट नहीं था लेकिन वह अपनी सुरक्षा के लिए 3 वाहनों से लैस था। सुरक्षा प्रबन्धों को कड़ा कर दिया गया है। आसूचना अधिकरणों में प्रभावकारी समन्वय के लिए उपाय किए गए हैं।

जनता द्वारा हिंसा के कारण जली मोटरगाड़ियां

8907. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 से 1982 की अवधि के दौरान जनता द्वारा हिंसा के कारण प्रति वर्ष राज्यवार कितनी मोटरगाड़ियों जलीं/नष्ट हुई और इससे कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) कुल कितने व्यक्ति तथा कर्मचारी मारे गए/घायल हुए ; और

(ग) ऐसी हानियों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) 1979 से 1982 के दौरान प्रत्येक वर्ष में हिंसक भीड़ द्वारा जलाई गई/नष्ट की गई मोटरगाड़ियों की संख्या, धन-

राशि को कुल हानि और मारे गए/जख्मी हुए व्यक्तियों और कर्मचारियों की कुल संख्या के विषय में अखिल भारतीय स्तर पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है और जब आवश्यक होता है। निवारात्मक उपाय किए जाते हैं।

मध्य प्रदेश के सम्राट अशोक प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक 1981 को स्वीकृत

8908. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश विधान सभा ने विदिशा में सम्राट अशोक प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रबन्ध के अधिग्रहण के लिए लगभग 6 महीने पहले एक विधेयक पास किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश का सम्राट अशोक प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 1981 राष्ट्रपति की स्वीकृत के लिये मंत्रालय में अभी तक विचाराधीन है,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(ड.) इसे कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) (क) : (ख) (ग), (घ) और (ड.) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सम्राट अशोक टेक्नोलोजिकल इन्स्टीटयूट (डिग्री) विदिशा (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1981 फरवरी, 1982 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। विधेयक का उद्देश्य शैक्षिक वातावरण में सुधार करने और शिक्षा का बेहतर स्तर बनाये रखने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए संस्था का प्रबन्ध ग्रहण करना है। राष्ट्रपति द्वारा 16 अप्रैल 198 को विधेयक को स्वीकृति दी गई।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की दर की पुनरीक्षा

8909. **श्री नवीन रबाणी** : क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भुगतान किये जा रहे समयोपरि भत्ते की दर तथा "रुलेब" क्या है और यह "रुलेब" कब लागू की गई थी,

(ख) क्या मंहगाई भत्ते में वृद्धि के कारण, सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते की दर तथा "स्लेब" को पुनरीक्षित करने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : (क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय कर्मचारियों तथा तुलनीय कर्मचारियों को 1-2-1974 से लागू अनुज्ञेय समयोपरि भत्ते की दरें निम्नलिखित हैं :—

परिलब्धियां	निर्धारित काम के घण्टों के उपरान्त प्रथम घण्टे के बाद किए गए काम के लिए प्रति घण्टा समयोपरि भत्ता
रुपए 275 से नीचे	रु० 0.95
275 तथा उससे ऊपर परन्तु रुपए 325 से नीचे	रु० 1,25
325 तथा उससे ऊपर परन्तु रुपए 375 से नीचे	रु० 1,55
375 तथा उससे ऊपर परन्तु रुपए 425 से नीचे	रु० 1,80
425 तथा उससे ऊपर परन्तु रुपए 475 से नीचे	रु० 2,05
475 तथा उससे ऊपर परन्तु रुपए 525 से नीचे	रु० 2,35
525 तथा उससे ऊपर परन्तु रुपए 575 से नीचे	रु० 2,60
575 तथा उससे ऊपर परन्तु रुपए 625 से नीचे	रु० 2,90
625 तथा उससे ऊपर परन्तु रुपए 675 से नीचे	रु० 3,20
675 तथा उससे ऊपर	रु० 3,45

उन कर्मचारियों का कोई समयोपरि भत्ता अनुज्ञेय नहीं है, जिनका मूल वेतन 750 रुपए प्रति माह से अधिक है।

(ख) जी नहीं। समयोपरि भत्ते की गणना के उद्देश्य से परिलब्धियों में महंगाई भत्ता भी शामिल है, इसलिए महंगाई भत्तों में वृद्धियां स्वत: ही गिन ली जाती हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की मांगों को समिति को सौंपा जाना

8910. **डा० ए० यू आजमी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की उन मुख्य तथा छोटी मांगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वित्त वर्ष समाप्त होने से पूर्व जांच हेतु एक समिति को सौंपा गया है ; और

(ख) संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र की बैठक जो इस महीने होनी थी, के निष्कर्ष क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) राष्ट्रीय परिषद (जे० सी० एम०) की संयुक्त लघु समिति, जिसका कार्य सभी लम्बित मांगों का मुख्य मांगों और अन्य मांगों के रूप में वर्गीकरण करना है, अभी तक गठित नहीं की गई क्योंकि उसमें कर्मचारी पक्ष की ओर से प्रतिनिधि नामजद किए जाने की प्रतिक्षा है।

(ख) इस महीने के लिए राष्ट्रीय परिषद (जे० सी० एम०) की कोई भी बैठक निर्धारित नहीं थी।

भाड़ा समानीकरण नीति

8911. **श्री चित्त बसु** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी भारत में कोयले और इस्पात जैसा कच्चा माल देश भर को भाड़ा समानीकरण के जरिये एक समान दर पर उपलब्ध कराया जाता है, पूर्वी भारत को रूई मानव-निर्मित रेशे, तेल, तथा स्नेहक तथा खाद्य मद जैसी सभी कच्चे माल पर यह लाभ नहीं दिया जाता ; और

(ख) यदि हो, तो क्या सरकार का विचार भाड़ा समानीकरण नीति पर ध्यान देने का है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) इस समय लोहा और इस्पात, सीमेंट उर्वरकों और पेट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में विभिन्न रूपों में भाड़ा समकरण प्रचलित है। इन वस्तुओं का उत्पादन केवल पूर्वी भारत में नही, बल्कि देश के विभिन्न भागों में किया जाता है। भाड़ा समकरण स्कीम के अन्तर्गत कोयला नहीं आता है इसके अलावा गेहूं, चावल, चीनी, आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये देश भर में उचित कीमतों पर उपलब्ध कराया जाता है।

ये प्रबन्ध अखिल भारतीय आधार पर लागू होते हैं और इनके अन्तर्गत देश के सभी भाग आते हैं।

(ख) भाड़ा समकरण नीति की हाल ही में समीक्षा की गई और सरकार ने राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा भाड़ा समकरण स्कीम को क्रमिक रूप में समाप्त करने के लिए की गई सिफारिश को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है।

मन्त्रियों के कर्मचारियों तथा मंत्रालय के कर्मचारियों की समयोपरि भत्ते में असमानता

8912. **श्री निहाल सिंह** :

श्री राम सिंह शाक्य क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय मन्त्रियों के कर्मचारी अपनी कुल परिलब्धियों की 50 प्रतिशत तक समयोपरि भत्ता पाने के हकदार हैं जबकि मन्त्रालयों के कर्मचारी अपनी परिलब्धियों की केवल एक तिहाई राशि पाने के हकदार हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या विभिन्न मन्त्रालयों के कर्मचारियों को जिन्हें संसदीय कार्य सौंपा जाता है और उन्हें दिन-रात काम करना पड़ता है उन्हें अपनी परिलब्धियों का केवल एक तिहाई समयोपरि भत्ते का भुगतान किया जाता है जबकि वे मन्त्रियों के कर्मचारियों से अधिक काम करते हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार मामले की जांच करने तथा सभी कर्मचारियों को समान आधार पर समयोपरि भत्ता देने पर विचार करने का है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां । समयोपरि भत्ते का भुगतान केवल विशेष परिस्थितियों में ऐसे मामलों में ही किया जाता है, जहां कार्य ऐसे तत्काल स्वरुप का होता हैं, जिस आल कार्य-दिवस तथा टाला नहीं जा सकता है । विद्यमान अनुदेशों के अनुसार कार्य को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जिससे कि किसी सरकारी कर्मचारीको भुगतान की जान वाली समयोपरि भत्ते की राशि उसकी मासिक परिलब्धियों के 1/3 सेअधिक नं हो । यह अधिकतम सीमा मत्रियों के वयक्तिक पर भी लागू होती है किन्तु विशेष मामलों मे, ऐसे कर्मचारियों को इस अधिकतम सीमा से अधिक किंतु उनकी मासिक परिलब्धिग्रों के 50 प्रतिशत तक भुगतान किया जा सकताहै । कार्यालय कर्मचारियों का निर्धारित कार्य समय होता है और कार्य को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना होता है कि साधारणतया इसे सामान्य कार्य-समय में पूरा किया जा सके, किंतु मन्त्रियों वैयक्तिक कर्मचारियों को कार्य की अत्यावश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के अनुसार बहुत बेवक्त कार्य करना पड़ता है, इसलिए उनके मामले में हमेशा निर्धारित कार्य समय आ अनुपालन किया जाना सम्भव नहीं है।

(ख) संसद अनुभागों के कर्मचारियों तथा संसदीय कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता (जब कभी उन्हें निर्धारित कार्यालय-समय के बाद कार्य करना पड़ता है) पाने का हक है और उनके मामले में भी किसी मास के दौरान परिलब्धियों के 1/3 की अधिकतम सीमा लागू होती है ।

(ग) जी, नहीं ।

सरकारी क्षेत्र के उद्यागों के निदेशक मंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों को प्रतिनिधित्व

8913. **श्री भीखा भाई** : क्या उद्दोग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके प्रशासनिक नियन्त्रण में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या क्या है और उनके निदेशक मन्डल के सदस्य कौन- कौन हैं तथा उनकी सेवा अवधि क्या है ;

(ख) इन बोर्डों का गठन कब किया गया था और उनकी वर्तमान सेवा अवधि कब समाप्त हो रही है ;

(ग) इस निदेशक मन्डलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों पर निगरानी रखने हेतु जैसा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के सम्बन्ध में किया गया है नियुक्त किये गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों का ब्योरा क्या है ;

(घ) सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मन्डल में सरकार की आरक्षण नीति को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि निदेशक मन्डलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को नियुक्ति की सिफारिश विचाराधीन है ; और

(च) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) जी हां।

(क) और (ख) उद्योग मन्त्रालय के नियन्त्रण में सरकारी क्षेत्र के 353 उपक्रम हैं।

निदेशकों का कार्यकाल सम्बन्धित उपक्रम की अन्तनियमावली में अन्तर्विष्ट प्रावधान पर निर्भर करता है।

सम्बन्धित उपक्रम की अन्तर्नियमावली में अन्तर्विष्ठ उपबंधों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का गठन/ पुनर्गठन किया जाता है।

इन उपक्रमों की अन्तर्नियमावली में निर्धारित न्यूनतम संख्या में निदेशकों के होने की स्थिति में हैं तो उपक्रमों के बोर्डों का विधिवत गठन हुआ मान लिया जाता है। निदेशकों की न्यूनतम संख्या 2 से 5 तक अलग-अलग है।

(ग) से (च) सरकार की नीति जाति-पांति समुदाय अथवा धर्म पर विचार किए बिना सरकारी क्षेत्र की जानकारी रखने वाले उद्योग वाणिज्य, प्रशासन, ट्रेड यूनियनों आदि के प्रमाणित योग्यता वाले व्यक्तियों को ही सरकारी उद्यमों के बार्डों का सदस्य नियुक्त करने की है। अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए पूर्णकालिक अथवा अन्शकालिक निदेशकों के पदों वास्ते कोई आरक्षण नहीं है। उद्योग मन्त्रालय के नियन्त्राधीन सरकारी क्षेत्र के 35 उपक्रमों में से 4 उपक्रमों में 8 पदों पर अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी हैं। विवरण अनुबन्ध-I में दिया जाता है।

विवरण

क्र० सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	पद	पदाधिकारी
1.	नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि०	अध्यक्ष	श्री टी० तुली ए० सी जिला मोकाकचुंग नागलैंड।
2.	वही	निदेशक	श्री आई० जांव सचिव (उद्योग) नागालैंड सरकार, कोहिमा।

3.	—वही—	—वही—	श्री आई० लांगकुमेर अतिरिक्त मुख्य सचिव नागालैंड सरकार कोहिमा
4.	भारत आक्थाल्मिक ग्लास लि० दुर्गापुर	निदेशक	श्री पी० एस० इन्गटी प्रबध निदेशक पश्चिम बंगाल एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि० ।
5.	टैनरी एन्ड फुटवीयर कारपोरेशन लिमिटेड	निदेशक	श्री मोहिन्दर सिंह निदेशक औद्योगिक विकास विभाग ।
6.	—वही—	प्रबन्ध निदेशक	श्री एस० एच० जाधव, प्रबन्ध निदेशक भारत लैदर कारपोरेशन
7.	भारत लेदर कारपोरेशन	प्रबन्ध निदेशक	श्री एस० एच० जाधव प्रबन्ध निदेशक भारत लैदर कारपोरेशन ।
8.	—वही—	निदेशक	श्री मोहिन्दर सिंह निदेशक औद्योगिक विकास विभाग ।

*अस्थायी आधार पर अतिरिक्त कायभार सम्भालते हुए हैं ।

रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों द्वारा की जाने वाली अनियमितताये

8614. **श्री राम सिंह शाक्य** : : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1 जनवरी, 1981 से 20 मार्च, 1982 तक रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में मुख्य कल्याण अधिकारी को संसद सदस्यों ने अनेक पत्र लिखे थे और किन-किन एसोसिएशनों और किन-किन पदाधिकारियों के विरुद्ध पत्र लिखे गये थे और उन पर क्या कायवाही की गई है ;

(ख) क्या संसद सदस्यों के पत्रों को गोपनीय नही रखा जाता और क्या कल्याण अधिकारी के कर्मचारी एसोसिएशनों के प्रदाधियों को उन अनियमितताओं के बारे में पहले ही जानकारी दे देते हैं जिनके लिये उनके विरुद्ध भी जांच की मांग की जाती है और इस प्रकार की अनियमितताओं को ठीक करवा लेते हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन एसोसिएशनों के रजिस्टरों को मंगाने का प्रबन्ध करने

का है जिनके विरुद्ध कार्यालय में शिकायतें की जाती हैं और शिकायतकर्ताओं के समक्ष जांच करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) एक इस एसोशिएशन का नाम मिन्टो रोड "ए" ब्लाक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी आवासीय कल्याण संघ है। जिन पदाधिकारियों के विरुद्ध पत्र लिखे गए थे, वे हैं - श्री दूधनाथ सिंह, अध्यक्ष तथा श्री जगदीश चन्द्र महासचिव ससद सदस्य को सूचित किया गया था कि यह विभाग मिन्टो रोड में दो समूहों के बीच हुए विवाद को सुलझाने का इच्छुक है और इस दिशा में सभी प्रयास किए जा रहे हैं बशर्ते कि दोनों समूह अपना सहयोग दें। संसद सदस्य को यह भी सूचित किया गया था कि इसी बीच उक्त एसोसिएशन को समाप्त हुआ घोषित किया गया था ।

(ख) ऐसे पत्रों को, जिन्हें गोपनीय नहीं लिखा होता है, अनुभाग में प्राप्त अन्य पत्रों के समान खुले तौर से निपटाया जाता है। कल्याण अनुभाग में स्टाफ का ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं आया है, जहां अप्राधिकृत व्यक्तियों को कोई गोपनीय सूचना भेजी गई हो। इसलिए यह आरोप सही नहीं प्रतीत होता ।

(ग) किसी शिकायत के प्राप्त होने पर सम्बन्धित क्षेत्रीय कल्याण एसोसिएशनों के के कार्यकरण के सम्बन्ध में इस मामले पर गहराई से जांच करने के लिए कहा जाता है। इस प्रक्रिया में वह, यदि आवश्यक हो तो उन एसोसिएशनों के रजिस्टरों तथा अन्य रिकार्डों आदि की जांच करता हैं, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है और तब वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कतिपय मामलों में, कार्मिक विभाग भी सम्बन्धित एसोसिएशन के राजस्टर आदि प्राप्त करता है। इसके बाद, क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट तथा अन्य संगत सामग्री को ध्यान रखते हुए, अन्तिम निर्णय लिया जाता है।

खादी और ग्रामोद्योग में रोजगार

8915. **श्री चतुभुज** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में खादी और ग्रामोद्योग के लिए कुल कितना प्रावधान रखा गया है और रोजगार के कुल कितनी अवसर पैदा किये जाने हैं तथा उनके अन्तर्गत कुल कितने विकास खड शामिल किये जाने हैं ; और

(ख) उपरोक्त निर्धारित रोजगार किस एजेंसियों के माध्यम से दिये जाएंगे अथवा क्या इस प्रयोजन के लिए कद सहायता दी जायेगी ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) छठी योजनावधि के दौरान, खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में रोजगार को जो वर्ष 1979 80 में 27.33 लाख व्यक्ति थे उससे बढ़ाकर 50.50 लाख व्यक्ति कर देने का प्रस्ताव है। इन 23-18 लाख व्यक्तियों में से, प्रति खण्ड 50 व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से 10 लाख व्यक्ति आई० आर० डी० (ग्रामीण विकास कार्यक्रप) के अन्तगत आ जायेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में लगभग 600 करोड़ रूपये के संस्थागत वित्त सहित 1206 करोड़ रूपये की निधियां लगी होंगी।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, 26 राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों, लगभग 1000 पंजीकृत संस्थानों तथा 29,000 से अधिक सहकारी समितियों के माध्यम से अपने कार्यक्रमों का कार्यान्वित करता है। इन अभिकरणों की कार्यक्रम के लिए नकद सहायता प्रदान की जायेगी, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों। अभिकरणों को कार्यक्रम के लिऐ बैंक से ऋण लेने के लिए भी बढ़ावा दिया जायेगा। इस प्रकार के ऋणों पर बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज पर आयोग राजसहायता प्रदान करेगा।

कलकत्ता में नेशनल इन्स्ट्रीट्यूट आफ ओसनोग्राफी की शाखा खोला जाना

8916. **श्री चित्त बसु** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता में नेशनल इन्स्ट्रीट्यूट आफ ओसनोग्राफी की एक शाखा खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल के उपयुक्त तटवर्ती क्षेत्र में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एन० आई० ओ०) की एक यूनिट खोलने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अन्दमान सेल्यूर जेल में बन्द किये गये स्वतन्त्रता सेनानियों के सूचीबद्ध विवरण

8917. **श्री माधव रा. सिंधिया** : क्या गृह मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के स्पष्टचित्र सहित कोई सूचीबद्ध विवरण नहीं है जिन्होंने अन्दकान सेल्यूलर जेल में काफी लम्बे समय तक कैद थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने भावी पीढ़ी के लिए स्वतन्त्रता संग्राम छवि उपलब्ध कराने के लिये इस प्रकार का कोई प्रकाशन शुरु किया है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूर जेल में रखे गए कागजातों में रखे गए कागजातों में केवल उन स्वतन्त्रता सैनानियों के नामों की सूची है जिन्हें वहां वहां कैद किया गया था।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय से इस पर विचार करने का अनुरोध किया गया है कि कि क्या इन स्वतन्त्रता सेनानियों के व्यक्तिगत विवरण और अन्य विवरण अन्य स्रोतों से एकत्र किए जा सकते हैं ताकि एक निदर्शी सूची मुद्रित की जा सके।

नई दिल्ली स्थित जोरबाग डाकघर में डकैती

8918. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 9 मार्च, 1982 को सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा जोर बाग, नई दिल्ली के डाकघर में सेंध लगाने की घटना, जिनमें अनुमानत: 8 से 9 लाख रु० की क्षति हुई, के सम्बन्ध में हुई जांच के क्या परिणाम रहे ;

(ख) क्या अपराधियों को इस बीच गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) तक मामले की जांच का कार्य दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंपा गया है। बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ की गयी है और भारत में सभी पुलिस अधीक्षकों और दिल्ली में सभी थानेदारों को बेतार संदेश भेजा गया हैं तथापि अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है और कोई गिरफ्तार नहीं की गयी। जाँच पड़ताल जारी है।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

8919. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े व्यापार गृहों को ऐसे जिलों में, जो संसाधनों में समृद्ध है परन्तु जहां उद्योग नहीं हैं, उद्योगों की स्थापना हेतु केन्द्र तथा संबंधित राज्य दोनों द्वारा अतिरिक्त सुविधायें दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं ; और

(ख) इस वित्तीय वर्ष तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं ; और

(ग) इस वित्तीय वर्ष के दौरान उन जिलों में कितने उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव है।

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) बड़े औद्योगिक घराने अर्थात एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक उपक्रम "नो इन्डस्ट्री डिसिट्रेक्ट्स" और दूसरे जिलों में भी दिनांक 2 फरवरी, 1973 के प्रेस टिप्पण क परिशिष्ट-1 में सम्मिलित किए गए उद्योगों की स्थापना करने के हकदार हैं। अन्य उद्योगों में उन्हें निर्यात दायित्वों के लिए निर्धारित स्तर तक निर्यात करने का वचन देना पड़ेगा। एम० आर० टी० पी० एकों सहित, इन जिलों में उद्योगों की स्थापना करने के लिये आवेदनों की सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) बांदा, पोढ़ी गढ़वाल, हमीरपुर, उत्तरकाशी, सुल्तानपुर, फतेहपुर, चमोली, जौनपुर टेहरी गढ़वाल और जालौन को "नो इण्डस्ट्रीज डिस्ट्रिक्ट्स" के रूप में माना गया है। इस संबंध में राज्य सरकार से और पत्र आने की आशा है।

(ग) चूंकि उद्योगों की स्थापना करने के लिए रुचि रखने वाले उद्यमियों से प्रस्ताव आते है और प्रस्ताव किसी भी समय प्रस्तुत किए जा सकते हैं, इसलिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान

इन जिलों में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उद्योगों की संख्या बता सकना संभव नहीं है । इन जिलों में यथासंभव अधिकाधिक उद्योग स्थापित करने के सभी प्रयास किए जाएंगे ।

पवन चक्की के लिए क्षमता

8920. **श्री नारायण चौबे :** क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के पास पवन चक्की की भारी क्षमताएं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षमता का उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग ने देश में पवन ऊर्जा विभव के विस्तृत मूल्यांकन के एक कार्यक्रम को हाथ में लिया है । प्रारम्भिक निष्कर्ष, देश के कतिपय क्षेत्रों में विशेषकर पेयजल और सिंचाई के रूप में ऐसे अनुप्रयोगों के लिए पर्याप्त विभव की ओर संकेत करते हैं । आयोग ने इस क्षेत्र में अनुसंधान विकास प्रदर्शन और क्षेत्रीय प्रयोगों के लिए एक मुख्य कार्यक्रम को हाथ में लिया है । देश के विभिन्न स्थानों में जल पम्पन पवन चक्कियां लगाई जा रही है । बिजली के उत्पादन सहित अन्य अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न किस्मों की पवन चक्कियों के विकास और उत्पादन को भी और तेज किया जा रहा है । छठी योजना के दौरान पवन ऊर्जा प्रौद्योगिक से संबधित विभिन्न कार्यों के लिए केन्द्र बिन्दुओं के रुप में कार्य करने के लिए तथा इस क्षेत्र में समयाबद्ध, आदर्शोन्मुखी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए दो पवन ऊर्जा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं । पवन ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों के उत्पादन और उपयोग को तेज करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय प्रोत्साहनों और अन्य उत्साबद्धंक उपायों की भी घोषणा की गई है ।

रंगीन टी० वी० पिक्चर ट्यूबों के आयात के लाइसेंस जारी किये जाना

8921. **श्री तारिक अनवर :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पार्टियों के नाम क्या है, जिन्हें रंगीन टी० वी० पिक्चर ट्यूबों का आयात करने के लिए लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक यूनिट को कितनी ट्यूबों के आयत का लाइसेंस दिया गया है ; और

(ग) क्या ऐसे लाइसेंस के साथ निर्यात सम्बन्धी कोई शर्त लगाई गई है ?

इलेक्ट्रोनिकी विभाग में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जिन पार्टियों को रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का आयात करने का लाइसेंस दिया गया है उनके नाम नीचे दिए अनुसार हैं ।

(1) मैसर्स बेलटेक इलेक्ट्रानिक्स

(2) मैसर्स कनल इलेक्ट्रानिक्स

(3) मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कन्सोर्टिया ; तथा

(4) मैसर्स वीडियो इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड

(ख) प्रत्येक पार्टी 100 पिक्चर ट्यूबों का आयात करेगी ।

(ग) जी, नहीं ।

प्रतिभा पलायन रोकने हेतु विधान

8922. **श्री तारिक अनवर** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 105 भारतीय वैज्ञानिक अमरीकी नागरिक बन गये हैं ।

(ख) क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है ;

(ग) इतनी बड़ी संख्या में प्रसिद्ध वैज्ञानिक द्वारा अपनी भलाई के लिये भारत छोड़ जाने का निर्णय करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार भविष्य में देश से बड़े पैमाने पर इस प्रकार से प्रतिभा का पलायन रोकने के लिये कोई विधान बनाने पर विचार कर रही है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी, तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) अमरीकी नागरिकता अर्जित करने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या के बारे में सूचना अमरीकी प्राधिकारियों द्वारा उनके मुख्य व्यवसायों के अनुसार संकलित की जाती है। 1976-77, 77-78, और 78-79 वर्षों के दौरान (पहली अक्तूबर से 30 सितम्बर) ऐसे भारतीय नागरिकों की संख्या जिन्हें अमरीकी नागरिकों के रूप में देशीयकृत किया गया था क्रमशः 5574, 6477 और 6001 थी ।

बहरहालइस बारे में अलग से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि इनमें से वैज्ञानिक कितने थे ।

(ग) विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ योग्यता प्राप्त जनशक्ति ने अच्छा काम करने की परिस्थितियों अपने विशेषयोग्यता के क्षेत्र में कार्य करने के अवसरों तथा अधिक अच्छी भौतिक परिस्थितियों की दृष्टि से विश्व के उन्नत देशों में प्रवास कर लिया है ।

(घ) जी नहीं ।

तमिलनाडु वाशरमैन सेंट्रल युनियन से अभ्यावेदन

8926. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु वाशरमैन सेन्ट्रल यूनियन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें धोबी समुदाय को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए कहा गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) तमिलनाड् वाशरमैन सेंट्रल यूनियन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें धोबी समुदाय को राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में, जहां उन्हें अनुसूचित जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए कहा गया है ।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूची में संशोधन के लिए संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा विधान बनाना अपेक्षित है विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में उपर्युक्त प्रस्तावों तथा बहुत-सी अन्य सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित व्यापक संशोधन करने के संदर्भ में सम्बन्धित राज्य सरकारों और भारत के महापंजीकार से परामर्श करके और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियो की सूची में किसी समुदाय को शामिल करन के लिए निर्धारित तत्सम्बन्धी मानदण्ड के अनुसार विधिवत विचार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनो की टिप्पणियाँ अभी प्रत्याशित हैं और उन्हें नियमित रुप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं ।

वायु प्रदूषण के बारे में काम कर रही अनुसंधान संस्थाएं

8927. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि

(क) देश में वायु प्रदूषण के बारे में कार्य कर रही अनुसंधान संस्थान की संख्या क्या है और आज तक उनकी उपलब्धि क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण बोर्डों में देश द्वारा सामना की जा रही वायु प्रदूषण की समस्या के सम्बन्ध में पर्याप्त विशेषज्ञ है ; और

(ग) यदि नहीं, तो बोर्डों को विशेषज्ञ, तकनीशियन तथा प्रोगशालाये उपलब्ध कराये के सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी०एन० सिंह) : (क) देश के वायु प्रदूषण के कार्य में लगे मुख्य अनुसंधान संस्थान ये हैं : (1) राष्ट्रीय पर्यावरण इन्जीनियरिंग अनुसंधान सस्थान, नागपुर, (2) राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद, (3) केन्द्रीय खनन अनुसंथान केन्द्र धनबाद, (4) भारतीय विष-वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र लखनऊ और (5) जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली । देश में कुछ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और इन्जीनियरिंग कालेजों में वायु प्रदूषण की समस्याओं पर छोटे दल

कार्य कर रहे हैं। तथापि, सम्पूर्ण अनुसंधान कार्य मुख्यत: वायु प्रदूषण की समस्या के मूल्यांकन तक परिसीमित किया गया।

(ख) जी, नहीं। केन्द्रीय और राज्य बोर्ड, वायु प्रदूषण के नियन्त्रण के लिये प्रयोगशालाओं की स्थापना में तथा जनशक्ति के विकास में सहायता कर रहे हैं। इससे पूर्व कि इन्हें वांछनीय स्तर पर लाया जाए, इसमें कुछ समय लगेगा। केन्द्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इन्जीनियरिंग संस्थान, नागपुर तथा ऐसे ही संस्थानों ने वायु प्रदूषण में तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिये पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के शिक्षावृत्ति कार्यक्रमों के अन्तर्गत, कुछ व्यक्तियों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिये भी प्रतिनियुक्त किया गया है।

(ग) केन्द्रीय बोर्ड ने 1978 से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। अभी तक आयोजित किये गये 6 पाठ्यक्रमों में, लगभग 70 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया हैं। उसके अलावा, कुछ व्यक्तियों को प्रदूषण की समस्याओं और इसके नियन्त्रण से उन्हें परिचित कराने के लिये समय-समय पर विदेश भेजा जाता है।

क्षेत्रीय भाषा सीखने के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि

8928 **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्य क्षेत्रीय भाषायें सीखने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु तथा उन्हें ऐसी भाषायें सीखाने के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि आदि देने, जैसा कि भारत सरकार के कार्यालयों में सेवारत दक्षिण के भारतीय लोगों के मामले में हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विचार किया जाता है ; परीक्षा आयोजित कराने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

देश में बड़ी संख्या में बन्द किए गए छोटे इस्पात संयंत्र

8929. **के० प्रधानी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बड़ी संख्या में छोटे इस्पात संयंत्र बन्द हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें बन्द किये जाने के क्या कारण हैं और

(ग) इन छोटे इस्पात संयत्रों को पुन: चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) पता चला है कि वित्तीय तथा प्रबन्धकीय समस्याओं और बिजली की अपर्याप्त उपलब्धि जैसे विभिन्न कारणों से 12 लाख इस्पात संयंत्र बन्द पड़े हैं।

(ग) सम्बन्धित कारखानों ने किसी विशिष्ट सहायता के लिए सरकार को नहीं लिखा है। फिर भी, इस्पात विभाग ने राज्य सरकारों से लघु इस्पात संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई करने का अनुरोध किया है।

हरिजनों को दिल्ली में आवंटित की गई भूमि का मालिकाना अधिकार ।

8930. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के गांवों के लगभग तीन हजार हरिजन परिवारों को, जिन्हें आपातकाल की अवधि के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि आवंटित की गई थी, अभी तक मालिकाना अधिकार नहीं दिया गया है और इन भूमियों के भूतपूर्व स्वामियों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो हरिजनों को संकट से मुक्त कराने तथा उन्हें आवंटित भूमि का मालिकाना अधिकार देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 5235 व्यक्तियों को, जिनमें से 325 व्यक्ति अनु जाति के थे, कृषि प्रयोजन के लिए 1971 के बाद गांव सभा द्वारा भूमि आवंटित की गई थी । उच्च न्यायालय में कंझावला, झडोदाकलां, मालिकपुर, समसपुरकलां और गाजीपुर गांवों के संबंध में कुछ मामले दायर किये गये जिनमें इन आवटनों को चुनौती दी गई थी । इन मामलों में अब निर्णय सुना दिया गया है । तथा आवंटनों को वैध माना गया है । किन्तु उच्च न्यायालय ने यह देखने के लिए प्रशासन की ड्यूटी लगाई है कि आवंटी आवंटन की शर्तों को पूरा करते हैं । वे जो आवटन की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उनको छोड़ दिया जाय और जो पूरा इन शर्तों को करते हैं उनकी दिल्ली भूमि अधिनियम के अधीन भूमिधारी अधिकारी दे दिए जाएं ।

सरकारी क्षेत्र तथा लघु उद्योगों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में एम०

आर० टी० पी० कम्पनियों द्वारा निवेश

8931. **श्री मोहमद असरार अहमद :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया कि जबकि एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार व्यवहार आयोग देश में कार्यरत है, सरकार ऐसे क्षेत्रों में, जो सरकारी क्षेत्र तथा लघु यूनिटों के लिए आरक्षित थे, बड़ी औद्योगिक यूनिटों के नए निवेश करने की अनुमति देने हेतु नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार के निर्णय के क्या कारण हैं ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) वर्तमान औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है । किन्तु उत्पादन को बढ़ाने के लिए व्यापक रूप में इकट्ठे प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ।

विचाराधीन अभ्युपाय उत्पादन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने, उत्पादन प्राथमिकताओं की पुन परिभाषा करने, संरक्षित अन्त सम्बद्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने सम्बन्धी हैं ।

केन्द्रीय जांच ब्यौरो द्वारा जांच किए जाने के लिए लम्बित पड़े उत्तर प्रदेश के मामले

8932. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास जांच किए जाने के लिए 31 मार्च, 1982 को उत्तर प्रदेश के कितने मामले लम्बित पड़े हैं ; और

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा ससदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) :

(क) 97 मामले ।

(ख) जांच पूरी हो जाने के पश्चात ही कार्यवाही करना सम्भव होगा ।

दिल्ली में पुलिस बल का विकेन्द्रीयकरण

8933. **श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कानून तथा व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति को सुधारने का सही समाधान यह है कि पुलिस बल का विकेन्द्रीयकरण किया जाये और भारत के संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस इन्सपेक्टर रैंक तक का एक समान पुलिस संवर्ग बनाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : (क), (ख) और (ग) सरकार ने दिल्ली में कानून और व्यवस्था से निपटने के लिए पुलिस की कार्य-दक्षता सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए हैं । इसके रचनात्मक परिणाम निकले हैं । कार्य के क्रियात्मक तथा क्षेत्रीय वितरण का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है और समय-समय पर आवश्यक संगठनात्मक परिवर्तन किए जाते हैं सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अधीनस्थ पुलिस पदों का एक सामान्य संवर्ग रखने के प्रश्न पर इसकी सभी उलझनों की जांच की जाएगी ।

अशोक पेपर मिल्स में कदाचार

8934. **श्री तारिक अनवर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में अशोक पेपर मिल्स कुप्रबन्ध घपला और अन्य अनियमितताओं के कारण बन्द होने की स्थिति में आ गया है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उद्योग की स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) यद्यपि अशोक पेपर मिल्स हाल में बन्द का सामना नहीं करने जा रही फिर भी कम्पनी का समग्रत: कार्य निष्पादन सन्तोषजनक नहीं है ।

(ख) आसाम और बिहार की राज्य सरकारों कम्पनी के कार्य परिचालन को लाभप्रद बनाने और कम्पनी के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए अभ्युपाय कर रही हैं । कम्पनी को अपनी कार्यकारी पूंजी व्यय को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए आसाम सरकार ने उदार शर्तों पर ऋण दिया है ।

वर्ष 1982-83 के लिए योजना आवंटन में वृद्धि

8935. **प्रो नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **योजना** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981-82 और 1982-83 के बजट प्रस्तावों के अनुसार 1981-82 के आवंटन की तुलना में 1982-83 के लिए केन्द्रीय योजना आवंटन में तदनुरुपी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ठीक-ठीक वृद्धि हुई है और 1981-82 के पुनरीक्षित प्राक्कलन के साथ 1982-83 के लिए बजट प्राक्कलन की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या यह वृद्धि केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय में वृद्धि जो 1981-82 (पुनरीक्षित प्राक्कलन) में 26,554 करोड़ रुपये से बढ़कर 1982-83 में 29,219 करोड रुपये हो गई है के अनुरुप है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ.) योजना का सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण:) : (क) और (ख) वर्ष 1981-82 के लिए समवर्ती बजट अनुमानों के अनुमान 8619 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले वर्ष 1982-83 की केन्द्रीय योजना के लिए कुल आवंटन 11,000 करोड़ रुपये है, जिससे 27.6 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है । वर्ष 1981-82 के लिए परिशोधित अनुमानों की तुलना में वर्ष 1982-83 में वृद्धि 19 प्रतिशत होती है ।

(ग) केन्द्रीय योजना के लिए कुल आवंटन में प्रतिशत वृद्धि, केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय में वृद्धि की अपेक्षा अधिक है -

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ङ.) पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए निश्चित प्रयत्न करना, अपेक्षाकृत स्थिर कीमत की दशाएं बनाए रखना, वर्तमान क्षमताओं का अधिक उपयोग करना तथा उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, योजनागत कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रबन्धों को बढ़ाना और सुव्यवस्थित करना तथा आवश्यकता होने पर सुधारात्मक उपाय करने की दृष्टि से निष्पादन का पूरी तरह से प्रबोधन करना—ये छठी योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय है। इन उपायों के सम्बन्ध में स्थिति की सतत समीक्षा की जाती है तथा योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता होने पर प्रभावी उपाय किए जाएंगे।

जम्मू और काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कागज/अखबारी कागज की मिलों की स्थापना करने की मांग

8936. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्यों में कागज/अखबारी कागज की मिलों की स्थापना करने के बारे में राज्य सरकारों, किसी औद्योगिक फर्मों अथवा संसद सदस्यों से कोई मांग प्राप्त हुई है ;

(ख) उसका ब्योरा क्या है और किन स्थानों पर इसकी स्थापना करने की मांग प्राप्त हुई है ; और

(ग) सरकार ने प्रत्येक मांग के बारे में क्या निर्णय लिया है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) 1981 में प्राप्त आवेदन-पत्रों का विस्तृत विवरण दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम० सं०	आवेदक का नाम	स्थान	की गई कार्रवाई
1.	2.	3.	4.
	पंजाब		
1.	मैं० बी० डी० ए० स्टील प्रा० लि०	होशियारपुर (पंजाब)	पुरानी मशीनों आयात पर आधारित प्रस्ताव होने के कारण रद्द कर कर दिया गया क्योंकि अब इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।
2.	मैं० बालारपुर इण्डस्ट्रीज लि०	जिला संगरूर (पंजाब)	अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया।

1	2	3	4
3-	पंजाब स्टेट इण्ड० डेव० कारपोरेशन	जिला होशियारपुर (पंजाब)	आशय पत्र जारी किया गया ।
4.	पंजाब स्टेट इण्ड० डेव० कारपोरेशन	जिला संगरूर पंजाब	आशय पत्र जारी किया गया
5.	श्री अजय सतिया	मुक्तसर जिला-फरीदकोट पंजाब	आशय पत्र जारी किया गया ।
	हिमाचल प्रदेश		
6.	मैं० हिमाचलप्रदेश एग्रो० इण्ड० कारपोरेशन लि०	जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश	अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।
7.	मैं० हिमाचल प्रदेश एग्रो० इण्ड० कारपोरेशन लि०	जिला सिममूर हिमाचल प्रदेश	अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।
	हरियाणा		
8.	श्री एम० एम० भगत	फरीदाबाद हरियाणा	प्रदूषण की दृष्टि से उचित स्थान न होने के कारण रद्द किया गया ।
9-	मैं० पाल पेपर मिल्स लि०	महिन्रगढ़ हरियाणा	आशय पत्र जारी किया गया ।
10.	मैं० भारतीय कटलर हेमर लि०	हरियाणा	उद्योग(विकास और विनियमन) अधिनियम के लाइसेंसिंग उपबन्धों से छूट प्राप्त होने के कारण प्रस्ताव रद्द किया गया ।
11.	श्री संजीव कुमार	जिला-जिन्द हरियाणा	पुरानी मशीनों के आयात पर आधारित होने के कारण रद्द किया गया अब इसकी अनुमती नहीं दी जाती है ।

उन स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना जिनके लाइसेंस अथवा परमिट रद्द कर दिए गए थे

8937. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सम्मान पेंशन योजना उन स्वतन्त्रता सेनानियों पर लागू है जिनके लाइसेंस अथवा परमिट तत्कालीन प्रान्तों अथवा रियायतों में सरकार द्वारा रद्द कर दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था परन्तु जिन्हें कारावास नहीं दिया गया था,

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों में, राज्यवार ऐसे कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन की स्वीकृति दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं और क्या जिन्हें पेंशन नहीं मिली है ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति/राहत देने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) योजना के उपबन्धों के अधीन केवल लाइसेंस/परमिटों को रद्द किया जाना ही शामिल नहीं है। फिर भी, ऐसे स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने पर उनकी सम्पत्ति जब्त करने अथवा सरकारी सेवा से हटाये जाने के कारण समाप्त हो गये थे, वे पेंशन के लिये पात्र हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन के अवसरों को हाल ही में काफी बढ़ाया गया है और प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित तरह के व्यक्तियों को शामिल करने के अवसरों को और अधिक विस्तृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(8)

ग्रामीण जल सप्लाई योजना

8938. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में व्रत ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं, तथा ऐसे प्रत्येक राज्य को जनसंख्या की प्रतिशतता क्या है, जहां इन योजनाओं की क्रियान्विति से पेय जल उपलब्ध किया गया है ?

योजना मंत्री (एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दाईतरी क्षेत्र, उड़ीसा में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए स्थल की स्थिति

8939. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उड़ीसा के दाईतरी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए स्थल की स्थिति के सम्बन्ध में तकनीकी और डिजाइन पेरामीटर को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : तकनीकी तथा रूपांकन प्राचलों को तय करने के लिए मेंसर्स डेवी मेकी के साथ विस्तार से बातचीत है। इनको शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

सरकारी उपक्रमों में स्थायी रूप से नियुक्त किये जाने पर सरकारी कर्मचारियों को पेंशन और अन्य लाभ

8940. **श्री मूल चंद डागा** क्या श्रम मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिकतथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय के अनुसार उनके मन्त्रालय ने ऐसे सरकारी अधिकारियों को पेंशन सम्बन्धी साथ देने और उनकी न ली गई अर्जित छुटिटयां अन्तरित करने के आदेश दिये हैं जो सरकारी उपक्रमों से स्थायी रूप से नियुक्त किये गये हैं ।

(ख) क्या कुछ सरकारी उपक्रमों के मुख्य श्रम आयुक्त (मध्य) विभाग के अधिकारियों की न ली गई अर्जित को आगे ले जाये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त आदेशों को क्रियान्वित नहीं किया है ;

(ग) उपरोक्त आदेशों को जारी करने की तिथि से कितना समय बीत गया है ;

(घ) सरकार का सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आदेशों को क्रियान्वित कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धमवीर) : (क) जी, हां । कुछ मामलों में आवश्यक आदेश जारी किए गए ।

(ख) और (ग) ऐसा एक मामला है, जिनमें लगभग तीन वर्ष पहले आदेश जारी किए गए थे ।

(घ) यह मामला सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है ।

सरकारी क्षेत्र के ऐसे इस्पात संयंत्रों के नाम जिन्हें घाटा हो रहा है

8941. **श्री मूल चंद डागा : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कितने इस्पात संयन्त्रों को पिछले तीन वर्षों या इससे अधिक समय से निरन्तर घाटा हो रहा है तथा इसके क्या कारण हैं, सरकार ने उस पर कितनी पूंजी लगाई है और इन संयन्त्रों के कब तक घाटे पर चलने की सम्भावना है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस घाटे के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया है और यदि हां तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने और इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० (इस्को) को तीन वर्ष अर्थात् 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में लगातार हानि हुई है । इन कारखानों के वर्ष 1981-82 के कार्य-परिणाम अभी उपलब्ध नहीं है ।

31.3.1981 को बोकारो की स्थायी परसम्पत्ति में सरकार द्वारा रुपये तथा इस्को में सरकार द्वारा सीधे और सेल की मार्फत 151.05 करोड़ रुपये लगाए गए हैं ।

इन कारखानों में हानि मुख्यत: अवस्थापना सुविधाओं की कठिनाइयों की वजह से कम उत्पादन होने के कारण हुई थी ।

फिर भी, बोकारो के प्रथम चरण अर्थात 17 लाख टन के चरण में किए गए पूंजी निवेश में 40 लाख टन तक के चरण की कुछ सुविधाएं भी शामिल हैं। इन सुविधाओं का लाभ बाद में प्राप्त होगा, जब 40 लाख टन के चरण में उत्पादन होन लगेगा। जहां तक इस्को का सम्बन्ध है इस्पात मिलों की प्रौद्यो ाकी पुरानी होने तथा मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण भी इस ारखाने के कार्य-परिणाम पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा।

(ख) ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए किसी व्यक्ति विशेष को इन हानियों के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

लोहा और इस्पात उद्योग में द्विपक्षीय सहयोग के लिए सोवियत संघ के साथ बातचीत

8942. **श्री एच० एन० नन्जे० गोड़ा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लोहा और इस्पात उद्योग में द्विपक्षीय सहयोग के लिए हाल ही में सोवियत सहयोग प्राप्त होगा ;

(ख) यदि हां, तो विकास के वे विभिन्न क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिनमें भविष्य में सोवियत सहयोग प्राप्त होगा :

(ग) क्या विशाखापत्तनम में संयुक्त क्षेत्र में धातुकर्मी परिसर (मेटलर्जीकल काम्पलेक्स की स्थापना के प्रश्न पर विशेष रूप से बातचीत हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बातचीत के क्या निष्कर्ष रहे ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) जी, हां। भारत-रूस संयुक्त आयोग के दीर्घावधि कार्यक्रम पर निगरानी रखने के लिए भारत,रूस के स्थायी कार्यकारी दल की बैठक 9.3.1982 से 12.3.1982 तक तथा लौह-धातु-कर्म के कार्यकारी दल की बैठक 10.3.1982 से 14.3.1982 तक हुई थी। दोनों पक्षों ने स्थिति की समीक्षा करते हुए इस बात पर सन्तोष प्रकट किया था कि बोकारो तथा भिलाई के इस्पात कारखानों, प्रत्येक की क्षमता 40 लाख टन तक विस्तार करने के कार्य तथा विशाखा-पत्तनम के इस्पात कारखाने के रूपांकन तथा निर्माण काय की प्रगति सन्तोषजनक है। भिलाई तथा बोकारो के इस्पात कारखानों, प्रत्येक की क्षमता का 40 लाख टन से आगे विस्तार करने तथा इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के कारखाने का आधुनिकीकरण करने के लिए भारत-रूस सहयोग की प्रगति की भी समीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त मेटलर्जीकल एण्ड इन्जीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इन्डिया) लिमिटेड, स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड के अनु-सन्धान तथा विकास केन्द्र तथा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के साथ सोवियत संगठनों के सहयोग की बात भी नोट की गई।

कर्मचारी भविष्य निधि सम्बन्धी फकीरचन्द समिति का प्रतिवेदन

8943. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम मन्त्रालय द्वारा नियुक्त फकीर चन्द समिति ने यह सिफारिस की है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 'भरती' पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि को पूर्ण शक्तियां दी जायें जिससे इस समय होने वाले अनावश्यक विलम्ब को राका जा सकें ;

(ख) यदि हां तो क्या समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क), (ख) और (ग) फकीर चन्द समिति ने सिफारिश की है कि कर्मचारी भविष्य निधियों के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड को भर्ती, पदोन्नति आदि के मामलों में अधिक अधिकार दिए जाए। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम, 10952 में संशोधन करना पड़ेगा। संशाधन प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

सहायक लेखा अधिकारी का पद बनाने के लिए फकीरचन्द समिति की शिफारिश

8944. **रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम मन्त्रालय द्वारा नियुक्त फकीर चन्द समिति ने यह सिफारिश की थी कि कर्मचारी भविष्य निधि सगठन मे अधिक कार्यकुशलता लाने और निर्धन अंशदाताओं के मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सहायक लेखा अधिकारी का संवर्ग बनाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई है जबकि रिपोर्ट अप्रैल, 1980 में प्रस्तुत की गई थी और श्रम मन्त्रालय ने पहले ही सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क), (ख) और (ग) 550-900 रुपये के वेतन-मान में सहायक लेखा अधिकारियों के नए संवर्ग का सृजन करने के लिए सरकार की स्वीकृति केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजी जा चुकी है।

कर्मचारी भविष्य निधि के कर्मचारियों को सेवा में नियमित/ स्थायी किये जाने के बारे में समिति की रिपोर्ट

8945. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय/ क्षेत्रीय कार्यालयों में अनेक कर्मचारियों को नियमित / स्थायी नहीं किया गया है जबकि वे पिछले अनेक वर्षों से वहां काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्रम मन्त्रालय द्वारा नियुक्त फकीर चन्द समिति ने यह सिफारिश की थी कि एक विशेष सेल बनाकर ऐसे कर्मचारियों को अप्रैल 1980 से छः महीने की अवधि में नियमित / स्थायी किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो विभाग ने इस सिफारिश पर क्या कार्यवाही की है जिसको लागू करने से सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ता है और यदि पिछले दो वर्षों के दौरान कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क), (ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

कृषि श्रमिकों के लिए केंद्रीय कानून बनाने के प्रश्न पर विचार करने हेतु नियुक्त कार्यकारी दल

8946. **डा० कृपा सिन्धु भाई** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि श्रमिकों के लिए केंद्रीय कानून बनाने का प्रश्न पर विचार करने हेतु नियुक्त कार्यकारी दल का गठन और उसके विचारार्थ विषय क्या हैं ; और

(ख) यह अपनी रिपोर्ट कब तक न देगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) कार्यकारी दल, जिसे प्रारम्भ में गठित किया गया था, में महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आध्र प्रदेश, तथा गुजरात और कृषि तथा सहकारिता मंत्रालय एवं योजना आयोग के प्रतिनिधि शामिल थे । बाद में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के कृषि सचिवों को भी इस कार्यकारी दल में शामिल किया गया ।

कार्यकारी दल का कार्य प्रस्तावित केन्द्रीय कृषि श्रमिक विधान में सन्निहित विभिन्न मामलों का गहराई से अध्ययन करना था ।

कार्यकारी दल ने अपना अध्ययन कर लिया है, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई सर्वसम्पत्ति नहीं हो सकी ।

"कोई उद्योग नहीं वाले जिलों" में उद्योगों की स्थापना के लिए आवेदन पत्र

8947. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए कोई अभियान चलाया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जिलों में, जहां कोई बड़े अथवा मझोले उद्योग नहीं है, उद्योगों की स्थापना करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार की नीति हमेशा ही क्षेत्रीय असन्तुलन को ठीक करने तथा पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण करने की रही है इस नीति को और व्यापक बनाने की दिशा में सरकार ने निर्णय लिया है कि उन जिलों में, जहां कोई भी बड़े और मझोले उद्योग स्थापित करने हेतु प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन पत्रों को अन्य सभी स्थानों पर उद्योग स्थापित करने के लिए प्राप्त आवेदनों की तुलना में अधिक वरीयता दी जाएगी।

इस बारे में "उद्योग रहित जिलो" में उद्योग स्थापित करने के लिए इच्छुक उद्यमियों से आवेदन आमन्त्रित करते हुए 27-2-1982 को एक प्रेस टिप्पण जारी किया गया था।

(ख) और (ग) 27-2-1982 से 16-4-1982 तक विभिन्न उद्योग रहित जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु 12 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

ये सभी आवेदन पत्र प्रक्रिया सम्बन्धी विभिन्न अवस्थाओं में हैं। किन्तु, वर्ष 1981-82 के दौरान विभिन्न उद्योग रहित जिलों में उद्योग लगाने के लिए 23 आशय पत्र जारी किए गए हैं।

नई दिल्ली में आयोजित भारत-सोवियत रुस उप आयोग की बैठक

8948. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में आयोजित भारत-सोवियत रुस उप आयोग की दो द्विसीय बैठक के दौरान गलन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) यदि हां. तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) विज्ञान समझौते के अन्तर्गत किन अन्य परियोजनाओं पर समझौता हुआ है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और समाज विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क), (ख) और (ग) भारत और सोवियत संघ के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई नया करार नहीं हुआ है। बहरहाल, 1972 में हस्ताक्षर किए गये सहयोग के मौजुदा करार के अधीन "संगलन रिएक्टरों में सामग्रियां" 27 जनवरी से पहली फरवरी, 1982 के दौरान नई दिल्ली में हुई विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत-सोवियत उपायोग की दूसरी बैठक में अभिनिर्धारित क्षेत्रों में एक क्षेत्र है।

इस बैठक में सहयोग के जिन अन्य क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया गया वे इस प्रकार थे—

1. संचार के लिए लेसर प्रणाली, लेसर क्रिस्टेलाइन सामग्रियां, ट्यूनेबल लेसर,
2. निम्न तापमान भौतिकी,

3. टाइटेनियम मिश्र धातुएं,

4. इलैक्ट्रो स्लैग प्रौद्योगिकी और विद्युत धात्विकी,

5. होलोग्राफी के लिए लेसर यंत्रीकरण और लेसर,

6. सूक्ष्म जीव विज्ञान और आनुवंशिक इन्जीनियरी सहित औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी,

7. ऊष्मा और द्रव स्थानान्तरण,

8. उत्प्रेरण,

9. प्रणाली विश्लेषण ।

दोनों पक्ष उपर्युक्त क्षेत्रों में सहयोग के विशिष्ट विषयों का अभिनिर्धारण करने के लिए वैज्ञानिकों का आदान प्रदान करेंगे ।

दोनों पक्ष निम्नलिखित जैसे कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों में सहयोग की सम्भावना पर विचार करने के लिए भी सहमत हो गए हैं यथा :

पर्यावरणीय परीक्षा और सुधार ; आपेक्षकीय इलैक्ट्रान बीम ;

कोयला उपयोगीकरण ; कम्प्यूटर साफ्टवेयर का विकास ;

सेमी कन्डक्टर्स ।

संक्रामक रोगों के इलाज के लिए सौर सेल

8949. **डा० कृपा सिंधु भोई :** विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभाग, अन्त राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा संचालित एक मार्गदर्शी कार्यक्रम के अन्तर्गत सौर सेलों से संचालित रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर भारत सहित अनेक देशों के मेडिकल क्लीनिकों में स्थापित किए जायेंगे ताकि उनमें संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए अपेक्षित टीकों का संग्रह किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं ; और

(ग) देश में प्रशीतन प्रयोजनों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग में अब तक कितनी प्रगति हुई है और यह कब तक उपलब्ध हो जाएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रनिकी तथा पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्टों को देखा है । परन्तु सरकार को कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) और (ग) सौर प्रकाश वोल्टीय सेलों तथा सौर तापीय ऊर्जा का प्रयोग करते हुए

प्रशीतन (रेफ्रिजरेशन) के लिए प्रोद्योगिकी के सम्बन्ध में देश में जानकारी उपलब्ध है। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग द्वारा देश में कई अनुसधान तथा विकास परियोजनाएं प्रायोजित की गई हैं। कुछ स्थानों में, सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए कोल्ड स्टोरेज के लिए प्रायोगिक/प्रदर्शन एकक लगाए जा रहे हैं। ऐसे तन्त्रों की प्रारम्भिक लागतें अभी बहुत अधिक हैं। जब लागतें कम हो जाएंगी और तकनीकी- आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित हो जाएगी तब उनके अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध होने की सम्भावना है।

दिल्ली प्रशासन में कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री योजना

8950. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन की अपने कर्मचारियों के लिए कोई संयुक्त परामर्शदात्री योजना है ;

(ख) यदि हां तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसी किसी योजना को लागू करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहींश्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली में सरकारी स्कूल अध्यापकों के सम्बन्ध में संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र के लिए एक योजना बनाई है। ब्योरे तैयार किए जा-रहे हैं। दिल्ली प्रशासन भी अपने लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक संयुक्त परामर्श दात्री तन्त्र गठित करने की व्यहारिकता पर विचार कर रहा है।

जमशेदपुर में कर्मचारी भविष्य निधि के उप-क्षेत्रीय कार्यालय का खोला जाना

8951. **राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जमशेदपुर में भविष्य निधि संगठन का उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की भारी मांग है और बहुत बड़ी संख्या में संसद सदस्यों तथा मजदूर संघों ने भी मन्त्री महोदय को लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार रांची के उप-क्षेत्रीय कार्यालय को विभाजित करके इसे जमशेदपुर में खोलना चाहेगी ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का प्रस्ताव है कि जमशेदपुर में उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने से सम्बन्धित मामले को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की अगली बैठक के समक्ष रखा जाय। इस मामले पर बोर्ड की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार विचार करेगी।

आई० आर० डी० कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाए गए जनजातीय उप योजना के सामुदायिक विकास खंड

8952. **श्री अनादि चरण दास :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश आई० आर० डी० कार्यक्रमों के अधीन जनजातीय उपयोजनाओं के कितने सामुदायिक विकास खंड लाए गए हैं ;

(ख) आई० आर० डी० और आई० टी० डी० कार्यक्रमों के बीच कार्यक्रम विषयों में क्या मूल अन्तर हैं ; और

(ग) आई० टी० डी० पी० क्षेत्र में आई० आर० डी० आर्यक्रमों को क्रियान्वित करने में आई० टी० डी० पी० प्राधिकारियों की भूमिका क्या हैं ?

गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के खंडों समेत देश के सभी 5011 विकास खंड शामिल हैं।

(ख) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लक्षित समूहों में परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर उड़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के काफी अवसर उत्पन्न करना हैं। एकीकृतज नजातीय विकास के जनजातीय उप-योजना कार्यक्रम का लक्ष्य लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में मूल सरचना की व्यवस्था करने का है।

(ग) जनजातीय उप योजना क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन इस प्रयोजन के लिए स्थापित की गई जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों (डी० आर० डी० ए० एस०) द्वारा विकास खंडों के माध्यम से किया जाता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ए० ज० जा० वि० प० के परियोजना/प्रशासक जि० ग्राम० वि०ए० के साथ सहबद्ध हो सकते हैं।

भवन निर्माण तथा खान श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि

9853. **श्री अनादिचरण दास :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने भवन निर्माण तथा खान श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि करने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या खान तथा भवन निर्माण श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि करने के लिए विभिन्न राज्यों और खनिज विकास निगम को मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे गए हैं ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने कोई अधिसूचना जारी की है ; और

(घ) इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्योरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) जुलाई 1980 में हुए श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया कि न्यूनतम मजदूरी दरों की, यदि आवश्यक हो, दो वर्षों में एक बार या उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में 50 पाइन्टों की वृद्धि होने पर, इनमें जो भी पहले हो, पुनरीक्षा की जानी चाहिए तथा इन दरों में संशोधन किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्यकारी करने के लिए इन्हें सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के ध्यान में लाया गया।

उक्त सिफारिश के अनुसरण में कतिपय खनन रोजगारों तथा भवन और निर्माण रोजगारी, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, के सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरी दरों में संशोधन करने के लिए श्रम मन्त्रालय ने मार्च, 1982 के दौरान प्रस्ताव अधिसूचित किए हैं। भवन और निर्माण उद्योग में ऐसे रोजगारों के लिए जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकारें समुचित सरकारें हैं, न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

स्वतन्त्रता सेनानियों से प्राप्त लम्बित आवेदन-पत्र

8954. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों से सम्मान पेंशन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के निपटान में अत्यधिक विलम्ब होता है ;

(ख) 30 मार्च, 1982 तक राज्यवार, कितने ऐसे आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं और कब से;

(ग) राज्यवार, कितने व्यक्तियों को ऐसी पेंशन मिल रही है और गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष इसके लिए कुल कितनी राशि व्यय की जा रही है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान। गृह मन्त्रालय में प्राप्त आवेदन-पत्र अग्रिम प्रतियों के रुप में होते हैं और सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही पेंशन स्वीकृत की जाती है। केन्द्रीय स्तर पर मामले राज्य रिपोर्टों के प्राप्त होते ही तुरन्त निपटा दिए जाते हैं। सम्मान पेंशन के दावों के शीघ्र निपटान के लिए गृह मन्त्रालय के स्वतन्त्रता सेनानी प्रभाग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है। अधिकांश राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने लम्बित पड़े मामलों को निपटाने के लिए गृह मन्त्रालय की सलाह पर प्रभावकारी उपाय भी किए हैं ; जैसे राज्य सलाहकार समितियों का गठन, विशेष कक्ष बनाना और अभियान शुरु करना, इत्यादि।

(ख) और (ग) -संलग्न बिवरण के अनुसार।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्वीकृत किए गये मामलों की संख्या	राज्य से रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण लम्बित पड़े मामलों की संख्या	पिछले तीन वर्षों के लिए खर्च की गई रकम वर्ष रू०करोड़ों में
अंडमान तथा निकोबार	36	4	1979-80 23.00
आन्ध्र प्रदेश	5415	7866	1980-81 32.00
अरूणाचल प्रदेश	2	27	1981-82 33.00
असम	3944	9766	
बिहार	19700	39577	
चंडीगढ़	78	27	
दिल्ली	1692	190	
गोवा	600	817	
गुजरात	2954	69	
हरियाणा	1339	450	
हिमाचल प्रदेश	386	215	
जम्मू व कश्मीर	820	1032	
केरल	2015	18012	
कर्नाटक	7790	5443	
मध्य प्रदेश	2834	614	
महाराष्ट्र	10481	12871	
मणिपुर	58	33	
मेघालय	68	17	
मिजोरम	—	—	
नागालैंड	3	0	
उड़ीसा	3577	6503	
पांडिचेरी	246	508	
पंजाब	5206	1929	
राजस्थान	621	291	

1	2	3
तमिलनाडु	3650	1660
त्रिपुरा	690	652
उत्तर प्रदेश	15992	6122
पश्चिम बंगाल	14962	50247
आ० हि० फोज के व्यक्ति	17021	6548
जोड़	122170	171515

बोकारो स्टील संयंत्र की बढ़ी हुई क्षमता

8955. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की क्षमता बढ़ाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षमता बढाई गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों राज्य मंत्री(चरणजीत चानना) : (क) और (ख) इस समय बोकोरो इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड तैयार करने की वार्षिक निर्धारित क्षमता 25 लाख टन है। कारखाने का विस्तार करने के चल रहे कार्यक्रम के पूरा हो जाने पर इसकी क्षमता बढ़कर 40 लाख टन हो जाएगी।

प्योर ड्रिंक्स ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में राशि जमा करना

8956. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्योर ड्रिंक्स ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज कर्मचारी भविष्य निधि में राशि नियमित रूप से जमा कर रहा है ;

(ख) क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई चूक की है ; और

(ग) यदि हां तो, उसका ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

सेमी नाक्ड डाउन इलैक्ट्रानिक्स सामान का आयात

8957. **(श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेमी नाक्ड डाउन इलैक्ट्रानिक सामान के अन्धाधुन्ध आयात

का स्वदेशी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो घटिया स्तर की प्रौद्योगिकी का आयात करने के कारण हैं, जबकि सरकार की नीति इसके विपरीत है ;

(ग) क्या इस संदर्भ में उनका ध्यान दिनांक 25 मार्च, 1982 (इकनामिक्स टाइम्स) में "टेक्लेस इम्पोर्ट हिट्स इन्डस्ट्री" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) इलैक्ट्रानिकी विभाग अर्द्ध-संयोजित (सेमी नाक्ड डाउन) स्थिति में इलेक्ट्रानिक उपस्करों या घटिया स्तर की प्रौद्योगिकी के अन्धाधुन्ध आयात की अनुमति नहीं दे रहा है। इसके अलावा 5 अप्रैल, 1982 को वर्ष 1982-83 के लिए घोषित आयात नीति में स्वदेशीकरण के योजनाबद्ध कार्यक्रमों पर सख्ती से निगरानी रखने और उन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की व्यवस्था है। इससे तो सभी इलेक्ट्रानिक उपस्करों के निर्माताओं, जिसमें लघु उद्योग क्षेत्र के विनिर्माता शामिल हैं, द्वारा अर्द्ध संयोजित/पूर्णत: अलग-अलग पुर्जों की (एस० के० डी०/सी० के० डी०) स्थिति में किए जाने वाले आयात को हतोत्साहित करने में और मदद मिलनी चाहिए सरकार ने दूरदर्शन उद्योग की पूंजी निवेश लागत में कमी लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। किन्तु, अभी तक दूरदर्शन रिसीवर विनिर्माताओं ने उनके द्वारा उत्पादित दूरदर्शन रिसीवरों के अन्तिम उपभोक्ता मूल्यों में कमी नहीं की है तथा इस नीति का अनुपालन नहीं किया है। इलैक्ट्रानिकी विभाग शैक्षणिक संस्थानों की कम्प्यूटर सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीति कार्यविधियों पर विचार कर रहा है।

एशिया में वैज्ञानिकों और तकनीशियनों की मांग और पूर्ति

8958. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा

(क) क्या यह सच है कि भारत ने एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र में आगामी पांच से दस वर्षों के दौरान होने वाली वैज्ञानिकों और तकनीशियनों की मांग और पूर्ति का पता लगाने की किसी क्षेत्रीय प्रणाली का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सामले में अन्य राष्ट्रों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं ; और

(ग) क्या इस दिशा में इस बीच कुछ व्यावहारिक कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) भारत ने ऐसी किसी क्षेत्रीय प्रणाली का प्रस्ताव नहीं किया है जिसके अन्तर्गत अगामी पांच से दस वर्षों के दौरान एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र में वैज्ञानिको और तक-

नीशियनों की होने वाली माँग और आपूर्ति का पता लगाया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण भारत के एक मन्दिर में चुराई गई नृत्य की मुद्रा में नटराज की एक दुर्लभ प्रतिमा का अमरीका के एक संग्रालय में पाया जाना

8959. **श्री एस० बी० संबनाल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किदक्षण भारत के एक मंदिर से चुराई गई नृत्य की मुद्रा में नटराज की एक दुर्लभ प्रतिमा अमरीका के एक संग्रहालय में पाई गई है ; और

(ख) इसके चोरी छिपे बाहर ले जाये जाने और इस प्रचीन प्रतिमा के पाए जाने के बारे में तथ्य क्या है ; और

(ग) इस पंच लोह नटराज की प्रतिभा भारत वापस लाकर इसे इसके उचित स्थान पर लगाने के सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, ईश्वरन मंदिर विलनकुन्डी गांव, थन्जाबूर जिले से चुराई गयी नटराज की मूर्ति किबेल आर्ट म्यूजियम फोर्ट वर्थ टेक्सास अमरीका में पायी गयी थी।

(ख) सी वीरमन नामक एक व्यक्ति द्वारा संगठित एक गिरोह ने 20-2-78 की रात्रि को सेंध लगाई थी। मूर्ति एक दल द्वारा दूसरे दल को बेचने के बाद इसकी तस्करी उन्मुक्त रास्तों से भारत से बहार लंदन को की गयी। बताया जाता है कि मूर्ति को एवरेस्ट गेलरी नं० 1, ब्रोड स्ट्रीट प्लेस, फिनसबरी सर्कस लंदन के वोना खुलई और अल्वंट अमबाब को गयी, जिन्होंने इसे अगस्त, 1979 में मिबेल आर्ट म्यूजियम, फोर्ट वार्थ टैक्सास, अमरीका को बेचा। उसे और उसके द्वारा संगठित गिरोह को गिरफ्तार किया गया। राज्य अपराध शाखा, सी० आई डी० की जांच से मूर्ति के वर्तमान स्थिति का पता लगा।

(ग) तमिलनाडु सरकार ने अमरीका से मूर्ति को वापस प्राप्त करने की कार्रवाई करने के लिए श्री के० के० राजशेखरन नायर पुलिस उप महा निरीक्षक, अपराध शाखा, सी० आई० डी० और रामकृष्णन, पुलिस उप अधीक्षक अपराध शाखा, सी आई० डी० को अमरीका भेजा।

स्टील स्ट्राक्चरल का सुरक्षित भण्डार बनाने हेतु उसका आयात

8960. **श्री हरीश रावत** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड स्टील स्ट्रक्चरल का सुरक्षित भण्डार बनाने के लिए उसका आयात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्टाक का निपटान करने के लिए क्या बिक्री प्रक्रिया अपनाई जा रही है ;

(ग) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड ने वर्ष 1981-82 के दौरान कितनी मात्रा में स्ट्रक्चरल का आयात किया ; और

(घ) अलग-अलग एककों को इस स्टाक की कितनी मात्रा दी गई और उन्हें अलग-अलग इसकी कितनी मात्रा बेची गई ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) :

(क) "सेल" बफर आयात कार्यक्रम के अन्तर्गत इस्पात के संरचनात्मक (स्टील स्ट्रक्चरल आयात कर रही है ।

(ख) बफर आयात कार्यक्रम के अन्तर्गत आयात किए गए इस्पात संरचनात्मक देशीय सामग्री में मिला दिये जाते हैं और संयुक्त संयत्र समिति के आबंटनों के अनुसार मुख्यत: प्राथमिक क्षेत्रों को आवंटित किये जाते है । इनकी सप्लाई उन अन्य उपभोक्ताओं को भी की जाती है जो अपनी मांग स्टाकयार्डों के पास पंजीकृत करवाते है परन्तु जिनको सप्लाई देशीय उत्पादन से नही की जा सकती ।

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान सेल द्वारा लगभग 3,35,000 टन संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) आयात किये गये हैं ।

(घ) 31.12.1981 तक आयात किए गए संरचनात्मकों का क्षेत्र वार वितरण इस प्रकार है :—

(हजार टन)

क्षेत्र	मात्रा
रक्षा	1.8
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	138.1
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	4.1
सिंचाई	6.9
रेलवे	23.1
लोक निर्माण विभाग	6.3
अन्य सरकारी विभाग	6.5
डाक तथा तार	3.0
कोयला	5.2
तेल	1.2

इस्पात कारखाने	1.2
सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योग	25·0
सरकारी क्षेत्र की अन्य इकाइयां	10.3
बड़े क्षेत्र की इकाइयां	37.0
लघु क्षेत्र की इकाइयां	11.3
राज्य लघु उद्योग निगम	1.9
विविध	3.9
कुल	२१८·०

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस दिया जाना

8961. श्री हरीश रावत : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों की स्थापना के लिये वर्ष 1981-82 में उत्तर प्रदेश को कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये ; और

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सभी औद्योगिक लाइसेंसों का उपयोग किया है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए वर्ष 1981 और 1982 (मार्च, 82 तक) के दौरान 106 आशय-पत्र और 31 औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किए गए।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस को कार्यान्वित करने में सामान्यत: 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं। वर्ष 1981 और 1982 (मार्च, 82 तक) के दौरान स्वीकृत किए औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वि-की विभिन्न स्थितियो में होंगे।

दीनाजपुर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करना

8962. श्री आनन्द पाठक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के पश्चिम दीनाजपुर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले के रूप में शामिल करनें के बारे में दिनांक 19 मार्च, 1982 का कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्तम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने पश्चिम दीनजपुर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की सूची में शामिल करने के लिए कोई कार्यवाई की है ;

(घ) यदि हां तो तत्तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ.) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री(श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ.) अखिल भारतीय ऋणदायी संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाएं पाने के पात्र पश्चिमी दीनाजपुर जिले को पहले ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुये जिले के रूप में चुना जा चुका है । किन्तु इस समय यह केन्द्रीय सिवेश राज सहायता योजना का पात्र नहीं है ।

पिछड़े क्षेत्रों के समग्र विकाश का प्रश्न इस समस विचाराधीन है । औद्योगिक दृष्टि से पिचड़े क्षेत्रों/जिलों की सूची में कोई भी परिवर्तन करने के बिए "औद्योगिक छितराव" के संबंध में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रस्तुत को गई रिपोर्ट में की गई सिफारिशो पर सरकार द्वारा बिये जाने वाले निर्णय की प्रतिक्षा करनी होगी ।

इस्पात के वितरण के लिए मार्गनिर्देशों में संशोधन

8963. **श्री चित्त बसु** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात के वितरण के लिए मार्गनिर्देशों में हाल ही में संशोधन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) (क) और (ख) लोहे और इस्पात की मदों का वितरण संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है । अगस्त, 1981 में संयुक्त संयंत्र समिति ने बिलेटों और अन्य पुनर्बेलन योग्य सामग्री, सीधी लम्बाई की गोल छड़ों और क्वायलों में तार छड़, ठंडी वेलित चादरों/क्वायलों और 5 मि० मी० से अधिक वाले गर्म बेलित क्वायलों तथा स्केल्प के लिए वितरण के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कुछ ढील दे दी थी । कच्चे लोहे का वितरण, किसी इकाई द्वारा वर्ष 1976-81 की अवधि में जिस वर्ष सबसे अधिक खरीद की गई हो उस वर्ष की खरीद के आधार पर अथवा उसकी क्षमता का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, किया जाना था । मकान निर्माताओं को पहले 5 टन इस्पात दिया जाता था अब वे 10 टन तक इस्पात ले सकते हैं ।

नवम्बर.1981 में 5 मि० मी० तथा उससे कम के गर्म बेलित क्वायलों के वितरण पर से भी प्रतिबन्ध हटा लिए गए थे ।

न्यूनतम मानकों के बारे में आई० एल० ओ०

8964. **श्री चित्त बसु** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने न्यूनतम मानकों के बारे में आई० एल० ओ० कन्वेंशन का अनुमोदन नहीं किया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भाचवत झा आजाद) : (क) और (ख) न्यूनतम

मानकों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ऐसा कोई सामान्य अभिसमय नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अब तक 156 अभिसमयों को अभिस्वीकृत किया है। अन्तर्गत लाए गए विषयों के अनुसार प्रत्येक अभिसमय के अपने मानक होते हैं। भारत ने 34 अभिसमयों का अनुसमर्थन किया है जिनमें से एक को बाद में अवज्ञापित कर दिया गया।

मारुति कार के लिए विदेशों का दौरा

8965. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति छोटी कार के निर्माण के सम्बन्ध में हाल ही में किसी सरकारी अधिकारी ने किसी अन्य देश का दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया है ; और

(ग) उनके दौरे का क्या परिणाम रहा?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क), (ख) और (ग) मारुति परियोजना के सम्बन्ध में सरकार का कोई अधिकारी हाल ही में विदेश नहीं गया है। किन्तु पिछले नवम्बर में जापानी मोटरगाड़ी निर्माताओं के साथ विचार-विमर्श करने के लिए सचिव, भावी उद्योग विभाग ने कम्पनी के कार्यकारी अधिकारियों के दल के साथ जापान का दौरा किया था। इन विचार-विमर्शों के बाद जापानी निर्माताओं के अध्ययन दलों ने भारत का दौरा किया था और उनमें से कुछ ने औपचारिक वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे।

इसके परिणामस्वरूप जापानी मोटरगाड़ी निर्माताओं और कम्पनी के कार्यकारी अधिकारियों के बीच आगे बातचीत हुई जिससे परियोजना के लिए मैसर्स सुजुकी मोटर कम्पनी लिमिटेड, जापान और मारुति उद्योग लिमिटेड के बीच एक सूझ-बूझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

"शून्य उद्योग जिलों" में उद्योगों की स्थापना

8966. **श्री बी० बी० देसाई** :

श्री हरिनाथ मिश्र :

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग मन्त्रालय द्वारा गहराई से किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि पूरे देश में 90 शून्य उद्योग जिले हैं जो संसाधनों के दृष्टिकोण से तो धनी है परन्तु उनमें अभी तक कोई उद्योग नहीं लगाया गया है, यदि हां, तो राज्यवार, ये जिले कौन-कौन से हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या औद्योगिक कार्यक्रम को तेज करने के अपने निर्णय के अनुसरण में,

क्या उनके मन्त्रालय ने वहाँ पर एककों की स्थापना के लिए बड़े घरानों को अनुमति देने का सुझाव दिया है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया है और वे बड़े घराने कौन-कौन से हैं, जिन्होंने इसके लिए पेशकश की है।

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) हाल ही में किए गए विश्लेषण से पता चला है कि देश में अनेक ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी बड़े अथवा मझोले औद्योगिक एकक नहीं हैं। अभी तक पता लगाए गए राज्य-वार जिलों का ब्यौरा 31 मार्च, 1982 को पूछे गए तारांकित प्रश्न सं० 554 के उत्तर में सभापटल पर रख दिया गया है।

(ख) और (ग) बड़े औद्योगिक गृह अर्थात एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उपक्रम इन जिलों में भी 2 फरवरी, 1973 के प्रेस टिप्पण के परिशिष्ट-I में सम्मिलित उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। अन्य उद्योगों में उनका निवेश निर्यात दायित्व के निर्धारित स्तर के अधीन किया जाएगा।

सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आदर्श स्थायी आदेशों की उपेक्षा करके श्रम नियमों का उल्लंघन

8967. **बी० बी देसाई** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को मूल्यवान श्रमिकों के सम्बन्ध में श्रम मन्त्रालय द्वारा परिचालित आदर्श स्थायी आदेशों की आवश्यकताओं की उपेक्षा करते पाया गया ;

(ख) यदि हां, तो कितने सार्वजनिक उपक्रम केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय के निदेशों के अनुसार मूल्यांकन श्रम नियमों का उल्लंघन एवं उपेक्षा कर रहे हैं ; और

(ग) सरकार का श्रम नियमों के उल्लंघन के लिए इन उपक्रमों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क), (ख) और (ग) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन केन्द्रीय सरकार केवल अपने नियन्त्रणाधीन औद्योगिक प्रतिष्ठानों या रेल प्रशासन या किसी बड़े पत्तन, खान या तेल-क्षेत्र से सम्बन्धित है। माडल स्थायी आदेश केवल उन प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं, जिनमें प्रमाणीकृत आदेश नहीं है इसके अलावा यह अधिनियम ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होता है, । जिनमें उक्त अधिनियम की धारा 13ख में निर्दिष्ठ मूल नियम और अनुपूरक नियम, आदि लागू होते हैं। केन्द्रीय सरकार को किसी सरकारी उपक्रम द्वारा माडल स्थायी आदेशों का अनुपालन न किए जाने बारे में कोई विशिष्ठ शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्रों में चूकें

8968. **श्री बी० बी० देसाई** :

श्री पी० एम० सईद : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने रेलवे नौवहन तथा परिवहन जैसे महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्रों में हुई चूकों पर घोर आपत्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इन क्षेत्रों से योजनागत योजनाओं के लिए अपने कार्यान्वयन तन्त्र में सुधार करने तथा उन्हें उपलब्ध की गयी धनराशि का पूर्ण उपयोग करने के लिए कहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की मुख्य आपत्ति मुख्त बन्दरगाहों द्वारा वहन किये जाने वाले यात्रियों के बारे में हैं ;

(ग) क्या वर्ष 1981-82 के लिए 100 करोड़ रुपये स्वीकृत योजनागत परिव्यय की तुलना में नौवहन और परिवहन मन्त्रालय ने लगभग 92.47 करोड़ रुपए की निधि का ही उपयोग किया और रेलने तथा इस्पात संयंत्रों तथा भारतीय खाद्य निगम के बारे में भी यही स्थिति है ; और

(ड.) यदि हां, तो संघ सरकार ने इन विभागों क खिलाफ क्या कार्यबाही की है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित पूर्ण कोटे का उपयोग हो, यह देखने के लिए उनके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्री (एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) जी, हां, रैलवे को छोड़कर।

(घ) वर्ष 1981-82 में विभिन्न क्षेत्र कों के अन्तर्गत योजनागत निधियों के उपयोग के बारे में स्थिति निम्नलिखित थी ।

प्रमुख पतन : 100.02 करोड़ रु० के परिशोधित अनुमानों के मुकाबले प्रमुख पत्तन न्यासों द्वारा सूचित किए गए अनतिम आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 88 करोड़ रु० का व्यय किया गया था। इस प्रकार इस क्षेत्रक के लिए किए गए योजनागत आबंटनों के लगभग 88 प्रतिशत का उपयोग किया गया था पिछले वर्ष 1980-81 के मुकाबले एक महत्वपूर्ण सुधार है जब व्यय की राशि 65 करोड़ रु० या 98.3 करोड़ रु० के अनुमोदित योजना परिव्यय का 66 प्रतिशत थी।

रेलवे : इस क्षेत्रक के लिए वर्ष 1981-82 में आबंटित योजना राशियों के उपयोग में कोई कमी नहीं हुई थी ।

इस्पात संयंत्र : वर्ष 1981-82 के लिए 795.56 करोड़ रु० के अनुमोदित योजना परिव्यय के मुकाबले परिशोधित बजट अनुमानों से 751.19 करोड़ रु० के परिव्यय का पता चलता है—इस वर्ष के लिए वास्तविक व्यय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय खाद्य निगम : वर्ष 1981-82 के लिए भारतीय खाद्य निगम के लिए 35 करोड़ रु० के अनुमोदित योजना परिव्यय के मुकाबले परिशोधित बजट अनुमानों से 23.90 करोड़ रु० के परिव्यय का पता चलता है । इस वर्ष के लिए वास्तविक व्यय के आंकड़ें अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ङ) कमियों को रोकने और योजना आवंटनों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं —

(1) योजना आयोग द्वारा सम्बन्धित मन्त्रालयों को समय-समय पर और विशेष रूप से योजना आयोग के सदस्य (उद्योग और आधारिक संरचना) द्वारा छठी योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में की गई तिमाही समीक्षा बैठकों में योजनागत स्कीमों को तैयार करने और मंजूर करने की कार्यविधियों में सुधार करने तथा निविदा और संविदा की प्रणाली में सुधार करने और साथ ही इस प्रकार की स्कीमों के निष्पादन के लिए तन्त्र/व्यवस्था में सुधार करने की तात्कालिक आवश्यकता के बारे में जोर दिया जाता रहा है।

(2) प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति का प्रबोधन करने की दृष्टि से मन्त्रालयों ने भी अपने प्रभाराधीन विभिन्न सरकारी क्षेत्रक के संगठनों के अध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आवधिक विचार-विमर्श/बैठकें करने की व्यवस्था अपनाई हैं जहां योजना के कार्यान्वयन में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(3) योजना का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से संबंधित मन्त्रालयों के सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा परियोजना स्थलों के समय-समय पर मौके पर निरीक्षण किए जाते हैं।

एफ० आई० सी० सी० आई० द्वारा सुझाया गया श्रम कानूनों में संशोधन

8969. **श्री के० लकप्पा :**

श्री डी० एम० पुते गौडा :

श्री पियुष तिरकी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने श्रम कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए सरकार से आग्रह किया है जो उत्पादन विकास और रोजगार में बाधा डालते हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस बारे में क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या मजदूर संघों को मान्यता देने की समुचित प्रक्रिया तैयार करने की भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ की मांग पर भी विचार किया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) यह सामान्य सुझाव फेहरेशन द्वारा 27-29 मार्च, 1982 को स्वीकृत प्रस्तावों का भाग है, किन्तु, इसमें किसी विशिष्ट कानून का उल्लेख नहीं है जिनमें संशोधन की आवश्यकता है। तथापि, कई श्रम कानूनों की पुनरीक्षा पहले से की जा रही है और इस सुझाव को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) और (घ) ट्रेड यूनियनों की मान्यता की प्रक्रिया पर सभी सम्बन्धित पक्षों के परामर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा।

पारिस्थितिकीय (इको) विकास योजनायें

8970. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) देश में इस समय कितनी पारिस्थितिकीय विकास परियोजनाएं चलाई जा रही है ;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं ;

(ग) क्या विश्वविद्यालयों तथा विद्यार्थी समुदाय के सहयोग से कोई पारिस्थितिकीय विकास नीति तैयार की गई है ;

(घ) क्या हिमालय क्षेत्र के लिए भी परियोजनाएं बनाई गई है ; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्यमन्त्री : (श्री पी०-पीं० एन० सिंह) (क) देश में इस समय तीन प्रकार की पारि-विकास परियोजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं :—

1. विश्वविद्यालयों द्वारा कार्योन्मुखी अनुसंधान परियोजनाएं ;

2. मानव तथा जीवमंडल रिजर्व कार्यक्रम ; तथा

3. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों, स्वयंसेवी संगठनों, राज्य वन विभागों आदि के सहयोग से क्षेत्रीय परियोजनाएं ।

(ख) 1. विश्वविद्यालयों में कार्योन्मुखी अनुसंधान के लिए 144.65 लाख रुपये ;

2. चालू के लिए 1.60 लाख रुपये ;

3. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिये 10.044 लाख रुपये ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हां ।

(ङ.) महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे पहाड़ी झरनों पर अध्ययन, समेकित संसाधन सर्वेक्षण, पर्यावरणीय निम्नीकरण, चुने हुए क्षेत्रों का पारिस्थितिकीय पुनर्वास, जल विभाजक प्रबन्ध, आनुवंशिक संरक्षण, भूमि-उपयोग तथा वन-रोपण, औषधीय तथा सुगन्धित पादपों का संदोहन, आदि पर हिमालयी विश्वविद्यालयों में 31 परियोजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं ।

विदेशी मुद्रा के भुगतान पर सीमेंट का आवंटन

8971. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष विदेशी मुद्रा के भुगतान पर सीमेंट के आवंटन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए थे और कितने आवेदकों को सीमेंट की सप्लाई की गई थी,

(ख) शेष आवेदकों को तब तक सीमेंट सप्लाई कर दिया जायेगा और सीमेंट सप्लाई न किए जाने का विचार है, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या विदेशी मुद्रा के भुगतान पर दिए जाने वाले सीमेंट कोटे को राज्यों को तिमाही रूप से सप्लाई किए जाने वाले कोटे में काटा जाता है ।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जानकारी इकटठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) विदेशी मुद्रा भेजने पर सीमेंट देने सम्बन्धी कोटे की कटौती विभिन्न राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों का आवंटित किए गए सीमेंट के त्रैमासिक कोटे से 1981 की तीसरी तिमाही तक नहीं की गई थी । 1981 की चौथी तिमाही से सभी राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों के सीमेंट कोटे में वृद्धि कर दी गई है तथा राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों को उन्हें बढ़ाकर किए गए आवंटनों से विदेशी मुद्रा भेजने पर रिलीज (निर्गम) आदेश जारी करने का है या विकल्प स्वरुप सम्बन्धित क्षेत्रीय सीमेंट नियन्त्रकों/सहायक क्षेत्रीय सीमेंट नियन्त्रकों को केन्द्रीय कोटे से सीमेंट का आवंटन किए जाने के लिए आवेदन पत्र वापिस करने का परामर्श दिया गया है ।

देश में रोजगारोन्मुख शिक्षा

8972. **श्री के० मालन्ना** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा को रोजगार तथा आर्थिक विकास के साथ लाभप्रद ढंग से जोड़कर अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने पर मार्ग निदेश जारी कर अधिक बल दिया है ;

(ख) क्या सरकार सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली की, जिसे देश में रोजगारोन्मुखी आवश्यकताओं से मेल खाता हुआ बनाये जाने की आवश्यकता है, पुनरीक्षा करेगी ;

(ग) क्या सरकार ने आवश्यकता पर आधारित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों जिनसे व्यवहारिक कठिनाइयों के अनुसंधान तथा स्नातकोत्तर स्तर पर मूल अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है, पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति के बारे में ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, छठी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास के बीच उपयोगी संबद्धताओं के विकास पर जोर दिया गया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इस विषय में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं ।

(ख) इस समय संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की इस दृष्टि से समीक्षा करने का कोई नया प्रस्ताव नहीं है जिससे कि उसे देश की रोजगार सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए उसका अभिविन्यास किया जा सके ।

(ग) और (घ) सरकार माध्यमिक शिक्षा के +2 प्रक्रम पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरु करने के पक्ष में है ।

इस विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी विचार किया है और इस विषय में विश्वविद्यालयों को मार्गदर्शी सिद्धात जारी किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का उद्देश्य +3 क्रय पर पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन करना है जिससे कि इन पाठयक्रमों को नवीनतम और विविधीकृत किया जा सके तथा विषयों के संयोजन या सम्मिलन में इस दृष्टि से लचीलापन लाया जा सके ताकि वे समाज की विकासात्मक आवश्यकताओं से सुसंगत हों।

देश में इलैक्ट्रिक टेलीफोन एक्सचेंज निर्माण एककों की स्थापना

8973. **श्रीमती मोहसिना किदवई :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इलैक्ट्रिक टेलीफोन केन्द्र निर्माण एककों की स्थापना के बारे में अब तक कोई निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो लिए गये निर्णय का स्वरूप क्या है तथा तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो मामला इस समय किस चरण में है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) निम्नलिखित इकाईया स्थापित करने के सम्बन्ध में सिद्धांत रूप में निर्णय ले लिया गया है :—

(1) अंकीय स्थानीय इलेक्ट्रानिक टेलोफोन-केन्द्रों (एक्सचेंजों) के लिए दो विनिर्माता इकाईयाँ, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता प्रतिवर्ष 5,00,000 लाइनों की होगी ; और

(2) अंकीय ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों, इलेक्ट्रानिक ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों और इलेक्ट्रानिक पी० ए० वी० ऐक्सचेंजों का विनिर्माण करने के लिए एक एकक की स्थापना, जिसकी कुल क्षमता प्रतिवर्ष 1.5 लाख लाइनों की होगी।

प्रतिवर्ष अंकीय इलेक्ट्रानिक स्विचन उपस्कर की 5 लाख लाइनों का उत्पादन करने के उद्देश्य से एक कारखाना स्थापित करने के लिए संचार मन्त्रालय द्वारा आमंत्रित की गई एक निविदा के प्रत्युत्तर में प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए संचार मन्त्रालय ने एक अन्त-विभागीय समिति का गठन किया है, जिनमें इलैक्ट्रानिकी विभाग, वित्त मन्त्रालय, योजना आयोग तथा औद्योगिक विकास विभाग के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

इलैक्ट्रानिक पी० ए० बी० एक्सचेंजों का विनिर्माण करने के लिए चार राज्य-स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के इलेक्ट्रानिक निगमों को भी आशय-पत्र जारी किए गए है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

छठी योजना के दस्तावेजों में खादी की बुनाई और उसके विपणन का अध्याय जोड़ना

8974. ~~8984.~~ **श्रीमती मोहसिना किदवई :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी ग्रामीण जनसंख्या द्वारा खादी की बुनाई तथा उसके विपणन से संबंधित एक नये अध्याय को छठी योजना के दस्तावेजों में शामिल किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उससे उपलब्ध होने वाली रोजगार क्षमता तथा उत्पाद के विपणन के बारे में ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (एस० बी० चव्हाण : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए छात्रावास

8975. **श्री गदाधर साहा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं के अन्तगत इस समय राज्यवार जिलावार, अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए कितने महिला छात्रावास हैं ;

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कितने छात्र देश में राज्यवार/केन्द्र शासित क्षेत्रवार मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक उत्तर छात्रवृत्ति के हकदार हैं और उसका लाभ पा रहे हैं ;

(ग) देश में इस समय जिला वार/ राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने बुक बैंक है तथा कोचिंग और मिश्र योजनाओं के अन्तर्गत कितने उच्च विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं ; और

(घ) उच्च विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमैट्रिक पूर्व और मैट्रिक उत्तर छात्र वृत्ति की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिछात्र की प्रति वर्ष दिये जाने वाले छात्रा अनुदान की दर इस समय कितनी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) से (घ) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए निधि

8976. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिये गत तीन वर्षों के दौरान (राज्यवार, प्रतिवर्ष) कितनी राशि का अनुदान दिया गया ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान (राज्यवार और वर्षवार) बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में राज्यों/संघ राज्यों का योगदान कितना था ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों को कार्यान्वित करने के लिए देश को 5 प्रशासकीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया

हैं और इसलिए क्षेत्रवार अनुदान दी गई राशि का ही संकलन किया जाता है। 1978-79, 79-80 और 80-81 में क्षेत्रवार खर्च की गई राशि की जानकारी अनुबंध (क) में दी गई है।

(ख) किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र ने बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में कोई अंशदान नहीं दिया है। उपकर उत्पादन शुल्क के रूप में लगाया जाता है और इसे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग वसूल करता है। इस तरह से जमा की गई राशि में से 1/2 प्रतिशत संग्रह प्रभार के रूप के काटकर बाकी राशि को निधि में जमा कर दिया जाता है।

विवरण

बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि से किए गए खर्च का वर्षवार तथा क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	1978-79	1979-80	1980-81
इलाहाबाद	,83,826	14,10,116	16,40,779
बंगलौर	10,81,000	25,87,168	31,53,000
भुवनेश्वर	3,86,246	7,14,900	15,64,400
भीलवाड़ा	1,06,055	3,92,644	6,51,082
जबलपुर	3,27,128	12,67,713	18,60,000

विभिन्न प्रशासकीय क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले राज्यों का विवरण निम्नलिखित है

क्रम सं०	प्रशासकीय क्षेत्र का मुख्यालय	क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राज्य
1.	इलाहाबाद	बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली।
2	बंगलोर	कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल।
3.	भीलवाड़ा	राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब।
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा, पश्चिम, बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा।
5.	जबलपुर	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और संघशासित क्षेत्र गोवा।

उपरोक्त खर्च के अलावा, राज्य सरकारों को बीड़ी श्रमिकों के लिए गृह-निर्माण हेतु निम्नलिखित अनुदान दिए गए है :—

(क) पश्चिम बंगाल··· 4.95 लाख (1978-79)

(ख) मध्य प्रदेश··· 7.50 लाख (1979-80)

(ग) आंध्र प्रदेश··· 1,87.,500 (1979-80)

"इंफिल्ट्रेशन इज ए प्राबलम टू कृष्णा नगर" शीर्षक समाचार

8977. **श्री मुकुन्द मण्डल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1982 के स्टेट्समैन में "इंफिल्ट्रेशन इज ए प्रोबलम टू कृष्णा नगर" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) (ख) और (ग) सरकार ने समाचार देखा है और राज्य सरकार से उसके तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

पुरुलिया जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित किया जाना

8979. **श्री वासुदेव आचार्य :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुरुलिया जिले का नाम औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की सूची में सूचीबद्ध करने का विचार कर रही है,

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पुरुलिया जिले का नाम पिछड़े जिलों की सूची में डाले जाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौर क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला पहले ही औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिले के रूप में चुना जा चुका है और अखिल भारतीय ऋण दायी संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाएं पाने का और केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना का पात्र है । इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पुरुलिया जिले को औगोगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में चुनने के लिये आगे कहने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उद्योगों तथा अन्य व्यापारोन्मुखी विभागों में सम्पर्क का माध्यम

8980. **श्री भीगू राम जैन :** क्या विज्ञान और वैद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों तथा उत्पादन तथा व्यापारोन्मुखी विभागों, मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों का वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परियद के साथ किस तरह से सम्पर्क किया जाता है जिससे कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान परिषद उनकी आवश्यकता को पूरा कर सके,

(ख) कार्य की पुनर्वृत्ति को रोकने तथा सरकारी उपक्रमों तथा उद्योगों की गतिविधियों

को अद्यतन बनाने में वह सम्पर्क किस तरह लाभप्रद हुआ है,

(ग) क्या ईंधन की खपत की समस्या की आवश्यकता तथा महत्व को देखते हुए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का आपरेशनल अनुसंधान ग्रुप नागर विमान विभागों तथा ईंधन का इस्तेमाल करने वाले अन्य उपक्रमों की मांग का पूर्वानुमान लगाने तक क्षमता उपयोग में अध्ययन करने में सहायक रहा है, और

(घ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद किस तरह से क्षमता उपयोग के तकनीकी अध्ययन के द्वारा ईंधन की बचत की आवश्यकता से इस प्रकार के विभागों, उपक्रमों और उद्योगों को कार्यक्षमता बनाता है जिससे कि यह उद्योगों तथा देश के लिए लाभदायक हो सके ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) सी. एस. आइ. आर. विविध उद्योगों और अन्य उत्पादन व व्यापारदिष्ट विभागों तथा सरकार के मन्त्रालयों के साथ-साथ सम्पर्क और समन्वय निम्नांकित ढंग से बनाए रखती है,

सी. एस. आई. आर. सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उद्योगों के साथ सीधा सम्बन्ध रखती है, इन सम्पर्कों को हाल ही में संयुक्त समितियों के निर्णय द्वारा संस्थात्मक बनाया गया है, इन समितियों की अनेक बैठकें हुई और अनुसंधान के संयुक्त कार्यक्रम तैयार किए गए, यह निम्नांकित के सम्बन्ध में किया गया :

एस० ए० आइ० एल०—सी० एस० आइ० आर०

कोयला कोल इन्डिया और ऊर्जा मन्त्रालय सहित

इलेक्ट्रानिक आयोग

पेट्रोलियम, उर्वरक

एच० एम० टी०—सी० एस० आइ० आर०

महानगर विभाग

और अन्य

इसके अतिरिक्त सी० एस० आई० आर० ने एक आइ० सी० सी० आई० के द्वारा निजी क्षेत्र उद्योग के साथ वार्ता की और उन अनेक क्षेत्रों, जहां सूचना विनिमय और वार्ताओं के आयोजन की आवश्यकता है, के सम्बन्ध में एकमत हुई है ताकि अनुसधान और विकास कार्यकलापो से आयोजित किया जा सके यह प्रत्येक प्रयोगशाला का उद्योग के साथ सीधे सम्बन्ध तथा उद्योग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान को हाथ में लेने और उनको तकनीकी सहायता प्रदान करने के, अतिरिक्त है,

(ग) सी० एस० आइ० आर० भारत सरकार की लाइसेंसिस समिति, विदेशी निवेश बोर्ड, परियोजना अनुमोदन बोर्ड और तकनीकी मानांकन समितियों में प्रतिनिधि है, प्रत्येक आवेदन के

लिए प्रस्तावों की एक प्रति सी० एस० आइ० आर० में आती है जहां सी० एस० आइ० आर० के प्रयोगशालाओं/संस्थानों में देशज प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के सम्बन्ध में इसकी परीक्षा की जाती है और इसके अतिरिक्त प्रस्तावों के प्रत्येक पहलू पर सम्बन्धित समिति को परामर्श दिया जाता है,

(2) सी० एस० आइ० आर० खाद्य विभाग के खाद्य और पोषण बोर्ड, सी० ए० आर० टी० ग्रामीण विकास मन्त्रालय और ऐसी कई समितियों की सदस्य है, सूचना और अनुभव विनिमय के लिये घनिष्ठ सम्बन्ध रखा जा रहा है,

(3) सी० एस० आइ० आर० के अन्तर्गत की एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला, केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चमड़ा संवर्धन काउन्सिल और चाय बोर्ड में प्रतिनिधि है,

(4) सी० एस० आइ० आर० ने 10 राज्यों की राजधानियों (अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, बम्बई, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, शिलांग और त्रिवेन्द्रम) बहुप्रौद्योगिकी हस्तान्तरण केन्द्रों (पी० टी० सी०) की और बम्बई में रसायन उद्योग के लिए तकनीकी सूचना केन्द्र की स्थापना की है पी० टी० सी० उद्योग को नैदानिक सेवा प्रदान करता है और सूचना केन्द्र रसायन उद्योग को देशज प्रौद्योगिकियों कल उपलब्धता के बारे में सूचना देता है ये केन्द्र राज्य सरकारों और क्षेत्र के उद्योगों की वित्तीय भागीदारी से स्थापित किए गए हैं, इन केन्द्रों की परामर्शदात्री समिति में राज्य के चेंबर ऑफ कॉमर्स, उद्योगों के एसोसिएशन और सरकारी विभागों के प्रतिनिधि है,इनसे ग्रामीण और लघुस्तर सहित विविध क्षेत्रों में उद्योगों के द्वार तक पहुंचने में सहायता मिलती है,

(5) प्रयोगशालाओं के अनुसंधान विकास कार्यकलापों/कार्यक्रमों के निदेशन के लिए सी० एस० आइ० आर० की प्रयोगशालाओं की कार्यकारी समितियों/ अनुसंधान परामर्शदात्री समितियों में उद्योगों और सम्बन्धित सरकारी विभागों/मन्त्रालयों के प्रौद्योगिकीविद सदस्य है, वे दबाव के नए क्षेत्रों की और उद्योग की आवश्यकताओं जिन पर परियोजनाएं और कार्यक्रम अभी कल्पित किए जाते हैं, को भी बताती है,

(6) सी० एस० आइ० आर० विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुसंधान और विकास मान्यता समिति की भी सदस्य है जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अनुसंधान और विकास केन्द्रों को मान्यता दी जाती है, सी० एस० आइ० आर० इन उद्योगों में ऐसे अनुसंधान और विकास केन्द्रों की मान्यता की उपयुक्तता पर निवेश प्रदान करती है,

(ख) उपरोक्त सभी कार्यकलापों में सी० एस० आइ० आर० क्षेत्रों में प्राद्योगिक क्षमता के विकास में पूरक योगदान करती है, इस समन्वय द्वारा प्रौद्योगिकी का क्षैतिज हस्तान्तरण और देशज प्रौद्योगिकी की अद्यतन करने में भी सफलता मिली है, सी० एस० आइ० आर० के भाग लेने से प्रत्येक विकासशील विभागों के उत्तरदायित्व के अभीनिर्धारण में भी सहायता मिली है और इस प्रकार संभवत: दोहरे कार्य से बचा जा सका है, सी० एस० आइ० आर० स्वय सरकार और निजी क्षेत्र के उद्योग और कार्यकलापों का निदेशन करती है ,

(ग) सी० एस० आइ० आर० में औपचारिक रुप में पदनामित ऑपरेशनल अनुसंधान ग्रुप नहीं है वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक प्रभाग (डी० एस० टी० पी०) का एक वैज्ञानिक उपरोक्त प्रभाग में सी० एम० आइ० आर० की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के "कार्य संचालन अनुसंधान अध्ययन" से सम्बन्धित है, इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा संचालित किए जा रहे 17 ट्रंक रुटों के लिए क्षमता उपयोग और (अधिकांशतः भारी भीड़ वाले) मांग प्रामुक्ति संबंधी अध्ययन इस वैज्ञानिक द्वारा किया गया ।

(घ) भारत सरकार का ईधन संरक्षण स्थाई ग्रुप है और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व वाला मुख्य ग्रुप है, इस ग्रुप में सी० एस० आइ० आर० भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून भाग लेती है,

ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन

8981. **श्री भीकू राम जैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपनी औद्योगिक लाइसेंस नीति की पुनरीक्षा करने तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए पैकेज बनाने का है ;

(ख) क्या शहरी केन्द्रों से बाहर लगाये जाने वाले उद्योगों को और अधिक रियायतों तथा प्रोत्साहन दिए जाने का भी विचार है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग): यद्यपि आधारभूत औद्योगिक नीति की संवीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है किन्तु विभेदक इकट्ठे प्रोत्साहन और रियायतें केन्द्रस्त सयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार के विचाराधीन है । अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन पहले से ही उपलब्ध हैं । श्री रामन समिति की सिफारिशों पर भी अन्तिम स्तर पर विचार किया जा रहा है ।

हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए धनराशि का व्यपगत होना

8982. **श्री अनन्त रामलू मल्लू** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे मामले केन्द्रीय सरकार के ध्यान में आये हैं जिनमें 1980-81 के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में हरिजनों तथा आर्थिक रुप से पिछले अन्य वर्गों के कल्याण के लिए/योजनाओं के लिए उपलब्ध की गई भारी धनराशि व्यपगत दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं तथा प्रत्येक राज्य में प्रत्येक योजना के लिए जितनी धनराशि व्यपगत होने दी गई है उस धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क), (ख) और (ग) 1980-81 के दौरान पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के

कल्याण से सम्बन्धित है के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सूचित किए गए परिव्ययों और खर्च का विवरण संलग्न है। विवरण से मालूम होगा कि यद्यपि कुछ राज्यों में कमियां हैं फिर भी बताया जाता है कि कुल खर्च पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के लिए उपलब्ध परिव्यय से अधिक है।

पिछड़े वर्ग क्षेत्र की योजनाएं सामान्य रूप से शैक्षिक प्रोत्साहनों जैसे छात्रवृतियां, स्टाइपेंड, भोजन अनुदान, छात्रावास निर्माण, पुस्तकें और लेखन सामग्री, पुस्तक बैंक आदि से सम्बन्धित हैं। आर्थिक विकास के लिए अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगमों की शेयर पूंजी हेतु राज्यों को अनुदानों समेत कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों से योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए अनुदान तथा आर्थिक सहायता दी जा रही है। पीने के पानी पूर्ति, आवास, आवास-स्थानों तथा कानूनी सहायता के सम्बन्ध में योजनाए शुरु करने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। यह कहा जा सकता है कि पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अन्तर्गत प्रावधान, विकास के अन्य सामान्य क्षेत्रों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्राप्त किए गए भागों के अनुपूरक है।

विवरण

1980-81 के दौरान पिछले वर्ग क्षेत्र के अन्तर्गत परिव्यय तथा खर्च का विवरण

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परिव्यय	(लाख रु० में) खर्च
1.	आन्ध्र प्रदेश	987.00	1134.11
2.	असम	157.00	150.55
3.	बिहार	498.00	494.35
4.	गुजरात	1456.00	1234.00
5.	हरियाणा	172.00	180.00
6	हिमाचल प्रदेश	60.00	61.52
7.	जम्मू तथा कश्मीर	46.00	47.67
8.	कर्नाटक	422.00	507.00
9.	केरल	433.00	486.86
10.	मध्य प्रदेश	652.00	1349.73
11.	महाराष्ट्र	705.00	611.89
12.	मनीपुर	41.00	32.77
13.	मेघालय	—	—
14.	नागालैंड	—	—

1	2	3	4
15.	उड़ीसा	180.00	202.37
16.	पंजाब	389.00	481.51
17.	राजस्थान	130.00	117.97
18.	सिक्किम	18.00	17.81
19.	तमिलनाडु	935.00	1143.82
20.	त्रिपुरा	125.00	119.75
21.	उत्तर प्रदेश	645.00	819.34
22.	पश्चिम बंगाल	400.00	804.69
23.	अन्डमान व निकोबार	4.00	2.425
24.	चंडीगढ़	20.71	15.74
25.	दिल्ली	90.00	101.16
26.	गोवा	9.00	7.6
27.	पांडिचेरी	51.00	51.86
	कुल जोड़	8625.71	10177.09

भारतीय सीमेंट निगम के माध्यम से आयातित सीमेंट की बिक्री

8983. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आयातित सीमेंट की बिक्री भारतीय सीमेंट निगम के माध्यम से करने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय सीमेंट निगम ने लोगों द्वारा आयातित सीमेंट खरीदने के बारे में टेंडर आमन्त्रित किए हैं,

(ग) किन पार्टियों ने आयातित सीमेंट की खरीद के लिए भारतीय सीमेंट निगम को टेंनर भेजे हैं और उनमें से प्रत्येक ने क्या दर कोट की है,

(घ) ऐसे प्रत्येक निविदा दाता को आयातित सीमेंट की कितनी मात्रा की बिक्री की गई है, और

(ङ) देश के विभिन्न भागों में जो सरकारी परियोजनायें निर्माणाधीन है उनके लिए यह आयातित सीमेंट किन कारणों से आबंटित नहीं किया गया।

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) सीमेंट से अधिक रूप से नियंत्रण हटा लिये जाने के निर्णय के फलस्परूप, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया था कि सरकार की ओर से सीमेंट का आयात नहीं किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया था कि दिनांक 28.2.1982 से राज्य व्यापार निगम द्वारा पहले ही किए गए संविदा के अन्तर्गत आयातित सीमेंट की व्यवस्था सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, नई दिल्ली द्वारा की जाएगी।

(ख) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गयी थी निगम ने आयातित सीमेंट के प्रत्याशी खरीदारों के पंजीकरण के वास्ते समाचार पत्र में विज्ञापन दिया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ.) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयातित सीमेंट मूल्य और वितरण नियंत्रण से मुक्त है।

शालीमार बाग और पीतमपुरा, दिल्ली में गृह कर का मूल्यांकन

8984. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शालीमार बाग तथा प्रीतमपुर कालोनियों में बड़ी संख्या में गृह कर मूल्यांकन के मामले निपटाने के लिए काफी समय से विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन मामलों के यथाशीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा वहां पर सेनीटेशन आदि की क्या सुविधायें उपलब्ध की गई है तथा गृह कर का मूल्यांकन करते समय इसके लिए क्या शुल्क लगाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वी० वेंकटसुब्बय्या) :

(क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि शालीमार बाग में वर्ष 1981-82 के दौरान जारी किए गए 2, 38 नोटिसों समेत 1978-79 से आगे 31-3-82 तक 8,259 मामलों में सम्पत्ति के मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी किये गये थे। जिनमें से 3,385 मामले 31.3.82 तक तय कर दिये गये और 1-4-82 को 4,874 मामले लम्बित पड़े थे। प्रीतमपुरा कलोनी के बारे में वर्ष 1981-82 के दौरान जारी किए गए 988 नोटिसों समेत 1979-80 से आगे 31-3-82 तक मूल्यांकन के लिए 4,502 नोटिस जारी किए गए थे। जिनमें से 31-3-82 तक 2,718 मामले तय कर दिये गए और 1-4-82 को 1,784 मामले लम्बित पड़े थे। निगम लम्बित पड़े मामलों को यथा संभव शीघ्र निपटाने के लिये आवश्यक कदम उठा रहा है।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इन कालोनियों की सेवायें अभी तक निगम द्वारा हाथ में नहीं ली गई हैं

मूल्य सूचकांक पर रथ समिति

8985. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर रथ समिति की विभिन्न सिफारिशों को स्वीकार न किये जाने के मुख्य कारण क्या है ; और

(ख) सूचकांक की गणना के आधार में, जैसा कि समिति द्वारा कहा गया है, मुख्य दोष क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) (क) और (ख) रथ समिति की मुख्य सिफारिशें ये थी :—

(क) 1971 की सीरीज रिलीज की जानी चाहिए ।

(ख) 1960 की सीरीज को ठीक किया जाना चाहिए ; और

(ग) एक नया परिवार जीवन निवाह सर्वेक्षण आरम्भ किया जाना चाहिए ।

समिति के कुछ श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा 1971 को सीरीज जारी करने के विरोध में में लिखी गई असहमति टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने यह निर्णय लिया कि 1971 की सीरीज को जारी करने की आवश्यकता नहीं है। 1960 की सीरीज 10 8-59 में किए गए आय तथा व्यय सर्वेक्षण पर आधारित है। चूंकि औद्योगिक श्रमिकों के उपभोग पैटर्न तब से काफी परिवर्तन हो गया है, इसलिये यह महसूस किया गया कि 1960 की सीरीज को सही करने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। इसके स्थान पर यह निर्णय किया गया कि श्रमिकों के वर्तमान उपभोग पैटर्न को हिसाब में लाने के लिए एक नया परिवार जीवन-निर्वाह सर्वेक्षण शुरू किया जाय। इस समय यह सर्वेक्षण श्रम,ब्यूरो और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जा रहा है। रथ समिति ने सूचकांक के संकलन के आधार में कोई दोष नहीं बताया ।

क्षमता उपयोग में उद्योग-वार कमी

8986. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों में 1970-71 से 1980-81 के दशक के दौरान क्षमता उपयोग में कमी आई है,

(ख) यदि हां, तो उद्योगवार क्षमता उपयोग में आई कमी का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस प्रकार की कमी के क्या कारण हैं।

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) से (ग)

पिछले दशक में विभिन्न प्रधान (कोर) उद्योगों के उत्पादन और क्षमता में वृद्धि हुई है। फिर भी कुछ उद्योगों जैसे रिफ्रेक्टरी, अल्यूमिनियम, बिजली की मोटरों आदि में उत्पादन से अधिक क्षमता की वृद्धि दर अधिक रही है। निविष्टियों की अस्थायी कमी, बिजली की उपलब्धता में रुकावटें, घरेलू मांग में कमी आदि क्षमता उपयोग पर प्रभाव डाल सकते हैं।

वैज्ञानिक तथा औद्योग अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं में चयन बोर्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के अधिकारियों की नियुक्ति

8987. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** (क) क्या यह सच है कि वैज्ञनिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थानीय प्रयोगशालाओं/उप-कार्यालों में साक्षात्कार चयन के लिए बोर्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचिल जनजातियों के उम्मदवारों को शैक्षिक योग्यताओं तथा अनुभव में उपयुक्त छूट देने के बारे में उनके हितो को देखने के लिए अनुचित जातियों/अनुचित जनजाति समुदायों के किसी भी अधिकारी को नहीं बुलाया जाता है,

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय से गैर-सरकारी अधिकारी को चयन बोर्ड में उपस्थि होने के लिए बुलाया जाता है जो कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विभागीय तथा बाहरी उम्मीदवारों के हितों के विरुद्ध है, और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (सी० पी० एन० सिंह) (क) (ख) सी० एस० आई० आर और उसके राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं/संस्थानें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदों के आरक्षण से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों का पालन करते हैं योग्यातओं, आयु, इत्यादि में शिथिलन नियमों के अन्तर्गत किया जाता है जिसका उल्लेख केन्दों के विज्ञापन में किया जाता है कोई एक व्यक्ति जिसकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि हो अथवा न हो, या तो अनुसूचित जाति/जनचाति के आयुक्त के कार्यालय से प्रतियुक्त किया जाता है अथवा इस समुदाय का सी० एस० आई० आर का कोई पदाधिकारी चयन समितियों में सम्मिलित किया जाता है। सी० एस० आई० आर स्वयं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए व्यग्र है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सीमेंट पर आधारित कुटीर तथा लघु उद्योगों की अखिल भारतीय एसोसिएशन से प्राप्त याचिका

8988. **डा० बसन्त कुमार पंडित :**

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई सीमेंट नीति के अन्तर्गत आंशिक नियन्त्रण हटाए जाने के कारण इन

छोटे क्षेत्र के उपक्रमों के सामने आए संकट के बारे में सीमेंठ पर आधारित कुटीर तथा लघु उद्योगों की आल इन्डिया एसोसिएशन ने सरकार से कोई सम्पर्क स्थापित किया है,

(ख) क्या सीमेंट पर आधारित छोटे क्षेत्र के ये उद्योग खुले बाजार से सीमेंट की खरीद करके लाभप्रद ढंग से अपने आपको चलाए जान में असमर्थ पाए जान के कारण बन्द होते जा रहे हैं जिसके फलस्वरुप दस लाख श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं,

(ग) क्या इन उद्योगों के बन्द हो जाने के कारण बैंकों, सहकारी समितियों तथा खादी ग्रामोद्योग और ग्रामीण उद्योग बोर्डों से ली गई ऋण की भारी राशि की वसूली नहीं हो पाएगी, और

(घ) क्या सरकार सम्पूर्ण संकट को दूर करने के लिए इन उद्योगो को नियन्त्रित मूल्य पर सीमेंट उपलब्ध कराने के आदेश जारी करेगी।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत तिवारी) : (क) से (घ) सरकार द्वारा हाल ही में घोषित सीमेंट से आंशिक नियन्त्रक हटा लिए जाने की योजना के अन्तर्गत लेवी सीमेंट उन सीमेंट आधारभूत उद्योगों के लिए उपलब्ध नहीं कराई जाती जो सीमेंट का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। नई नीति से रोजगार, वित्तीय जीव्यता आदि पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाते हुए इन एककों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इनमें इस मामले पर पुन: विचार करने का अनुरोध किया गया है। लघु, कुटीर और सीमेंट पर आधारित मिनी उद्योगों के लिए लेवी सीमेंट की अनुमति देने के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है।

बारोनेस स्टेफानिया के हीरो की चोरी

8989. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रेंच बारोनेस एम० डी० स्टेफानिया बोन कोरी के 30 लाख रूपये मूल्य के हीरे के कान के बुन्दों की चोरी से सम्बन्धित जांच कार्य को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली सीमा शुल्क विभाग से अपने हाथ में लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह जांच-कार्य पूरा हो गया है ; यदि हां तो उसके क्या परिणाम रहे ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह जांच कब तक चलेगी ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) इस मामले की जांचपड़ताल दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। चुराई गई सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य 8.00 लाख रूपए है।

(ख) और (ग) मामले की जांच-पड़ताल अभी जारी है किन्तु अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।

हिमाचल प्रदेश में रोजगार केन्द्र

8990. श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचय प्रदेश में कितने रोजगार केन्द्र स्थापित किए गए हैं और क्या राज्य में और रोजगार केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इन रोजगार केन्द्रों को किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने का विचार है ; और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ख) प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत शिक्षित तथा अशिक्षित युवा लड़कों और लड़कियों तथा अन्य लोगों की संख्या क्या है और उन्हें कब तक रोजगार मिलने की संभावना है और इस सम्बन्ध में योजना का सम्पूर्ण ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) हिमाचल प्रदेश में इस 14 रोजगार कार्यालय और एक विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्गदर्शन केन्द्र कार्य कर रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर नए रोजगार कार्यालय स्थापित करने सम्बन्धी कार्य राज्य सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रश के अन्तर्गत आता है और केन्द्रीय सरकार से किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(ख) 30.6.1981 के अन्त में हिमालय प्रदेश में रोजगार कार्यालियों के चालू रजिस्टर पर शिक्षित और अशिक्षित नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या (यह आवश्यक नहीं है कि वे सभी बेरोजगार हो) के बारे में उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार है :—

शैक्षिक स्तर	30.6.1982 के अन्त में चालू रजिस्टर पर संख्या	
	कुल	महिलाएं (कालम 2 में शामिल)
1	2	3
1. मैट्रिक से कम (अशिक्षित शामिल है)	73911	5643
2. मैट्रिक पास	58195	9624
3. हायर सैकेंडरी/ अन्डर ग्रेजुएट्स	12015	2097
4. स्नातकोत्तर सहित स्नातक	9565	2406
कुल जोड़	153686	19820

छठी योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए व्यापक रोजगार सम्भाव्यता वाले अनेक कार्यक्रम बनाए गए हैं, जिनके पूर्ण ब्यौरे छठी योजना दस्तावेज में दिखाए गए हैं । संक्षेप में, योजना में शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगारों, दोनों की रोजगार संभाव्यता के सृजन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों पर जोर दिया गया है । योजना यह परिकल्पना करती है कि ऐसे कार्यक्रम, जो विभिन्न क्षेत्रों में जिम्मे लिए जाने हैं, बेरोजगारों को हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार व्यक्तियों सहित रोजगार के लिए पर्याप्त सम्भावना प्रदान करेंगे ।

हिमाचल प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

8991. **श्री कृष्णा दत्त सुल्तानपुरी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश में कितने उद्योगों की स्थापना की गई है, और

(ख) इन उद्योगों के बनाए जाने वाले उत्पादकों का ब्यौरा क्या है ।

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान हिमाचल प्रदेश में उद्योगों की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित औद्योगिक लाइसेंस और आशयत्र स्वीकृत किए गए थे :—

वर्ष	स्वीकृत किए गये लाइसेंसों की संख्या	स्वीकृत किए गए आशयपत्रों की संख्या
1980	2	11
1981	1	25

पार्टी का नाम, उत्पादन की वस्तु, उद्योग की किस्म, स्थापना स्थल आदि सहित सभी आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा "मन्थली न्युज लैटर" में प्रकाशित किया जाता है इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ?

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के मन्डल के सदस्य

8992. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के लिए गठित बोर्ड के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है,

(ख) बोर्ड के सदस्यों के राज्यवार नाम क्या हैं,

(ग) ऐसे सदस्यों की संख्या सम्बन्धी ब्यौरा क्या है जो हरिजन तथा आर्थिक रूपसे पिछड़े समाज के कमजोर वर्ग से हैं, और

(ग) खादी आयोग द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान चलाई गई विभिन्न योजनाओं पर हुई कुल व्यय में हरिजनों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों की प्रतिशतता क्या है ।

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री उद्योग (श्री नारायण दत्त तिवारी : (क) तथा (ग)

राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन सम्बन्धित राज्यों के विधानांग के अधिनियमों के अन्तर्गत किया जाता है और मांगी सूचना तत्काल उपलब्ध नही है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोग द्वारा किए गए कुल व्यय के आंकड़े और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर किया गया अनुमानित व्यय नीचे दिया गया है।

करोड़ रुपयों में

	1978-79			1979-80			1980-81		
	अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल
समाज के कमजोर वर्गों के लिए	8.01	1.23	27.24	8.95	24.00	32.95	10.45	23.75	34.20
कुल व्यय	16.02	38.46	54.48	17.90	48.01	65.91	20.93	47.51	68.44

संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए छठी योजना

8993. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघशासित क्षेत्र चन्डीगढ़ के लिए छठी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितने परि-व्यय का प्रावधान किया गया है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) चंडीगढ़ के संघ राज्य के लिए छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) को 100.75 करोड़ रु० की राशि के साथ अन्तिम रूप दिया गया है। सहमत परिव्यय के क्षेत्रकीय ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(लाख रु0

विकास का शीर्ष	सहमत परिव्यय (1980-85)
1. कृषि और सम्बद्ध	332
2. सहकारिता	45
3. विद्युत	1150
4. उद्योग और खनिज	.09
5. परिवहन और संचार	525
6. सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	7909
जिसमें से	

1	2
सामान्य शिक्षा	1270
स्वास्थय	610
मलक जल व्यवस्था और जलपूर्ति	821
आवास	1650
चंडीगढ़ राजधानी परियोजना	2725
अनुसुचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और)	
अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	110
समाज कल्याण	150
पोषाहार	125
7. आर्थिक सेवाएं	5
जोड़ :	10075

मैसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड कलकत्ता का राष्ट्रीयकरण

8994. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, मूल अथवा इसी प्रकार के किसी बड़े सरकारी क्षेत्र के उद्योग के साथ मैसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता का राष्ट्रीयकरण करने से सम्बन्धित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) इस इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ।

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां । सरकार को मोटर एण्ड मशीनरी मैन्युफैक्चर्स लि० को भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० में मिलाने के लिए मैं मोटर एण्ड मशीनरी मैन्युफैक्चर्स लि०, श्रमिक यूनियन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ग) सरकार भविष्य मे एकक का निपटारा करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है । अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए राज्यों को धन का आवंटन

8995. **श्री रामावतार शास्त्री** :

श्री अनादि चरण दास : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी श्रेणियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिए प्रति वर्ष राज्यों को धन का आवंटन करती हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान आवंटित धन का राज्य-वार ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने ऐसे विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां की योजना के अधीन सरकार योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्यों के स्वीकार्य हिस्से से अधिक कुल व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देती है। राज्य का स्वीकार्य हिस्सा पिछली योजना के गत वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय के समान होता है।

(ख) 1980-81 और 1981-82 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता राज्य वार अनुलग्नक-1 में दी गई है।

(ग) तथा (घ) भारत सरकार ने 1-7-1981 से छात्रवृत्तियों की पात्रता के लिये आय सीमा में पहले ही वृद्धि कर दी है। संशोधन का एक विवरण अनुलग्नक-2 पर दिया है। (पुरानी दरें कोष्ठकों में दी गई है।)

विवरण-1

1980-81 तथा 1981-82 के दौरान अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई राशि

(रुपयों लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1980-81	1981-82
1.	आन्ध्र प्रदेश	498.46	669.50
2.	असम	—	24.60
3.	बिहार	—	77.00
4.	गुजरात	—	136.86
5.	हरियाणा	77.7	20.25
6.	हिमाचल प्रदेश	0.24	9.12

1	2	3	4
7.	जम्मू और कश्मीर		4.70
8.	कर्नाटक	—	225.79
9.	केरल	66.60	79.143
10.	मध्य प्रदेश	18.37	76 63
11.	महाराष्ट्र	—	153·23
12.	मणिपुर	21.15	14.75
13.	मेघालय	—	9.27
14.	नागालैंड	3.50	12.00
15.	उड़ीसा	29.51	72.51
16	पंजाब	85.0	38.50
17.	राजस्थान	22.22	100.80
18.	सिक्किम	0.78	1.535
19.	तमिलनाडु	174.87	276.01
20.	त्रिपुरा	0.93	4.05
21.	उत्तर प्रदेश	186.22	553.572
22.	पश्चिम बंगाल	11.20	49.16
	जोड़ (राज्य)	1049.52	2610.00
	संघ शासित क्षेत्र		
1.	दादरा तथा नगर हवेली	0.30	0.40
2.	दिल्ली	2.00	6.00
3.	गोवा, दमन और दीव		
4.	मिजोरम	20.30	2279
5.	पांडिचेरी	1.07	200
	जोड़ संघ शासित क्षेत्र	23.40	31.33
	कुल जोड़	1072.92	2641.33

विवरण

21-4-1982 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 8995 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में विवरण।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों और छात्राओं के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की संशोधित दरें और माता/पिता/अभिभावक/ संरक्षकों की आय सीमा नीचे दी गई हैं।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

	दिन में स्कूल जाने वाले		छात्रावासों में रहने वाले	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
ग्रुप-क	(रूपये)		(रूपये)	
1. मेडीकल और इंजीनियरिंग				
प्रथम वर्ष	100(75)	110(85)	185(185)	195(195)
द्वितीय वर्ष	100(75)	115(90)	185(185)	200(200)
2. बी० वी० एस० सी० बी० एस० सी०(कृषि				
प्रथम वर्ष	100(75)	110(85)	185(125)	195(135)
द्वितीय वर्ष और आगे	100(75)	115(90)	185(125)	200(140)
ग्रुप-ख				
इन्जीनियरिंग मेडीकल तकनीकी में डिपलोमा पाठ्यक्रम और विज्ञान में निष्णांत पाठ्यक्रम				
प्रथम वर्ष	100(60)	110(70)	125(90)	135(100)
द्वितीय वर्ष और आगे	105(65)	120(80)	130(95)	145(110)
ग्रुप-ग				
इन्जीनियरिंग, मेडीसन तकनीकी आदि में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम और कला और वाणिज्य में निष्णांत पाठ्यक्रम				
प्रथम वर्ष	150(50)	110(60)	125(80)	135(90)
द्वितीय वर्ष	105(55)	115(70)	130(85)	145(100)
ग्रुप-घ स्नातक स्तर तक सामान्य पाठ्यक्रम				
दूसरे वर्ष से आगे	70(75)	85(60)	115(75)	130(90)
ग्रुप-डी				
10+2 प्रणाली में 11वीं और 12वीं कक्षाएं				

इन्टर मीडिएट पाठ्यक्रम और स्नातक स्तर तक
सामान्य पाठ्क्रमों का प्रथम वर्ष

प्रथम वर्ष (11 वी कक्षा)	50(40)	60(50)	75(70)	85(80)
द्वितीय वर्ष (12वीं कक्षा)	55(45)	70(60)	80(75)	95(80)

सामान्य पाठ्यक्रमों का प्रथम वर्ष

2. नेत्रहीन छात्रों को रीडर व्यय के रूप में प्रथम वर्ष में 25 रूपये प्रतिमास और द्वितीय वर्ष में और उसके बाद के वर्षों में 35 रु० की दर से अतिरिक्त राशि दी जाती है।

3. इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि बी० एस० सी० (कृषि) और बी० वी० एस० सी० पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की दरों को बढ़ाकर मेडीकल और इन्जीनियरिंग छात्रों के लिए लागू दरों के समान किया जाय। यह भी निर्णय किया गया है कि 10+2 प्रणाली में 11 वीं और 12वीं कक्षाओं, इन्टरमीडिएट पाठ्यक्रमों और स्नातक स्तर तक सामान्य पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष का वर्गीकरण ग्रुप 'डी" के रूप में किया जाए।

4. छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए आय की अधिकतम सीमा के संशोधन के सम्बन्ध में पूर्ण छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए बर्तमान आय सीमा, सभी स्रोतों से 500 रु० प्रतिमाह तक है। यदि किसी छात्र के माता पिता की आयु 500 रु० प्रतिमास से अधिक हो लेकिन 750 रु० प्रतिमाह से अधिक नही है तो ग्रुप (क) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पूरे छात्रवृत्ति और ग्रुप "ख" और "ग" और "घ" पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत आधी छात्रवृत्ति स्वीकार्य है। इन सीमाओं को क्रमश: 500रू० प्रतिमाह से बढ़ाकर 750रु० प्रतिमाह और 750 रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रु० प्रातमाह करने का निर्णय किया गया है जो नये ग्रुप "डी" के लिए भी लागू होगा।

5. ऊपर उल्लिखित सशोधित छात्रवृत्ति की दरें और संशोधित आय सीमा 1 जुलाई, 1981 से लागू होगी।

खाड़ी देशों से पैट्रोडोलर्स का पूंजी निदेश

8996. **श्री एम० रा गोपाल रेड्डी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी देशों से पैट्रोडोलर्स के पूंजी निवेश वाली तीन नई परियोजनायें स्वीकृत की है.

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या भारत सरकार खाड़ी देशों के साथ बड़े पैमाने पर संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने की संभावनाओं का पता लगा रही है,।

उद्योग तथा इस्पात और खान मत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) अप्रैल. 1981 से मार्च, 1982 की अवधि के दौरान उद्योग मन्त्रालय के औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय ने तेल निर्यातक खाड़ी देशों द्वारा पोर्टफोलियो पूंजी निवेश वाली दो परियोजनाओं

की स्वीकृति दी है । इन परियोजनाएं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है : —

क्र० सं०	भारतीय पार्टी का नाम	विदेशी पार्टी का नाम	इक्विटी के उत्पादन विदेशी पूंजी- निवेश की सीमा	वस्तु
1	2	3	4	5
1.	मे० इसलैण्ड कम्बाइनर्स, त्रिवेन्द्रम	अल-इसानी ट्रेडिंग एस्टेब्लिशमेंट आबू-धाबी	40 प्रति०	वाटर कूलर एण्ड डीप फ्रीजर्स
2.	मे० स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेषन आफ महाराष्ट्र लि०, बम्बई ।	यूनिवर्सल एंटरप्राइजेज, बहरीन	40 प्रति०	भैंस का मोट

(ग) सरकार की नीति के अनुसार विदेशी निवेश को भारतीय उद्यमों में तकनीकी के हस्तांतरण के माध्यम के रूप में या निर्यातोन्मुख उत्पादन बढ़ाने के लिए सामान्यत: अनुमति दी जाती है । फिर भी, तेल निर्यात करने वाले विकासमान देशों से उपलब्ध अधिशेष वित्तीय स्रोतों को आकर्षित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि तेल निर्यात करने वाले विकासमान देशों से प्राथमिकता वाले और निर्यातोन्मुख उद्योगों में और भारत में होटल/अस्पताल परियोजनाओं में केवल पोर्टफोलियो निवेश की अनुमति देने का जिसमें अंशधारिता 40 प्रतिशत तक होगी, निर्णय किया है ।

सरकारी उपक्रमों/संगठनों द्वारा नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में स्थायी आदर्श आदेशों की उपेक्षा

8997. **श्री आर० पी० यादव** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम मन्त्रालय ने नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में स्थायी आदर्श आदेश परिचालित किये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ सरकारी उपक्रम स्थायी आदर्श आदेशों की आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हुए पाये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे सरकारी संगठनों/उपक्रमों के नाम क्या है ; और

(घ) उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो ऐसे आदेशों की अवहेलना के उत्तरदायी हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : (क), (ख), (ग) और (घ) जी, हां, मन्त्रालयों के अधीन विभिन्न विभागीय उपक्रमों द्वारा अपनाये जाने के लिए श्रम मन्त्रालय ने 1971 के आदर्श स्थायी आदेश जारी किए थे। तथापि, उक्त उपक्रमों द्वारा इन आदेशों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में कोई सांविधिक बाध्यता नहीं है।

नैमित्तिक श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने के लिए, श्रम मन्त्रालय ने बंधुआ, उत्प्रवासी तथा नैमित्तिक श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय स्थायी समिति गठित की है जो श्रमिकों की समस्याओं/कठिनाईयों का पुनरीक्षण और समाधान करेगी और प्रगति पर निवाह रखेगी।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : श्रीमान जहां तक कलकत्ता को विद्युत सप्लाई करने में दामोदर घाटी निगम की असफलता का सम्बन्ध है, यह जानबुझकर पैदा की गई है मुख्य मन्त्री भी एक वकतव्य दे चुके हैं वे ऐसा चुनाव से पहले कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को नियम 377 के अन्तर्गत वकतव्य देने की अनुमति दे दी है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) अध्यक्ष महोदय, पूरी दिल्ली में जो पानी और बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं··· ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर को और बिजली, पानी मन्त्री को लिख रहा हूं वे देखेंगे।

श्री रामविलास पासवान : आपने तो पहले भी लिखा है, लेकिन उसका असर क्या पड़ रहा है ? वर्क्स एण्ड हाउसिंग मिनिस्टर यहां बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : भीष्म जी, जरा दिखवाइए पासवान जी को कह रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत अध्यक्ष महोदय, गया, धनबाद, बरेली के स्टेशन पर सैकड़ों राकेट्स जो बनाए हुए है···

अध्यक्ष महोदय : वह आ रहा है मैंने कल के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) कोड आफ कन्डक्ट डयूरिंग इलेक्शन, जिसका उल्लंघन हो रहा है इसके लिए नियम 277 में मैंने दिया है।

अध्यक्ष महोदय : और किसी तरीके से लाइए यह किसी नियम के अन्तर्गत होना चाहिए

श्री अटल बिहारी वाजपेयी रेल मन्त्री इसका उल्लंघन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : डिमडांस ले आइए।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : डिमांड्स तो आज खत्म हो रही हैं।। नियम 377 के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : फाइनेंस बिल पर आ जाएगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, आप इस पर फिर से विचार कर लीजिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : कीर्तन के प्रश्न पर गुरुद्वारों के सम्बन्ध केन्द्रीय अधिनियम की आवश्यकता के लिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी·····

अध्यक्ष महोदय : उसको अनुमति नहीं दी गई।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप पंजाब के हैं। आपका निर्वाचन क्षेत्र क्या सोचेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला स्थगन प्रस्ताव के उपयुक्त नहीं है अनुमति नहीं दी जाती।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, अमरीका के राजदूत···

अध्यक्ष महोदय : नाट एलाउड।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं यही कह रहा था कि राकेट वाला मामला बहुत गंभीर है।

अध्यक्ष महोदय : कल कालिंग अटेंशन आ रहा है। थोड़ा समय तो लगता ही है, मेरे पास कोई जादू तो है नहीं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने खुद जाकर देखा कि जो फ्लाई ओवर बन रहे हैं, उसमें मस्जिद और कब्रिस्तानों को तोड़ा जा रहा है।

(व्यवधान) * *

अध्यक्ष महोदय : नाट एलाउड।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय की वर्ष 1982-83 के लिए अनुदानों की ब्यौरेवार मांगे

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : मैं पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 3967/82]

---

* * कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अधिसूचना और आयातित सीमेंट नियंत्रण (दूसरा संशोधन आदेश 1982

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 क की उपधारा (2) के अन्तर्गत सूचना संख्या का० आ० 138 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 17 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और इण्डियन रबड़ मैन्युफेक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध 5 वर्षों से आगे जारी रखने के बारे में है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०3968/82]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आयातित सीमेंट नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 31 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2?3 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3969/82]

खनिज विकास बोर्ड नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

उद्योग तथा खान और इस्पात मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) खनिज विकास बोर्ड, नव दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) खनिज विकास बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 3970/82]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय की वर्ष 1982-83 के लिए अनुदानों की ब्यौरेवार मांगे

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मैं नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 3971/82]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) पहला संशोधन विनियम, 1982 जो 1 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा० का० नि० 294 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय वन सेना (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1982 जो 1 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 295 (अ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3972/82]

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1980-81 का अग्रिम प्रतिवेदन-संघ सरकार सिविल) और संघ सरकार के वर्ष 1979-80 के वित्त लेखे

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं?

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1980-81 के अग्रिम प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3973/82]

(2) संघ सरकार के वर्ष 197 -80 के वित्त लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3974/82]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

42 वां प्रतिवेदन

श्री जो० लक्ष्मण (मद्रास उत्तर) मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 42 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

विशेषाधिकार समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री हरिनाथ मिश्र (दरभंगा) : मैं समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

हिन्दुस्तान समाचार में कथित तालाबन्दी

अध्यक्ष महोदय : कालिंग अटेंशन-श्री राम स्वरुप राम ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

हिन्दुस्तान समाचार बन्द हुआ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की नीतियों के कारण, केवल श्रम विभाग नहीं है। सूचना मंत्रालय ने सारी धनराशि देना बन्द कर दी, इसलिए समाचार बंद हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : अपने आप जवाब देंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप सूचना मन्त्री को भी बुलाइए, केवल श्रम-मंत्री का मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह केवल श्रम मंत्रालय का मामला नहीं है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : इसमें भागवत झा आजाद क्या करेंगे, साठे जी को बुलाइए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : ये क्या करेंगे, यह मैं बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : हां शास्त्री जी बताएंगे, इनका नाम है इसमें।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) एक और कालिंग एटेंशन मंजूर कर लें ताकि सूचना मंत्री जवाब दे सकें।

अध्यक्ष महोदय : कौन सा सत्रावशान हो गया है ?

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : मालूम देता है सूचना मन्त्री सूचित नहीं किए गए हैं।

श्री रामस्वरुप राम (गया) : मैं श्रम मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषण की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

" "हिन्दुस्तान समाचार" नामक एजेंसी में कथित तालाबन्दी और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : हिन्दुस्तान समाचार, जो एक

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर) :-

सरकारी सोसाइटी है, दिल्ली में कार्य करने वाली चार समाचार एजेंसियों में से एक एजेंसी है। दिल्ली प्रशासन ने, जो संबंधित सरकार है, सूचित किया है कि इस एजेंसी ने अपने कर्मचारियों-पत्रकारों को, जनवरी, 1982 से और गैर पत्रकारों को फरवरी, 1982 से मजदूरी का भुगतान नहीं किया है। हिन्दुस्तान समाचार कर्मचारी यूनियन ने पहली अप्रैल, 1982 को सांकेतिक हड़ताल की और पालेकर पंचाट के अनुसार मजदूरी के भुगतान और वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के लिए बोनस की अदायगी की मांगों को लेकर 16 अप्रैल, 1982 से अनिश्चित कालीन हड़ताल करने का नोटिस दिया। इस बीच, प्रबन्धकों ने 12 अप्रैल, 1982 को एक वरिष्ठ आपरेटर को, जो इस यूनियन का सदस्य था, इस आधार पर मुअत्तल कर दिया कि उन्हें कार्य समय के दौरान यूनियन के लिए पोस्टरों को तैयार करते हुए पाया गया। तत्पश्चात यूनियन 14 अप्रैल 1981 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई। प्रबन्धकों ने 17-18 अप्रैल, 1982 की मध्यरात्रि से तालाबन्दी घोषणा कर दी।

2. विवाद को हल करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने इस मामले में मध्यस्ता की और प्रबन्धकों के साथ अनेक बार्ताएं की।

3. यह बताया गया है कि प्रबन्धकों ने दिल्ली प्रशासन को सूचित किया है कि वे वित्तीय संकट में हैं। अत: वे कर्मचारियों को समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं कर सके क्योंकि विभिन्न स्रोतों से सोसाइटी को लगभग 11,46 लाख रुपए मिलने बाकी हैं।

4. दिल्ली प्रशासन के श्रमायुक्त ने 16 अप्रैल, 1982 को दोनों पक्षकारों को बुलाया चूंकि सोसाइटी के अध्यक्ष वरिष्ठ आपरेटर की मुअत्तली को रद्द करने के लिए राजी नहीं हुए, इसलिए यूनियन हड़ताल को वापस लेने के लिए सहमत नहीं हुई। श्रमायुक्त ने 20 अप्रैल 1982 को दोनों पक्षकारों को बिचार-विमर्श के लिए पुन: बुलाया ताकि तालाबन्दी उठाई जा सके लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। उन्होंने आज फिर बैठक के लिए दोनों पक्षों को बुलाया है।

5. विचार-विमर्शों के परिणाम को ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन कानून के अन्तर्गत आगे समुचित कार्यवाही करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : पूरी जानकारी दे दी गई है। केवल पूछिये।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। इसमें कई बातें हैं।

श्री रामस्वरुप राम : मन्त्री महोदय के उत्तर को मैंने भी और सदन ने भी सुना हैं। लेकिन खेद है कि मंत्री महोदय ने हिन्दुस्तान समाचार में जो तालाबंदी हैं, स्ट्राइक चल रही है इसके कारणों की गहराई में जाकर पता लगाने की कोशिश नहीं की है। आप जानते हैं कि चार समाचार एजंसीज हैं और हिन्दुस्तान समाचार एजंसी उनमें से एक है। जितने भी अखबार है चाहे वह इण्डियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स आफ इण्डिया हो, स्टेट्समैन हो या और बड़े बड़े अखबार हो ये सब मोनोपोली हाउसिज के हाथ में है, उनका उन पर एकाधिकार हो गया है। हम देख रहे हैं कि अखबारों का क्या रोल कैसा रोल वे प्ले कर रहे हैं। देश के निर्माण में

सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको ये अखबार छापने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर छापते भी हैं तो छोटी सी खबर के रूप में किसी एक कार्नर में इस तरह की खबरों को छाप देता है। इसका मतलब यही है कि अखबार पूंजीपतियों के हाथ में हैं चाहे वह राम नाथ गोइनका हो, बिडला हों या टाटा हों। केवल हिन्दुस्तान समाचार की ही एक ऐसी एजेन्सी है, जो गरीबों की बात देश के सामने लाती है लेकिन वहां भी प्रतिक्रियावादी तत्व घस गये जो आर० एस० एस० के रूप में काम कर रहे हैं और अब वहां गरीबों की आवाज इग्नोर की जा रही है। वहां पर आर० एस० एस० के लोग बैठे हुए है। आप उनका आचरण देख लीजिये, पिछला रिकार्ड देख लीजिये जो प्रबन्धक है उन्होने वहां पर आर० एस० एस० का खोखा बना लिया हैं।

इन्होंने कहा है कि हिन्दुस्तान 30 लाख रु० के घाटे में चल रहा है। पालेकर अवार्ड या प्रेस कमीशन की रिपोर्ट आयी, पालेकर अवार्ड ने तनख्वाह बढ़ाने की बात कही, लेकिन टाइम्स आफ इण्डिया ने कोर्ट की शरण ली और कर्मचारियों को पालेकर अवा ' के अनुसार तनख्वाह नहीं मिली। यह सिर्फ "हिन्दुस्तान समाचार" की ही बात नहीं है, बिहार में "आर्यावर्त" "इण्डियन नेशन" को देख लीजिये जो महाराजाओं के हाथ में है। "पी० टी० आई०" टाइम्स आफ इण्डिया डालमिया जी के हाथ में है "इण्डिय नएक्सप्रेस" राम नाथ गोइनका के हाथ में है। इस प्रकार सभी अखबारों की क्या हालत है, किसी से छिपी हुई नहीं है। इन अखवारों में गरीबों की तस्वीर और सरकार की उपलब्धियां नहीं निकलती, केवल विरोधी पार्टियों के पैपफ्लैट्स के रूप में काम कर रहे हैं। आप "आर्यावत" और "इण्डियन नेशन" को देख लीजिये वह पत्रकारित का रूप खो बैठे हैं और केवल आर० एस० एस० का खिलौना बन कर उनका प्रचार किया जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : हर जगह आर० एस० एस०।

श्री राम स्वरुप राम : आर० एस० एस० की बात यहां पर इसलिये कह कहा हूं कि "हिन्दुस्तान समाचार" एजेन्सी देश के गावों की तस्वीर लोगों के सामने रखती। लेकिन टोप में बैठे हुए श्री वी० पी० अग्रवाल का नाम लीजिये···

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : "नेशनल हैराल्ड का नाम लीजिये।

श्री राम स्वरुप राम : उनको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं।

एक और "हिन्दुस्तान समाचार" बाले कहते हैं कि यह एजेन्सी 30 लाख रुपये के बाटे में चल रही है। हम कहते हैं कि माधव राघवन को···

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपने प्रश्न पूछिए। आपने पर्याप्त भूमिका तैयार कर ली है।

श्री रामस्वरुप राम : आपको ज्यादा समय देना होगा। अगर रामनाथ गोइनका की बात होती तो मैं तुरन्त सवाल रख देता। लेकिन चूंकि गरीबों की बात को रखना है इसलिए पोइन्ट बनाना होगा।

एक ओर कहते हैं कि "हिन्दुस्तान समाचार" घाटे में चल रही है, तो आपने 800 रुपये से 2,008 रुपये तक की तनख्वाह मैनेजमेंट में क्यों बढ़ा दी? श्री श्यामसुन्दर आचार्य हैं जिनको तीन बार तरक्की दी और उनकी तनख्वाह 800 रुपये से बढ़ाकर एकदम 2000 रुपये कर दी। फिर सुरेन्द्र द्विवेदी, आचार्य नरेन्द्र सिन्हा, ज्ञानेन्द्र भारद्वाज, रामाशंकर अग्निहोत्री, वसन्त देशपांडे यह सभी आर० एस० एम० के प्रान्तीय प्रचारक रहे हैं। इनकी यही तस्वीर है देश में। इनसे आप चाहते हैं कि न्यूट्रल होकर के काम करें? क्या सम्भव है?

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण का विषय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकरण नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह यह नहीं जानते।

श्री राम स्वरुप राम : जो पत्रकार बन्धु हैं, जिन्हें आप लोकतन्त्र के प्रहरी लोकतन्त्र की आंख कहते हैं, पालेकर एवार्ड कों जो रिकमेंडेशन्ज आपने स्वीकार की हैं, दूसरे कमीशन की रिकमंडेशन हुई हैं, आप किसी भी अखवार वाले से पूछिये, उनके मालिकों से पूछिये कि पत्रकारों को वह मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। बहुत दुखद बात है। मन्त्री जी को इसकी गम्भीरता में जाना चाहिए। आप कमीशन की रिपोर्ट बनवाते हैं, आप पालेकर एवार्ड के अनुसार उनको फायदा दिलाने की बात, वेतन में बढ़ोत्तरी की बात करते हैं, लेकिन सभी रिक-मैं डेशन्ज पार्लियामैंट की अलमारी में सज्जित हैं और पत्रकार बन्धु जो काम करते हैं, उनकी हालत दिनोंदिन खराब हो रही है। इन पत्राकार बन्धुओं को जो यहाँ के बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट्स तोड़ने की साजिश में लगे हैं; उनके बारे में तो आपको स्ट्रांग लेजिस्लेशन लाना चाहिए।

बड़े उद्योगपति, जिनके पास पैसा है और अखवारों पर उनका कब्जा है, वह जुडिशियरी में जा सकते हैं, हमारे पत्रकार बन्धुओं के पास पैसा कहां है, वह सुप्रीमकोर्ट में पैटीशन नहीं कर सकेंगे। उनको खाने के लिए दो जून भोजन नहीं मिल पाता है। इसलिए दो पूंजीपतियों के नापाक इरादे हैं, उनसे इन लोगों को बचाने की कोशिश करें और उनके खिलाफ कोई स्ट्रांग लैजिस्लेशन लायें।

यह अभी कह रहे हैं कि हिन्दुस्तान समाचार में अभी तालाबन्दी है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वह अपना दूत भेजकर पता लगायें कि वहां आफिस चल रहा है या नहीं, बैंक से ट्रांसैक्शन्स हो रहे हैं या नहीं, फाइलें गायब हो रही हैं या नहीं? हम समझते हैं कि वहां पर प्रतिक्रियावादी आर० एस० एस० के जमात के लोग लगे हुए हैं, और जो गरीब लोग वहां काम करते हैं, जिनका इन्दिरा गांधी में विश्वास है, उन लोगों के बीच में लड़ाई है, वहां पर टाप मैनेजमेंट उनको तंग करता है, यह हम चार्ज लगायेंगे। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इसकी जांच करायें।

मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है। जैसा हमारे माननीय अटल बिहारी जी बोल रहे थे कि इस कालिंग अटेंशन का जवाब 3 मन्त्रियों के विभाग से आना चाहिए था--एक तो इन्फार्मेशन मिनिस्टर के विभाग से, दूसरा होम मिनिस्टर के

विभाग से और तीसरा लेबर मिनिस्टर के विभाग से। लेकिन सौभाग्य है कि हमने एक लेबर मिनिस्टर ऐसा पाया है जो तीनों को को-आर्डिनेट करके बात करते हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि हमने ऐसा मंत्री पाया है। प्रसन्नता की बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : को—आर्डिनेट करने वाले एक ही मन्त्री हैं, बाकी के सब को-आर्डिनेट नहीं करते।

श्री भागवत झा आजाद : अपने विषय में।

श्री रामस्वरुप राम : मैं मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि तीनों लोग मंत्रणा कर लें और उसके बाद जो मजदूरों और कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, मैं सिर्फ हिन्दुस्तान समाचार की ही बात नहीं करता हूं, सभी अखबारों की बात करता हूं, कि उनको शोषण से मुक्ति के लिए कोई स्ट्रांग लैजिस्लेशन लाइये, जिनका अखबारों पर कब्जा है, उनको कम से कम जुडिशियरी में जाने का कम मौका दें, उनके कार्य क्षेत्र को थोड़ा कर्टेल कीजिए। हमारा सारा प्रशासन और सरकार चिन्तित है।

माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, लेकिन आपकी चिन्ता के बावजूद भी एक बात उसमें पूरी नहीं हो सकेगी जो आप चाहते हैं, मैंने पहले सी कहा कि वहां आर० एस० एस० के प्रतिक्रियावादी अखाड़े हैं, टाप मैनेजमैंट के लोग रस-मलाई खा रहे हैं और कर्मचारियों को रामजी बाबू जैसे लोग भूखे मर रहे हैं, उनको पे नहीं मिल रही है, कम्पोज मशीन पर बैठा कम्पोजिटर दो महीने से पे नहीं पा रहा है। मैनेजमैंट में अग्रवाल साहब तनखाहें बढ़ाते चले जा रहे हैं और बैंकों से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हिन्दुस्तान समाचार जैसी पवित्र और उपयोगी एजेन्सी को आर० एस० एस० के चंगुल से छुड़ाकर उसे स्वतन्त्र और स्वायत्तशासी बनाने का प्रयास कर रही है। क्या सरकार प्रेस आयोग की इस संस्तुति पर विचार करेगी कि हिन्दी की दोनों समाचार एजेन्सियों को एक कर के उनके प्रबन्ध के लिए एक आटोनोमस बाडी बना दी जाए ? जब तक यह व्यवस्था न हो, क्या सरकार तब तक के लिए कुछ प्रेस रिपोर्टर्ज, कुछ एमपीज और कुछ सोशल वर्कर्ज की एक पावरफुल कमेटी बनाकर एक वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ? क्या सरकार की एक आटोनोमह बाडी बनाने का है ; यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, हड़ताल, तालाबन्दी और उसके कारणों के सम्बन्ध में मैंने अपने बयान में विस्तार के साथ बता दिया है। माननीय सदस्य ने पालेकर पंचाट के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है। इसके अन्तर्गत उन्होंने और बहुत सी बातें कहीं हैं, बड़े-बड़े अखबारों की, वह बाहर पटना भी गए, दिल्ली में भी घूमे, बम्बई भी गए। उनके बयान में कई ऐसी बातें हैं, जिनका सम्बन्ध मुझसे नहीं है और मैं उनके बारे में जवाब नहीं दे पाऊंगा। दूसरे, उन्होंने लैजिसलेशन के बारे में सुझाव दिए हैं कि दोनों संस्थाएं एक कर दी जाएं, वे आटोनोमस हों। उसका सम्बन्ध मुझसे नहीं है, सूचना और प्रसारण मंत्री से है और वही इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकते हैं।

मेरा सम्बन्ध इस समय हिन्दुस्तान समाचार से है, और वह इसलिए है कि वहां पर हड़ताल और तालाबन्दी हो गई है। इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उसके प्रबन्धकों ने वहां काम करने वालों को तन्ख्वाह नहीं दी अब तक तन्ख्वाह नहीं दी है, बोनस नहीं दिया है। पहले उन्होंने सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर 1981 की तन्ख्वाह भी नहीं दी थी, जो जनवरी में दी। अब एक तरह उन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की तन्ख्वाह नहीं दी और दूसरी तरफ एक आपरेटर को इस चार्ज पर ससपेंड कर दिया कि वह पोस्टर बना रहा था। इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन ने बुला कर उनसे कई बार बात की। आज भी बात हो रही है। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान समाचार के प्रबन्धक इस बात की गंभीरता को समझें और जो उन्होंने कदम उठाए हैं, उनके बारे में वे वहां की यूनियन काम करने वाले जर्नालस्ट्स से मिलकर समझौता कर लें, अन्यथा कानून के अन्तर्गत जो रास्ते हैं, उनका प्रयोग आज की इस वार्ता के बाद दिल्ली प्रशासन करेगा।

जहां तक प्राविडेंट फंड और ई० एस० आई० बकाये का प्रश्न है, वह भी नहीं दिया गया है। वह तो सीधे मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत है। उसके लिए हमने कार्यवाही कर दी है यह आदेश दे दिया है कि प्राविडेंट फंड की रिकवरी के लिए कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए और उनको प्रासीक्यूट किया जाए। जिससे मेरा सीधा सम्बन्ध है, उसके बारे में हमने अविलम्ब कार्यवाही की है और आदेश दिया है। वह कार्यवाही इससे पूर्व भी हो रही है और अब और जोर से होगी।

हिन्दी की एक न्यूज एजेन्सी और है, एक यह है। हम लोग चाहते थे कि ये अच्छी तरह से चलें। हम लोगों को यह पता नहीं था कि हिन्दी भाषी यह न्यूज एजेन्सी इस तरह का व्यवहार अपने कर्मचारियों से कर रही है। ज्यों ही यह बात दृष्टि में आई, दिल्ली प्रशासन ने फौरन ही इसके बारे में कार्यवाही शुरू कर दी और कानून के अन्तर्गत जो प्रावधान हैं, उनके अनुसार सब कार्यवाहियां की जाएंगी।

माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि इन दोनों को मिलाकर एक स्वायत्त संस्था बना दी जाए। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री आ गए हैं वह इस बात को नोट कर लेंगे और उचित समय पर बतायेंगे कि इस बारे में वह क्या करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हिन्दुस्पेान समाचार की हत्या के लिए सूचना मंत्री दोषी है।

श्री भागवत झा आजाद : पहले भी श्री वाजपेयी ने हल्के से कहा था, तो मैंने छोड़ दिया अब उन्होंने जोर से कहा है, इसलिए मैं जवाब दे दूं। अब उन्होने जोर से कहा तो इसका जवाब में यह दे दूं कि उनका जो पावना है वह पावना उनको आल इण्डिया रेडियो और दूरदर्शन से दिया गया है। मैं वह जवाब दे रहा हूं जो मेरे पास फिगर्स आई हैं। कुछ बाकी हैं। तो जो कुछ बाकी हैं उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि दूरदर्शन और आल इण्डिया रेडियो ने उनको उनका उचित पावन नहीं दिया है जो वह ले गए हैं उससे उनका पहला काम

होना चाहिए था अपने एम्पलाईज को पे करने का। लेकिन यही काम वह नहीं कर रहे हैं। और सारा काम कर रहे हैं।

उन्होंने यह बताया है कि एक पावरफुल कमेटी बना दी जाय, तो मैं उनके इस सुझाव को दिल्ली प्रशासन को भेजूंगा और दिल्ली को आपरेटिव ऐक्ट की धारा 32 (1) में यह दिया हुआ है कि :

"यदि रजिस्ट्रार की राय में, किसी सहकारी समिति की कमेटी लगातार गलती करती है या इस अधिनियम अथवा नियमों के अन्तर्गत इसे सौंपे गये दायित्वों के प्रति उदासीन रहती है या ऐसा कोई कार्य करती है जो समिति या इसके सदस्यों के अहित में है तो रजिस्ट्रार कमेटी को अपनी आपत्ति यदि कोई हो, बताने का अवसर देने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा कमेटी को हटा सकेगा ; और

(क) कमेटी के नये चुनाव के लिए आदेश कर सकेगा, या

(ख) एक या अधिक ऐसे प्रशासकों को जो समिति के सदस्य होने अनिवार्य नहीं हैं, नियुक्ति कर सकेगा "

यह प्रावधान इस अधिनियम के अन्तर्गत है और जो आपने कहा है, दिल्ली प्रशासन का ध्यान में इस ओर आकृष्ट करूंगा। मैं तो यह चाहता हूं कि न्यूज एजेन्सी जो इस सम्बन्ध में काम कर रही है और जिनके प्रबन्धकों के साथ दिल्ली के श्रम आयुक्त बात कर रहे हैं, उन्होंने परसों भी उनसे बात की, कल भी की ओर आज भी अभी बुलाया है, कर रहे होंगे अगर वे इस के सिलसिले में उनकी बात नहीं मानते हैं तो फिर उचित नियम और कानून के अन्तर्गत इस एजेन्सी के खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुरू में ही यह स्पष्ट कर देना उचित समझता हूं कि कि हिन्दी समाचार एजेंसी का मैं विरोधी नही, समर्थक हूं और मेरी दिली ख्वाहिश है कि हिन्दी समाचार एजेंसियां अंग्रेजी एजेन्सियों का स्थान ग्रहण कर लें और उससे भी आगे जाएं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हिन्दुस्तान समाचार ने मजदूर विरोधी जैसी हरकत की उस हरकत को हम लोग नजर अन्दाज कर दें। साढे तीन सौ कर्मचारियों और मजदूरों की जीविका का सवाल है। ऐसे हिन्दुस्तान समाचार के इक्के दुक्के लोगों से मेरी भी मित्रता है, वह अलग सवाल है। लेकिन साढे तीन सौ मजदूर भूखे मरें, इस सदन का कोई व्यक्ति यह पसंद नहीं करेगा।

वक्तव्य के जरिए सरकार ने यह कहने की कोशिश की है कि किस तरीके से आज की स्थिति पहुंच गई। पहली अप्रैल को वहां के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिसमें बोनस भी शामिल है, ई० एस० आई० का पैसा भी शामिल है, प्राविडेंट फड वगैरह बकाया है और जनवरी और फरवरी से जिसकी चर्चा की गई वेतन तक शामिल है, इन तमाम मांगों को लेकर उन्होंने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की और बाद को उन्होंने नोटिस दिया प्रबन्धन को कि अगर उसने उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया तो 16 अप्रैल से वह अनिश्चित कालीन हड़-

ताल पर चले जाएंगे । 17 अप्रैल को वह गए भी । प्रबन्धन ने उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया । वार्त्ता के बीच में ही उन्होंने तालाबन्दी घोषित कर दी।

क्या वार्ता के बीच तालाबन्दी की घोषणा करना कानून सम्मत है ? क्या कोई भी मजदूर कानून इस बात की इजाजत किसी भी प्रबन्धन को या मालिक को देता है ? नहीं । लेकिन उन्होंने कर दिया और यह बहाना बनाते है कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है । कहीं से 11 लाख या उससे अधिक रुपया मिलने वाला है – कहते हैं कि उस समय हम भुगतान कर देंगे लेकिन पिछले चार वर्षों में विभिन्न सूत्रों से एक करोड़ रुपया हिन्दुस्तान समाचार को मिला है जिसमें 73 लाख सरकार की दी हुई राशि है—यह रुपए कहां गए ? मैं पूछना चाहता हूं क्या वह रुपए मजदूरों की जेब में गए या आर० एस० एस० की शाखाओं को चलाने में इस्तेमाल किए गए ? (व्यवधान) मैं यही जानना चाहता हूं कि अगर वह रुपए आर० एस० एस० की शाखाओं को चलाने में नही गए तो उस पैसे का क्या हुआ ? इसका हिसाब मन्त्री जी को देना चाहिए कि यह रुपए कहां गए ? अब जहां तक सवाल है कि इसका आर० एस० एस० से सम्बन्ध है या नहीं, तो यह जग जाहिर है कि है सम्बन्ध ।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : मगर यह इर्रेलिवेन्ट है ।

श्री रामावतार शास्त्री : वह अलग बात है, लेकिन सम्बन्ध है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने तो लोगों के नामों की चर्चा की, मैं नामों की चर्चा नहीं करूंगा लेकिन पद की चर्चा जरूर करूंगा । अध्यक्ष, महा-प्रबन्धक, उप-महाप्रबन्धक, उप मुख्य सम्पादक, लेखाधिकारी और विभिन्न राजधानियों के प्रमुख सम्पादक जो हैं वह प्रान्तों में आर० एस० एस० की शाखाओं के परिचालक हैं (व्यवधान)

श्री फूलचन्द वर्मा : उससे इस बात का क्या सम्बन्ध है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी ओर देखिये और बोलिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक वैध संगठन है और उससे सम्बद्ध होना अपराध नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि क्राइम है ।

उपाध्यक्ष महदोय : इस बात का उत्तर मंत्री महोदय दें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दूसरी ओर बैठे हुए अनेक सदस्य आर० एस० एस० से सम्बद्ध रहे हैं । मैं यह सिद्ध कर सकता हूं ।

श्री फूलचन्द वर्मा : श्री जगन्नाथ मिश्र भी आर० एस० एस० में थे ।

श्री रामावतार शास्त्री : श्री गनन्थ मिश्र भी आर० एस० एस० में थे —मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री अटल विहारी बाजपेयी : उन्हें हिन्दुस्तान समाचार तक ही सीमित रहना चाहिए।

श्री फूलचन्द वर्मा : हिन्दुस्तान समाचार में तलाबन्दी हो गई उसका इससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री अटल विहारी वाजपेयी : आप कुछ बातें अनर्गल कर रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : वाजपेयी जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। आप मुझे बोलने दीजिए।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को इस विवाद में नहीं घसीट सकते।

श्री रामावतार शास्त्री : आप सुनते नहीं हैं तो मेरा क्या कुसूर है ? मैं यह कह रहा था कि स्वरूप को समझना, व्यक्ति को समझने के लिए जरूरी हैं। मैं यह बता रहा हूं कि यह मजदूर विरोधी झगड़ा कहां से शुरू हुआ। एक कर्मचारी अपनी मांग के समर्थन में पोस्टर लिख रहा था। एक ट्रेड यूनियन एक्टिविटी इसको आप कह सकते थे। आप उस कर्मचारी से कहते कि दफ्तर में नहीं, बाहर जाकर करो, यह मैं मान सकता हूं लेकिन इसलिए कि वह पोस्टर बना रहा था, उसको निर्लंवित कर दिया जाए।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : कहां बना रहा था ?

श्री रामावतार शास्त्री : दफ्तर में।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : किस शहर के दफ्तर में ? जो हुआ वह गलत हुआ लेकिन किस शहर के दफ्तर में ?

श्री रामावतार शास्त्री : इस तरह की बात हो, यह उचित नही है आप जैसे नेता के लिए। जो ट्रेड यूनियन का भी नेता है और अपनी पार्टी का नेता भी है।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ हुआ, वह गलत हुआ मगर शास्त्री जी यह बताएं कि यह कहां हुआ और कब हुआ। इन्होंने जगह का नाम नहीं बताया और ये आरोप लगा रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने तो इस वयान में देखा है। इसमें यह लिखा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जीं, यह तो व्यक्तव्य है।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : मैं इनके वयान पर विश्वास नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह वक्तव्य है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं इय वयान के आधार पर बोल रहा हूं।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : उस पर क्या बोलेगें। वह तो वे बोल चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो वक्तव्य में है। वह केवल इसका जिक्र कर रहे हैं। आप जारी रखिये।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं बयान को आधार बना रहा हूं।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : उसमें जगह नहीं लिखा है।

श्री रामावतार शास्त्री : जी, हां। मैं यह कह रहा था कि किसी आदमी को लेजीटीमेंट ट्रेड यूनियन एक्टिविटी के लिए निकाल देना, निलम्बित कर देना, इसको मैं तानाशाही से कम नहीं समझता।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : अगर ऐसा हुआ, तो गलत है।

श्री रामावतार शास्त्री : इसमें आपकी तानाशाही और इन्दिरा जी की तानाशाही में कोई फर्क नहीं है। तो यह मामला वहां से चला।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : क्या आपने वक्तव्य देखा है श्रमिक को काम के घन्टों के दौरान पोस्टर तैयार करते हुए पाया गया।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने यह बताया था।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह बताया था।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने कहा कि दफ्तर में बना रहा था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दफ्तर में काम के समय।

श्री रामावतार शास्त्री : दफ्तर में क्या ऐसे ही बैठा रहेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चाय पियेगा। (व्यवधान) वार्किंग आवर्स में वह पोस्टर नहीं बना सकता।

श्री रामावतार शास्त्री : उससे यह भी कह सकते थे कि बाहर जाओ। वार्किंग आवर्स में जो आप पोस्टर न बनाने की बात कहते हैं, तो आप भी वही एटीट्यूड लेते हैं जो गवर्नमेंट लेती है। क्या आप उसके इस रवैये का समर्थन करते हैं। मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वार्किंग आवर्स में पोस्टर नहीं बना सकता।

श्री रामावतार शास्त्री : इस तरह से आपने किया और झगड़ा वहीं से शुरू हुआ और यह झगड़ा कहां तक पहुंच गया, यह आप देख रहे हैं। तालाबन्दी हो गई और गैर-कानूनी तालाबन्दी हो गई।

अब मैं लेबर डिपार्टमेंट की भी बखिया उधेड़ना चाहता हूं। लेबर कमिश्नर कहता है कि स्ट्राइक सही और एसिसटेंट लेबर कमिश्नर कोई हैं वे कहते हैं कि स्ट्राइक गलत है और वर्कर्स को वे धमकी देते हैं।

**ऐसा लगता है कि वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हैं और वह उसके समर्थक हैं । **कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, वह एक ऐसे अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं जो सभा में अपना बचाव करने हेतु उपस्थित नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा ।

श्री रामावतार शास्त्री : उन्होंने बहुत से नाम लिये थे, तब आपने नहीं कहा ।

प्रो० मधु दण्डवते : आर० एस० एस० से तात्पर्य रेलवे सेक्योरिटी सर्विस से हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 'हिन्दुस्तान समाचार में झगड़ा है, तो आर० एस० एस० और सास बहु में झगड़ा हो जाए तो वह भी आर० एस० एस० ।

श्री रामावतार शास्त्री : वह आप कहिये । तो मैं यह बताना चाहता हूं कि इनके लोग यहां से ट्रेनिंग लेकर, "हिन्दुस्तान समाचार" से ट्रेनिंग लेकर विभिन्न प्रचार मीडिया में घुस जाते हैं और मधु दंडवते जी भी इसके दोषी हैं क्योंकि जब जनता पार्टी का राज्य था, तो उसमें यह बात हुई थी । वे सब घुस गये थे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कम्युनिस्ट नहीं घुसते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप श्री वाजपेयी को सम्बोधित कर रहे हैं । इसलिए वह बार-बार उठा रहे हैं । आप पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित कीजिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : तो मैं यह कह रहा हूं कि 'हिन्दुस्तान समाचार' की न्यूज आप देखिये ।

प्रो० मधु दंडवते : सी० पी० आई० में भी आर० एस० एस० के लोग घुसे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो समाचार चयन करता है प्रसारित करने के लिए उसका टिंज साम्प्रदायिक होता है । जितने साम्प्रदायिक समाचार होंगे, दूसरे न्यूज एजेन्सीज या तो देती नहीं हैं या कम देती हैं और ये तलाश करके ऐसे समाचार देते हैं । अभी हाल ही में बिहार में इनको समाचार मिल गया कि मन्दिर में कहीं गो-मांस पाया गया इस तरह की यह समाचार एजेन्सी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप प्रश्न पूछिये । अब समय बिल्कुल उचित है । प्रश्न पूछिये ।

श्री रामावतार शास्त्री : इसमें अधिकांश प्रबन्धक या काम करने वाले जो हैं, उनका आर० एस० एस० से जरूर सम्बन्ध है । मैं कोई बुरी बात नहीं कह रहा हूं, मैं फैक्ट्स स मेंशन कर रहा हूं । यह डोमीनेटेड वाई आर० एस० एस० है ।

अब में सवाल पूछता हूं ।

श्री राम स्वरूप राम : चोर की दाढ़ी में तिनका ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दाढ़ी वाले सब उधर बैठे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : पीछे भी हैं आपके आप देखिये।

श्री रामावतार शास्त्री : आप इनके लेवर डिपार्टमेंट की बात देखिये। मैं यहीं की नहीं पूरे हिन्दुस्तान की बात कर रहा हूं।

लेकिन यह मामला दिल्ली का है। वे कोई ध्यान नहीं देते, कानून के मुताबिक कार्यवाही नहीं करते, बैठे रहते हैं। हर जगह इस तरह की बात होती है। वे संभवत: मिले हुए हैं। यह केवल इसी का ही सवाल नहीं है। समाचार भारती में तनख्वाह नहीं बंटती, नेशनल हेरल्ड में, जन-जीवन में तनख्वाह नहीं मिलती, बड़े बड़े पूंजीपतियों के अखबारों में समय पर सहुलियतें नहीं मिलती, इन तमाम अखबारों के बारे में आपको देखना चाहिए। इसी अर्थ में मैं कहता हूं कि आपका लेवर डिपार्टमेंट इसको टुकुर टुकुर देखता रहता है, उनसे मिला रहता है कर्तव्य विमूढ़ रहता है। जो इसकी भूमि होनी चाहिए उसे वह पूरा नहीं कर पाता है।

पुलिस की बात भी मैं बता दूं। इस एजेन्सी ने नं० 6 और क्वार्टर कनाट लेन में ले रखा है वहां पुलिस वाले उनकी रक्षा कर रहें है। जो लोक आउट के मारे वहां पहुंचते हैं, उनको वे वहां धमकाते हैं, मारते हैं। ये चीजे हो रही हैं। आपकी पुलिस क्या कर रही है ?

श्री अटल विहारी वाजपेयी : इसमें भी आर० एस० एस० हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : यह छिपी हुई कोई बात नहीं है कि कहां कहां वह घुसा हुआ है।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : जरा होशियार रहना।

श्री रामावतार शास्त्री : आपका लेवर डिपार्टमेंट पुलिस और ये लोग सब मिल करके साढ़े तीन सौ कर्मचारियों को भूखा मारने के चक्कर में है।

अब मैं आपसे यह पूछता हूं कि क्या यह सब सच है कि हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती इन दोनों समाचार एजेन्सियों को आठ-आठ लाख रुपये मशीन खरीदने के लिए सरकार की तरफ से दिये गये ? क्या यह बात भी सही है कि कुछ थोड़ी सी मशीनें खरीद कर के बाकी रुपये का गोल-माल किया गया ? मन्त्री जी, अगर यह जानकारी दे सकें तो आज दें नहीं तो बाद में सदन को बताएं कि इस 16 लाख रुपये की भारी रकम का क्या हुआ ?

आप या सरकार जब पैसा देते हैं तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब जब आपने इन समाचार एजेन्सियों को, खास कर हिन्दुस्तान समाचार को पैसा दिया है तो क्या उसने कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको दिया है ? अगर दिया है तो वह क्या है ? अगर नहीं दिया है तो क्या यह कानून सही नहीं है अगर सही नहीं है तो आपने इसके रुद्ध कौन-सी कार्यवाही की ?

फिर आपको आडिट करवाने का हक है। क्या आपने इसके हिसाब-किताब को आडिट

करवाया ? अगर नहीं करवाया तो क्यों नहीं करवाया ? क्या आपने धर्म खाता खोल रखा है कि जनता के पैसे को ऐसे ही देते रहिये, जिस तिस को देते रहिये और हिसाब की बात हमको नहीं बताइये ? अगर आपका आडिट हुआ है तो बता दीजिए। तब तो वे इस मामले में दोषी नहीं माने जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ? ये सारी चीजें आपके सामने हैं।

खुद मन्त्री जी ने एक्ट की धारा पढ़कर सुनायी। अगर इस ऐक्ट का पालन नहीं हो रहा है तो इसके लिए उनके खिलाफ कार्यवाही करने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ? आप इधर विलम्ब कर रहे हैं और उधर कर्मचारियों और उनके लोगों के फास्ते उड़ रहे हैं दिल और दिमाग चकरा रहे हैं। बिना भोजन के यह स्थिति है। इसके बारे में आपको बताना चाहिए कि क्या बात है ?

ऐसी तालाबन्दी की सब निन्दा कर रहे हैं। राजनीतिज्ञ दल और ट्रेड यूनियन सारे के सारे निन्दा कर रहे हैं। लेकिन सरकार कछुए की चाल से चल रही है। कछुए की चाल को छोड़िए और तमाम गड़बड़ियों को ठीक कीजिए।

क्या वहां पर प्रमोशन का कोई नियम है, इसके बारे में आप बताने की स्थिति में हैं ? 41 कर्मचारियों की वरिष्टता को लांघ कर 9 पदों का सृजन सबसे अधिक वेतनमान में किया गया। इन पदों में पालेकर एवार्ड और श्रम जीवी पत्रकार कानून का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या उन्होंने सही किया ? अगर सही नहीं किया तो आपने क्या कार्यवाही की। इस तरीके से चुन-चुन कर आर० एस० एस० के हार्ड कोर को है, उनको आगे बढ़ाया जाता है और बाकी लोगों को दबाया जाता है। तो यह बात भी सही नहीं है।

इन सब के लिए जो दोषी लोग हैं, जिनके कारण तालाबन्दी की स्थिति हो गई, उनके खिलाफ क्या आप कानूनी कार्यवाही करने की बात सोच रहे हैं और जो बकाया मजदूरी है, जनवरी और फरवरी से, जो उनका बकाया प्रावीडेंड फण्ड है, जो उनका ई० एस० आई० का पैसा है, जो काट लेते हैं, मजदूरों का हिस्सा अपने काम में ले लेते हैं, अपना हिस्सा तो जमा ही नहीं करते और यह सब जगह हो रहा है, हिन्दुस्तान समाचार में, दूसरे अखबारों में ऐसा होता है, इनके बारे में क्या कार्यवाही की गई। बोनस के बारे में भी उनकी मांग है। 80 या 81 का बोनस बकाया है। इसको दिलाने के बारे में आपने क्या कार्यवाही की है ?

इन सब बातों को मैं दोनों मन्त्रियों से जानना चाहता हूं। वे सफाई पेश करें, ताकि बेचारे 250 कर्मचारियों और उनके आश्रितों का भला हो और साथ-साथ मनमानी करने वालों की हिम्मत आगे न बढ़े और वे आगे मनमानी न करें।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो हिन्दुस्तान समाचार का है, मगर जो अभी वाजपेयी जी का और शास्त्री जी का वार्तालाप हुआ, उससे आपको सुविधा के लिए कहूं कि एक जज के सामने दो वकील आए—एक वकील ने कहा, श्रीमान, दूसरे पक्ष का वकील तो केवल झूठ की ही वकालत करता है। दूसरे वकील ने कहा, श्री मान, प्रतिपक्ष का

वकील तो झूठ का साक्षात अवतार है। न्यायाधीश ने कहा, आपने एक दूसरे का परिचय तो दे दिया है। अब मामले में आगे बढ़ा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इस बात का जवाब दूंगा जो हिन्दुस्तान समाचार से सम्बन्धित है, बाकी निकर और धोती की बात बहुत हो गई।

हमने हिन्दुस्तान समाचार को एक समाचार एजेन्सी के रूप में देखा था और जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि हम लोगों की सहानुभूति इनके साथ थी और जो आज भी है, इसलिए कि यह हिन्दी भाषा की एक एजेन्सी है, लेकिन इसके अन्तर्गत इतने कार्य हो रहे हैं, इसका पता हम लोगों को कैसे लगता कि उन्होंने 9 पदों का सृजन कर लिया, तनख्वाह नहीं दी। इन सब व्यवस्थाओं के बारे में हिन्दुस्तान समाचार सहकारी समिति में जो लोग बैठे हैं, वे विचार करते हैं। इसके अन्तर्गत तनख्वाह न देने का, प्राविडेंड-फण्ड न देने का, ई० एस० आई० न० देने का, विशेष रंग-रूप और पहनावे के लोग आते हैं, ये जो तमाम बातें हो रही हैं, इस पर जब वहां के कर्मचारियों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया, ज्योंही यह बात विभाग के समक्ष लाई गई, अनौपचारिक रूप से श्रम विभाग, दिल्ली प्रशासन ने दोनों से बात की और कर रहे है और जब यह औपचारिक रूप में कर्मचारी दावा पेश करेंगे तो सरकार के सारे कानून लागू किए जाएंगे इसके खिलाफ, ताकि जो काम करने वाले हैं, उनको वेतन, प्रावीडेड फण्ड इत्यादि सारे अधिकार दिलाए जाएं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि श्रम-विभाग ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। प्राविडेट फन्ड और ई०एस० आई० का सीधा हमसे ताल्लुक है और उस पर हमने कार्रवाही शुरू करवा दी है और आदेश दिया है कि और आगे उसके बारे में किया जाए। जिनका सम्बन्ध राज्य सरकारों से है वे सारी बातें उनको हम भिजवाएंगे और चाहेंगे कि वे इस दिशा में शीघ्र कार्य करें।

माननीय सदस्य ने आठ लाख की बात पूछी है। उनकी नजर ठीक दिशा में थी। वही बताएंगे कि आठ लाख दिया या कितने दिए, उसका उपयोग हुआ या नहीं। देने वाले वे हैं। मैं तो चैन के आखिर में हूं। लड़ाई होने पर मेरा काम है समझौता करवाने की कोशिश करना और नहीं होने पर कानून का सहारा लेना। मुद्रा की बात साठे जी बताएंगे।

बिलम्ब की बात भी माननीय सदस्य ने की है। अनौपचारिक रूप से जब हमें कहा गया तभी हमने कार्रवाई शुरू कर दी। अगर कोई देरी हुई है तो उसको हम मेकअप करेंगे और राज्य प्रशासन को कहेंगे कि इस सम्बन्ध में वह कार्य करें।

पदों के सृजन की बात उन्होंने बताई है। वह भी तभी होगा जब कोई कानून तोड़ने का आरोप सोसायटी के खिलाफ हो। इनक्वायरी यदि कानून तोड़ा गया है तो होगी। कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं।

मजदूरों की मजदूरी, बोनस जो कुछ भी बकाया है वह अवश्य उनको मिलना चाहिए। हम चाहते है कि ये उनको मिलें। बड़े दुख की बात है कि बाजपेयी जी ने कोट कर दिया कि सरकार ने कह दिया है कि पोस्टर के आधार पर उसको निकाला गया है। यह बात मैनेजमेंट ने कही है, हम नहीं कहते हैं। हम इसकी ताईद नहीं करते हैं। हमने यह कहा है कि प्रबन्धकों ने

12 अप्रैल 1982 को एक वरिष्ठ आपरेटर को, जो इस यूनियन का सदस्य था, इस आधार पर मुअत्तिल कर दिया कि उन्हें कार्य समय के दौरान यूनियन के लिए पोस्टरों को तैयार करते हुए पाया गया । यह उन्होंने कहा है और मैंने उनकी बात बताई है । इसके बारे में इनक्वायरी नहीं हुई है, इनक्वायरी होगी तब सही स्थिति का पता चलेगा । आश्चर्य की बात है कि प्रबन्धक-अपना काम करवाते है सहयोगियों से और छः महीने का वेतन नहीं देते हैं। तीन महीने का तो जनवरी मे दिया है । चार महीने का बकाया है । इसके बावजूद भी इस आधार पर एक कर्मचारी को मुअत्तिल किया जाता है कि वह पोस्टर छाप रहा था हम उफ भी करें तो बागी है वे कत्ल भी करें भूखों मारेतनख्वाह भी न दें, बकाया न दें और यह कहें कि पोस्टर बना रहे थे इसलिए मुअत्तिल कर दिया है, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं । अगर यह सच भी हो तो भी हम इसका समर्थन नहीं करते हैं । तनख्वाह नही दी है, भूखों मर रहे है, बोनस दो साल का नहीं दिया है, प्राविडेंट फंड और ई० एस० आई० बकाया वे खा गये हैं और ऊपर से कहते हैं कि हमने मुअत्तिल कर दिया क्योंकि वह पोस्टर बना रहा था यह अच्छा नहीं जचता, किसी भी अच्छी एजेंसी के लिए यह शोभनीय बात नहीं है । जिन जिन मुद्दों को उठाया गया है उन पर हम अवश्य कार्रवाई कर रहे हैं और दिल्ली प्रशासन को भी कहेंगे कि वह अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करे ।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : निश्चित रूप से यह एक चिन्ता का विषय है कि इस देश में जो दो हिन्दी समाचार समितियां हैं, उन दोनों की हालत बदतर है । एक की हम चर्चा कर रहे हैं । इसको लगभग तीस लाख का घाटा हुआ है दूसरी को लगभग 47 लाख का घाटा हुआ है । दुर्भाग्य से इस पर वर्चस्व ऐसे लोगों का है कि उसमें सुधार की कोई गुंजाईश नजर नहीं आती । लाख वाजपेयी जी इन्कार करे लेकिन यह ठीक कहा गया है कि इस संवाद समिति का सम्बन्ध आर० एस० एस० से है । अगर वह इससे इन्कार करते हैं तो कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा । सब लोग जानते हैं कि इस संवाद समिति की स्थापना उस समय की गई थी जबकि इस देश में आर० एस० एस० पर प्रतिबन्ध लगाया गया था । जो बचे हुए लोग थे उनके द्वारा ही इस समिति की स्थापना की गई थी दो ही हिन्दी समाचार समितियां है, इसलिए स्वाभावत मन्त्री जी ने चिन्ता व्यक्त की है । और उन्होंने भी अपनी इच्छा प्रकट की कि हम चाहते हैं कि इस हिन्दी समाचार समिति को मजबूत बनाया जाय यह आगे बढ़ें, विकसित हो । परन्तु शास्त्री जी ने और माननीय राम स्वरूप राम ने ठीक ही चर्चा की कि किस तरह से वहां कर्मचारियों के साथ व्यवहार किया जाता है । एक आदमी जो बड़ी चर्चा करते हैं, प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि डिक्टेटर है, हम लोगों पर हमेशा आरोप लगाते रहते है, हमारे नेता पर आरोप लगाते रहते हैं, परन्तु उनका क्या रवैया है ? एक छोटा सा कर्मचारी पोस्टर बना रहा था तो उसको बिना कारण बताये निलम्बित कर दिया, जिसको कि 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया । किसी ने यह नहीं पूछा कि किस तरह से दिल्ली जैसे शहर में 4 महीने तक अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था ? अगर प्रबन्धक यह कहते है कि उन्हें चिन्ता है, तो ठीक है । अभी दो लाख रु० जो उनको दिए गए उसमें से कर्मचारियों को कितना किया ? और अगर नहीं किया तो क्यों ? और जब नोटिस दिया गया, तालाबन्दी

की गई तो उसकी भी प्रक्रिया है, नियम है। क्या उसका पालन किया ? तालाबन्दी की घोषणा से उनके तानाशाही का रवैया प्रकट होता है।

अधिक न कहते हुए केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि इस संवाद समिति की जो सहकारी समिति है इसके आधे ऐसे कर्मचारी हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन कर्मचारियों को सदस्य बनाकर आम सभा करायेगी ? और इसके पहले जैसा कि आपने ऐक्ट पढ़कर सुनाया कोआपरेटिव ऐक्ट उसके अनुसार क्या आप इस प्रबन्धन को सुपरसीड करके कोई प्रशासक नियुक्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक।

क्या आप इस सवाद समिति का आडिट कराने का विचार कर रहे हैं ? और आडिट कराकर क्या उसको सभा पटल पर रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक आडिट कराया जायगा ?

कर्मचारियों के बारे में लिखा गया, मन्त्री महोदय ने कहा कि हमको यह सारी बातें तब मालूम हुई जबकि कर्मचारियों ने हमको लिखा। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को उस श्रमिक संगठन ने कब पत्र लिखे थे, और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह मुझे कहा गया कि इस हिन्दुस्तान समाचार सहकारी समिति लिमिटेड में ऐसे भी काम करने वाले व्यक्ति हैं जिनको सदस्य नहीं बनाया गया है। मुझे कल ही बताया इनके कुछ सदस्यों ने कि इनकी दखास्तें उनके पास पड़ी हैं और उस पर कार्यवाही नहीं की। है। यह बात मुझे कही गई, जांच होने पर पता लगेगा कि क्या स्थिति है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी ही संस्था के व्यक्तियों को, जिन्होंने दखास्त दी है सदस्य बनने के लिए, उनको सदस्य नहीं बनाया है। यह भी जांच से पता लगेगा। जहां तक प्रबन्धन को सुपरसीड कर ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का प्रोवीजन है उसमें रजिस्ट्रार को इस बात से संतुष्ट होना होगा किस प्रकार उनके कहने के बाद इस संस्था ने बात नहीं मानी। अब यह मामला हमारे ध्यान में आया है, हम इस बात को दिल्ली प्रशासन को कहेंगे कि उनको तनख्वाह, बोनस, ई० एस० आई० और प्राविडेड फंड का पैसा नहीं दिया, उसके खिलाफ कार्यवाही शुरु कर दी जाये। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस कार्यवाही में 50 रुपये या 25 रुपये फाइन का प्रावधान है, लेकिन खैर, उसके लिए और उपाय जो दिल्ली प्रशासन करेगा, वह सम्भवत: ठीक होंगे चाहे इंडस्ट्रियल डिस्पूयट एक्ट के अन्तर्गत हों जर्नलिस्ट एक्ट के अन्तर्गत हो या शाप एण्ड एस्टैंडलिशमैंट एक्ट के अन्तर्गत हों। दिल्ली प्रशासन द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यवाही करने की सम्भावना है। उनको आज श्रम आयुक्त ने बुलाया है, अगर उन्होंने इस बात पर बिचार नहीं किया और कोई ऐसा फैसला जो दोनों पक्ष के लिए लाभदायक हो, नहीं किया तो यह सारे काम किए जाएंगे।

जहां तक आडिट का सम्बन्ध है, मैंने बतलाया है कि को-आपरेटिव सोसाइटी को अपने एकाउन्टस आडिट कराने ही चाहिए, कब तक हैं, क्या हैं, इसकी मुझे विस्तार से खबर नहीं है, लेकिन यह एक आवश्यक बात है, अगर एकाउन्ट्स आडिट नहीं हुए हैं तो अब जो कार्यवाही की जायेगी उसमें इस ओर भी दिल्ली प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेंगे कि वह इसे देखे।

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने हिन्दुस्तान समाचार में हुई तालाबन्दी के ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला है । मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार के हालत में यह तालाबन्दी की नोबत आई है, उसकी जांच करने की आवश्यकता है । क्योंकि एक कर्मचारी को एक छोटी सी बात को लेकर सस्पेंड करना; और जब कर्मचारी लोग हड़ताल पर गये तो कर्मचारियों के बारबार आग्रह करने के बावजूद भी हिन्दुस्तान समाचार के मैनेजमैंट द्वारा उनसे बात न किया जाना और बिना कारण के तालाबन्दी की घोषणा कर देना, अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना, मैं मानता हूं । मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी चाल है वरना कोई कारण ऐसा नहीं था कि जब कमचारी लोग शांन्तिपूर्ण ढंग से हड़ताल पर जा रहे थे, वहां किसी प्रकार का वायोलेंस नहीं था, वहां किसी के साथ कोई बातचीत नहीं की गई और वहां पुलिस तैनात थी, तो जहां तक मेरी जानकारी है, इस प्रकार की कोई घटना नहीं है जो ऐसी नौबत आ जाए कि हिन्दुस्तान समाचार में तालाबन्दी की घोषणा की जाये । उसके बावजूद भी मैनेजमैंट ने जो एकतरफा कार्यवाही की है, उसके बाद भी वह बहुत खूबसूरती से अपना काम चला रहे हैं तो इस पर विचार करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि इस प्रकार के हालात में स्थिति यहां तक पहुंच गई कि बिना कारण के तालाबन्दी करनी पड़ गई ?

एक तरफ 350 कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है कर्मचारी लोग पिछले 3, 4 महीने से तनख्वाह नहीं पा रहे हे । पिछले दिनों जो तनख्वाह उनको मिल रही थी, उस वक्त भी दो साल से उनको बोनस नहीं मिला है, पी० एफ० और ई० एस० आई० का जो पैसा कटता है, वह जमा नहीं कराया जा रहा था । इस प्रकार की हालात में भी सारे कर्मचारी हिन्दुस्तान समाचार के मैनेजमैंट को को-आपरेट कर रहे थे । अचानक ही ऐसे हालात पैदा हो गये कि आज हिन्दुस्तान समाचार ने तालाबन्दी की घोषणा कर दी ।

मेरा पहला सवाल यह है कि मन्त्री महोदय इस बात की जांच करवायें कि ऐसे क्या हालात पैदा हुए हैं और इनके पीछे क्या राज है जिसके कारण हिन्दुस्तान समाचार के मैनजमैंट ने एकतरफा कार्यवाही की ।

आपातकाल के समय जब दोनों एजेन्सीज को मिलाकर समाचार बनाया गया तो एशिया की सबसे बड़ा एजेन्सी समाचार एजेन्सी बनी थी । इस वक्त भी हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती दोनों में घाटा हो रहा था । उसके बावजूद सरकार ने काम्पेन्सेट किया और समाचार बनाया । उसके बाद उसने उसके कर्मचारियों के वेतनमानों को बढ़ाया और उन्हें सब सुविधाएं दीं । जब जनता पार्टी का शासन आया, तो श्री अडवाणी ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर-सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के शासन ने यह समाचार एजेन्सी बनाई उसे तोड़ने का निश्चय किया । उसे तोड़ने के वक्त उन्होंने इन दोनों एजेन्सियों से वादा किया था कि हम आपको लगातार छः साल तक विशेष अनुदान देंगे, जिससे आप अपने कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतनमान दे सकें ।

यह कोई कम बात नहीं है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार बराबरदोनों एजेन्सियों को पेमेंट कर रही है और जनता पार्टी के राज्य में जो वादे किए गए थे, उन्हें पूरा किया जा

रहा है। इसके बावजूद हिन्दुस्तान समाचार अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असफल रहा। जैसा कि मेरे पूर्ववक्ताओं ने बताया है, करीब एक करोड़ रुपया हिन्दुस्तान समाचार ने आज तक विभिन्न स्रोतों से उठाया है, मगर उसका कोई हिसाब नहीं है। जो कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं, उनसे बात करने पर तरह तरह की बातों का पता लगा है। हिन्दुस्तान समाचार में मिसमैनेजमेंट होने से उस पर एक गम्भीर प्रश्न-चिह्न लग गया है।

अभी मंत्री महोदय ने बताया कि स्ट्राइक होने पर उन्हें मालूम पड़ा कि हिन्दुस्तान समाचार ने कितना पैसा उठाया है, पी० एफ और ई० एस० आई० का पैसा जमा नहीं हो रहा है और बोनस नहीं दिया जा रहा है। ये बातें बहुत महत्व रखती है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह पूरे हालात की जांच करवाएं, जिससे आने वाले समय हिन्दुस्तान समाचार के कर्मचारियों को पूरा वेतन और सभी सुविधाएं मिल सकें।

ऐसा सुनने में आया है कि जबसे हिन्दुस्तान समाचार बना है, तब से आज तक हिन्दुस्तान समाचार को आपरेटिव सोसायटी के चुनाव बिना कोरम के कराए जाते रहे हैं नियमों के अनुसार जो कर्मचारी आवश्यक योग्यता प्राप्त कर लें उन्हें सोसाइटी का शेयर-होल्डर नहीं बनाया गया। उन्होंने को-आपरेटिव डिपार्टमेंट में शिकायत की, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जो शेयर होल्डर बनने लायक कर्मचारी हैं, उन्हें भागीदार क्यों नहीं बनाया गया और क्यों उन्हें चुनाव में खड़ा होने से वंचित किया गया।

जहां तक प्रोमोशन्ज का सम्बन्ध है, आर० एस० एस० के लोगों और जो लोग समाचार बनने पर नियुक्त किए गए थे, उनमें भेद किया जाता है और केवल आर० एस० एस० के० चंद लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है।

समाचार भारती और हिन्दुस्तान, इन दोनों हिन्दी समाचार एजेन्सियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ये दोनों घाटे में चल रही है। इसलिए सरकार को विचार करना पड़ेगा कि भाषा समाचार एजेन्सियां किस प्रकार पनप सकें और भाषा समाचार पक्षों को अपनी भाषा में ही समाचार मिल सकें सरकार को इस बारे में एक योजना बनानी चाहिए।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसायटीज से जो शिकायत की है कि उन्हें शेयर होल्डर नहीं बनाया जा रहा है, उसके बारे में और को-आपरेटिव सोसायटी में होने वाली इर्रगुलेरिटीज के बारे में वह क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है पिछले प्रश्न के उत्तर में कि इस संवाद समिति के अन्तर्गत ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नियमत: सदस्य बनने की इच्छा प्रकट की हैं, उन्होंने आवेदन दिये हैं, लेकिन उनको नहीं बनाया गया, ऐसा मुझे कल ही कहा गया है। इस सम्बन्ध में जैसा मैंने कहा कि अब जब जांच पड़ताल होगी तो इस बात को देखा जायगा कि क्यों नहीं सदस्य बनाया गया और अगर वे उसके अन्तर्गत काम करते हैं तो उनको सदस्य बनने का हक , यह बात तो सिद्धांतत: स्पष्ट है। अब क्यों नहीं बनाया गया और बनाये जाने के लिए क्या कार्यवाही की जानी चाहिए, इसके लिए हम दिल्ली प्रशासन को कहेंगे।

यह बात हम अन्त में कह देना चाहते हैं कि हम सभी की सहानुभूति भाषायी संवाद समिति से है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि सरकार इन समितियों को जो भी अनुदान दे या जो भी सहायता करे उसका वह उपयोग और कामों में करें लेकिन जो उसमें काम करने वाले हैं उनको तन्खवाह और बोनस न दे। इसको उसका दुरुपयोग किया जाएगा। इसलिए आज जो अभी बातचीत हो रही है या होने वाली है दिल्ली प्रशासन के श्रम आयुक्त और प्रबन्धकों के बीच में, हम आशा करते हैं कि प्रबन्धक इसकी गम्भीरता को समझेंगे और इस सम्बन्ध में जो चिन्ता और आशंका व्यक्त की जा रही है पिछले दिनों से और विशेषकर लोक सभा में आज की गई, उसको ध्यान में रखते हुए प्रबन्ध किसी उचित निर्णय पर स्वयं ही पहुंच जाएंगे। अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर जो और कार्यवाही करनी होगी वह की जायगी।

बाकी जो उन्होंने बतलाया है कि पूर्वाग्रह से इसको तोड़ा या और जो ऐसी बातें हैं वह हमारे मित्र सेठे साहब से सम्बन्धित हैं, वह उचित समय सर उस पर विचार करेंगे।

हम यह कहना चाहते हैं कि राजनैतिक आधार के बल पर जिसका प्रायः सभी सदस्यों ने उल्लेख किया, आर० एस० एस० की बात की इस आधार पर भाषायी संवाद एजेन्सी नहीं चलाई जानी चाहिए और अगर उन्होंने अब तक किया है जिसका उदाहरण बहुत अधिक सदस्यों ने दिया है तो उनको इस बाकत से रोक करके उसको खत्म करके पूर्णतः एक स्वच्छ भाषायी एजेन्सी के रुप में काम करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वह अविलम्ब अपने साथ कार्य करने वाले पत्रकार बन्धु और दूसरे कर्मचारी हैं उनसे बात करें, उनकी तनख्वाह दें, प्राविडेंट फंड और ई० एस० आइ० का पैसा हमें दे दें, और जो उनका और जगह बकाया है उसको उनसे वसूल करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि इनका और जगह बकाया है तो यह काम वह बन्द कर दें। इसलिए मैं समझता हूं कि आज जो लोक सभा में विवाद हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए प्रबन्धक इस पर विचार करेंगे और इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगे, अन्यथा सरकार को मजबूरन उन सभी कानूनों का सहारा लेना पड़ेगा जो इसमें उल्लेखनीय हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला मद गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री पी० वेंकटसुब्बया द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य है।

गांधी शाँति प्रतिष्ठान आदि सम्बन्धी जाँच आयोग के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से धनराशि निकालने के बारे में वक्तव्य

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : महोदय जैसी कि माननीय सदस्यों को जानकारी है, भारत सरकार ने 28 अगस्त 1981 को इस सदन द्वारा पारित संकल्प के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री पी० डी० कुडल का एक जांच आयोग, जिसके विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

(क) (1) गांधी शांति प्रतिष्ठान ;

(2) गांधी स्मारक निधि ;

(3) अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ ;

(4) ग्रामीण विकास के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों के संघ : और

(5) उपर्युक्त संगठनों से निकट से सम्बद्ध अन्य संगठनों ; के प्रकाशनों समेत कार्यकरण और कार्यों की जांच करना ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उन्होंने अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के अनुरूप कार्य किया ;

(ख) उपर्युक्त संगठनों की धनराशि के स्रोतों की जांच करना ।

(ग) उक्त संगठनों के लक्ष्यों और उद्देश्यों के सन्दर्भ में उनके द्वारा धनराशि के उपयोग के तरीके तथा उसके दुरुपयोग, यदि कोई हो, की जांच करना ; और

(घ) किसी ऐसे मामले की जांच करना जो उपर्युक्त मामलों के प्रसंग में हो अथवा उनसे सम्बद्ध हों ।

2. आयोग को नियुक्त करने के सम्बन्ध में, अधिसूचना की एक प्रतिलिपि 3 मार्च 1982 को सदन के पटल पर रख दी गई है ।

3. आयोग गृह मन्त्रालय की प्रशासनिक सीमा के अन्तर्गत रहेगा । वर्ष 1982-83 के लिए गृह मन्त्रालय की अनुदान मांगों को इस सदन द्वारा पहले ही पारित कर दिया गया है । इस "नई सेवा" के सम्बन्ध में खर्च का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका और वर्ष 1982-83 के बजट प्रावधानों में इसे शामिल नहीं किया गया है । आयोग का अपना कार्य शीघ्र शुरु करना है और रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है ।

4. जुलाई, 1982 की समाप्ति तक आयोग के खर्च को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से 5 83 लाख रूपये निकालने का प्रस्ताव है जब संसद के समक्ष पूरक मांगों को पहली बार पेश किया जाएगा तो आकस्मिक निधि के अग्रिम धन की पूर्ति के लिए यह मांग शामिल की जाएगी ।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

एक सदस्य का निर्वाचन करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश

जमीलुर्रहमान (किशनगंज) महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं ;

"कि यह सभा से सिफारिश करती करती है कि वह सभा प्रो० एन० एम० कांबले की राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्ति के कारण, लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में रिक्त हुए स्थान पर, अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा के एक सदस्य को निर्वाचित करे और उक्त संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि यह सभा से सिफारिश करती है कि वह सभा प्रो० एन० एम० कांबले की राज्य सभा की सदस्या से निवृत्ति के कारण, लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में, रिक्त हुए स्थान पर, अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा के एक सदस्य को निर्वाचित करे और उक्त संयुक्त समिति के लिये राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नियम 377 के अधीन मामल

(एक) बिहार के भागलपुर जिले में बरारी स्टीमर सेवा को पुन: चालू करने की आवश्यकता

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बरारी, थाना बिहपुर, जिला भागलपुर की स्टीमर सेवा को बिना वजह बन्द किए जाने की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । बरारी स्टीपर सेवा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है । यह दक्षिणी बिहार के विकास में इस सेवा का बन्द होना दुर्भाग्यपूर्ण है । भागलपुर बिहार का एक बहुत बड़ा व्यापार केन्द्र भी रहा है ।

इस स्टीमर के बन्द होने से आम जनता काफी परेशान है । अत: सरकार से मांग है कि अविलम्ब बरारी में स्टीमर सेवा को चालू किया जाए तथा भागलपुर में रेलवे पुल का निर्माण किया जाये ।

(दो) पूर्वी उत्तर-प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना

श्री जैनल बशर (गाजीपुर) : महोदय, देश की 20 प्रतिशत जन संख्या उत्तर प्रदेश में रहती है और राज्य में सरकारी क्षेत्र में केवल चार प्रतिशत धन लगा है । उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार ने अनेक प्रस्ताव भेजे हैं जो भारत सरकार के अधीन विभिन्न मन्त्रालयों के पास लंबित हैं । इन प्रस्तावों का निपटान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए ताकि सरकारी क्षेत्र में लगने वाले पूंजी निवेश में उत्तर प्रदेश के भाग में वृद्धि हो ।

जिन सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को अब तक मंजूरी दी गई है, उनकी स्थापना राज्य के पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं की जा रही है । केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में राष्ट्रीय विद्युत परियोजनाएं आरम्भ की गई है क्योंकि यह कोयला क्षेत्रों के निकट है, दूरी ओर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो कि राज्य का एक बहुत अधिक विकसित क्षेत्र हैं, एक तेल शोधक कारखाना, एक पेट्रो-रसायन परियोजना और कुछ अन्य एकक स्थापित किए गए हैं । समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने गैस पर आधारित

4 उर्वरक संयत्रों में से 3 संयन्त्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखंड की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन लगातार बढ़ रहा है।

सरकार ने बार-बार यह आश्वासन दिया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना में पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जिसमें वाराणसी और गोरखपुर डिवीजनों के जिले आते हैं, स्थापित किए जाएं।

रायपुर - मण्डला

(तीन) ~~रायपुर-मंडला~~ जबलपुर संक्शन पर रेल लाइन का निर्माण

श्री कैंगर भूषण (रामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी हरिजन बाहुल्य मध्य प्रदेश जो अपने गर्भ में खनिज का भन्डार समेटे हुए है, वहां वन सम्पदा का अटूट भण्डार भी उपलब्ध है। इसके बावजूद वह आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इस आर्थिक पिछड़ेपन का एकमात्र कारण है, रेल मार्गों की कमी।

रायपुर-मण्डला जबलपुर रेलमार्ग बनने से जबलपुर का सीधा सम्बन्ध रायपुर के सीमेंट उत्पादक क्षेत्र से, भिलाई के इस्पात कारखाने से और विशाखापट्टनम बन्दरगाह जैसे प्रमुख स्थानों से हो सकेगा। साथ ही इस आदिवासी क्षेत्र का भी विकास होगा।

अतः इस रेल मार्ग के लिए तत्काल सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करना होना चाहिए तथा रेल लाइन के निर्माण में प्राथमिकता देनी चाहिए।

(चार) **निःशक्तों के लिए दिल्ली में पुनर्वास केन्द्र की स्थापना**

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : पिछले वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष बनाने में भारत द्वारा उत्साह दिखाने के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार ने राजधानी में एक पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने में कोई पहल नहीं की है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय ने उपरोक्त तरह के एक केन्द्र की योजना को मन्जूरी दी थी और इसके लिए 1973 में पांच एकड़ का एक प्रसार आबंटित किया था परन्तु लगभग एक दशक के बीत जाने के बाद भी केन्द्र की स्थापना करने के लिए आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

जबकि आरम्भ की 1.25 करोड़ रुपये की योजना बिना कार्यवाही के पड़ी है, नवीनतम सरकारी अण्डमान के अनुसार इसकी लागत तीन गुना अधिक बढ़ गई है। 1970 में प्रस्तुत मूल योजना को नगरीय कला आयोग और अन्य संबंधित निकायों ने स्वीकृति दे दी थी।

विकलांगों के पुनर्वास से संबंधित निकायों द्वारा व्यक्त आक्रोश को देखते हुए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली में विकलांगों के लिए पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने की योजना को मूर्त रुप दिया जाये।

(पांच) राष्ट्रीयकृत बैंकों की "दैनिक जमा योजना" को समाप्त करने का कथित निर्णय

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : मुझे यह जानकर अत्यन्त दुख हुआ है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की दैनिक जमा योजना जिसके तहत दैनिक आय वाले लोग बचत कर सकते है। धीरे-धीरे पर निश्चित रूप से समाप्त की जा रही है। मै समझता हूं कि इस बारे में अच्छी तरह से सोच विचार नहीं किया गया है। 60 करोड़ रुपये की जमा राशि से वंचित होना जबकि ससाधन मुश्किल से प्राप्त हो रहे हैं, आत्मघातक है। योजना की मुद्रा स्फीति विरोधी स्वरुप की भी पूर्ण रुप से अपेक्षा की गई है। जब राष्ट्रीयकृत बैंको की सभी शाखाओं में जमा संग्राहकों के लाभ में कटौती की जाती है। तो इससे निश्चय ही कर्मचारियों के अन्य वर्गों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।। उत्पादकता वर्ष मे ऐसा हाना निश्चय ही न्याय के साथ मजाक है। इसके अलावा बेरोजगारों की सख्या में 50 हजार की और वृद्धि हो जाएगी जबकि सरकार पंचवर्षीय योजनाओं 20 और सूत्री कार्य म के अधीन रोजगार के अवसर पैदा करने और वर्तमान नौकरियों को बनाए रखने हेतु रुग्णा उद्योगों को स्वस्थ बचाने के लिए करोड़ों रुपये आवंटित करती है। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करुंगा कि वह इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करें और राष्ट्रीयकृत बैंकों के इस प्रयास को रोकें।

(छः) राजस्थान के टोंक जिले में पीने के पानी की कमी

श्री बनवारी लाल बैरवा (टोंक) : राजस्थान के देवली तहसील और टोडाराम सिंह में पेय जल की भारी कमी है। देवली के निकट बनाए नदी के किनारे खोदे गए कुंओं से राजस्थान को पेय जल की सप्लाई के परिणाम स्वरुप कुंओं और बनास नदी का जल स्तर काफी कम हो गया है। इसके परिणाम स्वरुप नगीदा, मालीरा, राजमहल, बिलासपुर, वंथोली और सथोली तथा देवली से इस नदी के दोनों ओर नदी के बहाव वाली दिशा में स्थित अन्य 50 गांवों के सभी कुंओं का जल स्तर काफी कम हो गया है और कुछ कुएं पूरी तरह से सूख गए हैं जिससे वहां के लोगों को भारी कठिनाइयां हो रही हैं। प्रतिवर्ष गरमीयों के दिनों स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। इस नदी पर विलासपुर बांध बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास पिछले 40 वर्षों से लंबित है।

इस समस्या को मानवीय आधार पर हल किये जाने की आवश्यकता है। पेय जल सुलभ करना 20-सूत्री कार्यक्रम का एक अंग है जिसे सरकार को जोरदार तरीके से अमल में लाना चाहिए।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले पर विचार कर और बिलासपुर बांध के निर्माण को जल्दी करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दे जिससे राजस्थान के टोंक जिले में पेय जल का अभाव दूर हो सके।

(सात) दिल्ली परिवहन निगम की सेवा में सुधार करने की आवश्यकता

डा० बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : दिल्ली में स्थान दूर-दूर स्थित हैं और विशेषकर

निम्न आय वर्ग के लोगों को दूर स्थित स्थानों में रहना पड़ता है। अपने काम पर आने और वहां से घर लौटने के लिए उन्हें मुख्यतया दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा पर निर्भर रहना पड़ता है। विद्यार्थियों को भी शैक्षणिक संस्थाओं में जाने के लिए लम्बा सफर तय करना पड़ता है।

यह आवश्यक है कि डी० टी० सी० की सेवा कुशल और बाधारहित हो जिस से लोगों को विश्वसनीय और भरोसे मंद सेवा मिल सके।

समय-समय पर बसों की कमी दूर करने और प्राथमिकता के आधार बस बेड़े में वृद्धि करने के बारे में प्रश्न किए जाते रहे हैं। यह भी आवश्यक है कि वर्तमान कम बेड़े का अच्छा उपभोग किया जाये और संचालन लागत निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत रखा जाये। इसका प्रशासनिक ढ़ाचा ऐसा बनाया जाये जिससे असफलता के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सके। सरकार को यह देखना चाहिए कि उत्तरदायित्व पूर्ण पदों पर केवल अनुभावी और ईमानदार अधिकारी रखे जायें ताकि वे इस सेवा को बेहतर रुप से चला सकें और कम यात्रियों में इस सेवा के प्रति विश्वास ला सकें।

हाल में दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों में आक्रोस, असन्तोस और निराशा की लरह उठी है।

डी० टी० सी० सेवा में काम करने वाले बहुत बड़ी सख्या में कर्मचारियों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्हें मकान तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं दी जाना चाहिए। भरती का तरीका कारगर बनाया जाना चाहिए ताकि भतीजाबाद आदि होने के संदेह को दूर किया जा सके। अब जबकि दिल्ली परिवहन ने निगम का रुप ले लिया है, भूलत: दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट अथोरिटी के लिए बनाए गए 1952 के पुराने नियमों में अनक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है जिससे उसे अन्य मुख्य परिवहन निगमों की भांति बनाया जा सके।

इस सेवा को अविलम्ब सुचारु और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है क्योंकि एशियाई खेलों के दौरान होनी वाली भीड़-भाड़ के दिन नजदीक आ रहे हैं।

डी० टी० सी० के कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की आवश्यकता है।

मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस मामले को देखें और सेवा का सुधार करने के लिए उठाए गए ठोस उपायों से सभा को अवगत करें।

(आठ) **दामोदर घाटी निगम से पश्चिम बंगाल को बिजली की सप्लाई में वृद्धि करने की आवश्यकता**

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : दामोदर घाटी निगम में पश्चिम बंगाल और बिहार का हिस्सा है। पश्चिम बगाल सरकार ने विशेष रूप से विद्युत परियोजनाओं के लिए 31.3 1981 तक दामोदर घाटी निगम को 73.68 करोड़ रुपये दिये हैं जबकि भारत सरकार और बिहार सरकार का उसमें बहुत कम अशदान क्रमश: 19.09 करोड़ रुपये और 49.26 करोड़

रुपये रहा है। बहुत अधिक अंशदान देने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल को दामोदर घाटी निगम से विद्युत का उचित लाभ नहीं मिला है, 1971-72 में दामोदार घाटी निगम की पश्चिम बंगाल को ऊर्जा की बिक्री उसकी कुल बिक्री का 45 प्रतिशत था परन्तु यह प्रति वर्ष कम होता चला गया। 1980-81 में पश्चिम बंगाल को ऊर्जा की बिक्री कम होकर उसकी कुल बिक्री का केवल 39 प्रतिशत रह गई इस समय दामोदर घाटी निगम सिस्टम की 1371.5 मेगावाट की कुल अधिष्ठापित क्षमता में से पश्चिम बंगाल के लिए 350 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता है। 1980 1981 में दामोदर घाटी निगम का पश्चिम बंगाल में बिजली का उत्पादन केवल 698 मेगावाट था जो कुल बिजली उत्पादन का 16 प्रतिशत है। दामोदर घाटी निगम का ऊर्जा उत्पादन 1979-80 से कम होना शुरू हुआ है। और यह प्रतिवर्ष कम हो रहा है। जबकि 1978-79 में बिजली उत्पादन 5443 मेगावाट यूनिट था नए सेट लगाने के बावजूद 1980-81 में यह केवल 4485 मेगावाट यूनिट था। बिजली उत्पादन में इतनी अधिक कटौती होने से आमतौर पर दामोदर घाटी निगम के उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचा है। क्योंकि दामोदर घाटी निगम अपने उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई में रोक लगा रहा है।

दामोदार घाटी निगम ने 1977 में विद्युत नियतन के बारे में एक सूची बनाई थी जिसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं की चार श्रेणियाँ निर्धारित की गई थी। अर्थात (1) रेल सेवा (2) कोयला खान (3) इस्पात संयंत्र और (4) मिश्रित और अन्य भार जिनकी यह प्राथमिकता होगी प्रथम तीन श्रेणियाँ जिनको प्राथमिकता मिल रही है। केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन आती है जबकि पश्चिम बंगाल और बिहार में राज्य बिजली बोर्ड और कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड अन्तिम श्रेणी में आते हैं अर्थात मिश्र और अन्य भार के अन्तर्गत जिसको कि प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार दामोदर घाटी निगम में कम विद्युत उत्पादन के कारण राज्य बिजली बोर्डों और सी० ई० एम० सी० लि० को बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अनुसूची के अनुसार विद्युत सप्लाई पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। यह ज्ञात हुआ है कि अक्तूबर 1980 में भारत सरकार ने दामोदर घाटी निगम द्वारा विद्युत नियतन के लिये पुनरीक्षित अनुसूची तैयार की है जिसमें राज्य बिजली बोर्डों और कलकत्ता बिजली प्रदाय कार्पोरेशन की प्राथमिकता को और भी कम कर दिया है। दामोदर घाटी निगम यद्यपि पुनरीक्षित अनुसूची को क्रियान्वित नहीं कर सका तथा उसमें दिनांक 16-12-1981 को मन्त्रिमण्डल सचिवालय भारत सरकार के अनुरोध पर हुई बैठक में और संशोधन किया गया था जिसमें कि आश्चर्य की बात है कि पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सरकारों को नहीं बुलाया गया तथा उनकी राय भी नहीं जानी गई। यह स्पष्ट है कि राज्य बिजली बोर्डों को बड़ी कठिनाई में डाल दिया गया है और इससे विशेषकर पश्चिम बंगाल राज्य की जनता को बड़ी कठिनाई हो रही है दिनांक 16-12-81 में हुई उक्त बैठक में अनुमोदित की गई पुनरीक्षित अनुसूची में कुल बिक्री योग्य बिजली में 650 मै० वाट के उत्पादन स्तर पर 5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कम कर दी गई है। मिश्र और अन्य भार श्रेणी के संस्थानों को जिसमें राज्य बिजली बोर्ड और सी० ई० एस० सी० लि० सम्मिलित है। नियत बिजली में भिन्न-भिन्न उत्पादन स्तरों पर 15 प्रतिशत

से 18 प्रतिशत की कमी हो गई है। 650 मै० वा० और 800 मै० वाके उत्पादन स्तरों के लिए विद्युत नियत्रन में 40 एम० वी० ए० से लेकर 122 एम० वी० ए० तक कमी की गई है। पुनरीक्षित अनुसूची के अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्डों और सी० इ० एस० सी० लि० के मामले में बहुत कमी कर दी गई है जिससे कोयला खानों और इस्पात संयंत्रों को अधिक प्राथमिकता दी जा सके। इस कार्यवाही से पश्चिम बंगाल में बिजली की स्थिति बहुत हो जायेगी जबकि वहां स्थिति पहले से ही खराब है यह बताना यहां संगत होगा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान दामोदर घाटी निगम द्वारा सी० इ० एम० सी० को वास्तव में 47 से 53 मै० वा० तक ही बिजली की सप्लाई की गई है जबकि 105 एम० वी० ए० के लोड का कटार है। कम उत्पादन के कारण पश्चिम बंगाल राज्य विजली बोर्ड को डी० वी० सी० द्वारा बहुधा कम बिजली दी गई है।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि अक्तूबर 1977 में जितनी बिजली दी जाती थी उनकी दी जानी चाहिए। हाल में डी० वी० सी० के चेयरमैन ने यह कहा है कि दामोदर घाटी निगम के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि वह पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को बिजली की सप्लाई करे। इससे स्पष्ट विदित है कि पश्चिम बंगाल सरकार को परेशान करने के लिये तथा और कठिनाइयां उत्पन्न करने के लिए ही डी० वी० सी० द्वारा इस प्रकार का महत्वपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बारे में शीघ्र उपाय किये जाने चाहिए जिससे पश्चिम बंगाल को पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई की जा सके जो कि डी० वी० सी० के पूंजी निवेश में सभा सबसे अधिक योगदान देता रहा है।

(नौ) पश्चिम रेलवे मे कुछ छोटे रेलवे स्टेशनों से माल की बुकिंग बन्द किया जाना

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्रनगर) : 10 अप्रैल, 1982 से पश्चिम रेलवे ने 122 छोटे रेलवे स्टेशनों पर माल गाड़ियों के लिए माल बुक कराना बन्द कर दिया है। इससे व्यापार और आर्थिक गतिविधियां कम हो गई है। इससे बड़े स्टेशनों पर जगह घिर गई है तथा छोटे उद्योगों में और कृषि उत्पाद की उत्पादन लागत में काफी वृद्धि हो गई है। उसका तुरन्त कोई समाधान खोजा जाना चाहिए।

अनुदानों की माँगे, 1982—83—जारी

(एक) संचार मन्त्रालय—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम संचार मन्त्रालय की मांगों पर आगे चर्चा करेंगे तथा मतदान करेंगे संचार मन्त्री उत्तर देंगे (व्यवधान)

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत समय के बाद अब दूसरे वर्ष संचार मन्त्रालय के कार्यकलापों पर सभा में विचार विमर्श आरम्भ हुआ है इस बारे में बहुत समय तक ऐसा नहीं हुआ।

गत वर्ष जबकि मैंने उत्तर दिया था तब मेरे साथ स्वर्गीय कार्तिक आरोख थे जो कि मेरे बहुत ही योग्य सहयोगी थे। मैं यह कहने के लिए विवश हूं कि उन्होंने जितनी अवधि तक राज्य मन्त्री के रूप में कार्य किया था तो बहुत ही निष्ठापूर्वक कार्य किया था।

मैं उन बहुत से माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है तथा अपने सुझाव दिये हैं जो आलोचना की है, उन्होंने जो आशाएं व्यक्त की हैं तथा जो शिकायतें की हैं तथा यह माना है कि इन परिस्थितियों में जितना यह मन्त्रालय कार्य कर सकता है किया है उस सभी के लिये मैं आभारी हूं। कोई भी सचार मन्त्री यह आशा नहीं कर सकता कि उसकी आलोचना नहीं होगी। मैंने हाल में ब्रिटेन से प्रकाशित होने वाली 'इलैक्ट्रानिक्स एण्ड पावर" नामक तक पत्रिका पढ़ी। उससे एक उदाहरण मैं यह प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसका आशय यह था कि "यह एक चिन्ताजनक तथ्य है कि टेलीफोन प्रशासन सम्पूर्ण विश्व में बदनाम है।" (व्यवधान) हम चाहे इस तथ्य को चिन्ताजनक मान या नहीं। इसमें कोई सदेह नहीं है कि टेलीफोन व्यवस्था, चाहे यह बड़ी हो या छोटी इस प्रबन्ध सही हो या दोषपूर्ण सरकारी क्षेत्र हो या गैर सरकारी उन सभी से अपने प्रयोक्ताओं की ओर से कुछ न कुछ शिकायत अवश्य रहती है।" उपयोगी संगठनों के मामले में भी यह अभूतपूर्व बात है। इस तथ्य के कारण चाहेकुछ भी हों किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि टेलीफोन के मामले में यह विश्व व्यापी बदनामी ब्रिटिश पोस्ट आफिस पर भी लागू होती है। अब वे सभी लोग जिन्होंने ब्रिटिश दूर सचार कार्यों में योगदान दिया था अब इस बदनामी के आदी हो गये होंग तथा बहुत पहले इस नतीजे पर पहुंच गये होंगे कि कुछ भी हो इस स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सकता। (व्यवधान) इस तथ्य को मैंने बार-बार बताया है क्योंकि जिसके भी पास टेलीफोन है जब भी उनके टेलीफोन में कुछ खराबी हो जाती है तो उसको अवश्य ही बड़ी खीज उत्पन्न होती है क्योंकि उसने उनके लिये खर्च किया होता है। उसकी नाराजगी प्रकट होती जाती है। संचार मन्त्री बनने से पूर्व मैं भी टेलीफोन का 40 वर्षों से उपयोग करता रहा हूं तथा मुझे याद है कि कई अवसरों का मैंने अपना क्रोध उससे भी अधिक तीव्रता से दिया है जितना कि मेरे साथी लोग हम समय मुझसे कर कर रहे है। अतः हम अब इसके आदि हो गये हैं। किन्तु साथ ही मैं इसके लिए आभारी हूं कि उस पक्ष के और इस पक्ष के सभी सदस्यों ने उस बात को स्वीकार किया है कि वे इससे संतुष्ट हैं कि यह मन्त्रालय अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने में प्रयत्नशील है। मुझ बहुत से प्रसंशापत्र मिल रहे हैं तथा मैंने अपने अधिकारियों को उन्हें एकत्र करने को कहा है मुझे समय-समय पर ऐसे प्रशंसा पत्र मिल रहे हैं जिनमें हमारे कार्य के लिए हमें धन्यवाद दिया गया है।

हाल में गुजरात में तूफान आया था। सब कुछ खराब हो गया, नष्ट भ्रष्ट हो गया नगर में दूर संचार व्यवस्था सक्रिय रही तथा मुझे मन्त्रि परिषद और कार्पोरेशन से ज्ञात हुआ और हर कोई यही कह रहा था कि वास्तव में यह सराहनीय कार्य किया गया था। आंध्र प्रदेश में जब रेलगाड़ी दुर्घटना हुई तो हमने वहां अपना संगठन स्थापित किया तथा उस बारे में मेरे पास उस सेवा की सराहना के असंख्य पत्र आये। नागपुर में लायस क्लब में मत जानने का कार्य किया, उन्होंने जांच की कि जनता अपेक्षा कृत किस सेवा से अधिक संतुष्ट है। उससे ज्ञात हुआ कि जनता का मत था कि अन्य बहुत सी चीजों की तुलना में दूर संचार और सचार प्रणाली वास्तव

में अच्छी है। समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उससे मुझे, निदेशालय में कार्यरत मेरे सहयोगियों को तथा हमारे उन सहयोगियों को जो देश के एक कोने से दूसरे कोने पर काम करते हैं संतोष होता है,

किन्तु मेरा मन्त्रालय किसी उन सभी बातों से संतोष का अनुभव नहीं करता नहीं। म इससे हताश होते हैं कि हमारे भाग्य में केवल आलोचना ही सुनना है। हम सेवा में सुधार करने के लिये पूरा प्रचल कर रहे हैं और जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं।

कल मेरे पास उन आलोचना के उत्तर में बडी सख्या में आंकड़े थे किन्तु मेरे मित्र श्री राठौर ने मुझे यह नोटिस दिया कि अच्छा यही है कि आप कोई आंकड़े प्रस्तुत न करें। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उन सभी कागजात को अपने कार्यालय में छोड़ आया हूं तथा इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने जो कहा उसमें कुछ सार है उन्होंने कहा ताकि " जब आप दिल्ली में खो गये थे तो यह उसका अन्त था" उसी प्रकार यदि किसी प्रमोनता का टेलीफोन खराब हो जाता है तो वह भी कुछ नहीं कर पाता। परन्तु में कहूंगा कि यह सोचना मेरी मुर्खता होती कि क्योंकि दिल्ली में हार गया था तो देश भर में मेरे दृष्टिकोण का हर व्यक्ति हार गया दूसरे लोग भी तो जीते हैं। उसी प्रकार यदि कोई टेलीफोन खराब होता है तो हमारा यह अर्थ तो नहीं कि सभी टेलीफोन खराब होते जा रहे हैं दिल्ली में लगभग दो लाख टेलीफोन है और हमें लगभग 6000 शिकायतें रोज प्राप्त होती , जिनमें से 1,94000 टेलीफोन ठीक से कार्य कर रहे हैं और उपभोक्ता को कोई शिकायत नहीं करनी पड़ती। **(व्यवधान)**

माननीय सदस्य : जी नहीं। हन शिकायत करनी है।

संचार मंत्रालय में उप मत्री (श्री विजय राम पाटिल) : यह बात तो आपको माननी ही होगी।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरे अभिप्राय यह नहीं है कि **(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) : आपको उनके साथ डाक घरों को भी देखना है।

श्री सी० एम स्टीफन : मैं उसकी बात भी करने जा रहा हूं।

मैं सभा को विश्वास दिला सकता हुं कि हमारे पास यह जानने के लिए एक अत्यन्त सघन पर्यवेक्षण व्यवस्था है जिसके द्वारा हम यह पता लगा लेते हैं कि कार्यकरण कितना बदत्तर हो रहा है मेरा यह कहना नहीं है कि हमारा काम सबसे बढ़िया है परन्तु यह देखने के लिए व्यवस्था कर रखी है हमारा कार्य बेहतर हो रहा है या अधिक खराब होता जा रहा है। हमारी दो तीन प्रणालियां हैं। एक तो यह कि हम देश भर में बहुत से लोगों के पास जांच-पत्र भेजते हैं और हमें प्रत्युतर में जानकारी मिलती है दूसरी प्रणाली जो मैंने शुरू की वह यह कि मैंने अपने प्रतिष्ठान के सभी अधिकारियों को मय निर्देश दिया कि जब पत्र आते हैं मोहर लगती है, लिफाफा बाहर आता है तो यह नोट करें कि उसे अपनी मात्रा में कितना समय लगा यह नियमित रूप से किया जा रहा है और मुझे ऐसे आंकड़े मिल रहे हैं कि जिनसे पता चलता है कि स्थिति कितनी खराब है, या अच्छी है कई राज्यों में समिल्लित है, कुछ राज्यों

में अच्छी है । हमारे निदेशालय मे इसके आंकड़े है । ये तो सिर्फ मेरी अपनी तसल्ली के लिए है कि स्थिति कैसी है कितनी सुधरी है, मैं तो यह कह रहा हूं कि एक मानिटरिंग (निगरानी) व्यवस्था है और जहां कही भी स्थिति खराब होती हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। ओर पता लगाते है कि क्या बाधाएं हैं । परन्तु आप भी कृपया यह अनुभव करें कि हमारी कितनी विशाल व्यवस्था है चाहे वह दूर-संचार की है या डाकघरों की हम, लाखों लोग मिलकर चला रहे हैं, विभिन्न एजन्सियां कार्यरत हैं कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी हो सकती है और किसी मामले मे विलम्ब हो जाता है मैं पहले भी यह बात स्पष्ट कर चुका हूं।

उसी तरह हम ट्रंक कालों सम्बन्धी कार्यकरण की तुलना करते हैं। एक वर्ष पूर्व 'ट्रंक' सम्बन्धी कार्य कुशलता -- मैं आंकड़े नहीं दे रहा हूं— 60 प्रतिशत थी अब यह बढ़कर 70.5 प्रतिशत था। हा गई है वर्तमान स्थिति यह है हर वर्ष यह प्रतिशत बढ़ रहा है। फिर ऐसे कई तरीके है जिन से हम विभिन्न क्षेत्रों में हुए सुधार का आकलन करते हैं मैं तो ईमानदारी से सभा का विश्वास दिला सकता हूं कि इन वर्षों में चाहे दूर-सचार हो या ट्रंक व्यवस्था हो स्थानीय शिकायतें हों या डाक संचार का क्षेत्र हो । सभी क्षेत्रों में स्थिति मे सुधार हुआ है और अच्छे परिणाम प्राप्त हुए है मैं यह नहीं कह रहा स्थिति एकदम ठीक है ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमेशा ही कही न कहीं मानव की या मशीन की भूल हो सकती है। हम मानते है कि स्थिति धारनी है ओर इसलिए हमने एक समिति नियुक्ति की जिसे सरीन समिति कहते हैं। यदि मैं इस बात से सहमत न हुआ होता कि स्थिति पर्याप्त रूप से सही नहीं है तथा मामले की जांच होनी चाहिए मैं यह समिति नियुक्त नहीं करता । एक अत्यन्त उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्ति की गई थी। उसने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है । उसने लगभग 460 सिफारिशें की है। मैं यह नहीं कह रहा कि वे सिफारिशें विचाराधीन हैं। जी नहीं हमने उनका विश्लेषण किया है मैं अपने अधिकारियों के साथ गम्भीरता पूर्वक एक बैठक की थी मैं सभी अधिकारी संसद की सलाहकार समिति के सदस्यों तथा कर्मचारी संघों के नेताओं के साथ मिलकर सभी जगहों का दौरा किया था। इसी के आधार पर हमने इनका विश्लेषण किया था । बहुत सारी सिफारिशें हमने स्वीकार कर ली मैं कुछ अस्वीकार भी करनी पड़ी। उनकी संख्या कोई 20 से 23 तक थी जो बहुत अधिक महत्व पूर्ण भी नहीं थी। हमने उन सिफारिशों को दो भागों में बांट लिया है एक तो जो मन्त्रालय द्वारा ही क्रियान्वित की जानी हैं और दूसरी वे जिन्हें अन्ततः मन्त्रालय आधार पर कार्यान्वित करना होगा। कुछ सिफारिशों मूलभूत आधार लिए हुए हैं जिन पर निर्णय मन्त्रीमन्डल में अपने कतिपय यात्रियों के साथ चर्चा के बाद ही लिया जा सकता है और फिर उसी के फलस्वरूप कोई निर्णय हो सकेगा डाक व तार सेवाओं का द्विभाजन एक ऐसा कामहै जिसे बड़ी गहराई से देखे जाने की आवश्यकता है अतः कुछ डाक सेवायें पृथक रखी गई है। दूसरी सेवाओं के बारे में कार्यवाही करन हेतु हमने एक कक्ष स्थापित किया है स्वीकृत हुई सिफारिशों की क्रियान्वित पूरी तन्मयता के साथ शुरू कर दी गई है। मैं सभा को यह भी बता दूं कि तत्सम्बन्धी साप्ताधिक प्रतिवेदन प्रधान मन्त्री के सामने को भी भेजे जा रहे हैं कि की गई विभिन्न सिफारिशों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है। इससे पता चलेगा कि यह विचाराधीन रहने का मामला सही है बल्कि क्रियान्वित

होने का मामला है। हम पूरी शक्ति से उन सिफारिशों को क्रियान्वित कर रहे है। कहे बड़ी मूल्यवान सिफारिशें की गई हैं उनसे इन सेवाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत चुनाव क्षेत्रों से कई अनुरोध प्राप्त हुए थे और जैसा कि सदस्य गण जानते हैं हम उनकी एक-एक की जांच करके व्यक्तिगत उत्तर देंगे। मैं इस प्रयोजन पर सभा के समय नहीं लेना चाहता।

मैं कुछ सामान्य बातों पर चर्चा करना चाहूंगा। मैं यह देखकर बड़ा ही चकित हुआ कि दरें बढ़ाये जाने पर कोई अधिक आलोचना नहीं हुई। और लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है। समांगवाट ही इसका जिक्र हुआ था। परन्तु, में एक बात बहुत ही स्पष्ट करना चाहूंगा।

एक आलोचना यह हुई थी कि मैंने संसद के सत्र के पहले ही अधिघोषणा कर दी और फिर बाद में उन पारित कराने आये। यह भ्रम मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 2 फरवरी को हमने एक घोषणा की कि हम अमुक अमुक मदों के बारे में घोषणा करने जा रहे है कि उनकी दरें एक मार्च से लागू होंगी। 14 फरवरी को हमने उक्त अधिघोषणा को सभापटल पर रख दिया था। अत: यह कहना सही नहीं हम इसको सभा के सामने पहले होल्के निर्गम (फेट अकम्पली के रूप में नहीं लाये थे बल्कि इसका अभिप्राय सभा के सामने यह सूचना लेकर आना था कि हम इन दरों को 1 मार्च 1982 में लागू रखना चाहते हैं। सभा के सामने पूरे दस दिन हैं और अधिनियम के अधीन सभा प्रति प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकती थी। फिर वित्त मन्त्री द्वारा किये प्रस्ताव तो 27 फरवरी से लागू हुए जबकि मेरे प्रस्ताव 1 मार्च से अर्थात उन प्रस्तावों के भी बाद मे 7 मैं आग्रेय सूचना दी थी, अधिसूचना भी दी थी और मामले को सभापटल पर भी रखा था कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव उठाकर चर्चा कर सकता था ताकि सभा उस पर पक्ष में या विपक्ष में निर्णय कर लेती। मेरे विपक्ष के साथी इतने दयालू तथा कदमनाशील रहे कि उन्होंने यह अनुभव किया कि यदि उन्होंने इसके विपरीत प्रस्ताव रखा तो यह जनसंख्या के हित में नहीं होगा क्योंकि वे जानते हैं कि इस सेवा के विस्तार के लिए ऐसा करना जरूरी था मैं निश्चय ही उनको इस कदमनाशील रवैये के लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

श्री सरज भान (अम्बाला) : यह तो तकनीकी ढंग से मामला की औचित्य सिद्ध करना हुआ।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह तो मामले के प्रति बड़ी रचनात्मक दृष्टिकोण है।

सभा के सामने विचारार्थ एक आधारभूत प्रश्न है। कुछ लोगों को टेलीफोन सेवा मिल जाती है हमारे देश में 70 करोड़ लोग हैं। 25 लाख को टेलीफोन प्राप्त हैं और क्या वे उतना देते हैं जितने की उनको सेवा मिल रही है ? लोग इधर-उधर पत्र भेज रहे हैं उनकी इस सेवा के लिए राजकोष से पैसा खर्च किया जाए या उसे स्वयं खर्च करना चाहिए ? कोई आदमी यह नहीं कह सकता कि डाक व तार विभाग में सर्वाधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी कार्यरत हैं। मैं भी उनमें से एक हूं जिन्हें यह देखकर दु:ख होता है कि परिस्थितियां ऐसी नहीं कि मैं उन्हें अधिक वेतन दे सकूं हालांकि वे इसके पात्र हैं। अत: उन्हें कम से कम स्तर का वेतन

दिया जा रहा है। और जो लागत आती है वह उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति दे या कि नहीं दे यही आधारभूत प्रश्न आज सभा के सामने है। हमें अधिक महत्वपूर्ण सेवाओं का रख-रखाव करना होता है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह एक महत्वपूर्ण सेवा नहीं है उदाहरणार्थ, कोट क्षेत्र, बिजली क्षेत्र, सिंचाई इन सभी का ख्याल राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता जो कुछ भी संसाधन उपलब्ध है हमें इनके लिए उनका उपयोग करना है, अथवा एकदम उनका उपयोग डाक व दूर-संचार सेवाओं में राजसहायता देने के लिए करें। गांवों में अधिकाधिक डाकघर खोलने की आ रही है, अधिकाधिक टेलीफोन मांगे जा रहे हैं। किसी गांव में एक छोटा सा एक्सचेंज खोलना धारा का सौदा होता है। हमें उस पर अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ती है। एक अतिरिक्त डाकघर खोलने का श्रेय है बिना अतिरिक्त आप के 4000 रु० या 5000 रु० का खर्च। परन्तु मांगे तो बढ़ती ही जा रही हैं। उसके लिए धन अदा करें या नहीं यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिस पर मैं माननीय सदस्यों को विचार करने को कहूंगा।

इस मामले पर त्यागी समिति ने विचार किया था। उस समय यह विचार किया था कि किस सीमा तक इस मामले में राज सहायता दी जानी चाहिये। एक विस्तृत विश्लेषण में उस समित ने यह स्वीकार किया कि डाक सेवाओं को डाक शाखा के संचालन पर आने वाली लागत अथवा उसके लगभग बराबर की राशि का राजस्व प्राप्त करना चाहिये। समिति ने यह महसूस किया कि इन सेवाओं पंजीकरण बीमा आदि के लिये ऐसे निर्धारित की जाये कि उसमें अधिक से अधिक आयात 0 प्रतिशत का लाभान्तर हो। विभिन्न मदों की लांच की गई और उस समय का निष्कर्ष था कि किसी समय जा कर यह सेवा आत्म निर्भर होनी चाहिये। उन्होंने कुछ वस्तुओं का पता लगाया हैं जिनके लिये राज सहायता दी जानी जरूरी है।

उदाहरण के लिये उन्होंने कहा कि समाचार-पत्रों पर राजसहायता दी जानी चाहिये। परन्तु उन्होंने कहा कि यह सीमा रहित नहीं होनी चाहिये। राजसहायता लागत के 66/1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। यदि आप देखें तो बहुत अधिक राजसहायता दी जा रही है।

हमारी परिचालन लागत में वृद्धि हो रही है। पिछले वर्ष लागत में अत्याधिक वृद्धि हुई। परंतु इसका कारण अनावश्यक खर्चा नहीं इसका कारण था महगांई भत्ता विभागेत्तर कमचारियों को दिया गया और अतिरिक्त भत्ता। इस कारणों से व्यय में वृद्धि हुई। उदाहरण के रूप में इंडिया एयर लाइन्स ने, जो हमारी डाक ले जाता है, अपने भाड़े में वृद्धि कर दी। रेलवे ने अपने भाड़े में वृद्धि कर दी है। इन प्रत्येक सेवाओं क्या हमारे ऊपर लेवी बढ़ा दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि डाक सेवाएं महंगी हो गई।

यह स्वाभाविक है कि इस लागत का कुछ भाग उनको पूरा करना होगा जो इन सेवाओं का उपयोग करते हैं। इससे कोई बचाव नहीं है। देश को उसके लिये तैयार रहना चाहिये। सदन को भी इससे सहमत होना चाहिये। डाक तथा दूरसंचार सेवाओं को अपने रास्ते पर चलना होगा न कि राजसहायता के लिये सामान्य राजस्व पर निर्भर रहना होगा। इसी विचार से कुछ दरों मे वृद्धि की गई है। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि दरों में यह वृद्धि

अन्तिम नहीं होगी (व्यवधान) इस वर्ष के लिये यह जरूरी है। परन्तु बाद में दरों में वृद्धि की जानी होगी जिससे कि विस्तार कार्यक्रम प्रभावित न हो। मैं इस बारे में केवल यही कहना चाहता हूं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अपने दरों में तो वृद्धि कर दी है परन्तु योजना का कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में क्या। दो माननीय सदस्यों ने विशेषरूप से यह पूछा कि योजना आवंटन का पूरी तरह उपयोग न किये जाने के क्या कारण है। जहां तक डाक पक्ष की बात है। पूरा आवंटन व्यय किया गया है। दूर-संचार के क्षेत्रों में 1980-81 में इसका पूरा उपयोग नहीं हुआ। इस कारण विभाग के कार्यकरण को सुचारु बनाने के लिये समय की कमी के कारण उपकरणों की अनुपलब्धता है। परन्तु मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि 1981-82 में स्थिति यह है कि सारे धन का उपयोग हुआ। 1982-83 में सारी आवंटित राशि उपयोग में लायी जायेगी तथा हमारी आवश्यकताओं से कम रहेगी। 1981-82 में कुल आवंटन 45 करोड़ रु० थे और सभी राशि का उपयोग हुआ। 1982-83 के लिये आवंटन 477 करोड़ रु० है। यह वास्तविक आवश्यकताओं से कम होगा। व्यापक स्तर पर दिये जा रहे विस्तार को देखते हुए सारी राशि का उपयोग किय जायेगा।

तीसरी बात कर्मचारियों की कमी भी उठाई गई। यह तो कर्मचारियों की दृष्टि से देखने पर है। मुझे बताया गया है कि यह शिकायत हमेशा रही है। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि कार्यभार संभालने के बाद इस बात की ओर ध्यान दिया। कर्मचारियों की अत्याधिक कमी थी। परन्तु अब स्थिति को पूरी तरह से सुधार लिया गया है। डाक विभाग में कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है। इस संचार विभाग में हमने लोगों की भर्ती की है। उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और वे जुलाई में कार्यभार सभाल लेंगे। जुलाई तक दूर सचार विभाग में भी कर्मचारियों की कमी दूर हो जायेगी। हमने लोगों की भर्ती कर ली है।

व्यापक पैमाने पर अनुपस्थिति की समस्या है। अनुपस्थित की स्थिति तथा रिक्त पदों के खाली रह जाने की स्थिति से निपटने के लिये हमने प्रशिक्षित रिजर्व पूल की नई प्रणाली लागू की है। मैंने निर्देश दिये हैं कि अगले पाच वर्षों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाये और उसके अनुसार भर्ती की जाये। 10 प्रतिशत की छुट्टी रिजर्व की है। मैंने सुझाव दिया है कि 25 प्रतिशत छुट्टी रिजर्व की व्यवस्था की जानी चाहिये। और उनकी संख्या में कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिये। उनकी भर्ती की जायेगी और उनको प्रशीक्षण दिया जायेगा। तथा उनको रिजर्व पूल में लाया जायेगा। तथा जब भी मांग होगी उनको सेवा में लगा दिया जायेगा। और इस पूल को उसी प्रकार बनाए रखा जाये जिसका अर्थ यह है कि किसी समय भी रिक्त पद हो सकते हैं रिक्त पद भरे जाते रहेंगे तथा रिजर्व पूल को भी प्रशीक्षित लोगों से पूरा भरा रखा जायेगा। कई लोग छोड़ जायेगे परन्तु उससे अन्तर नहीं पड़ता। हम उनके प्रशिक्षण पर कुछ व्यय करते हैं, वे छोड़ सकते हैं तथा किसी अन्य रोजगार को अपना सकते हैं वे आयु के विचार के बिना आ सकते हैं और जब भी उनको रिजर्व पूल में लिया जायेगा उनको भर्ती कर लिया गया माना जायेगा और नियमित भर्ती के समय यदि उन्होंने आयु सीमा

पर भी छूट ली है तो भी उनको उससे छूट दी जायेगी और सेवा में ले लिया जायेगा । कर्मचारियों को कमी को दूर करने के विचार से हमने यह तरीका निकाला है जिससे कर्मचारियों की कमी की शिकायत कमी न रहे । वर्तमान स्थिति यह है जो मैं सभा के सामने रखना चाहता हूं ।

चौथी बात विभागेतर कर्मचारियों की उठाई गई थी । हमारे पास अभी संख्या में विभागेतर कर्मचारी हैं । लगभग 2.50 लाख विभागेतर कर्मचारी हैं । 1,40,000 डाकघरों में से 126 विभागेतर डाकघर हैं । यह हमारी डाक सेवा की रीढ़ की हड्डी हैं । हमारी समस्या यह है कि दूरस्थ गांवों में जहां नियमित डाकघर के लिये पर्याप्त लाभ नहीं है वहां पर डाक का काम तो चलाना ही है । अतः केवल हमारे देश में ही नहीं परन्तु अन्य स्थानों पर भी यह विभागेतर डाक प्रणाली लागू की गई थी । इसे एक एजेन्सी प्रणाली के आधार पर काम करना होता है और एजेन्सी प्रणाली का अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई अन्य काम है अथवा रोजगार का कोई अन्य स्रोत है उनको ही एजेन्सी दी जाए । यह मौलिक शर्त है क्योंकि हमको पूर्ण कालिक नौकरी नहीं दे सकते । उनको 2 से 3 अथवा चार घन्टे काम करना होता है । शेष समय के लिये उनके पास नियमित रोजगार होना चाहिए । परन्तु इस बीच यह पहलू नजरन्दाज हो गया अब हम इस बात पर बल दे रहे हैं कि जब तक किसी के पास आय का नियमित स्रोत नहीं तब तक उसे विभागेतर आधार पर नहीं लिया जा सकता यह कहा गया कि उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि भिन्न-भिन्न वर्ग हैं । उदाहरण के रूप में । सितम्बर 1970 से विभागेतर 340 डाकपालों तथा सार्टरों का न्यूनतम वेतन 140 रु० तथा अधिकतम 170 रु० था । आज न्यूनतम 188 रु० है । और अधिकतम वेतन 233 रु० है । विभागेतर शाखा डाकपालों का न्यूनतम वेतन 100 था और अधिकतम 120 था आज उनका न्यूनतम 131 रु० और अधिकतम 165 है । उनमें से प्रत्येक वर्ग का का भत्ता बढ़ गया है । मैं यह नहीं कह रहा कि यह भत्ता पर्याप्त है परन्तु आपको यह देखना होगा कि यदि विभागेतर व्यक्ति को एक रु० अधिक दिया जायेगा तो कुल राशि क्या होगीहोगी यदि 10 रु० दिये जायेंगे तो कुल राशि क्या होगी क्या सेवा उक्त यह भार को वहन करने के समर्थ है ? परन्तु इसके बावजूद उसमें वृद्धि की जा रही है । भत्तों में वृद्धि की जा रही थी उनकी कुछ समस्याएं थी और हम उनसे बातचीत कर रहे थे । हमने एक पक्षीय रूप से कुछ मामले लिये हैं । उदाहरण के रूप में एक उपबन्ध के अनुसार यदि कोई विभागेतर व्यक्ति कोई डाकघर लेता है तो उसे 10 रु० का भत्ता दिय जायेगा और उनमें से केवल 200 अथवा 300 को यह भत्ता दिया गया है अन्यों को नहीं । उनको कार्यालय बनाना होता है और उसे चलाना होता है । इस वर्ष में कुछ करना जरूरी होता है । इस मामले पर विचार किया गया । मैं इस अवसर का लाभ उठाकर इस सदन को बताना चाहता हूं कि सभी विभागेतर शाखा डाकपालों को कार्यालय भत्ते के रूप में 10 रु० देने के आदेश जारी किए जा रहे हैं ।

डिलीवरी एजेन्टों को बस स्टेन्ट पर कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ती है। डाक आई नहीं होती । यह प्रतीक्षा एक घन्टा अथवा दो घन्टे हो सकती है । हम उनको विशेषरूप से कुछ नहीं

दे सकते। इसको विचार में रखकर हमने प्रत्येक व्यक्ति को डाक देने का निर्णय किया है। सभी विभागेतर डिलीवरी एजेन्टों को यह राशि देने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त.....

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : 10 रु० क्यों नहीं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : यह प्रतीक्षा करने के लिये है। इसका कार्यालय व्यय कार्यालय किराया आदि के लिये है हमने अनुभव किया कि कार्यवाही की आवश्यकता है। हमने उनके द्वारा की जा रही सेवाओं के महत्व को समझा। हम समझते हैं कि वे भी यह समझते हैं कि हमारी सीमाएं हैं। हमारी सीमाएं हैं और हम अपने आप उनके भत्तों में वृद्धि करते आ रहे हैं जहा तक विभागेतर लोगों की बात है मुझे केवल इतना ही कहना है।

एक अन्य बात भी ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सेवा के विस्तार की। मुझे केवल इतना कहना है कि 140,00 डाकघरों में से ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 14,00 डाकघर नगरीय क्षेत्रों में हैं। 126,000 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों मे हैं। चाहे वे शाखा डाकघर हों अथवा, उपडाकघर हों, इस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में 800 और डाकघर खोले जायेंगे। परन्तु इस बारे में कोई निश्चित नियम नहीं होने चाहिये। यह सुझाव दिया गया था। मैं इससे सहमत हूं। परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकती हैं। केरल में जो परिस्थितियां लागू हों वे अन्य स्थ न पर हो जरूरी नही। अत: पहाडी क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश में वह मानक लागू नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों अथवा उसके पहाड़ी भाग के लिये उत्तर पूर्वी पट्टी मिजोरम में वह बात हो सकती है। वहां पर परिस्थितियां भिन्न है। अत: मैंने अपने कार्यालय को आदेश दिया है कि इस बात का पता लगाने के लिए प्रत्येक राज्य में मूल्यांकन किया जाये कि कसौटी में कहां तक परिवर्तन करना जरूरी होगा। क्षेत्र की परिस्थितियो के अनुसार क्षेत्र की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन किया जा रहा हैं। हमें केवल यह देखना है कि जरूरत आवश्यक हो लोग शाखा डाकघर ही मांग केवल भत्ता पाने तथा कार्यालय खोलने के विचार से करते हैं न कि डाक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से यह मांग की जाती है।

यह एक ऐसी बात है जिस पर विचार करना पड़ेगा और इसके वित्तीय पहलू पर भी ध्यान देना होगा। फिर भी मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसा कोई एक राष्ट्रीय मानक नहीं हो सकता जो सभी स्थानों पर लागू हो सके। हमारे देश में जहां पर स्थान-स्थान के बीच स्थिति बदलती रहती हैं, हम बात को ध्यान में रखते हुए जगह-जगह पर विद्यमान परिस्थितियों के साथ-साथ इसमें भी परिवर्तन होते रहेंगे और हमें उसी प्रकार से इन जरूरतों को पूरा करना होगा।

अत: इस सुझाव पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाएगा।

अब मैं ग्रामीण दूर संचार की बात पर आता हूं। यह भि प्रमुख समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं। मुझे तो इस सदन को मात्र अवगत कराना है कि वर्ष 1980 में हमने अपने एक

अधिकारी डा० हजेला की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया था। उन्होंने एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट दी थी और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी दूर संचार सेवा बनाने के बारे में भी एक रिपोर्ट दी थी। वरीन समिति ने इसकी जांच की थी और इस रिपोर्ट में अन्तर्दिष्ट सभी प्रस्तावों को पूरी स्वीकृति दे दी थी। अब, हम जो यह महसूस करते हैं कि हमने 10 से 25 लाइनों वाला एक छोटा टेलीफोन केन्द्र बनाया और वहां पर एक लाइन मैन तैनात कर दिया। यदि एक टेलीफोन खराब हो जाता है, तो टेलीफोन को इसकी सूचना देने के लिए कोई साधन नहीं है। वहां पर केवल एक ही लाइन मैन है। वह जगह-जगह जाकर सारी जानकारी हासिल नहीं कर सकता। अतः वहां पर एक प्रकार का ऐसा है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार प्रणाली में काफी कमी कर दी गई है। यह एक तकनीकी समस्या और तकनीकी कठिनाई है। वह पर एक व्यवस्था है, जिसे समेकित डिवीजन दूर संचार सेवा कहा जाता है। इसके अन्तर्गत हम एक जिले को एक सम्पूर्ण जिले के रूप में चुनते हैं। उस जिले में छोटे टेलीफोन केन्द्र भी हो सकते है। इस प्रस्ताव के अन्तर्गत, छोटे टेलीफोन केन्द्र, चाहे वे मानव चालित हों अथवा स्वचालित हों, के स्थान पर डिजीटल छोटे टेलीफोन केन्द्र लगाए जाने चाहिए। ये लाइनों के जरिए जो रेडियो लाइन है एक दूसरे के साथ सम्बद्ध होनी चाहिए। एक लाइन पूर्णतः स्वतन्त्र होनी चाहिए, जो ऊपरी लाइनों पर निर्भर न करे। इस प्रकार की प्रणाली को समूचे देश भर से अवश्य जोड़ा जाना चाहिए। यह एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, इस कार्यक्रम के लिए 18 जिलों को चुना गया है। इस बात को स्वीकार कर लिया गया है और इस वर्ष के दौरान, हमारे विचार चार जिलों को लेने का है। यह उपक्रमों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। मैं तो सिर्फ यह बात कह रहा हूं कि यह ग्रामीण दूर संचार प्रणाली तथा ग्रामीण क्षेत्रो की यह सेवा देना एक समस्या है। हमें इस बात की जानकारी है और हमें स्वयं इस बात की चिन्ता है। एक योजना बनाई गई है और हमें आशा है कि इस प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 1995 तक देश के सभी जिलों में डिजीटल परिषण प्रणाली लागू कर दी जायेगी।

श्री माधवराव सिन्धिया (गुना) : ये 18 जिले कौन-कौन से हैं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : में 18 जिले हैं :

वर्ष 1982-83 के लिए– 4 जिले।

आगरा, मथुरा, आलेघी, और केलाबा।

वर्ष '983-84 के लिए – 6 जिले।

बाड़मेर, भोपाल, सिहोरी, जलमईगुड़ी, कोहिमा, नाडियाद और बेलगाम

वर्ष 1984-85 के लिए – 8 जिले — कृष्णा, उत्तरी

लखीमपुर, मेहसाना, मुर्शिदाबाद, कोरापुर, दक्षिणी जर्काक पोण्डी, संगरूर, कटिहार—पुर्णिया। (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं इसको पढ़कर नहीं सुनाना चाहता था। ये तो प्रस्ताव

है। मैं तो सिर्फ यह बता रहा हूं कि यदि हमारी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है तो इसमें वृद्धि की जा सकती है। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में दूर संचार सुविधा हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है और हम इस चुनौती को पूरा कर रहे हैं और इसका सामना कर रहे है। हमने इस क्षेत्र की जांच की है जो आर्थिक दृष्टि से सन्तुष्ट है।

श्री नवल किशोर शर्मा : इस प्रणाली की कार्यकुशलता क्या होगी ? क्या यह पूर्णत: सफल हो गई है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : यह प्रणाली सबसे ज्यादा कुशल प्रणाली रहेगी क्योंकि यह डिजटल प्रणाली में और इसमें पारेषण रेडियो लाइन तथा वी० एच० एफ० प्रणाली द्वारा किया जाता है। निश्चित रूप से यह सबसे ज्यादा सक्षम प्रणाली होगी। इसीलिए इसका मूल्यांकन किया गया है। इसके बारे में यह अन्तिम बात नहीं है। मैं सिर्फ यह बात कह रहा हूं कि हमने 1980 में केवल ग्रामीण दूर संचार की समस्या का अध्ययन किया था। एक समिति नियुक्त की गई थी और उस पर कार्यवाही की जा रही है। सरीन समिति ने भी इस रिपोर्ट की जांच थी। इस प्रस्ताव के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है जिस बारे में अन्तर हो। हम इसे स्वीकार करते हैं और उपकरणों के मिलने तक हम इस सम्बन्ध में कार्यशील रहते हैं, उपकरणों के लिए हम अपनी फैक्टरियों का विस्तार कर रहे हैं। महोदय, मैं यही सब कुछ आपको बताना चाहता था।

यहां तक कि वर्ष 1981-82 में, हमने 510 के लक्ष्य के तुलना में 6 5 के ग्रामीण क्षेत्रों क्षेत्रों में 628 छोटे टेलीफोन केन्द्र खोले हैं, जैसा मैंने बताया है कि एक दूसरे के साथ संचार बनाए रखने के बारे में अनेक कठिनाइयों के कारण ये छोटे टेलीफोन केन्द्र वास्तव में श्रेष्ठ नहीं माने जा सकते। अन्य मुद्दों जिसके बारे में काफी उल्लेख किया गया था गल. टेलीफोन काल मिल जाती हैं। मुझे भी गलत काल मिल जाती हैं। हाल में मैंने आन्ध्र प्रदेश के एक स्थान से एस० टी० डी० सेवा का उद्घाटन किया था। मुझे काल से मिलाया गया। यह उदघाटन कर्नाटक के मुख्य मन्त्री से बात करके जाना था। मैंने डायल घुमाया और मद्रास मिल गया। किन्तु उस समय जो व्यक्ति मेरे पास खड़ा था, उसने कहा "अपने गलत नम्बर मिला दिया है।"

संचार मन्त्री ने, जहां भारी जन समुदाय था तथा सभी अधिकारी गण इस उद्घाटन को देख रहे थे, मुझसे गलत नम्बर मिल गया और बंगलौर की अपेक्षा मुझे मद्रास मिल गया। जब उन्होंने एक-एक नम्बर बताकर कहा, तब मैंने ध्यान से डायल घुमाया और मुझे कर्नाटक मिला और कर्नाटक के मुख्य मन्त्री की मेज पर घंटी गई और मे उनके साथ बात कर सका।

यहां मै सिर्फ इस बात पर जोर देना चाहत हूं कि उपभोक्ताओं के साथ ऐसा ही होता है। मैं यह बात बता रहा हूं कि मैं यह स्थिति बदतर नहीं है। उदाहरण के लिए जापान में उन लोगों का कहना है कि उनकी प्रणाली पूरी तरह से ठीक है किंतु केवल 80 प्रतिशत कालें ही मिल पाती हैं और उनमें से शेष नम्बर गलत मिलते हैं। उनका कहना है कि ऐसा उपभोक्ताओं की गलती की कारण होता है। ऐसा ही होता है। हमारे यहां एक प्रणाली है जिससे हम इसकी

जांच करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे अधिकारीगण को एक माह में 30,000 कालें जोड़नी होती है और इस आशय की रिपोर्ट देनी पड़ती है कि कितनी कालें गलत मिलीं। कलकत्ता में ऐसा ही किया जा रहा है। कलकत्ता में इसकी प्रतिशतता 0.48 है — मुझे खेद है कि मैं पुन: प्रतिशतता का उल्लेख कर रहा हूं उन कालों का जो गलत नम्बरपर मिल जाती हैं, बम्बई में यह 5.5 प्रतिशत है आदि आदि ऐसी कालों की प्रति हजार काल पर संख्या 2 है जो गलत नम्बर पर मिलती है। गलत काले भी होती है। ऐसा उपकरण की खराबी के कारण होता है। प्राक्कलन ने इसके बारे में बताया था और किसी व्यक्ति ने इस बात का भी उल्लेख किया था कि गलत कालों के कारण हमें 25 लाख रु० का मुनाफा हो रहा है मैं तो केवल इस बात का उल्लेख कर रहा हूं। मैंने तो मात्र इसका विश्लेषण किया है। हमारे देश में 25 लाख टेलीफोन हैं। 25 लाख टेलीफोनों पर 50 लाख गलत कालो के मिलने का तात्पर्य प्रति वर्ष 2 गलत काल मिलना है यह कहा गया है कि इस आधार पर कुछ रियायत अवश्य दी जानी चाहिए। जिसकी राशि 1 रु० आती है। प्राक्कलन समिति ने कहा है कि इसके लिए मुझे मुआवजा अवश्य देना चाहिए। यह राशि 1 रु० आती है। हमें इसे व्यर्थ नहीं मानना चाहिए।

प्रणाली में ऐसा अवश्य होता है। हम इस स्थिति में सुधार नहीं कर सकते। मैं यह नहीं कह रहा कि हम इस बात हर नियंत्रण नही कर रहे हैं कि कि गलत नम्बर क्यों मिलते हैं। यहाँ तक कि प्राक्कलन समिति में अनुमान में भी जो 25 लाख रुपये का है। जिसे उन्होंने प्रतिवर्ष प्रति टेलीफोन 2 गलत काल के हिसाब से गणना की है। इसका तात्पर्य है कि कुछ टेलीफोनों पर बिल्कुल भी गलत कालें नहीं आती होगी। अन्यथा वह औसत और भी अधिक होता।

श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) क्या इसका किसी आदमी से कोई सम्बन्ध हो सकता है।

श्री सी० एम० स्टीफन : टेलीफोन की दृष्टि से ऐसा हो सकता है। दूसरा मुद्दा तार में विलम्ब के बारे में उठाया गया था। तार में बिलम्ब होता है मुझे यह दावा नहीं करना चाहिए कि इस पर पूर्णरूप से काबू पा लिया गया है। किंतु मुझे यह अवश्य कहना है कि हम इस पर कुछ नियन्त्रण अवश्य कर पाए हैं। हमारे यहां तार घर हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे सदन मानता है। हमारे यहाँ नियमित विभागीय कार्यालय हैं। जिला तार घर तथा केन्द्रीय तार करों की संख्या 427 है। हमारे में संयुक्त कार्यालय भी हैं, जिनकी संख्या 30,322 है। ये संयुक्त कार्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। ये शाखा डाक घर हैं। ये छोटे कार्यालय हैं, जो एक सीमित समय तक ही कार्यकर रहे हैं। यदि कोई तार उस स्थान पर ऐसे समय पर पहुंचता है जो कार्य घण्टों के समय में न हो तो प्राप्तनहीं किया जा सकेगा वह तो रोक दिया जाएगा।

यह कोई तार एक विभागीय कार्यालय से दूसरे विभागीय कार्यालय को जाता तो यह तीव्र गति से जा सकता है।

किन्तु यदि यह इन 30,000 संयुक्त कार्यालयों के अन्तर्गत नहीं आता तो विलम्ब होना अपरिहार्य है।

ऐसे अनेक कारण हैं जो सामने आते हैं ।

ये विलम्ब सकारण है भी हो सकते हैं । जानबूझकर भी विलम्ब किया जा सकता है । कभी कोई तार दे दिया गया होता है । किन्तु कर्मचारी उसे बाहर नहीं भेजते अथवा कर्मचारी इसे एक दिशा विशेष में वितरण की दृष्टि से भेजते हैं । ये सब बातें इसमें होती हैं।

हम सम्पूर्ण ढांचे में सुधार कर रहे है पिछले वर्ष एक आदेश जारी किया गया था कि ऐसा तार जिसे किसी विशेष कार्यालय में वितरित किया गया था, यदि वहां 3 घण्टे से अधिक समय तक पड़ा रहता है तो इसे तुरन्त वापस मंगाया जाना चाहिए और इसे अगले उपलब्ध विमान से अगले महानगर को जहां इसे जाना हो तत्काल भेजा जाना चाहिए । इसे वहीं रोके नहीं रखा जा सकता । कुछ समय के लिए ऐसा किया गया था । विभिन्न नगरों को जोड़ने के लिए हमारे यहां बड़ी संख्या में विमान हैं । परिणामस्वरुप बम्बई, मद्रास तथा अन्य विभिन्न स्टेशनों को तार भेजे जाते हैं और वहां इनको वितरित किया जाता है । इसके परिणामस्वरुप हम इस ओर पूरा ध्यान देने में असक्षम हो पाये हैं और अब तार तारों के द्वारा भेजे जाते हैं तथा डाक सेवाओं के द्वारा तथा विमानों के द्वारा इनका भेजा जाना बड़ी तेजी से समाप्त हो रहा है । अनेक स्थानों पर तार सेवा के लिए डाक की व्यवस्था नहीं है यह तारों द्वारा ही भेजा जाता है ।

एक अन्य तकनीकी व्यवस्था का विकास किया गया है और उसका उपयोग आजकल हो रहा है । मद्रास में हम इसका उपयोग कर रहे हैं । इस पद्धति को स्टोर एण्ड फारवर्ड सिस्टम कहते है । इसका निर्माण भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स निगम ने किया है । यदि कोई तार दिये जाते हैं और उसके लिए चेनल उपलब्ध नहीं है तो उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है । इसके लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती । सारे संदेश अगले स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं और जब चैनल खाली होता है तो उसे दूसरे स्थान को भेज दिया जाता है । मुझे यह जानकारी मिली है कि यह पद्धति बड़ी सफलतापूर्वक काम में लाई रही है । ऐसा होने पर इसका निर्माण बड़ी संख्या में किया जायेगा । और इसमें विलम्ब होने की समस्या को बड़ी सीमा तक हल किया जा सकेगा । तार सेवाओं के द्वारा तार भेजे जाने की पद्धति को अब समाप्त किया जा रहा है ।

देश भर में 630 लाख तार बुक किये जाते हैं और भेजे जाते हैं इनमें से 40 प्रतिशत तार डाकघरों द्वारा भेजे जाते हैं ।

दूसरे पक्ष की ओर से तथाकथित सेंसर किए जाने पर जोरदार आक्रमण किया गया है । हम किसी प्रकार का सेंसर नहीं करते हैं। हमारा विभाग बहुत ही निर्दोष विभाग है। हम किसी के मामलों में दखल नहीं देते। पत्र और पार्सल विश्वास के आधार पर प्राप्त किए जाते है और उन्हें सुरक्षित लोगों को पहुंचाया जाता है ।

श्री भोगेन्द्र झा द्वारा पेश किए गए विधेयक में कतिपय सांविधिक व्यवस्थाओं की बात कहीं गई थी और उस पर चर्चा के समय मैंने अपने विचार रखे थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी एक विधेयक आने वाला है। उनके सम्बन्ध में जो कुछ कहूंगा वह मैं यहां नहीं कहना चाहता।

मैं उन तर्कों को पुन: नहीं देना चाहता। जिन्हें मैं दे चुका हूं। इस व्यवस्था में 1972 में संशोधन किया था उस समय तक किसी सीमा तक सेंसर किया जा सकता था। 1972 में इसमें यह सशोधन किया गया कि यदि कोई अधिकारी किसी टेलीफोन को सुनना चाहे अथवा किसी की चिट्ठी पत्री को देखना चाहे तो उसके सम्बन्ध मे लिखित आदेश होने आवश्यक है जिसमें वे कारण बताये गये हों जिसके लिए ऐसा करना आवश्वक समझा गया हो मेरे मित्र इस बात से सहमत होंगे कि इसे अब युक्तियुक्त बना दिया गया है। यदि किसी को इस बात का शक हो कि उनके तार अथवा पत्र को बीच में देखा या पढ़ा जाता है तो कोई भी अदालत मुझसे उस आदेश को पेश करन के लिए कह सकती है और इस बात को जांच कर सकती है कि यह आदेश तथ्यों पर आधारित था और क्या इसे लागू किया जाना चाहिए। मैं किसी भी पत्र को उठा करके नहीं देख सकता। यदि में ऐसा करता हूं तो यह डाक अधिनियम और तार अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है। जो कोई भी इस प्रकार किसी के गुप्त बातों में हस्तक्षेप करता है वह सभा का भागी है, यदि वह ऐसा केन्द्रीय सरकार के ग्रह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश अथवा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए उन आदेशो के अभाव में करता है जिनमें इस के कारण बताये गये हों कि उस विशेष व्यक्ति के तार या पत्रों की जांच की जाये। हमारे सत्ता में आने पर 1972 के बाद इसमें संशोधन किया गया। इस समय ब्रिटिश सरकार का कानून लागू नहीं है बल्कि संसद द्वारा 1972 में पास किया गया कानून लागू है। मैं इस सम्बन्ध में इससे अधिक और कुछ नही करना चाहता।

यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति फेडरेशन को मान्यता···

एक माननीय सदस्य : यूनियन।

श्री सी० एम० स्टीफन :...यूनियन को मान्यता दी जाये। इस प्रकार की हिदायतें दी गई है कि यदि फेडरेशन को कुछ कहना है तो उनके पत्रों को स्वीकार किया जाये। हिदायतें मेरे मत्रालय में हीं नहीं वरन रेल मंत्रालय में भी ऐसी ही हिदायतें हैं।

जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि मेरा मन्त्रालय उनके अधिकारियों की रक्षा में किसी से पीछे नहीं है अनेकों मामलों में मैंने ऐसा निर्णय लिया कि यदि किन्हीं विशेष पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति उपलब्ध हैं तो उनको लिया जाये। इस सम्बन्ध में मैंने अधिकारियों के सामने यह तर्क रखा कि मान लीजिए कि हमें किसी विशेष प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता है और हमारे पास वैसी योग्यता के व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो क्या हम उन लोगों को विदेशों से मंगवाएंगे ? हम अपने ही लोगों को लेंगे और उनसे ही काम चलाएंगे इसी प्रकार यदि स्थानो का कुछ प्रतिशत उनके लिए आरक्षित है तो ऐसे प्रयत्न किए जाएं जिससे यदि योग्य व्यक्ति उपलब्ध हो तो उन्हें वे स्थान मिल सकें। कोई कारण नहीं कि उन्हें वे दिन दिए जायें।

इसके परिणामस्वरूप मेरे विभाग में 1980 में कुल 139 पदों को अनारक्षित घोषित किया गया और 1981 में यह संख्या घटकर 120 हो गई । इस दिशा में प्रयत्न किए जाते रहेंगे और जहां तक "ग" और "घ" श्रेणी के पदों का सम्बन्ध है उनमें उनकी संख्या इस समय भी 15 प्रतिशत से अधिक है। "ख" श्रेणी के पदों में उनकी संख्या 12 प्रतिशत है जो 3 प्रतिशत कम है । जहां तक "ख" श्रेणी का सम्बन्ध है ये पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाते है और ऐसा आयोग की किसी कमी के कारण नहीं होता परन्तु ऐसा इसलिए होता है कि उचित भर्ती के अभाव में संघ लोक सेवा आयोग पर्याप्त संख्या में उनको भर्ती नहीं कर पाता । इस स्थिति को सुधारा जा रहा है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में हम संविधान की व्यवस्थाओं का पूर्णत: पालन कर रहे हैं ।

एशियाई खेलों के सम्बन्ध में हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में पूछा गया है। एशियाई खेलो के लिए हर सम्भव कार्य किया जा रहा है और उन्हें सर्वोत्तम संचार सेवाएं उपलब्ध होंगी । मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता ।

इन्सेट, जो इस समय अन्तरिक्ष में है के बारे में जानकारी मांगी गई है । यह अन्तरिक्ष विभाग का विषय है । में इसमें नहीं जाना चाहता । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारे मन्त्रालय का सम्बन्ध है पृथ्वी पर 28 केन्द्र तैयार हैं । हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि इन्सेट ठीक प्रकार से काम करें और हम उस कठिनाई को हल कर लें जो उसके एक एन्टेना के खुलने में सामने आ रही है । उसे खोलने के लिए हम प्रयत्नशील हैं और हमें आशा है कि सब कुछ ठीक हो जायेगा तथा इस सम्बन्ध में अन्तिम परिणाम दो या तीन दिन में ज्ञात हो जायेंगे ।

कर्मचारियों के मामलों में बहुत कुछ कहा गया है । मेरे दोस्तों का कहना है कि मैं एक ट्रेड यूनियन नेता हूं इ लिए किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं होनी चा हए । क्योंकि एक मजदूर नेता को कर्मचरियों के हित में काम करना चाहिए । दो प्रकार के मसले हमारे सामने हैं एक तो जन सामान्य के मसले है और अन्य व्यक्तिगत मसले हैं । व्यक्तियों के मसले यूनियन नहीं लेती है । और मैं इस बात को बड़ी कठोरता क साथ लागू कर रहा हूं । मैंने देशभर में सब जगह शिकायत कक्ष भी बनाये हैं । और यदि कोई विलम्ब हो तो वे शिकायत कक्षों में जायें तथा वहां उन पर ध्यान दिया जाये और उसकी जानकारी निदेशालय को नियम से दी जाये और यह भी बताया जाये कि कितनी शिकायतें अभी विचाराधीन पड़ी हैं । हम इस नीति को अपना रहे हैं । मैंने उन लोगों से कहा है कि यदि कर्मचारी कोई शिकायत लेकर आता है तो उसे यथासम्भव हल किया जाये और उसी दशा में उसे छोड़ा जाये जबकि वह पूर्णत: अनुचित हो और ऐसा ही किया जा रहा है ।

जहां तक सामान्य मसलों का संबन्ध है उसके लिए संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र बना हुआ है वहां उन पर चर्चा होती है और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे मन्त्रालय में इस पर गहराई से विचार होता है और इस बात पर जोर दिया जाता है कि विभागीय परिषद की बैठकें नियमित रूप से की जायें । उनमें चर्चा की जाये तथा जहां कहीं विचारों में मतभेद हो तो उसके लिए

मध्यस्थता की व्यवस्था की जाती है और ज्यों ही उसका निर्णय होता है हम उसे लागू करते हैं, भले ही फिर हमारी सेवाओं पर उसका बुरा प्रभाव पड़े। कर्मचारियों के हितों और यूनियनों के कार्यकर्ताओं के हितों में भी कुछ अन्तर है। हम सहयोग के आधार पर काम करते हैं और आशा करते हैं कि हमें सहयोग मिलेगा। मैंने यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है परन्तु मुझे यह देखकर बड़ी निराशा हुई कि या तो सहयोग मिल नहीं रहा है या कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए यूनियन के सहयोग में अन्य कर्मचारी शामिल नहीं होते। तो इस प्रकार एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे सामने है जिससे हम गुजर रहे हैं। इस विभाग का कार्य-भार मुझे सौंपा गया है और मुझे जनता की सेवा करनी है। इसलिए, जहां कहीं, यूनियन का सहयोग आ हा है, वहां यह देखना मेरा काम है कि काम ठीक-ठाक हो रहा है और इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे। उस पर मैं बिल्कुल दृढ़ हूं और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं।

इस समय कतिपय मामलों का उल्लेख किया गया है—19 तारीख के हडताल के बारे में मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। 19 तारीख के हड़ताल के लिए हमें केवल कतिपय क्षेत्रों में ही कुछ कदम उठाने पड़े। एक भी यूनियन हड़ताल पर नहीं गया और कुछ लोगों ने कतिपय स्थानों पर हड़ताल पर जाने में बहुत चालाकी दिखाई। कलकत्ता में 3452 व्यक्ति काम पर नहीं आए। जैसा कि आपको मालूम है कलकत्ता में बहुत बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। लेकिन केवल 3452 व्यक्ति ही काम पर नहीं आए उनका कहना है कि यातायात अस्त्र व्यस्त हो जाने के कारण काम पर नहीं आए। यातायात में अस्त्र व्यस्तता ने लोगों को प्रभावित नहीं किया। वे काम पर आए और बहुत बड़ी सख्या में लोग काम पर आए। केवल 345 व्यक्ति ही काम पर नहीं आए। जी० एम० टी० मद्रास—13, पी० एम० जी०, मद्रास 2, भुवनेश्वर—4 के ल 3 व्यक्ति ही काम पर नहीं आए, पी० एम० जी० त्रिवेन्द्रम—163 ···(**व्यवधान**)···मैं यह कह रहा हूं कि केवल ये थोड़े से व्यक्ति ही काम पर नहीं आए। यूनियन के हड़ताल पर न जाने के आह्वान के बावजूद उन्होंने हड़ताल किया। मैंने आदेश दिया है कि उन्हें वेतन नहीं दिया जाए। मैंने यह भी आदेश दिया है कि उन पर सेवा में व्यवधान लागू किया जाए। लेकिन मैंने यह आदेश दिया है कि यदि वे इस आशय का एक पत्र लिख दें कि वे हड़ताल पर नहीं थे, तब सेवा में व्यवधान की सजा माफ कर दी जाए। लेकिन वेतन में कटौती होगी। यह ट्रेड यूनियनवाद के विरुद्ध नहीं है। ट्रेड युनियन हड़ताल पर नहीं गए थे, लेकिन कतिपय व्यक्ति बहुत चालाक बन गए और स्वयं यूनियन बन गए तथा हड़ताल पर गए। मुझे उनका इलाज करना होगा उनके साथ वैसा ही बर्ताव करना पड़ेगा जैसा कि निर्देश दिया गया है, अर्थात यदि वे कहते हैं कि वे हड़ताल पर नहीं थे तो सेवा में व्यवधान हटा दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने विभाग को लिखा कि वे हड़ताल में भाग नहीं ले रहे थे अथवा ऐसा ही कुछ ?

श्री सी० एम० स्टीफन : उन्होंने नहीं लिखा। वह अवैध हड़ताल थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या उन्होंने आपके बिभाग को इस आशय

का पत्र लिखा कि वे हड़ताल पर नहीं जा रहे थे, तब आप उनके विरुद्ध कैसे कार्यवाही कर सकते हैं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : क्योंकि हमने सामूहिक कार्यवाही के रूप में इसे लिया है। मैं कह चुका हूं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति यह कहते हुए लिखना शुरू कर दे कि यह सामूहिक कार्यवाही नहीं है तब सेवा में व्यवधान नहीं लागू किया जाएया। हम उस पर आगे कार्यवाही नहीं करेंगे। हम उनकी बातों पर विश्वास कर लेंगे। सेवा में व्यवधान नहीं लागू किया जाएगा काम नहीं वेतन नहीं —और वेतन नही दिया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : इसके परिणाम स्वरूप बरखास्तगी भी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप असली मुद्दा पर बोलें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अवैध कार्यवाही है और हमने निषेधाज्ञा भी प्राप्त कर ली है हमें ये सारी बातें मालूम है। (व्यवधान) ट्रेड युनियन के नियमों और विनियमों अथवा इसके अधिकारों के बारे में आपको क्या मालूम है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखिए।

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, यहां विवाद का कोई मुद्दा नही है। यदि कोई व्यक्ति यह कहगा है कि वह हड़ताल पर नहीं था तो सेवा में व्यवधान लागू नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उस दिन काम पर नहीं आया था तो हम उसे उस दिन का वेतन नहीं देंगे। यह बहुत सरल बात है। यह आदेश लागू रहेगा।

महोदय, शासक तथा विपक्ष दोनों तरफ से चक्रानुक्रम स्थानान्तरण के बारे में उल्लेख किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि लोगों ने व्यापारियों के साथ संबंध बना रखे हैं तथा निहित स्वार्थ बना रखे हैं अत: लोग कठिनाई उठा रहे हैं। मैं यहां जोर देकर कहना चाहूंगा कि सेवा में स्थानान्तर एक अत्यावश्यक बात है। इसलिए, इस चक्रानुक्रम स्थानान्तरण को पुन: आरम्भ किया गया है। लेकिन इसे बहुत आसान बना दिया गया है। अनुदेश क्या हैं ? हमने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति चार वर्ष की कालावधि तक एक ही स्थान पर है तो वह स्थानान्तरण का पात्र हो जाता है, इसका अभिप्राय है कि उनमें से हजारों को स्थानान्तरण करना पड़ेगा। उनकी बड़ी संख्या होगी। लेकिन मैंने अपने आदेश द्वारा यह कहा है कि यदि किसी अधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी विशेश कर्मचारी का किसी स्थान विशेष पर बनाए रखने से सेवा में प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वह अधिकारी उस कर्मचारी विशेष को उस स्थान पर बने दिए रहने के लिए स्वतंत्र है और उसका स्थानान्तरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आशा की जाती है कि थोड़े व्यक्ति ही प्रभावित होंगे। कुछ व्यक्तियों को पहले ही स्थानान्तरित किया जा चुका है। लगभग 100 व्यक्ति केरल में स्थानान्तरित किय गये। केवल थोड़े व्यक्तियों को स्थामान्तरित करना पड़ा। अब यह सभा ही मुझे बताए कि क्या यदि कोई अधिकारी जो इसका प्रभारी है, यह महसूस करे कि एक आपरेटर विशेष जिसका कतिपय व्यक्तियों से संबंध है

उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ता है ,तो क्या मैं उस आपरेटर को उस स्थान पर ही काम करने दें अथवा उसका स्थानान्तरण कर दें । यह बहुत ही भेद-भावमूलक है ? (व्यवधान) लेकिन मुद्दा यह है कि स्थानान्तरण दायित्व है कतिपय व्यक्तियों को जिले के अन्दर स्थानान्तरित किया गया है ; कुछ को राज्य के अन्दर स्थानान्तरित किया गया है और कुछ व्यक्तियो के समूचे देश के अन्दर स्थानान्तरित किया गया है थोड़े अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को केवल जिले अथवा प्रमडल के अन्दर स्थानान्तरित किया जाएगा, । अथवा एक एक्सचेन्ज से दूसरे एक्सचेन्ज में । महोदय, मैं यहां यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चक्रानुक्रम स्थानान्तरण आदेश जो जारी किया गया है, उसे किसी भी स्थिति भी वापस नहीं लिया जाएगा और उसे लागू किया जाएगा । उसे बदला नहीं जा सकता । यदि इसमें परिवर्तन किया गया तो पूरी व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी । और सेवा को हानि उठानी पड़ेगी । इसलिए मैं उसके लिए सभा की अनुमति मांगता हूं अन्यथा हम सेवा में सुधार नहीं कर पायेंगे । (व्यवधान) हम किसी का खून चूसना नहीं चाहते । उसे निलम्बित करने के बदले उसे दूसरे स्थान पर काम करने का अवसर प्रदान करते हैं ताकि वह अपनी कार्य-कुशलता दिखा सके ।

महोदय, कुछ शब्द बैठकों के बारे में कहना चाहूंगा । कतिपय गलत प्रवृतियां बढ़ रही हैं । कार्यालयों के दीवारों पर पर्चे चिपकाए जा रहे हैं । कार्यालयों में यूनियनों के झंडे फहराए जा रहे हैं पूरा वातावरण दूषित किया जा रहा है । ये युनियनें अपनी बैठकें कार्यालय परिसरों में करती हैं । महोदय मैं स्वयं एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ता रहा हूं क्या अनेक ट्रेड युनियन है । इसकी क्या आवश्यकता है कि स्थापना के परिसरों में ऐसी बैठकें की जाए । हमारे यहां चौसठ ट्रेड यूनियनें हैं । यदि हम सभी चौसठों ट्रेड यूनियनों को टेलोफोन एक्सचेंज में बैठक करने की अनुमति दे दें तो एक भी ऐसा दिन नहीं होगा जब बैठक नहीं होगी ।

महोदय, डाक और तार सेवा एक अनिवार्य सेवा है और बाहरी तत्वों को कार्यालय परिसरों में प्रवेश वर्जित है । मैं पहले यह कह चुका हूं कि इसे मन्दिर के समान रखा जाना चाहिए । यह भारत सरकार की एक स्थापना है और उस पर सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज ही फहराया जा सकता है और डाक तथा तार विभाग के भवनों पर कोई अन्य झन्डा नहीं फहराया जा सकता है । यदि कोई व्यक्ति अपना झन्डा फहराना चाहता है तो वे आई० एन० टी० यू० सी० अथवा ए० आई० टी० यू० सी० के कार्यालयों पर कर सकते हैं, लेकिन जहां तक भारत सरकार के स्थापनाओं का सम्बन्ध है, केवल राष्ट्रीय झन्डा ही फहराया जा सकता है । आप इसे विरुपित भी नहीं कर सकते । डाक अधिनियम में यह उपबन्ध किया गया है कि इसे विरुपित नहीं किया जा सकता । मैं तारयन्त्र अधिनियम में भी वही उपबन्ध अन्त: स्थापित करवाना चाहता हूं जिसमें दीवारों को विरूपित करने के रोक लगाई जा सके । प्रत्येक यूनियन को अपनी नोटिस बोर्ड है । वे इसे वहां चिपका सकते है । यदि इसकी मांग की गई तो इसे पूरा किया जाएगा । बातचीत हो रही है । हम कर्मचारियों के हितों की देख-भाल के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सुविचारित तरीके से की गई मांग पर विचार किया जाएगा, लेकिन यदि तोड़-मोड़ किया गया और मांगों के समक्ष मुझे झुकने को कहा गया तो मैं मांगों के समक्ष नहीं झुकूंगा । कोई भी व्यक्ति स्थापना परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता और स्थापना की सेवा में

यन्वधान नहीं डाल सकता । यदि हम ऐसा नहीं करगे तो विभाग का ठीक से काम करना मुश्किल हो जाएगा । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहुंगा वे मुझे इसमें सहयोग करें। मैं सदन का और समय लेना नहीं चाहता हूं । हम पहले ही कतिपय कदम उठा चुके हैं और कतिपय कदम उठाने जा रहे हैं । आने वाले वर्षों में कतिपय महत्वपूर्ण विकास होने वाले है । आने वाले वर्षों में 3 लाख अतिरिक्त लाइन क्षमता वाला तथा 2.6 लाख अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन क्षमता वाला एक्सचेन्ज स्थापित कर रहे हैं । इलैक्ट्रोनिक टाइप का चार टेलेक्स एक्सचेन्स भी स्थापित किए जाएंगे । हम एक नई प्रणाली शुरू करने जा रहे हैं जिसे मल्टी-एक्सीएल रेडियो प्रणाली कहते हैं । उदाहरण के लिए मिजोरम अथवा कतिपय अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में आप केवल ओवर-हेड लाइन से ही काम नहीं चला सकते बल्कि यह नई प्रणाली बहुत लाभकारी होगी । हमने प्रथम प्रणाली का आयात किया है जो रेडियो प्रणाली पर काम कर रहा है । इस प्रणाली से टेलीफोन उपभोक्ताओं को 2 कि० मी० क्षेत्र के अन्दर मुख्य एक्सचेन्ज से जोड़ा जाएगा । पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक मात्र उत्तर यही है । ऐसी 12 प्रणालियों का आयात किया गया है और आने वाले वर्षों में इसे लागू किया जाएगा । इस माह मे बम्बई में एक इलैक्ट्रोनिक टेलेक्स एक्सचेन्ज भी स्थापित किया जा रहा है । हम डिगीटल इलैक्ट्रोनिक युग में प्रवेश कर रहे हैं ।

हमारा विस्तार कार्यक्रम जारी है । 2 लाख लाइनों के लिए राय बरेली स्थित फैक्टरी का विस्तार कार्य निर्धारित समय से चल रहा है और मैं आशा करता हूं कि उत्पादन भी निर्धारित अवधि के अन्दर शुरू हो जाएगा । हमने पालघाट फैक्टरी के विस्तार के लिए भी टेन्डर मांगे हैं और इसकी जांच की जा रही है प्रति वर्ष दस लाख इलैक्ट्रोनिक लाइन के लिए उत्पादन कार्यक्रम के लिए टेन्डर आमंत्रित किए गए हैं । उसके लिए कारखाने लगाने होगें । हम सर्वप्रथम एक कारखाना स्थापित करना चाहते हैं और तत्पश्चात दूसरा लेकिन सरीन समिति ने सिफारिश की है कि दोनों कारखानों को एक साथ स्थापित किया जाए । हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं । किसी भी तरह हम बहुत बड़ा विस्तार करने जा रहे हैं क्योंकि मांगें बढ़ती जा रही हैं और हम उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं । हम मध्यावधि के दौरान अपेक्षित उपकरणों का आयात करने उनका आयात करके मांगों की पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं । हमारे पास संचारण पद्धति, स्विचिंग पद्धति तथा स्वयं को पद्धतियों के क्षेत्र में स्वयं की आत्म निर्भर बनाने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम है ।

यही कुछ मैंने कहना है । जैसा कि मैंने कहा है कि आगामी वर्ष में दूरसंचार पद्धति में बहुत भारी विस्तार होगा ।

माननीय सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए अपने धन्यवाद के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं । मैं वाद विवाद में भाग ले वाले सभी माननीय सदस्यों को तथा कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि हम उन्हें विभाग से लिखेंगे और उन्हें बतायेंगे कि विभिन्न बातों के सम्बन्ध में क्या स्थिति क्या है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संचार मंत्रालय से संबधित अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं ।

उपाध्यक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संचार मंत्रालय में संबधित अनुदानों की सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :—

"संचार मन्त्रालय से संबंधित मांग संख्या 14 से 18 के लिए कार्य सूची में स्तम्भ 2 में दर्शाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक लेखानुदान राशियां संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगें, 1982-83

मांग संख्या	मांग का नाम	16 मार्च 1982 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
14.	संचार मंत्रालय	54,10,000	6,28,83,000	2,70,47,000	31,44,17,000
15.	निदेश मत्रालय	4,66,54,000	1,50,00,000	23,32,69,000	7,50,00,000
16.	डाक तार-कार्य-करण व्यय	181,73,93,000		908,69,64,000	
17.	डाक-तार— सामान्य राजस्व को लाभांश, आरक्षित निधि में विनियोग और सामान्य राजस्व के उधारों की वापसी	50,48,12,000	252,40,62,000		
18.	डाक-तार पर पूंजी परिव्यय		91,22,25,000		456,11,25,000

(दो) उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब उद्योग मन्त्रालय से संबंधित मांग संख्या 58 और 60

तथा इस्पात और खान मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 81 और 82 के सम्बन्ध में चर्चा करेगी। जिनके बारे में चर्चा केवल आज छः म. प्र. तक ही की जा सकती है जबकि गिलोटीन हो जाएगा।

यदि वे माननीय सदस्य जिनके अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव प्रचारित किये गये हैं,अपने कटौती प्रस्तावों को पेश करना चाहे, तो उन कटौती प्रस्तावों के क्रम संख्या को बताते हुये 15 मिनट के भीतर पटल के पास स्लिपें भेज सकते हैं। जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं। इन कटौती प्रस्तावों को पेश हुआ समझा जाएगा।

उन कटौती प्रस्तावों के क्रम संख्या को दर्शाने वाली एक सूची, जिन्हें पेश किया हुआ समझा जाएगा, शीघ्र ही सूचना पट पर लगा दी जायेगी। यदि किसी सदस्य को सूची में कोई अन्तर दिखाई दे तो वे कृपया सभा पटल के अधिकारियों को अविलम्ब सूचित कर सकते हैं।

अब श्री कृष्ण चन्द हाल्डर बोलेंगे।

श्री कृष्ण चन्द हाल्डर (दुर्गापुर) : अध्यक्ष महोदय अतः हमउद्योग मंत्रालय तथा इस्पात और खान मन्त्रालय के सम्बन्ध में एक साथ चर्चा कर रहे हैं। महोदय आप जानते हैंकि लोहा तथा इस्पात और खनिज उत्पाद औद्योगिक और आर्थिक विकास और आत्म निर्भरता के लिए मुख्य आवश्यकताएं हैं। अतः ये दोनों मंत्रालय हमारी व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

महोदय, सरकार यह दाग कर रही है कि 8 प्रतिशत औद्योगिक विकास प्राप्त किया जा चुका है, किन्तु, वास्तव में मुझे इस बारे में संदेह है कि क्या उत्पादन में यह प्रतिविम्बित हुआ भी है। हो सकता है कि यह वृद्धि औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण हो। यह एक वास्तविक तथ्य है।

महोदय, सरकार राजकोष से निर्यातकों और उद्योग पतियों को निर्यात सम्बन्धी आर्थिक सहायता देकर निर्यातोन्मुख अर्थ व्यवस्था और उद्योग को प्रोत्साहित कर रही है। हमारी 50 प्रतिशत से अधिक जनता गरीबी की रेखा के नीचे का जीवन बिता रही है। उनकी क्रय शक्ति बिल्कुल ही नहीं है निर्यातोन्मुख अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिये जाने के परिणाम स्वरुप देश में वस्तुओं का अभाव बढ़ता जा रहा है। आप निर्यात संबंधी आर्थिक सहायता से हुये निर्यातों पर निर्भर कर रहे हैं।

यदि सरकार क्रान्तिकारी सुधार कर सके और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले लोगों के स्तर को ऊंचा उठा सके, तो स्वदेश में मांग बढ़ जायेगी, और मन्दी नहीं आयेगी, बन्द कारखाने खुल जायेंगे और सैकड़ों नये कारखाने खुल जायेगें और लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार प्राप्त होगा। प्रगति का यही मार्ग हैं। किन्तु वास्तव में आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त कर रहे हैं और आयात नीति को उदार कर देने के कारण विदेशी बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में बाजार हथियाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस आयात

नीति से आत्म-निर्भरता के विचार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा और उत्पादन में वृद्धि की दर में कमी हो जायेगी। बी० एच० ई० एल० द्वारा उत्पादित कुछ वस्तुओं को भी सरकार द्वारा आयात्त करने की अनुमति दी जा रही है। हमारे देश में उत्पादित कुछ इस्पात वस्तुओं को आयात किये जाने की अनुमति दी गयी है जिसके परिणाम स्वरूप इस्पात भंडार यार्डों में इस्पात वस्तुओं का अत्यधिक भंडार हो गया। आपने आज इसे मेरे तारांकित प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है।

इसकी पृष्टभूमि में बहुर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों के लिए अतिरिक्त बाजारों का पता लगाने के लिए पहले ही भारत में अपने प्रतिनिधि भेज चुकी है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है और सरकार को उनकी गतिविधियों पर सावधानी से नजर रखनी चाहिए।

बी० एच० ई० एल० के अनुसंधान तथा विकास स्कन्ध का विकास नहीं होने दिया गया है स्वदेशी उत्पादन तकनीक का विकास करने की बजाये हम नये मदों का उत्पादन करने हेतु सीमन्स बहु-राष्ट्रीय कम्पनी पर अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं। जबकि भारत में बिजली उत्पादन अत्यधिक कम है दूसरे देशों में बिजली परियोजनाओं के ठेके लेने का विचार कैसे पैदा हुआ? महोदय बी० एच० ई० एल० द्वारा लिये गये कुछ विदेशी ठेकों में इसे हानि हुई है जबकि सीमन्स ने लाभ अर्जित किये हैं।

गत दो वर्षों के दौरान आपकी औद्योगिक नीति के कारण देश में बड़े बड़े एकाधिकारी गृहों की सख्या में वृद्धि हुई है। केवल एक ही वर्ष में ही बड़ी एकाधिकारी कम्पनियों की अस्तियां बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये तक हो गयी हैं। एकाधिकारी कम्पनियों की सहायता करने के लिए औद्योगिक नीति संकल्प को अब एक नया मोड़ दिया जा रहा है। बड़े औद्योगिक गृहा को सरकार द्वारा दी गयी कर सम्बन्धी रियायतों का लाभ व्यापक उद्योग को नहीं मिल पा रहा है बल्कि इसे कुछ दूसरी कम्पनियों को दिया जा रहा है। आठवें दशक के आरम्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई जांच से यह पता चला है और यदि एक दूसरी जांच अब की जाये, तो इस बात की और भी पुष्टि हो जायेगी कि सरकार उन्हीं औद्योगिक गृहों को अधिक से अधिक रियायतें देने की योजना बना रही है। सरकार के हाल के इस रवैये से कि सरकारी क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों को अपने हाथ में न लेकर उन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंप दिया जाये केवल अर्थव्यवस्था के ऊपर एकाधिकारी गृहों का नियन्त्रण ही मजबूत होगा।

इस सम्बन्ध में मैं हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास लिमिटेड के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। इस मामले के बारे में यहाँ भी चर्चा की गयी थी। (व्यवधान) पश्चिम बगाल की सरकार ने इस कम्पनी को हाथ में लेने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था। किन्तु दो वर्षों के लिए प्रबन्धकों द्वारा कारखाने को बन्द रखा गया है। पहले मैंने बताया था कि लगभग 20 श्रमिक भुखमरी से मर गये हैं। सरकार का उत्तर निश्चात्मक नहीं था। उसने अभी तक हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास लिमिटेड के प्रबन्धक को अपने हाथ में नहीं लिया है।

मोटर अथवा मशीनों के सम्बन्ध में पहले यह सहमति हो गई थी सरकार इसे अपने हाथ में ले लेगी। बी० एच० ई० एल० भी इसे हाथ में ले लेने के लिये सहमत हो गया था। किन्तु

सरकार ने अभी तक इसके लिए अपनी सहसति प्रदान नहीं की है ।

नेशनल रबर मन्यूफैक्चर और इन्चेक टायर कम्पनी के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुरोध किया था । कि उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये । हमने भी राष्ट्रीयकरण करने के लिए मन्त्री महोदय को लिखा है, किन्तु सरकार अभी तक इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई है ।

अब मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य के बारे में उल्लेख करुंगा 1980-81 के दौरान सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों तथा उद्यमों के कार्य के बारे में हाल के आँकड़ों से निराशाजनक स्थिति का पता चलता है । 1980-81 में 168 केन्द्रीय उपक्रमों का कर भुगतान के पश्चात लगभग 182 करोड़ रुपये की हानि हुई थी । यह पूर्व वर्ष, अर्थात 1979-80 वर्ष की राकि से दुगनी है । यदि हम कर भुगतान से पूर्व के लाभ को देखते हैं कि केवल 40 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है ; अर्थात केवल 0.2 प्रतिशत का लाभ हुआ है । आपने इनमें 20,000 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया है ।

1980-81 में कर भुगतान से पूर्व यह लाभ 40 करोड़ रुपये का था । आप मेरे आंकड़ों की जाँच कर सकते हैं । परन्तु सरकारी क्षेत्र में ऐसी बातें क्यों हों ? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन कम्पनियों का नेतृत्व कार्यकुशल अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में विभिन्न मन्त्रालयों के बीच कोई समन्वय भी नहीं है ।

इस कुव्यवस्था के कारण इनके विस्तार, आधुनिकीकरण तथा रख-रखाव के बारे में कोई उचित कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया जा रहा । आपको इन उपक्रमों में घाटा क्यों हो रहा है ? आपको घाटा संस्थापित क्षमता के कम उपयोग के के कारण हो रहा है । राँची स्थित हैवी इन्जीनियरिंग कारखाने में लगभग 0.35 प्रतिशत संस्थापित क्षमता कम उपयोग में लायी जा रही है । यह पूंजीनिवेश की बरबादी है और घाटे के कारण लगभग 70 प्रतिशत निवेशित पूंजी नष्ट हो गई है । इसलिए आपको सरकारी उपक्रमों के कामकाज में सुधार करने का तथा उनकी संस्थापित क्षमता के कम उपयोग किए जाने की प्रवृत्ति को कम करने के प्रयास करने चाहिए । ऐसा किए बिना सरकारी उपक्रम हमारी अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकते ।

10-12 वर्ष गुजर जाने के बाद भी नागालैंड पेपर कारखाना आज तक शुरु नहीं किया गया है । यदि आप इसकी जांच करें तो आप देखेंगे कि गैर-सरकारी पेपर मिलों के मालिक परोक्ष रूप से ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कराने में सहायता कर रहे हैं जो इस सरकारी पेपर कम्पनी को चालू कराना नहीं चाहते । अतः आपको मामले की जाँच करनी चाहिए ।

केवल इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि० अभी भी ठेका मजदूर व्यवस्था है । दिल्ली स्थित उनके मुख्यालय में सफाई कर्मचारी ठेका व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत हैं । यहां तक कि सुरक्षा कर्मचारी भी ठेका श्रमिक व्यवस्था के अन्तर्गत है । आप यह समझ सकते हैं कि यदि सरकारी क्षेत्र में स्थायी नौकरियों पर कर्मचारियों को ठेके पर नियुक्त किया जाता

है तो गैर-सरकारी क्षेत्र की स्थिति होगी। इसलिए स्थायी पदों पर नियुक्त सभी ठेका श्रमिकों को स्थायी कर दिया जाना चाहिए ।

लघु उद्योगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें बैंक ऋण, बाजार सुविधाएं कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई, फैक्ट्री स्थल आदि जैसी सुविधायें उपलब्ध नही हो पाती जबकि बड़े व्यापारिक समूह उनके बाजार पर काबू पाते जा रहे हैं ।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

एकाधिकारी उद्योग समूह और बड़े उद्योपति भी किसी दूसरे नामों से लघु उद्योगों में प्रवेश कर रहे हैं। डी० आई० सी० का कामकाज सही नहीं चल रहा है। यह कहा गया था कि लघु उद्योग को एक ही छत के नीचे परामर्श सेवा, कच्चा माल, वित्तीय एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी । यदि ये सही ढग से काम करेंगे तभी लघु उद्योग हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कर सकते हैं ।

हथकरघा एवं छोटे उद्योगों की सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हथकरघा बुनकरों को धागे और रंग आदि की ऊंची कीमत देनी पड़ती है। जबकि उन्हें बाजार में अपना उत्पाद लाभ मे बेचने में बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है ।

इस सम्बन्ध में, मैं बीड़ी उद्योग का उल्लेख करना चाहता हूं। यह एक लघु उद्योग है परन्तु बीड़ी उद्योग में भी कइ बड़े लोग कार्यरत हैं जो कि एक कुटीर उद्योग भी है या एक लघु उद्योग है। यही हाल सिग्रेट के मामले में है। आप कह चुके है कि बिस्कुट फैक्ट्रियां लघु उद्योगों द्वारा चलाई जानी चाहिए लेकिन वह भी बहु राष्ट्रीय कम्पनियों और बड़ी-बड़ी कम्पनियों के हाथ में आ रही है।

आप जानते हैं कि माचिस उद्योग एक कुटीर है लेकिन इसे भी कठिनाइयों का सामना करना पर रहा है। "विम्को" को अपना विस्तार करने की अनुमति दी गई थी। यह एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है और आज 60 प्रतिशत माचिसें इस एकाधिकार प्राप्त कम्पनी द्वारा बनाई जा रही है। यदि लघु उद्योगों के साथ सरकार ऐसा ही व्यवहार करती रहेगी तो ये श्रमिक आधारित लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग किस प्रकार अपना अस्तित्व बनाए रख सकेंगे ?

पश्चिम बंगाल की जनता तथा सरकार ने उत्तरी बंगाल में एक पेपर मिल खोलने, साल्ट लेक, कलकत्ता में एक इलेक्ट्रानिक कम्पलेक्स बनाने, आसनसोल, रानीगंज कोयला पट्टी में कोयले पर आधारित रसायन कारखाना स्थापित करने, हल्दिया में पैट्रो-रसायन कम्पलेक्स बनाने हल्दिया में ही जलयानों की मरम्मत करने के कारखाने तथा दुर्गापुर में एक टायर फैक्ट्री बनाये जाने की मांग की थी। परन्तु आपने अभी तक लाइसेंस नहीं दिये हैं। इसलिए लाईसेन्स प्रणाली में परिवर्तन लाया जाना चाहिए।

मेरे विचार में. यदि कोई राज्य सरकार कोई कारखाना लगाने की पेशकश करती है तो उसके लिए यथाशीघ्र लाइसेंस दिया जाना चाहिए और राज्य में उद्योगों को लाईसेंस देने के

मामले में राज्य सरकारों से समाह ली जानी चाहिए।

पिछले इलाकों के औद्योगिकरण की जिम्मेदारी सरकार को निभानी चाहिये। हालांकि आप उद्योगपतियों को पिछड़े इलाकों में उद्योग लगाने एवं चलाने चलाने के लिए रियायतें दे रहे हैं परन्तु फिर भी वे पिछड़े इलाकों में उद्योग स्थापित करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

महोदय, पश्चिम बंगाल के दो पिछड़े जिलों बांकुरा और पुरुलिया में सरकार द्वारा उद्योग स्थापित किये जाने चाहिए और इन दो पिछड़े इलाकों के उद्योगीकरण की जिम्मेवारी सरकार को स्वयं निभानी चाहिए।

महोदय, इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए रानीगंज से मेजिया के रास्ते बंकुरा तक रेल लाइन बिछानी आवश्यक है। मैंने पहले श्री चरणजीत चानना से अनुरोध किया था कि उद्योग मन्त्रालय से भी सम्पर्क करना चाहिए ताकि इस कार्य हेतु, बुनियादी सुविधाए उपलब्ध हो सकें। यह सही है कि बंकुरा और पुरुलिया जिलों में ये लघु एव बिचौले उद्योग पनप सकते हैं। मैं महसूस करता हूं कि माननीय मन्त्री श्री तिवारी एक अत्यन्त मृदू भाषी एवं विद्वान व्यक्ति हैं और मुझे आशा है कि वे रानीगंज से मेजिया होकर बंकुरा तक रेल लाईन के निर्माण के मामले को आगे उठाएंगे। उन्हें इस मामले को रेल मन्त्रालय के साथ उठाना चाहिए ताकि इस कार्य को पूरा किया जा सके। पश्चिम बंगाल सरकार भी इस विषय में रेल मन्त्री को लिख चुकी है।

सभापति महोदय : आपको 29 मिनट का समय दिया गया है। जिसमें से आप 20 मिनट ले चुके हैं। आपके पास केवल नौ मिनट शेष हैं। अगली वक्ता श्रीमती गोपालन होंगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : वे यहां उपस्थित नही हैं। केरल का काजू और नारियल जटा उद्योग भी संकटग्रस्त है। आप जानते हैं कि ये दोनों ही उद्योग श्रम प्रधान उद्योग है। मशीनीकरण के कारण, नारियल जटा उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। उद्योग मन्त्रालय को इस श्रम प्रधान उद्योग को संरक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि मशीनीकृत उद्योग कुटीर एवं छोटे उद्योगों का सफाया ही न कर दें। मुझे आशा है कि केरल के नारियल जटा उद्योग को बचाने के लिए सरकार प्रयास करेगी।

अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों अर्थात असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश की उपेक्षा होती रही है। क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए इस क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विशेष कदम उठाए जाने चाहिए।

देश को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं एकाधिकार प्राप्त पूंजीपतियों के लूट से बचाने के लिए, मैं मांग करता हूं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और एकाधिकार प्राप्त पूंजीपतियों के कारखानों का तो कम से कम राष्ट्रीयकरण कर ही दिया जाना चाहिए। देश की प्रगति के लिए यह एक सही कदम होगा।

इस्पात उद्योग को लीजिए, इस्पात की मूल्य-निर्धारण नीति एवं आयात को उदार करने से इस्पात उद्योग नष्ट हो रहा है। आपने टाटा उद्योग की श्रेष्ठ किस्म तैयारकाटने को अनुमति दे दी

है नियन्त्रण हटाने और मूल्य निर्धारण नीति ने टाटा उद्योग की सहायता की है जबकि सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को हानि हुई है। अतः इस्पात पर पुनः नियन्त्रण लगा दिया जाना चाहिए और मूल्य निर्धारण की इस नीति को निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

मेरे विचार में ओ० जी० एल० के एक भाग के रुप में 100 मदों के आयात की शर्तों को उदार बनाने का निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं था। इस निर्णय को वापस ले लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बेईमान व्यापारियों को सहायता मिलेगी। वे उन चीजों का आयात करेंगे जो हमारे देश में बनती हैं। और इससे हमारे इस्पात उद्योग को हानि होगी।

क्योंकि में दुर्गापुर से समबद्ध हूं इसलिए मैं दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थिति बताना चाहूंगा। मैं भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन से उद्धरण देना चाहूंगा। यह रिपोर्ट 30.4.1978 तक की है। इसमें कहा गया है कि इस कारखाने में कुल पूंजीगत निवेश 302.75 करोड़ रु० का है और कुल हानि 233.54 करोड़ रु० की है। जो कि कुल निवेश का लगभग 77 प्रतिशत है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार किए बिना इसे सजीव नहीं रखा जा सकता। इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

दुर्गापुर में व्हील और एक्सल प्लांट है। और रेल मन्त्रालय की वर्तमान नीति यह है कि जबकि वे दूसरे देशों से बहुत अधिक मूल्य पर व्हील और एक्सल का आयात कर सकते हैं, परन्तु वे दुर्गापुर इस्पात कारखाने द्वारा निर्मित व्हील और एक्सल के लिए सही मूल्य देने को तैयार नहीं हैं। इस संदर्भ में, मैं एक और व्हील और एक्सल प्लांट स्थापित किए जाने को सही नही समझता क्योंकि दुर्गापुर में वर्तमान व्हील और एक्सल प्लांट की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

एलॉय स्टील बहुत ही अच्छा यूनिट है जहां के श्रमिक देश भर में श्रेष्ठ हैं। इसका उत्पादन बाजार में बहुत अच्छा माना जाता है लेकिन नितांत उपेक्षा, बुरे रख-रखाव राजनैतिक कारणों और प्रबंधकों की यूनियन विरोधी नीतियों के कारण इसके विस्तार के लिए कोई सही कार्यक्रम नहीं शुरू किया जा रहा और यही कारण है कि यह प्लांट अपने निर्धारित स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे मामले की सही जाँच करें।

ब्रिटिश विशेषज्ञों ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार करने की सिफारिश की थी। स्टील अथारिटी आफ इन्डिया ने भी इस सिफारिश का अनुमोदन किया था। तत्सम्बन्धी फाइल योजना आयोग और वित्त मन्त्रालय के विचाराधीन है। विस्तार कार्यक्रम को क्रियान्वित किए बिना दुर्गापुर स्टील और स्टील एलॉय हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अपनी सही भूमिका नहीं निभा सकते।

जहाँ तक इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (ईस्को) की सिंटरिंग प्लांट का प्रश्न है, प्रबन्ध इसके लिए सहमत हो गया है और स्टील अथारिटी आव इन्डिया (सेल) को एक प्रस्ताव भेज दिया गया है। सरकार ने अभी इसको मन्जूरी नही दी है। मेरा अनुरोध है कि इसे

तत्काल निपटाया जाए।

हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ने अनेक कर्मचारियों की छंटाई कर दी है। चूंकि विशाखापत्तनम प्लाँट स्थापित किया जा रहा है अतः कर्मचारियों की छटाई करने के बजाय उन्हें इस प्लांट में खपाया जा सकता है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयन्त्रों के कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में, रिपोर्ट के पृष्ठ 44 पर यह बताया गया है कि 1980-81 में शुद्ध लाभ 1.01 करोड़ रुपये हुआ था। उसी वर्ष के दौरान, टाटा के 40 करोड़ रुपये का लाभ कमाया जबकि टाटा ने उसी अवधि के दौरान करोड़ रुपये से भी अधिक लाभ कमाया। और वह भी पुरानी मशीनरी स। 1981-82 में 'सेल' ने एक महीने में 15 करोड़ रुपये का लाभ कमाया जबकि टाटा ने उसी अवधि के दौरान 100 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। इसका क्या कारण है? 'सेल' के अधीन इस्पात संयन्त्र अपनी निर्धारित क्षमता का केवल 60 से 75 प्रतिशत उपयोग कर सके हैं जबकि टाटा अपनी निर्धारित क्षमता का 103 प्रतिशत तक उपयोग करने में सफल रहे हैं। यही कारण है कि टाटा लाभ कमा रहे हैं जबकि सरकारी श्रेत्र के इस्पात संयंत्र घाटे में चल रहे हैं।

यहां मैं इस्पात री-रोलर उद्योग की बुरी दशा के बारे में बताना चाहूंगा वे अपनी क्षमता का केवल 17 प्रतिशत उत्पादन कर रहे हैं लेकिन आप टाटा संयन्त्रों को 40,000 मीटरी टन सरिया और शलाका (रोडे) का उत्पादन करने के लिए आधुनिकीकरण तथा विस्तार करने की अनुमति दे रहे हैं जबकि हमारी री-रोलर मिलें उनका उत्पादन कर सकती हैं क्योंकि उनकी काफी क्षमता ऐसी है जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। आप यह कार्य एकाधिकार उद्योगों को क्यों दे रहे हैं? उन्हें आधुनिकतम वस्तुओं का उत्पादन कार्य दिया जा सकता है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि री-रोलर मिलों को इन सरियों और शलाकों का उत्पादन करने की अनुमति दी और यह कार्य टाटा संयंत्रों को नहीं दिया जाना चाहिए। अन्यथा, री-रोलर मिलों को बन्द करना पड़ेगा।

जहाँ तक कोयला-धुलाई मिलों का प्रश्न है, पहले ये मिलें एच० एस० एल० के अधीन थी, जो कि इस्पात मन्त्रालय के अधीन था लेकिन आपने इन कोयला-धुलाई मिलों का प्रबंध बी० सी० सी० एल० को दे दिया है आप कभी-कभी यह कहते हैं कि बिजली, कोयले और बैगनों की कमी के कारण उत्पादन नहीं पढ़ रहा है। अब, मैं यह कहता हूं कि ये कोयला-धुलाई मिलें हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की हैं और इसे 'सेल' के अधीन, आपके मन्त्रालय के अधीन लाया जाना चाहिए। (व्यवधान)।

डा० भोई तथा मैं इस्पात और खान मन्त्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य है। अतः हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं।

महोदय, बोलानी आइरन ओर माइन्स दुर्गापुर स्टील प्लांट के अधीन हैं वहाँ के कर्मचारी को आवास, चिकित्सा, शिक्षा तथा पीने के पानी की सुविधाएं नहीं हैं। ये बोलानी आइरन और माइन्स उड़ीसा में हैं तथा दुर्गापुर स्टील प्लाँट का संरक्षित खानों के अधीन हैं अतः वहाँ के

कर्मचारियों की कठिनाईयों की जांच की जानी चाहिए ।

जहां तक काटरा खानों का प्रश्न है, वे राउरकेला स्टील प्लांट के अधीन हैं । वहां का वर्ग सी० आई० टी० यू० के साथ हुए समझौते को कार्यान्वित नहीं कर रहा है अतः इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए ।

आपको मालूम है कि कोलार सोना खानों में कर्मचारियों को धरती के भीतर काफी गहराई में, लगभग 10,000 फुट नीचे, जाना पड़ता है, लेकिन उनकी न्यूनतम मजदूरी क्या है ? उन्हें कोयला खान कर्मचारियों की तुलना में 30 प्रतिशत कम मजदूरी मिल रही है ।

प्रो एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या यह खान घाटे में जा रही है अथवा असफल रही है ? उन्हें 30 प्रतिशत कम क्यों मिल रहा है ?

श्री कृष्ण चन्द हाल्दर : मैं मन्त्री नहीं हूं । मन्त्री इसका उत्तर देंगे ।

आप व्यापारियों तथा एकाधिकार पूंजीपतियों को निर्यात राज-सहायता दे रहे हैं तथा उन खनिकों को वंचित रख रहे हैं जो कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे है विश्व में वह सबसे गहरी कोयला खान है । लेकिन उन्हें उतनी मजदूरी नहीं मिल रही है जितनी की कोयला को मिलती है । अतः आपको इस पर खान मजदूरों गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

एक अन्य प्रश्न यह है कि आपने विशाखपत्तनम स्टील प्लांट सम्बन्धी परामर्श सेवा दस्तूर एण्ड कम्पनी को सौंपी है । उस समय संसद की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने दस्तूर एण्ड कम्पनी की कड़ी आलोचना की थी । यह कम्पनी एलाय स्टील प्लांट की परामर्श दाता है । मेकोन फर्म हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जो इस्पात संयन्त्र स्थापित कर रहे हैं के परामर्श-दाता हैं । अतः आप विशाखापत्तनम स्टील प्लांट सम्बन्धी परामर्श सेवा मेकोन फर्म को क्यों नहीं दे रहे हैं ? आपको परामर्श कार्य दस्तर एण्ड कम्पनी को नहीं देना चाहिए था । अतः आपको इस पर विचार करना चाहिए ।

अब मैं मेंगनीज खानों के प्रश्न को लेता हूं । वहां के कर्मचारी विषैली धूल के कुप्रभावों से पीडित हैं ।

बीस वर्ष पहले सरकार द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को जहां तक मेंगनीज का सम्बन्ध है, कार्यान्वित नहीं किया गया है ।

अभी कल ही श्री रामावतार शास्त्री ने कोल्हन क्षेत्र, अर्थात, चायवासा, खुन्तीपानी, झींकपानी आदि जिलों की खानों के बारे में बताया था । वहां 250 खानें हैं । इनका संचालन ठेकेदारों द्वारा किया जाता है । वे आदिवासी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देते । आदिवासी लोग इससे प्रभावित हैं । उनका पुनर्वास नहीं किया जाता । उन्हें नौकरियां नहीं दी जाती । उनके लिए पीने के पानी, शिक्षा, चिकित्सा आदि की कोई सुविधाएं नहीं है । अतः मैं यह कहूंगा कि कोल्हन क्षेत्र की सभी 250 खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और आदिवासी लोगों को उचित नौकरियां, आवास सुविधाएं आदि दी जानी चाहिए । मैं तो यह मांग करूंगा

कि खान क्षेत्र की सभी खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। खानें ठेकेदारों को नहीं दी जानी चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : उनकी भूमि उन्हें दी जानी चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : प्रो० रंगा ठीक कह रहे हैं कि उनकी भूमि भी उन्हें दी जानी चाहिए।

मेरी मांग है कि बहुराष्ट्रिकों तथा एकाधिकार पूंजीपतियों के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय प्रगति और आत्म-निर्भरता के हित में समूचे खान क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति जी, मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति भारत क उद्योग मंत्री हैं और मुझे आशा है कि वे कुछ ही दिनों में अपनी योग्यता को साबित कर चुके हैं। उनका भारत के बहुत ही बुद्धिमान व्यक्तियों में शुमार है।

हमारे देश की जो औद्योगिक नीति रही है, आज उसी का परिणाम है कि इतनी प्रगति कर सके हैं। किसी भी देश की प्रगति का उद्योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। उद्योग से ही कृषि की प्रगति के लिए, व्यापार की प्रगति के लिए, रोजगार की वृद्धि के लिए, लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक आधार बनता है।

आज हम कृषि के क्षेत्र में जो प्रगति किये हैं उसका श्रेय भी हमारी सरकार की अच्छी औद्योगिक नीति को जाता है। उसी प्रकार से आज देश में जो प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है उसका श्रेय भी उद्योगों को जाता है।

हमारे देश में भारी उद्योग भी हैं, छोटे उद्योग भी हैं, घरेलू उद्योग भी हैं और किसी भी देश की औद्योगिक नीति की सफलता का पैमाना यह है कि इन तीनों क्षेत्रों में कैसे तालमेल बैठाया जाए। कैसे एक दूसरे के बीच समन्वय स्थापित किया जाए, क्योंकि इन तीनों क्षेत्रों के बीच अगर समन्वय स्थापित नहीं किया जाएगा, खासकर भारी उद्योग अगर छोटे और घरेलु उद्योगों के बीच हस्तक्षेप करने लगेंगे तो फिर लोगों को रोजगार के कम मौके मिलेंगे।

हमारे देश में बड़ी आबादी है, इसलिए यहाँ रोजगार की बड़ी समस्या हैं। कैसे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाए, यह एक बड़ी समस्या है और रोजगार देन में जितने छोटे और घरेलू उद्योग सहायक होते हैं, उतने बड़े उद्योग सहायक नहीं होते।

सभापति महोदय, इसी तरह से बड़े उद्योग को स्थापित करने के लिए क्षेत्रों के पिछड़ेपन का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहां उद्योग लगते हैं वहां तरक्की होती है, वहाँ रोजगार फैलता है वहाँ के लोग में खुशहाली आती है। इसलिए किसी भी सरकार का यह ध्येय होना चाहिए कि बड़े उद्योग जिनमें करोड़ों रुपए की लागत लगती है, ऐसे उद्योग क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर स्थापित किए जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति बहुत

साफ रही है और बराबर इस सदन में और सदन के बाहार यह आश्वासन दिया गया कि बड़े उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में ही लगाए जाएंगे, लेकिन सभापति जी, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पिछड़े क्षेत्रों की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान नहीं दिया गया जो भी कारण हों लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि अब भी बड़े उद्योग उन स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं जहां पहले से बड़े उद्योग मौजूद हैं । जाहिर है कि वहां उद्योग स्थापित करने में आसानी होगी, सस्ता भी पड़ेगा, और सुविधाएं भी मिलेगी, लेकिन इससे पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा होती है । समय कम हैं, इसलिए मैं पिछड़े क्षेत्रों का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपका ध्यान विशेषकर उत्तर प्रदेश की ओर ले जाना चाहता हूं ।

आज पब्लिक सेक्टर का जितना पैसा पूरे देश में लगा हुआ है, उसका केवल 4 प्रतिशत पैसा उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है । जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी इस देश की बीस प्रतिशत है । इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बहुत सी क्षेत्रीय असमानताएं हैं, मंत्री जी जानते हैं, उत्तर प्रदेश पर उनकी बड़ी ग्रिप रही है, उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है । स्वयं मेरे क्षेत्र के बारे में जितना मंत्री जी जानने हैं उतना मैं भी नहीं जानता । मत्री जी को सारी चीजें मालूम है । मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान 1962 में स्थापित पटेल कमीशन की तरफ ले जाना चाहता हूं । 1962 में इसी सदन में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के बारे में सवाल उठाया गया, उनकी गरीबी के बारे में उनके पिछड़ेपन के बारे मे, वहां उद्योग-धन्धे लगाने के लिए और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरु के हस्तक्षेप के बाद एक पटेल कमेटी बनी । उस कमेटी में प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष श्री बी० पी० पटेल चेयरमैन थे । उस कमेटी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर का दौरा किया, स्टडी की और 1964 में जो उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसमें इन जिलों की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा—

> "द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तक उत्तर प्रदेश राज्य जिसकी प्रति व्यक्ति आय 261 रुपये है । जबकि राष्ट्रीय औसत 330 रुपये है । देश के अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों से था अध्ययन किए गए चार जिलों की अर्थव्यवस्था और भी खराब थी, जैसा कि मात्र 172 रुपये प्रति व्यक्ति आय से मालूम हो जाता है । संरचना की दृष्टि से इन जिलों की अर्थव्यवस्था वहां के निवल उत्पादन के 60 प्रतिशत पर निर्भर थी, जबकि राज्य में कुल मिलाकर यह प्रतिशतता 25 थी । आधुनिक किस्म के बड़े उद्योग इन जिलों में वस्तुतः नहीं के बराबर है—कुछेक चीनी मिलों को छोड़कर, औद्योगिक कार्यकलाप अधिकतर परम्परागत कुटीर तथा घरेलू इकाइयों तक ही सीमित है ।"

1964 में यह रिपोर्ट दी गई थी । इसमें पंद्रह चीनी मिलों का जिक्र किया गया है । इतनी ही मिलें इन-चार जिलों में थीं । इनमें से चौदह मिलें अकेले देवरियां में थी । मेरे यहां गाजीपुर में बाद में एक चीनी मिल खोली गई । जिसका उद्घाटन माननीय उद्योग मंत्री जी जो उस

समय वित्त मंत्री थे उत्तर प्रदेश के उन्हीं के कर कमलों के द्वारा किया गया। इसके बाद दो चार और चीनी मिलें दूसरे जिलों में खोली गई लेकिन इनके अलावा कोई इंडस्ट्री इन चार जिलों में नहीं लगाई गई। कमेटी ने साफ तौर से अपनी रिकोमेंडेशज दी है। इन्डस्ट्रीज के बारे में साफ उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है।

"इन जिलों की अर्थ व्यवस्था का औद्योगिक क्षेत्र पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है। यह इस तथ्य से मालूम हो जाता है कि 1961 में इन चार जिलों की कुल 78 लाख जनसंख्या में से 2 लाख से कुछ ही अधिक लोग औद्योगिक व्यवसायों में लगे हुए थे। इस छोटे औद्योगिक क्षेत्र में भी, कुल औद्योगिक रोजगार का 85 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र था। एक मात्र आधुनिक उद्योग चीनी उद्योग ज जिसमें 15 मिलें हैं। जिनमें से 14 यूनिट देवरिया में स्थित हैं।"

सभापति महोदय : आप अब अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री जैनुल बशर : अपने पक्ष की ओर से मैं प्रथम वक्ता हूं। मैं आधे घन्टे का पात्र हूं। आप तो मुझे 20 मिनट भी नहीं देते।

सभापति महोदय : 13 सदस्यों ने अभी बोलना है। आपने आपना काम अच्छी तरह कर लिया है।

श्री जैनुल बशर : मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। मुझे अभी यह पूरा करना है।

सभापति महोदय: मंत्री उस रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे।

श्री जैनुल बशर : उन्होंने पहले ही उसका अध्ययन कर लिया है, एक बार ही नहीं बल्कि कई बार।

बहुत सी सिफारिशें हैं। सब कुछ पढ़ कर मैं आपका समय नहीं लेना चाहता। क्या सिफारिश की है उसके बारे में ही मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं। आखिर में जो रिकोमेडेशन उसने दी है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

"जैसे कि पहले चर्चा की गई है, स्थानीय ससाधन, मांग तथा श्रम कुशलताओं पर आधारित औद्योगिक क्षमताए इतनी कम हैं कि उस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। इस क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय को राज्य तथा देश के अन्य भागों के बराबर लाने के लिए राज्य तथा केन्द्र, दोनों के द्वारा निवेश करने के लिए विशेष प्रयत्न आवश्यक हैं। जन संख्या वृद्धि इतनी अधिक है कि यदि इस क्षेत्र का विकास पूर्णतया प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दिया गया तो रोजगार के अवसरों, के आय तथा जीवन स्तर में वांछित वृद्धि करने के लिए विकास पर्याप्त तेजी से नहीं हो सकेगा। अतः वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए भारी मात्रा में निवेश आवश्यक होगा। केन्द्रीय सरकार पहले ही भारी परियोजनाएं शुरू कर रही है। जिन पर काफी निवेश किया जाना है। इन परियोजनों के स्थान के संबंध में

विभिन्न मानदण्डों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, यह सिफारिश की जाती है कि ऐसी परियोजनाएं जिन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता हो इस क्षेत्र में स्थापित की जाएं।"

1964 में बहुत साफ उसने कहा था कि बैक्वर्ड एरियाज हैं। आज बात आइडेंटिफाई करने की की जाती है। ये जिले 1964 में ही आइडेंटिफाई हो चुके थे कि बैक्वर्ड हैं। इनके बारे में रिकोमेंडेशन भी दे दी गई थी, प्लानिंग कमिशन ने कहा था कि यहां बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जाएं।

सभापति महोदय : अब आप खत्म करें।

श्री जैनुल बशर : सभापति जी, यह बड़ी ज्यादती होगी हमारे साथ।

सभापति महोदय : ज्यादती नहीं हो रही है।

श्री जैनुल बशर : यह बड़ी ज्यादती है, मैं पहला स्पीकर हूं, आप 5,6 मिनट के बाद मुझे बैठने को कह रहे हैं, यह फेयर नहीं है।

सभापित महोदय : 13 बोलने वाले हैं।

श्री जैनुल बशर : कितने ही हों, मैं पहले बोल रहा हूं। यह मेरा सबजेक्ट है। मैं आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप मुझे अधिक समय देंगे, आप मेरा 'ही समय नहीं दे रहे हैं।

श्री सत्यदेव सिंह : सभापति जी, 'क्या पहला स्पीकर होने से ही समय अधिक दिया जायेगा।

श्री जैनुल बशर : हमेशा ऐसा हुआ है, नई ट्रेडीशन्स मत बनाइये।

श्री जैनुल बशर : कई वर्षों से यह प्रथा रही है।

सभापति महोदय : मैं इस प्रश्न पर आपसे पूर्णत: असहमत हूं। मैं आपको समय दे दूंगा लेकिन यह मत कहिए कि यह प्रथा है।

श्री जैनुल बशर : यदि आप बार-बार हस्तक्षेप करेंगे तो मैं कैसे बोल सकता हूं ? मैं तो आपसे एक अच्छा वर्ताव की आशा कर रहा था और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं।

नहीं साहब यह गलत है, कभी ऐसा नहीं हुआ है।

सभापति महोदय : टाइम अलाटेड है।

श्री जैनुल बशर : टाइम अलाटेड है, लेकिन यह तो गलत तरीका है।

श्री सभापति महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ? मैं अन्य सदस्यों को अनुमति नहीं दे सकता।

श्री जैनुल बशर : आप पीठासीन हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अब सर्व सत्ता सम्पूर्ण है। यदि आप मुझे रोकना चाहते हैं तो रोक सकते हैं।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : 'सभापति जी, यह इसलिये आइडिएन्टी फाई करते हैं,

श्री जैनुल बशर : आप क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे तो चेयरमैन साहब ही नहीं बोलने दे रहे हैं ?

आचार्य भगवान देव : मैं इसलिये कह रहा हूं कि आपने 3 बार मंत्री जी के बारे में कहा है कि वह मुझ से अधिक जानते हैं।

श्री जैनुल बशर : सबसे अधिक तो आप जानते हैं, इस सदन में और कोई नही जानता है। जब आप बोलेंगे तो बोल नहीं पायेंगे। कोई बहुत बड़ी आपकी छवि नहीं है यहां पर। मैं बोल रहा हूं, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आप बोलते जाइए। मैं आपको नहीं रोकूंगा। आपके सदस्यों को हानि होगी।

श्री जैनुल बशर : यह हमको रोक रहे हैं। जाने दीजिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बैठता हूं।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास,मध्य) : डी० एम० के० पार्टी की ओर से मैं उद्योग और इस्पात तथा खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में कुछेक शब्द बोलना चाहता हूं।

यह प्रमुख उद्योग 1982-83 के दौरान राजनैतिक सनक का शिकार रहा है कभी इस विभाग को एक पूर्ण कालिक स्वतन्त्र केबिनेट मन्त्री मिल जाता है, कभी स्वतन्त्र राज्य मन्त्री और कभी इसे वाणिज्य मन्त्रालय अथवा किसी अन्य मंन्त्रालय के साथ जोड़ दिया जाता है।

कभी सरकारी क्षेत्र के इस्पात सयंत्रों स्थापति क्षमता का 100 प्रतिशत उपयोग करने के लिए अल्पावश्यक स्वायत्तता मिल जाती है लेकिन कभी ये संयंत्र हिन्दुस्तान स्टील अथवा स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड की मात्र भण्डारण इकाईयां बन जाती हैं।

इस प्रकार के अखण्ड संगठनों के बिभागाध्यक्षों को सत्ताधारी बड़े अशिष्ट ढग से निकाल बाहर करते हैं। सार्वजनिक मंचों पर केवल घोषणा की जाती है कि वास्तविक इस्पात शिल्प-विज्ञानी 'सेल' के अध्यक्ष हो गये हैं। लेकिन शीघ्र कुछ ही महीनों के बाद यह पता चलता है कि उन विज्ञानियों का समय सरकारी क्षेत्र की इस्पात मिलों में पंदा हुए व्यक्तियों द्वारा ले लिया जाता है मुझे मजबूर होकर इस बिरोधी स्थिति की ओर संकेत करना पड़ रहा है क्योंकि इस प्रकार के बार-बार के परिवर्तनों से इस्पात उद्योग के उत्पादन कार्यक्रम और विकास कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यह तथ्य से प्रमाणित हो जाता है कि हमारा इस्पात उत्पादन लगभग 59 किलोग्राम रहा है जबकि विश्व के औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में यह 600 किलोग्राम है। शिखर पर स्थिर नेतृत्व के अभाव के फलस्वरुप योजनागत कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में अनेक खामियां आ गई हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र तथा भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार कार्यक्रम के पूरा होने में असामान्य देरी हुई है। इस देरी के कारण बोकारो के मामले में 1,378 करोड़ रुपए की अनु-

मानित लागत बढ़कर 2,000 करोड़ रुपए हो जाने की सम्भावना है इसी प्रकार इस प्रकार के विलम्बों के कारण भिलाई के मामले में 1,582 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत बढ़कर 2,200 करोड़ रुपए हो जाने की सम्भावना है। परादीप इस्पात परियोजना को किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है और इसका बिरोध हो रहा है।

हाल में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य विद्युत बोर्डों की अकार्यकुशलता की ओर विशेष रुप से ध्यान दिलाया गया था। सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की आवश्यकताओं, जो 1982-83 में 500 मेगावाट से बढ़कर 630, मेगावाट हो गई है को दृष्टि रखतेहुए उनकी बिजली की आवश्यकता पूरी करने के लिए दामोदर घाटी निगम अथवा उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड अथवा मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड पर निर्भर नहीं किया जा सकता। मेरा सुझाव है कि इस्पात संयंत्रों में अधिक आरक्षित बिजलीघर (केप्टिप पावर यूनिट) स्थापित करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिए।

31-12-1981 को इस्पात विकास निधि में कुल 11.44 करोड़ रुपये जमा हो जाने से यह प्रतीत होता है कि इस्पात की गैर प्राथमिकता वाली श्रेणी के ग्राहकों का किस प्रकार शोषण किया जा रहा है। यहां मैं यह चेतावनी देना चाहूंगा कि प्रमुख इस्पात निर्माताओं की उत्पादन की लागत में वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए इस्पात विकास निधि से धन क्यों दिया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रमुख इस्पात उत्पादकों को ऐसी सहायता रुपी वैशाखी नहीं दी जानी चाहिए उन्हें स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए

हमें जहां तक अप्रैल, दिसम्बर, 1981 की अवधि में 6,3190 लाख मी० टन धातुपिण्ड इस्पात 5,1910 लाख मी० टन बिक्री योग्य इस्पात के वितरण का प्रश्न है, हमने उपभोक्ताओं को क, ख, ग, और घ चार श्रेणियों में बांट रखा है। इन उपभोक्ताओं को प्रमुख इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित इस्पाज का केवल 30 प्रतिशत भाग मिलता है और 70 प्रतिशत भाग रक्षा, सिचाई, डाक व तार रेलवे आदि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दे दिया जाजा है। हालांकि इस्पात के वितरण की नीति को उदार बना दिया मया है, फिर भी मकान बनाने वालों को इस्पात नही मिल रहा है और उन्हें अपनी इमारतों को पूरा करने के लिए चोर बाजार से इस्पात खरीदना पड़ता है कच्चे लोहे की भारी कमी है और सरकार शुल्क में छूट देकर 2 लाख मी० टन कच्चे लोहे का आयात कर रही है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि हम इस्पात के उत्पादन में कब तक आत्म निर्भर हो पाएंगे।

सेल तथा इसकी सहायक कम्पनियों में कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 2,38,363 है। औद्योगिक सम्बन्धों का उत्पादन बढ़ाने में भारी योगदान है। इस्पात विभाग की वर्ष 1681-82 की वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अप्रैल-दिसम्बर, 1981 के दौरान केवल 61 कार्य दिवसों की हानि हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अबधि में 1,44,994 कार्य दिवसों की हानि हुई थी। ये आंकड़े रिपोर्ट के पृष्ठ 47 पर दिए गए हैं। मैं कामना करता हूं कि यह सच हो। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस दावे की पुष्टि करें। मेरे विचार में यह गलत मालूम होता है।

मैंने इस्पात विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ा है। बोकारो, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों के विस्तार के नाम में देश के तथा विदेश सम्भरणकर्ताओं द्वारा आवश्यक माल की सप्लाई न किए जाने के कारण तीन-चार-वर्ष की देरी हो गई है। माल की आपूर्ति के कार्यक्रम के बारे में अनेक करार हैं। यदि निर्धारित कार्यक्रम का उल्लंघन होता है तो इस्पात संयंत्रों अथवा प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। चूंकि इससे लागत में बहुत वृद्धि हुई है। मैं जानना चाहूंगा कि इस बारे में क्या कार्रवाही गई है।

दूसरा कारण एच० एस० सी० एल० तथा अन्य सम्बन्धित संगठनों द्वारा अपर्याप्त संसाधनों का जुटाया जाना बताया गया है। जिसे संस्थानों के खिलाफ उनके द्वारा संसाधन जुटाने में असफलता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ? उपकरणों की समय पर सप्लाई न कर सकने अथवा संसाधन न जुटा पाने के बारे में सरल अभिव्यक्ति से मन्त्रालय अपने आपको इन मामलों में अपने प्राधिकार को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में अपनी असफलता के दोष से मुक्त नहीं कर सकता।

सलेम इस्पात संयंत्र के बारे में चर्चा करते हुए मुझे तमिल की एक कहावत याद आती है – 'पुली, वल, मिडिक्कापोई, पुनाई, वालाई, पिडीथाथु पोला' ! एक बड़ा इस्पात कारखाना बनते-बनते वह केवल री-टोलिंग कारखाना भर गया है। डी० एम० के० के शासन के दौरान प्रधान मन्त्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसे केवल री-रोलिंग कारखाने में तबदील कर दिया गया है।

अभी एक मुद्दा और है। सलेम इस्पात संयंत्र में दूसरी सेंडजिमिट मिल' तुरन्त जानी चाहिए। मन्त्रालय ने बताया है कि वर्तमान उत्पादन स्थिर हो जाने के बाद ही दूसरी सेन्डजिमिट मिलस्थापित की जाएगी। लेकिन हमारा यह दृढ़ बिचार है कि वर्तमान उत्पादन में स्थिरता लाने तथा उसमें वृद्धि करने के लिए दूसरी मिल स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है अन्यथा उसका कोई लाभ नहीं होगा।

बड़ी-बड़ी आशाएं बंधाई गई थी कि इस कारखाने के क्षेत्र में अनेक सहायक उद्योग स्थापित किए जाएंगे परन्तु अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि 'सेल' के प्राधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाही की गई है।

यह पता चला है कि स्थानीय लोगों की मांगों तथा आन्दोलनों के फलस्वरुप विशाखा पट्टनम इस्पात संयंत्र के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी को इसके पद से हटा दिया गया है। हम शांतिपूर्वक अभ्यावेदन करते रहे हैं कि सेलम इस्पात कारखानों के कार्मिक अधिकारी उस राज्य के नहीं हैं और इसलिए हमारे हित सुरक्षित नहीं है। लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। हम आशा करते हैं कि वह स्थिति नहीं आने दी जाएगी कि हमें इस साधारण-सी बात के लिए आन्दोलन करने के लिए मजबूर होना पड़े। मेरा अनुरोध है कि सलेम इस्पात संयंत्र के कार्मिक विभाग में प्रमुख कार्यकारी राज्य का ही व्यक्ति होना चाहिए।

उद्योग मन्त्रालय की मांगों के बारे में मैं तमिल में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। देश में

इंजीनियरी उद्योग संकट का सामना कर रहा है। समस्त देश में 2,000 से भी अधिक लघु एकक 'रुग्ण' हैं और वे बन्द होने की स्थिति में हैं। इन एककों में कुल 400 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। इन लघ एककों ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से 800 करोड़ रुपये का ऋण भी लिया है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम रुग्ण कपड़ा तिलों का अधिग्रहण करके उनकी रक्षा करती है। केन्द्रीय सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र की उन बड़ी कम्पनियों, जो बन्द होने जा रही है, को मदद देती है। मैं मानता हूं कि सरकार के लिए सभी रुग्ण एककों का अधिग्रहण करना संभव नहीं होगा। निःसन्देह राष्ट्रीय कपड़ा निगम लघु एककों को किराया खरीद प्रणाली के आधार पर संयंत्र तथा मशीनरी प्राप्त करने में सहायता करता है। लेकिन यह निष्फल सिद्ध हुआ है। एक ऐसे संस्थान बनाए जाने की परम आवश्यकता है जो इन रुग्णा लघु एककों को अपने हाथ में ले सके। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इन एककों की सरकाकी क्षेत्र के बैंकों की बकाया धनराशि को किस प्रकार वसूल किया जाएगा। इन लघु एककों के लिए कच्चा माल खरीदने तथा उसके वितरण के लिए भी तुरन्त एक संगठन बनाया जाने की आवश्यकता है। समय पर कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण 1000 से भी अधिक लघु एकक बन्द हो ठाए हैं।

देश में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए समस्त देश में लघु एककों की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरी ओर हम यह शोचनीय स्थिति देखते हैं कि विद्यमान लघु एककों को भी किसी न किसी कारण से बंद किया जा रहा है। हजारों एक अपना काम बन्द कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि छोटे एककों के हजरों की संख्या में बन्द होने के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जानी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एककों की स्थापना को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन देने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई है। यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि जिस आदमी को कुटीर एककों का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है उसे इस आयोग का चेयरमैन बनाया गया है, और उसे आयोग के 130 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट का प्रबन्ध करन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस आयोग द्वारा छोटे दियासलाई एककों को समय पर सहायता पहुंचाये जाने के फलस्वरूप हजारों की संख्या में छोटे दियासलाई एकक बन्द हो गये हैं। इस आयोग को केवल एक क्षेत्र अर्थात लिज्जत पापड उद्योग में काफी सफलता मिली मैं मांग करता हूं कि एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की जाए इस आयोग के कार्यकरण की जांच करे तथा यह भी सुनिश्चित करे हम केवल छोटे एककों के समस्त देश में स्थापित होने की आशा पर ही न जिएं वरन् उनको पनपता हुआ भी देखें।

अन्त में मैं आपको बता देता हूं। आप इलैक्ट्रनिकी उद्योग अथवा टेलीफोन उद्योग अथवा दवाई उद्योग अथवा रसायन उद्योग अथवा किसी भी उद्योग को ले लें, तमिलनाडु की उपेक्षा की गई है। इसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है यहां के लोग यह भूल गए हैं कि भारत के नक्शे पर तमिलनाडु भी कहीं केन्द्र सरकार की ओर से किसी भी प्रकार के लम्बे वायदे तथा मीठे झांसे देन के कोई भी शब्द तमिलनाडु के लोगों के दिमागों से उपेक्षा की भावना को समाप्त

नहीं कर सकेंगे। तमिलनाडु के लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए केन्द्र सरकार को ठोस कार्यवाही करनी चाहिए ताकि वे यह समझ सकें कि वे भी भारत का एक अंग हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री नारायण दत्त तिवारी और श्री चरणजीत चानना को इस बात के लिए बधायी देना चाहूंगा कि पिछले दो-ढाई वर्ष के समय में उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने अथक प्रयासों से हमारे देश में स्थिर औद्योगिक वातावरण बनाने का प्रयास किया है यदि इससे पहले का समय हम देखें, जबकि देश में जनता पार्टी का शासन काल अपने अन्तिम समय में था, उस समय हमारे देश का औद्योगिक वातावरण कितना बिगड़ गया था, सभी प्रकार के उद्योग-लघु, मध्यम और बड़े—उनके सामने एक अनिश्चितता का वातावरण खड़ा था और जो औद्योगिक विकास की दर थी वह घटकर 14 प्रतिशत हो गई थी, यानी विकास तो दूर, घटाव की रफ्तार (जहण) चालू हो गई थी। ऐसे समय में हमारे देश की प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के कुशल मार्गदर्शन उद्योग मन्त्रालय ने जो तरक्की की है और जो आंकडे मैं रखना चाहता हूं वह इस बात को साबित करते हैं कि पिछले ढाई साल में हमारे देश में एक नया औद्योगिक वातावरण बना है, उसमें एक स्थिरता आई है और जो हमारी मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं हैं जिनका कि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है—उनका उत्पादन बढ़ाने में काफी मदद मिली है। 1979-80 में हमारी इण्डस्ट्रियल ग्रोथ का प्रतिशत घटाकर (—) 1,4 रह गया था वह 1980-81 में बढ़कर 6-5 हुआ और 1972 के मार्च तक 11 प्रतिशत तक पहुंच गया। इस प्रकार जो हमारे प्रमुख उद्योग हैं—सीमेन्ट, स्टील, फर्टिलाइजर, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ऑयल रेफाइनरीज इत्यादि जो हमारी कोर इण्डस्ट्रीज हैं उनमें 14 प्रतिशत से लेकर 65 प्रतिशत तक उत्पादन में वृद्धि हुई है। विभाग की ओर से जो वार्षिक पुस्तकें हमें मिली हुई हैं उनमें स्पष्ट बताया गया है कि इस कार आज एक स्थायित्व आया है और देश के उद्योग एक नयी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। यह भी साबित होता है कि लोगों की दिलचस्पी औद्योगिक की तरफ ज्यादा बढ़ी है, लोगों में पूंजी लगाने के लिए अधिक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। वे समझ गये हैं कि अपना धन या सार्वजनिक धन का उपयोग यदि हम उद्योगों में करेंगे तो हमें पूरा-पूरा लाभ मिलने वाला है।

पिछले तीन वर्षों में जो लेटर आफ इन्टेन्ट, आशय-पत्र मिले और डी० जी० टी० डी० के रजिस्ट्रेशन हुए उसके आंकड़े यदि मैं आपके सामने रखूं तो वह स्पष्ट करेंगे कि जहां 1979-80 में 1150 लेटर आफ इन्टेन्ट उद्योगों को मिले वहां 1980 में 946 मिले और 1981 में 916 मिले। डी० जी० टी० डी० का रजिस्ट्रेशन भी इसी प्रपोर्शन में 1979 में 859 इकायों का हुआ, जो बढ़कर 1981;82 में 2277 इकाइयों का हो गया। इतने उद्योगों का पूंजी निवेश बढ़ा है। चाहे प्राइवेट सेक्टर से या पब्लिक सेक्टर से इसमें पूंजी बढ़ी है। 63 करोड़ की पूंजी 1978-79 में थी जो क्रमशः बढ़ते-बढ़ते 1981-82 में 326.06 करोड़ तक पहुंच

गई। यह बात को साबित करता है कि हमारा राष्ट्र उद्योगों की दिशा में स्थायित्व प्राप्त कर रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और हमारे राष्ट्र के जो स्थानीय, लोकल एन्टरप्रिन्योर्स हैं उनको अपनी टेक्नालाजी विकसित करने की तरफ भी एक नयी दिशा प्राप्त हुई है।

अभी-अभी मारुति का जापान की सुजुकी मोटर कम्पनी के साथ एक टेक्निकल कोला' बरेशन हुआ है जिसके अन्तर्गत संयुक्त क्षेत्र में दो-ढ़ाई सौ करोड़ का पूंजी निवेश होगा तथा मारुति कम्पनी मे एक लाख छोटी पेसेंजर कार्स, माइक्रो वसेज तथा अन्य वाहन बनाए जा सकेंगे। ऐसी छोटी और सस्ती कार तथा अन्य वाहन जिनकी आवश्यकता देश में 15-20 सालों से अनुभव की जा रही थी उसकी काफी हदतक पूर्ति हो सकेगी। जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं उनमें सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे देश की ओटोमोबाइल ईण्डस्ट्री आने वाले वर्षोंमें काफी रफ्तार से आगे बढ़ने वाली है। मारुति तथा जापान की सुज़की कम्पनी के टेक्निकल कोलाबोरेशन से ओटोमोबाइल इण्डस्ट्री के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आयेगा। आधुनिक टेननालाजी को अपनाकर हम कम फिजूल खर्च करने वाली और कम दाम वाली ओर ज्यादासे ज्यादा एफीशिएन्सी वाली कार हम बनाना चाहते हैं। हम दूसरे वाहन भी बनाना चाहते है। इससे स्पष्ट है कि जहां हमारी मारुति कम्पनी के साथ जापान की कम्पनी का कोलेबोरेशन हुआ है वहां पर हमारी हैदराबाद की एलविन स्टेट अन्डरटेकिंग की भी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जापान की निशान कम्पनी से सहयोग की बातचीत चल रही हैं। इस प्रकार हम अपनी टेक्नोलोजी को माडरेनाइज करना चाहते हैं। और विश्व में जो टेक्नोलोजी की प्रगति हुई है उसके साथ उसे लाना चाहते हैं।

हमारे मत्री जी ने आधुनिकीकरण में जो रूचि दिखायी है और जो उसकी योजना बनायी है, उस सब को देखते हुए यह सहज में विश्वास हो जाता है कि इस विकसित टेक्नोलोजी से हमारे देश के उद्योगों को लाभ होगा और हम निश्चित रूप से हम अपनी औद्योगिक टेक्नोलोजी को और आधुनिक कर सकेंगे। उसका लाभ आम जनता तक सस्ते दामों पर और समय पर पहुंचे इसके लिए लिए हमारे लगातार प्रयास होंगे।

अभी हमारे माननीय सदस्य श्री हाल्दर कह रहे थे कि लघु उद्योगों की तरफ हमारी गवनमेंट का ध्यान कम गया है। यह सही नहीं है। इसके बारे में मैं सदन के सामने पिछले कुछ बर्षों के आंकड़े रखना हूं। पिछले तीन वर्षों में लघु उद्योगों में जितनी वृद्धि हुई उतनी पिछले आठ-दस वर्षों में नहीं हुई। इतने कम समय में इतने नये लघु उद्योगों की स्थापना होना और उन्हें वित्तीय सस्थाओं से धन उपलब्ध कराना अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। सन् 1978 के वित्तीय वर्ष में 26,000 ईकाइयों का रजिस्ट्रेशन हुआ और उन्हें 84.58 करोड़ रुपये के ऋण बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं से मिले। 1980-81 के दौरान 61 हजार औद्योगिक लघु ईकाइयां का रजिस्ट्रेशन हुआ और इन्हें 286,80 करोड़ रुपये के ऋण मिले। 1981-82 के मार्च तक इन ईकाइयों को 250 करोड़ रुपये के ऋण दिए गये। यह अपने आप में दर्शाता है कि लघु उद्योग क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में चार गुना प्रगति हुई है।

हमारे देश में सम्पूर्ण राष्ट्रीय उद्योग के उत्पादन का 40 प्रतिशत उत्पादन हमारे लघु लघु उद्योगों में आता है इन लघु उद्योगों मे करीब 70 लाख लोगों को रोजगार मिलता है और जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं उनको भी मौका मिलता है कि वे शासन की योजना के अनुसार, स्वय रोजगार चलाने वालों को कम ब्याज पर ऋण देन की योजना के अनुसार अपने साधन जुटा कर अपने स्वयं छोटे-छोटे उद्योग लगा सकें। इसलिए मैं उद्योग मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जहां वे अपने उद्योगों में अन्तर्राष्ट्रीय टेक्नोलोजी का प्रसार करन का प्रयास कर रहे हैं वही वे हमारे लघु उद्योगों का विकास करने के लिए जो हमारे टेक्निकल शिक्षा प्राप्त युवक हैं उनको स्वयं के उद्योग स्थापित करने के लिए योजना बना कर प्रोत्साहन दे रहे है। इसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं।

अन्त में मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में कहूंगा। यह कहना इसलिए भी जरूरी है कि पिछले साल डेढ़ साल से उद्योग मन्त्रालय की पार्टी की स्टेंडिंग कमेटी का मै कन्वीनर रहा हूं। उस नाते से मुझे मन्त्री के मातहत बहुत काम करने का और सीखने का मौका मिला है। मेरा क्षेत्र विदिशा, रायसेन और बुद्नी काफी पिछड़ा हुआ है। वहां पर कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है। आप बड़े उद्योग के लिए एक न्युक्लियस काम्पलेक्स ऐसे बेकवर्ड एरिये में कायम करें। उसके बाद वहां के स्थानीय उद्योगपति सौ, डेढ़ सौ लघु उद्योग लगाएं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस न्युक्लियस काम्प्लेक्स को विदिशा मेंकायमकरने कीकृपा करें।वहां परइन्जीनिरिंग कालेज है। प्रमुख रेलवे लाईन के पास ए पिछड़ा क्षेत्र बसा हुआ है। बेतना नदी भी वहां से निकलती है जमीन भी वहां काफी मात्रा में उपलब्ध है। 50-25 हजार शिक्षित बेरोजगार युवक वहाँ के इन उद्योगों में लगाये जा सकते है और उनकी जीविका के साधन उनको दिये जा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वहा पर एक बड़ा उद्योग स्थापित करन की मेरी मांग की आवश्यकता को समझते हुए और वहाँ के हजारों युवकों की जीविका को ध्यान में रखते हुए मन्त्री महोदय जरूर कार्यवाही करेंगे।

अन्त में मैं उद्योग मन्त्रालय की अनुदानों की मागों का समर्थन करते हुए पुनः उद्योग मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि वे हमारे राष्ट्र के औद्योगिक वातावरण मे जो क्रांति लाए हैं, आत्म विश्वास पैदा किया है, उसके लिए वें इसके पात्र हैं।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मन्त्री महोदय को उनके द्वारा इस मन्त्रालय का कार्यभार सम्भालने से लेकर औद्योगिक नीति के विभिन्न पहलओं को कारगर बनाने तथा उन्हें उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए बधायी देना चाहूंगा। चूंकि मेरे पास बहुत ही कम समय है इसलिये मैं पहले इस्पात और उद्योग के बारे में बोलूंगा।

देश में इस समय कार्य कर रहे बड़े इस्पात संयंत्रों के लगाने के मामले में बहुत अधिक असुन्तलन है। टाटा के गै -सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त उदाहरणार्थ भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर और राऊरकेला सभी उत्तर में ही स्थित हैं। जब कभी एक इस्पात संयंत्र के स्थापना स्थल विभिन्न सहायक उद्योगों के लिए एक आधार बनाये जायेंगे तभी इस क्षेत्र में हजारों लोगों की

आजीविका के उचित साधनों की व्यवस्था की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में समूचे तौर से दक्षिण भारत पूरी तरह बहुत पीछे रह गया है। अत: यह आवश्यक है कि दक्षिण में तीन इस्पात संयंत्रों की अर्थात विशाखापटनम बिजयनगर सेलम विचारित योजनाओं के सम्बन्ध में कार्य के बारे में बहुत अधिक तेजी लायी जानी चाहिए।

अत्यन्त आधुनिक इस्पात सयंत्र के सम्बन्ध में जिसकी स्थापना दक्षिण में विशाखापटनम में की जानी है मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। वास्तव में भारत में स्थापित किया जाने वाला यह अत्यन्त आधुनिक इस्पात सयंत्र समझा गया है जिसमें अनेक नयी प्रौद्योगिकियां होगी। उदाहारणार्थ प्रत्येक 3,200 क्यूनिक मीटर की उत्पादन मात्रा वाली धमन भट्टियां लगायी जायेंगी। धमन भट्टि प्रक्रिया से जारी की गई गैस का उपयोग बिजली, बिद्युत आदि के उत्पादन में किया जायेगा। इसी प्रकार इस सयंत्र में बहुत अधिक नयी प्रौद्योगिकियां है। मैं तटीर्ण जिले से आया हूं जिसका विशाखापटनम एक अभिन्न अंग है। अत: सम्पूर्ण परियोजना के कार्यान्वियन में पायी गयी वर्तमान ज्वलन्त त्रुटियों की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना मेरी जिम्मेदारी।

आरम्भ में विशाखापटनम इस्पात संयंत्र की अनुमानित लागत 2256 करोड़ रुपये रखी गयी थी। जिसमें 500,00 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा वाले सघटक लगाये जाते थे। यह जून 1979 में हुआ था जबकि सोवियत संघ के सहयोग के साथ इस सयंत्र की स्थापना करने के लिये मंजूरी दी गयी थी। यद्यपि इस परियोजना के कार्यान्वियन में विलम्ब हो जाने और सोवियत विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मुख्य रुप से संशोधन कर देने के कारण अनुमानित लागत बढ़कर 3098.98 करोड़ रुपया हो गई है। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस्पात मंत्रालय ने इस संशोधन अनुमान के लिए सरकारी निवेश बोर्ड से औपचारिक मंजूरी ले ली है। इसके अतिरिक्त यह बताया गया है कि सम्पूर्ण परियोजना के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि इस परियोजना की लागत ब्याज को छोड़ कर 3400 करोड़ रुपये की हो जायेगी। इसके अतिरिक्त मूलभूत ढांचे के सम्बन्ध में यदि केवल 72 महीनों की निर्धारित अवधि में यह परियोजना पूरी हो जाती है 600 करोड़ रुपया और खर्च आयेगा।

वास्तव में जब मैंने इस इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में हुई प्रगति के विवरणों तथा इसके पूरे स्रोत के बारे में लोक सभा के वर्तमान सत्र में एक प्रश्न पूछा था तो उसका उत्तर यह दिया गया था —

> "स्थल तैयारी सबन्धी कार्य पूरा होने वाला है और प्रथम धमन भट्टी तथा संबंधित सुविधायें 1986 के शुरु में पूरी हो जायेंगी और सारी परियोजना के 1987 के अन्त तक पूरा हो जाने की सभावना है।"

वास्तव में "पूरा होने वाली शुरू हो चुकी है और पूरी हो चुकी है" जैसे शब्दों से सभा में यह धारणा होगी कि विशाखा पटनम इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में कार्य की प्रगति ठीक तरह से हो रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से छ: से अधिक बार विशाखा पटनम इस्पात संयंत्र में

गया और मैं अन्तिम बार 29 मार्च, 1982 को वहां गया था। स्थल पर कार्य की स्थिति और प्रगति वैसी नहीं है जैसा कि यहां बतायी गयी है ।

इस परियोजनों की वर्तमान अनुमानित लागत 3000 करोड़ रुपये से अधिक होगी और इस राशि को 1980 से लेकर केवल 72 महीनों तक पूंजी निवेश करता है और इसी कारण यह बताया गया था कि इस परियोजना का प्रथम चरण 1980 तक तैयार हो जायेगा ।

पूंजी निवेश पद्धति स्पष्ट रूप से यह धारणा प्रदर्शित करती है कि परियोजना के प्रबन्धकों में या तो कल्पना की कमी है अथवा संचालन शक्ति की । 1980-81 में इस संयंत्र पर कुल पूंजी निवेश केवल 34 करोड़ रुपये का हुआ था इसके अतिरिक्त 1981-82 के लिए बजट संबधी नियतन 130 करोड़ रुपये का था, जनवरी 1982 तक का खर्च 91.50 करोड़ रुपये का रहा है और शुरू से संचयी व्यय केवल 163.50 करोड़ रुपये का रहा है। इस योजना के लिए छठी योजना में कुल परिव्यय 1050 करोड रुपया है वास्तव में मेरा इरादा यह नहीं है कि स्थल तैयारी तथा सड़कों आदि के बिछाने में रुपया खर्च किया जाये, बल्कि मेरा इरादा तो यह है । परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित जल सप्लाई आदि मौलिक मूल भूत ढांचे संबंधी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । वास्तव में स्थल की तैयारी का काम उस ढंग से यहां सभा में बताया गया और वी० एस० पी० के निर्माण ऋण के लिए जल सप्लाई की व्यवस्था महा दरी गड्डा योजना से की गई थी। हाल ही में मैं उस स्थान पर गया था, परन्तु वहां बिल्कुल भी जल उपलब्धी नहीं है संचालन चरण के दौरान गोदावरी मोड से जल लाने की योजना बनायी गई है। यद्यपि गत वर्ष सभा में हाल के कार्यान्वयन के बारे में बचन दिया गया था, फिर भी इस समय वास्तविक स्थिति यह है कि गोदावरी मोड़ योजना केवल कागज पर रही है अत: मैं कहना यह चाहता हूं कि जब तक हम प्रत्येक चरण पर इस प्रकार की मूलभूत ढाँचे संबंधी सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराते हैं, जब तक इस परियोजना को निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वित करना सम्भव नहीं है चाहे हम दावा कुछ भी करते रहें ।

वहां पुनर्वास को प्रभावी रूप से नहीं चलाया गया है और जिसमें असंख्य शिकायतों को मेरे पास भेजने की गुजांइश हो गयी है वे उनके द्वारा किये जाने वाले निर्माण के सम्बन्ध में सभी प्रकार की आपत्तियां तथा प्रतिबन्ध लगा रहे हैं ।

माननीय संसाधनों को जुटाने के सम्बन्ध में स्थानीय मजदूर संघों से स्थानीय श्रमिकों की प्राप्यता के बारे में पता लगाये बिना लगभग 700 नियमित कामगारों को बोकारो से लाया गया था। परिणाम स्वरूप कामगारों के बीच तड़ाव पैदा हो गया था। बाद में बड़ी कठिनाई के साथ इसे दूर किया गया था।

भर्ती के महत्वपूर्ण क्षेत्र के सम्बन्ध में सभा और मंत्री महोदय पर यह जोर देना चाहूंगा कि अब वहां काफी अधिक गलत फहमी में व्यापत हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं बोल रहा हूं जो विशाखापटनम इस्पात संयंत्र के आन्दोलन के साथ गहरी तरह संबन्धित था । बल्कि तटीय क्षेत्र से एक प्रतिनिधि के रूप में जिसका विशाखापतनम एक अभिन्न अंग है ।

और इस परियोजना से निकट रूप से संबंधित इस क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ अपनी बातचीत के आधार पर भी बोल रहा हूं। मैंने जनता से तथा विभिन्न स्टाफ के सदस्यों से भी बात की। जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि विशेषकर भर्ती के तरीके के बारे में प्रबन्धकों के इरादों के सम्बन्ध में गम्भीर संदेह हैं। हाल ही में एक वरिष्ट मैनेजर ने स्वैच्छिक निवृति के लिए त्यागपत्र देने की पेशकश की है। एक अन्य जनरल मैनेजर (कार्मिक) ने इस परियोजना को छोड़ने का निर्णय किया है। इसका कारण जिसका मैंने पता लगाया और जिसे जानकर सभा को दुख पहुंच सकता है। वह यह था कि चीफ सुपरिन्टेन्डेंट स्ट्रीट मैफल्टिंग, चीफ इलैक्ट्रीकल इन्जीनियर, चीफ पर्सनल मैनेजर. चीफ सुपरिन्टेन्डेंट टैक्नीकल सर्विसिज एडिशनल चीफ मैनेजर मैटिरियल एडिशनल जनरल मैनेजर आयरन एण्ड स्टील, सुपरिन्टेंडेंट ट्रैफिक डायरेक्टर, (निर्माण) सेक्रेटरी पब्लिक रिलेशन आफिसर, ये उच्च कार्यकारी अधिकारी है जो समस्त व्यवस्थाओं का पर्यवरण करते है चाहे वह बी० एस० पी० के निर्माण चरण में हैं या संचालन चरण में वे सभी एक विशेष राज्य, अर्थात तमिलनाडु से संबंधित हैं। मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या प्रतिभा एक विशेष राज्य तक ही सीमित है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जहां कहीं भी हमारे यहां इस प्रकार की बात हो, हमें इसे सुधारना चाहिए। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार सारे उच्च प्रबन्धक अधिकारियों को एक राज्य से लाया गया। और जब कभी भी हम इन बातों के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो हमें संकीर्ण विचारों वाला कहा जाता है, किन्तु तमिलनाडु राज्य से जहां से तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुब्रह्मण्यम हैं उन सभी की भर्ती करके किसने संकीर्णता अपनायी है। और तत्काली प्रबन्धकों के रवैये तथा इरादों के बारे में जनता और स्टाफ में गम्भीर संदेह व्याप्त है। आंध्र प्रदेश के लोग श्री सुब्रह्मण्यम, तत्कालीन एम० डी० एण्ड यू० एस० पी० के कार्यों में उचित विश्वास प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं हो पाये हैं मैं सरकार तथा मन्त्री महोदय से यह सुनिश्चत करने के लिए अनुरोध करता हूं कि संदेहों को तुरन्त दूर किया जाये और यदि आवश्यक हो तो इन गम्भीर त्रुटियों को सुधारने के लिए जांच करायी जाये ताकि किसी ओर से इस बाधा के बिना इस परियोजना को पूरा किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय इस्पात निगम की स्थापना की है और यह नाम आंध्र प्रदेश के तथा स्थानीय लोगों के लिए बोधगम्य नहीं है मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे कौन सी पवित्रता छिपी है। राष्ट्रीय इस्पात निगम का नाम देने की बजाये वे इसे "विशाखा स्टील लिमिटेड के नाम से पुकार सकते हैं। यह नाम इन लोगों के लिए पर्याप्त रुप से बोधगम्म हैं। लोगों ने अपना असंतोष प्रकट किया है और इस्पात संयंत्र आन्दोलन में 32 लोगों की मृत्यु हुई है हजारों जख्मी हुये हैं और अब भी कुछ वैसी बातें सुलग रही हैं। मेरी यह धारणा वस्तुतः उनसे बातचीत करने के बाद बनी। जब तक सरकार उनकी भावनाओं को समझने तथा गलतफहमियों को दूर करने के उद्देश्य से कोई उचित कदम नहीं उठायेगी तब तक उनमें पुनः विश्वास की भावना पैदा करना बहुत कठिन है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन गम्भीर गलतियों को ठीक किया जाये ताकि परियोजना को कार्यक्रम के अनुसार चलाया जा सके।

श्री चतुर्भज (झालावाड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[किसानों को सिचाई के प्रयोजनार्थ सीमेंट उपलब्ध करने की आवश्यकता। (1)

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[उद्योग धन्धों के विकास के लिए प्रत्येक जिला खंड पर तकनीकी प्रशिक्षण देने एवं धन देने की आवश्यकता। (2)

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[प्रत्येक ब्लाक खंड पर छोटे उद्योग का तकनीकी ज्ञान देने के लिए आफिस खोलने की आवश्यकता। (3)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[उद्योग खोलने के बारे में प्रत्येक जिला खड एवं ब्लाक खड से कार्य की त्रैमासिक रिपोर्ट मांगने की आवश्यकता। (4)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्शक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[प्रत्येक गांव में छोटे उद्योग स्थापति करने की आवश्यकता (5)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[कृषि क्षेत्र के विकास हेतु बिजली मोटर, हल, और कृषि औजार तंयारु करने के उद्योग खोलने की आवश्यकता (6)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्शक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[झालावाड़ (राजस्थान) में सरकारी क्षेत्र में अफीम पर आधारित लहसून पर आधारित संतरा पर आधारित, गैस पाइप लाइन पर आधारित कारखाना खोलने की आवश्यकता। (7)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[सैनिक व पुलिस उपकरण सरकारी क्षेत्र में एवं प्राइवेट क्षेत्र में छोटे कारखानों में तैयार करने की आवश्यकता। (8)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[बिजली के छोटे-छोटे उपकरण छोटे छोटे उद्योगों के रूप में देहाती एवं गंदी बस्ती क्षेत्रों में तैयार करने की आवश्यकता। (9)]

कि उद्योग मत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[साइकिल, ट्रेक्टर, पंखे, डीजल एवं बिजली इन्जन के उपकरण ग्राम उद्योगों में ही तैयार करने की आवश्यकता। (10)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[छावड़ा, छीपा बरोत, अटरू किशनगंज, शाहबाद, खानपुर, अकलेरा, मनोहरथाना, पाटन, भवानीमडी, डग, चौमहला, पिड़ावा, रायपुर एवं झालवाड़ में छोटे व बड़े उद्योग खोलने की आवश्यकता। (11)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[झालावाड़ में लोहा, पीतल और मोम पर आधारित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता। (12)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[सीमेंट उद्योग का विस्तार करने की आवश्यकता। (13)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 00 रुपये कम किये जायें।

[सभी प्रकार के औद्योगिक माल के मूल्य तथा उन पर मुनाफों को कम करने की आवश्यकता। (14)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[देश में उद्योगों का भारतीयकरण एवं संवर्धन करने और उन्हें श्रमोन्मुख करने की आवश्यकता। (15)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[उद्योग जो सरकारी क्षेत्र में हैं उनक मैनेजमेंट में कर्त्तव्य भावना एवं राष्ट्रीय भावना भरने की आवश्यकता। (16)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[सहकारी उद्योगों में घाटे को रोकने की आवश्यकता। (17)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[सहकारी क्षेत्रों में उद्योग का प्रसार करने की आवश्यकता। (18)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग मे 100 रुपये कम किए जायें।

[कमजोर क्षेत्रों एवं गांवों मे छोटे उद्योगों को शुरू करने की आवश्यकता। (19)]

कि उद्योग मत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[छोटे-छोटे गांवों में छोटे उद्योग लगाकर कृषि उपकरण सस्ते दर पर बनाने की आवश्यकता। (20)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

श्री रीतालाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[लघु उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित करना तथा उनके बढ़े हुए उत्पादन के लिए बाजार की गारन्टी देने की आवश्यकता। (21)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपय कम किए जायें।

[लघु उद्योगों के लिए लाइसेंस की मंजूरी के आवेदनों का निपटान करने के लिए 2-3 महीनों की समय-सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता। (22)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[एच० ई० सी० रांची के कर्मचारियों को उनको कालोनियों में मकान, बिजली पेय जल, सड़क और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (23)]

कि उद्योग मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ।

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[बिहार में मधुबनी और पलामू जिले में नाभिकीय संयंत्र अबिलम्ब स्थापित करने की आवश्यकता। (24)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[बिहार में दरभंगा (मिथिला) में एक नई लघु उद्योग सेवा संस्था केन्द्र खोलने की आवश्यकता। (25)]

कि ग्राम्य तथा लघु उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[स्वनियोजन हेतु लघु उद्योग शुरू करने के लिए बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिले के सभी प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को सहायता देने की आवश्यकता। (26)]

कि ग्राम्य तथा उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिले में उद्योग शुरू करने के किए पंजीकृत लघु उद्योग यूनिटों को सहायता देने की आवश्यकता। (27)]

कि ग्राम्य तथा लघु उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिले में पाँवकरघा और साबुन बनाने के लघु उद्योग स्थापित करने में असफलता। (28)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर-दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत में 100 रुपये कम किए जायें।

[अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बेहतर औद्योगिक नीति की आवश्यकता। (29)]

कि उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 27-28) में 100 रुपये कम किए जायें।

[ग्रामीण जनसंख्या की दशा सुधारने के लिए खादी और ग्रामोद्योग के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता। (30)]

कि उद्योग मन्त्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[कम लागत पर सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने और त्रुटिहीन वितरण प्रणाली बनाने की आवश्यकता। (31)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[औद्योगिक उत्पादों के लागत को कम करने के लिए कच्चे माल, ऊर्जा वित्त, श्रम और परिवहन जैसे उत्पादन के विभिन्न पहलुओं के बीच बेहतर समन्वय करने की आवश्यकता। (32)]

कि उद्योग मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[बड़े उद्योग शुरू करने के स्थान पर ग्रामीण उद्योग को स्वस्थ तरीके से विकास करने की आवश्यकता। (33)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिए जायें।

[वस्त्र उद्योग के कार्यकरण की जांच करने तथा वस्त्र उत्पादों को मानकीकरण करने की आवश्यकता ताकि वस्त्र उत्पादों के मूल्य में भारी वृद्धि न हो सके। (34)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिए जायें।

[प्लाईबुड उद्योग के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता। (35)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम कर दिए जायें।

[टायरों, ट्यूबों, साबुन, सीमेंट और कागज जैसे आवश्यक उत्पादों की लागत कम करने की आवश्यकता। (36)]

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

[देश के पिछड़े क्षेत्रों में विशेषकर पश्चिम बंगाल के नादिया, बांकुरा, वीरभूम और पुरुलिया में खादी और ग्रामोद्योग स्थापित करने में असफलता। (37)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

[खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत सरकारी समितियों के कर्मचारियों के वेतनमानों तथा भर्ती को संशोधित करने में असफलता। (38)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

[देश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु खादी और ग्रामोद्योग को क्षमता दोहन करने की आवश्यकता। (39)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं

[खादी और ग्राम्य उद्योग में वार्षिक रोजगार लक्ष्य को पूरा न करने के कारणों की जांच करने की आवश्वकता। (40)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

[खादी क्षेत्र में चर्खा और कर्घा का 30 प्रतिशत से अधिक उपयोग करने में असफलता। (41)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी के उत्पादन में हुई भारी गिरावट को, जिसके परिणामस्वरुप लोगों में बेरोजगारी उत्पन्न हुइ, रोकने में असफलता। (42)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अर्न्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[33-57 करोड़ रुपये की ऋण की राशि, जैसा कि मार्च, 1978 में थी कि वसूली हेतु 1132 संस्थानों की अचल संपति की गिरवी रखने में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की असफलता। (4)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[निजी संस्थाओं से काफी समय से बकाया ऋणों की बसूली करने में असफलता। (44)]

[खादी तथा ग्रामोद्योग में श्रम कानूनों को लागू करने की आवश्यकता। (45)]

कि मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[खादी तथा ग्रामोद्योग सोसाइटी की दुकातों के विक्रय केन्द्रों में सहायता देने में कदाचार को रोकने की आवश्यकता।(46)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किया जाएं ।

[लोह अस्यक, इस्पात और कोयले के मामले में समान भाड़े की नीति, जिसके कारण कुछ वस्तुओं में होने वाला भौगोलिक और स्थानीय फायदा समाप्त हो जाता है, पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता (47)]

कि उद्योग मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किय जाये।

[पश्चिम बंगाल में औद्योगिक क्रियाकलाप में विस्तार करने में विफलता। (18)]

कि उद्योग मन्त्रालय के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

[पश्चिम बंगाल में तेज औद्योगिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की आवश्यकता। (49)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्ष के अधीन मांग में 100 रुपए कम कर दिये जायें ।

[पश्चिम बंगाल में स्थित केन्द्रीय सरकार के निर्माधीन इंजीनियरी कारखानों की निहित क्षमता का उपयोग करने में विफलता। (50)]

कि उद्योग मन्त्रालय शीर्ष के अधीन मांग में 100 रुपए कम कर दिये जायें ।

[पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र में वाणिज्यिक वहन कारखाना, जो सरकारी क्षेत्र के कारखानों में उपलब्ध सुविधाओं पर आधारित हो, स्थापित करने की आवश्यकता। (51)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अधीन मांग में 100 रुपए कम कर दिये जायें।

[पश्चिम बंगाल में जिला औद्योगिक केन्द्रों के क्रियाकलाप में विस्तार करने की आवश्यकता (52)]

डा० बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करकें 1 रुपया किया जाए।

[किसानों को सिचाई कार्यों के लिए सीमेन्ट देने की आवश्यकता।(53)]

कि उद्योग मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांए को कम करके 1 रूपए किया जाए।

[आसानी से कच्चा माल उपलब्ध होने पर भी मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रानिक कारखाना समूह और टेलीविजन ट्यूब का निर्माण करने का एक कारखाना स्थापित करने में असफला। (54)]

कि उद्योग मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रूपए किया जाए।

[मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों, विशेषकर राजगढ़, गुना और विदिशा में कोई उद्योग स्थापित करने में असफलता। (55)]

कि उद्योग मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

]मध्य प्रदेश के रायगढ़ (बिओरा) जिले में पैदा होने वाले पपीतें का समुचित उपयोग करने के लिए किसी उद्योग की स्थापना करने मैं असफलता। (56)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले में जीरापुर में जहां मोटा सूती धागा उपलब्ध है, कालीन बुनने का कारखाना स्थापित करने मे असफलता। (57)]

कि उद्योग मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में माचिम के कारखाने और कार्ड-बोर्ड का निर्माण करने के कारखाने स्थापित करने में असफलता। (58)]

कि उद्योग मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

लघु उद्योग के विकास के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करने हेतु प्रत्येक ब्लाक में विभागीय कार्यालय खोलने की आवश्यकता। (59)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों के गांवों में लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता। (60)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए बिजली की मोटरें, हल और

कृषि के औजार के निर्माण के लिए उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता । (61)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[मध्य प्रदेश में रायगढ़ (बिओरा) में अफीम, लहसुन और पपीते पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता । (62)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[मध्य प्रदेश के राजगढ़, विदिशा और गुना जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के छोटे मोटे सामान का निर्याण लघु उद्योग तक ही सीमित रखने की आवश्यकता । (63)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[मध्य प्रदेश के सिरोंज लटेरी आन्नदपुर-आरोन-राघोगढ़-बीनागंज, कुम्भराज-बिओरा, लिचीपुर -जीरापुर सारगपुर-माऊ-पडाना स्थानों और विदिशा, गुना और रायगढ़ जिलों में लघु और बड़े उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता । (64)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

मध्य प्रदेश में छोटे सीमेन्ट कारखानों का विस्तार करने की आवश्यकता । (65)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

ग्रामीण क्षेत्री में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योगों का विस्तार करने की आवश्यकता । (66)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[छोटे गांवों में छोटे उद्योगों शुरू करके क सस्ते मूल्य पर कृषि औजारों का निर्माण करने की आवश्यकता । (67)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

लघु उद्योग के लिए कच्चे माल की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करने और उनके उत्पादनों की बिक्री के लिए ठोस बाजार की गारन्टी देने की आवश्यकता (68)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किय जायें ।

[ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योन के लिए लाइसेंस देने के प्रार्थना पत्रों का निपटान एक-दो महीनों में करने की समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता (69)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[मध्य प्रदेश के राजगढ़ (बिओरा) जिले में पचोरे अथवा नरसिंह -गढ़ में एक नया लघु उद्योग सेवा संस्थान केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता । (70)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

[कोडरमा में रुग्ण सिंगल स्पन पाइप फैक्टरी को फिर से चालू करने में असफलता (71)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए ।

[गिरिडीह और हजारीबाग (बिहार) के नये उद्यमियों को को समय वित्त देने में असफलता (72)]

कि उद्योग मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

[हजारीबाग और गिरिडीह वन को कागज सम्बन्धी सामग्री का उपयोग करने के लिए कोडरमा (बिहार) में कागज का एक कारखाना स्थापित करने में असफलता । (73)

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

[लघु उद्योग के विकास के लिए बड़े औद्योगिक गृहों के निहित स्वार्थ को रोकने में असफलता (74)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

[सभी डी० आई० सी० के कार्यकरण की जांच करने तथा कर्मचारियों के कदाचार को रोकने में असफलता (75)]

कि उद्योग मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

[अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित करने में असफलता । (76)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मॉग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

[डी० आई० सी० के माध्यम से लघु उद्योग को कच्चा माल सप्लाई करने में असफलता (77)]

प्रो० अजित कुमार मेहता (विष्णुपुर) : मैं प्रमाणित करता हूं ।

कि उद्योग मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग 100 रुपये कम किये जायें ।

[किसानों को विशेषत: उत्तर बिहार के समस्तीपुर जिले में सिंचाई प्रयोजनों तथा मकान बनाने के लिए सीमेंट उपलब्ध करने की आवश्यकता । (77)]

कि उद्योग मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग 100 रुपये कम किये जायें ।

[बिहार में लघु उद्योगों के विकास के लिए तकनीकी जानकारी देने के लिए प्रत्येक खण्ड में कार्यालय खोलने की आवश्यकता । (78)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[बाईसिकलों ट्रैक्टरों, पंखों, डीजल और विद्युत चालित इन्जन के फालतू पुर्जों के निर्माण को ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित रखने की आवश्यकता । (80)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग 100 रुपये कम किये जायें ।

[सीमेंट उद्योग का विस्तार करने और लघु क्षेत्र में उसके निर्माण को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता । (97)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग 100 रुपये कम किये जायें ।

[उत्तर बिहार के समस्तीपुर दरभंगा और मधुबनी जिलों में लघु क्षेत्र में चावलों के छिलकों से सीमेंट का निर्माण प्रोत्साहित करने की आवश्यकता । (81)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग 100 रुपये कम किये जायें ।

[आमतौर पर उत्तर बिहार स्थित और विशेषत: समस्तीपुर स्थित क्षेत्रों मैं लघु उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करने की आवश्यकता । (82)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्नर्गत 100 रुपये कम किये जायें ।

[लघु उद्योगों को पर्याप्त कच्चे माल की सप्लाई करने और उत्पादन के लिए बाजार की गारन्टी देने की आवश्यकता । (83)]

कि उद्योग शीर्षक के अधीन मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[उत्तर बिहार में समस्तीपुर में लघु उद्योग सेवा संस्था केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता । (84) ।]

कि उद्योग शीर्षक के अधीन मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[लघु स्थापित करने के लिए समस्तीपूर के सभी प्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को पर्याप्त सुविधाएं देने की आवश्यकता । (85)]

कि उद्योग शीर्षक के अधीन मांग में 100 रुपये से कम किये जायें ।

[विहार में समस्तीपुर में पद-करघा तथा साबुन जैसे कुटीर उद्योगों को स्थापना को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता । (86)]

कि उद्योग शीर्षक के अधीन में 100 रुपये कम किये जायें ।

[समस्तीपुर में ग्रैफाइट कारखाना खोलने की आवश्यकता । (87)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

श्री ए० के० राय (धनवाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

[रुग्ण उद्योगों के सम्बन्ध में एक व्यापक नीति तैयार करने में असफलता । (88)]

कि उद्योग मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

[आत्म निर्भरता की नीति समाप्त करना और सरकारी क्षेत्र का अवमूल्यन । (89)]

कि उद्योग मंत्रालय शीर्शक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाना ।

[धनबाद के कुमारझूबी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के प्रबन्ध ग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही को वापस लेना । (90)]

कि उद्योग मत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

[कुमारझूबी इंजीनियरिग वर्क्स को पुनः चालू करने में असफलता। (91)]

श्री चतुर्भुज (झालावाड) : मैं प्रस्तुत करता हूं ।

कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[लोहे और इस्पात के मूल्य घटाने की आवश्यकता । (1)]

कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[राजस्थान के झालावाड़ जिले में हीरे की खानों के लिए सर्वेक्षण करने और वहां हीरे की फैक्टरी स्थापना करने की आवश्यकता । (3)]

कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[कोटा (राजस्थान) जिले में किशनगंज तहसील के रामगड़ क्षेत्र में लोहे और पीतल की खानों के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता । (4)]

कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[राजस्थान के कोटा जिले में छोपा बरोड क्षेत्र की पहाड़ियों में सोने और चांदी की खानों की [संभाव्यता की खोज करने की आवश्यकता । (5)]

कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[हिमाचल तथा अन्य पहाड़ियों में खनिजों की सम्भावना की खोल करने की आवश्यकया । (6)]

कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[खनिजों के लिए नयी खानों की खोज करने और वर्तमान खानों का विकास करने की आवश्यकता । (7)]

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं

कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[कुलटी और बर्नपुर स्थित इस्को कीफैक्टरियों के कर्मचारियों को आबास तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने में भेदभाव । (2)]

कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[अभ्रक मजदूरों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान करने में असफलता । (8)]

कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें

अभ्रक व्यापार निगम की स्थापना को बाद अभ्रक मदूरों की छंटनी से बचाने में असफलता। (9)]

कि इस्पात विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं

कि इस्पात विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[कर्नाटक में विजय नगर में दीर्घकाल में लम्बित इस्पात परियोजना को आरम्भ करने की आवश्यकता। (10)]

कि इस्पात विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[सरकारी क्षेत्र की इस्पात परियोजनाओं के प्रशासन में चुस्ती लाने की आवश्यकता। (11)]

कि इस्पात विभाग के अन्तर्गत मांग 100 रुपए कम किये जायें।

[कुदरेमुख लौह अयस्क और काली नदी परियोजना की पन-बिजली और बिहार के कोयले का प्रयोग करने के लिए मंगलौर बन्दरगाह के निकट एक इस्पात फैक्टरी आरम्भ करने की आवश्यकता। (12)]

कि इस्पात विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रूपए कम किये जायें।

[कुदरेमुख लौह अयस्क कम्पनी को एक लाभप्रद कम्पनी बनाने की आवश्यकता। (13)]

कि इस्पात विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

[एन० डी० एम० सी० लिमिटेड, एस० ए० आई० एल० और एस० ई० सी० लिमिटेड के

[कार्यकरण में सुधार के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने की आवश्यकता। (14)]

कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

खनिजों के उत्पादन, विकास तथा निर्यात के सम्बन्ध में देश के सर्वोत्तम लाभ के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता। (15)]

कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

[छोटे पैमाने के नए एककों को रियायती दर पर इस्पात उपलब्ध कराने में असफलता। (16)]

कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए इस्पात उत्पादों की वितरण प्रणाली को सुचारु बनाने में विफलता। (17)]

कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

[एच० एस० सी० एल० बोकारो के छंटनी किए गए होमगार्डों को बहाल करने की आवश्यकता । (18)]

कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

[इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, कुल्टी के कर्मचारियों के लिए रानीताल और कोयरतोला बस्तियों का विकास करने की आवश्यकता । (19)]

कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

[इस्पात संयंत्रों के सुचारु कार्यकरण के लिए मुख्य प्रबन्ध निदेशकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने में विफलता । (20)]

कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

[बिहार के जिला गिरीडीह में बेंजाबाद में सीसा और जिंक के लिए खनन कार्य आरम्भ करने में विफलता । (21)]

कि खान विभाग के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

[बिहार में अभ्रक का खनन कार्य वैज्ञानिक आधार पर करने में असफलता । (22)]

कि खान विभाग के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

[बिहार में कोडोरमा या गिरीडीह में, जहां विश्व का 80 प्रतिशत अभ्रक मिलता है, अभ्रक के लिए एक अनुसंधान और विकास संस्थान स्थापित करने में बिफलता । (23)]

कि इस्पात विभाग के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

श्री ए० के० राय : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

कि इस्पात विभाग के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

[कुदरेमुख में एच० एस० सी० एल० श्रमिकों की छंटनी । (24)]

कि इस्पात विभाग के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रूपया किया जाये ।

[गत वर्ष बोकारों इस्पात संयत्र में दुर्घटनाओं में मारे गये अनुसूचित जनजातियों के श्रमिकों के आश्रितों को नौकरियां और मुआवजे देने में असफलता । (25)]

कि इस्पात विभाग के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

[बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्रों की क्षमता का विस्तार करने में विलम्ब । (26)]

कि इस्पात विभाग के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

[बोकारो इस्पात संयंत्र के यार्ड और लौहचूर्ण रखने के स्थान से कोयले और इस्पात की खुली चोरी को रोकने में असफलता। (27)]

कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग का कम करके 1 रुपया किया जाये।

[इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा रज्जूमार्ग को बेकार रखकर चसनाला से से बर्नपुर तक कोयले को ट्रकों से ले जाकर ट्रक मालिकों को लाभ पहुंचना। (28)]

कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग का कम करके 1 रुपया किया जाये।

[बोकारो और चसनाला में ठेके प्रणाली को समाप्त करने में असफलत और विशेषरूप से चसनाला में हत्याओं और बोकारों में कैन्टीन कर्मचारियों पर हमलों के लिए गुण्डों को उत्साहित करना। (29)]

श्री राम स्वरुप राम : (गया) उद्योग मन्त्री जी ने जो अनुदान की मांगें सदन में प्रस्तुत की है उनका मैं समर्थन करता हूं। वह मैं इसलिए करता हूं कि मन्त्री जी ने अपनी बुद्धि से एक क्रान्तिकारी इन्डस्ट्री के क्षेत्र में उठाया है।

जनता पार्टी की हुकूमत में जो इन्डस्ट्रीयल इन-डिस्सिपलिन सारे देश में आया था, उसको इन्होंने समाप्त करके डिसिप्लिन को रैस्टोर करके उसे काफी आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए ये धनबाद के पात्र हैं। औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 तथा 23 जुलाई, 1980 की औद्योगिक नीति के विवरण के रूप में हमारी औद्योगिक नीति चल रही है। वैसे मैं सभी औद्योगिक नीति के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारी इन्डस्ट्रियल पालिसी में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना एक महत्वपूर्ण नीति है।

आज आप देख रहे होंगे कि देश के किसी भाग में इन्डस्ट्रीज बहुत काफी लग गई हैं, लेकिन किसी में इन्डस्ट्रीज बिल्कुल नहीं हैं। नतीजा यह है कि क्षेत्रीय असन्तुलन हो गया है जो कि असन्तोष का कारण बनता जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान बिहार में स्थित गया जिले की ओर, जो कि मेरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र है, दिलाता चाहता हूं। मैंने माननीय मंत्री जी को चिट्ठी के माध्यम से, व्यक्तिगत रुप से चानना साहब से तिवारों जी से मिलकर कहा कि गया इंडस्ट्रियल बैकवर्ड की लिस्ट में है। 246 इण्ड स्ट्रयल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गया भी उनमें से एक है, जिसमें कम से कम एच० एम० टी० एक फैक्टरी पब्लिक सैक्टर के खर्चे से वहां लगाई जाये ताकि वहाँ की असमानताएं जो असन्तोष का कारण बन रही हैं, वह दूर हो सकें।

सभापति महोदय : ताकि वहां लोगों को घड़ी पहनने का मौका मिल सके।

श्री राम स्वरुप राम : उन्होंने वायदा भी किया था, अपने मन्त्रालय की सलाहकार समिति की मीटिंग में कहा था कि एक एक्सपर्ट कमेटी आपकी कांस्टीटुएन्सी में गया भेजेंगे जो कि इसका पता लगायेगी कि कौन सी चीज पब्लिक सैक्टर में वहां खोली जा सकती है। मैं उनसे पुन: अनुरोध करुंगा कि वह अपने पुराने वायदे के मुताबिक एक एक्सपर्ट कमेटी अगले

जून महीने तक वहां वहां भेज दें तो बड़ी कृपा हो।

अब मैं मल्टीनेशनल्ज की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मल्टी नेशनल्ज का सिर्फ फायदा कमाने का मैन इण्टेशन इस कन्ट्री में रहा है। बड़ी बड़ी जगह, जैसे बाम्बे हाई में तेलनिकालना है, वहां मल्टीनेशनल्ज जायें, उसका हम स्वागत करते हैं, और भी कोई सोफिस्टीकेटेड टेक्नालाजी में वह जायें ठीक है, लेकिन जहां तक हमारी कंज्यूमर्स आइटम्स हैं, वहां पर ये मल्टी नेशनल कंपनीज आकर बहुत बुरे ढंग से इस कन्ट्री का पैसा बाहर ले जा रही हैं। टुथ-पेस्ट, मैच वाक्स, वटन, साबुन, ब्लेड यह सब मल्टीनेशनल्ज बना रही हैं जब कि ये कंज्यूमर्स आइटम्स हैं। मन्त्री जी को यह जानकारी होगी कि हमारी इंडस्ट्रियल पालिसी में स्पष्ट निर्देश है कि कंज्यूमर्स आइटम में मल्टीनेशनल्ज को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। इस सन्दर्भ में हम जनप्रिय प्रधान मंत्री के वक्तव्य की ओर आपका ध्यान आकृषित करना चाहते हैं। प्रधान मन्त्री जी ने अपने गोल्डन स्टेटमेंट में कहा है।

अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में उन्होंने कहा था कि जब तक स्वदेशी प्रौद्योगिक एवं क्षमता उपलब्ध है तब तक वे उन्हें भारत में प्रवेश नहीं करने देंगी। हाल ही में उन्होंने मैक्सिको में एकत्र हुये राष्ट्रों के समक्ष स्पष्ट रूप से यह कहा था कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने विकास में ही दिलचस्पी रखती हैं न कि भारत जैसे देश के विकास में।

जब हमारी नेता प्रधान मन्त्री की मंशा है, हमें मल्टी नेशनल्ज को कन्ज्यूमर्स आइटम्स में नहीं आने देंगे तो मैं समझता हूं कि —

एक माननीय सदस्य : बदल गया है भाई।

श्री राम स्वरुप राम : नहीं, नहीं, बहुत रीसेंटस्टेट मैंट है, हम मल्टी नेशनल्ज के खिलाफ हैं, हमारी औद्योगिक नीति है स्वयं प्रधान मंत्री का देश के नाम से कमिटमैंट है।

मैं आदर से यह कहना चाहूंगा कि ऐसे आइटम्स पर आप रोक लगा दें। अगर आपने कभी कर भी दिया है तो 90 परसैंट एक्सपोर्ट ओब्लीगेशन लगा दीजिये ताकि आपको फारेन एक्सचेंज मिल सके। इस तरह से आप मुस्तैदी से लड़ सकते हैं।

सरकार की नीति है कि स्माल-स्कैल इण्डस्ट्रीज और दूसरी इंडस्ट्रीज में शिड्यूल्ड कास्ट्स तथा शिड्यूल्ड ट्राइब्ज और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को पार्टिसिपेट करने का अवसर देना चाहिए और इसके लिए उन्हें मैक्सिमम फैसिलिटीज देनी चाहिए। लेकिन वे लोग आर्थिक दृष्टि से इतने पिछड़े हुए हैं, उनका इकानोमिक बैक-बोन टूटा हुआ है कि सब सुविधाएं मिलने के बावजूद वे बेचारे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। लिहाजा सरकार की सब पालिसी जहां की तहां रह जाती है और इंडस्ट्री में हरिजन आदिवासियों का ईक्वल पार्टिसिपेन नहीं हो पाता। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार इण्डस्ट्रियल प्लांट पर सरकारी खर्च से मशीनें लगाकर उन लोगों को हैंड ओवर कर दे और साथ ही उनको उचित ट्रेनिंग भी दें। इस पर सरकार का जो पैसा लगे, वह उनसे किस्तों में वसूल कर लिया जाए। ऐसा करने पर सरकार की जो नीति है कि हरिजन-आदिवासियों को जिन्दगी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए वह सार्थक हो सकेगी।

सभापति महोदय : अब आप खत्म करें ।

श्री राम स्वरुप राम : सभापति महोदय, मुझे एक दो पायन्ट और कहने दें । आप तो बहुत दयावान आदमी हैं ।

सभापति महोदय : आप दयावान कह रहे हैं । एक साहब तो मुझे से बहुत नाराज हो गए थे ।

श्री राम स्वरुप राम : मैं आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

देश में बेरोजगारी को दूर करने और उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से सरकार तमाम रुग्ण उद्योग को अपने हाथ में ले ।

आज स्थिति यह है कि नट बोल्ट आदि जो कोई सामान स्माल-स्केल इन्डस्ट्रीज में बनता है । कोई अनएम्पलायड ग्रेजुएट बनाता हैं, वही सामान टाटा और डालमिया भी बनाते हैं, जो कि मार्केट में छाए रहते हैं । नतीजा यह है कि छोटे उद्योग का काम दो चार साल में टप्प हो जाता है । इसलिए मेरा यह सुझाव है कि स्माल-स्केल इन्डस्ट्रीट में जो सामान बनाता है, वैसा सामान बड़े बड़े मानोपली हाउसिज द्वारा बनाए जाने पर रोक लगा देनी चाहिए ।

पब्लिक सैक्टर में तो हरिजन आदिवासियों के लिए थोड़ा बहुत रिजर्वेशन है, क्योंकि वहां इस बारे से कुछ डर रहता है, लेकिन प्राईवेट सैक्टर के बड़े बड़े यूनिट्स में हरिजन-आदिवासियों की उपेक्षा की जाती है । इसलिए मैं मन्त्री महोदय से अपील करना चाहता हूं कि वह एक कमेटी बनाएं, जो जांच करे कि पब्लिक सैक्टर और प्राईवेट सैक्टर में हरिजन-आदिवासियों को सभी श्रेणियों में आरक्षण दिया गया है या नहीं, अगर नहीं दिया गया है, तो उसे पूरा करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाएं ।

मैं आशा करता हूं कि मेरे इन सुझावों पर विचार किया जाएगा । इन शब्दों के साथ मैं मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, बजट के प्रावधानों और सरकारी आश्वासनों के बावजूद औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति नहीं हो रही है । उलटे पिछड़े हुए क्षेत्रों में अवनति हो रही है । पहली योजना मे राष्ट्रीय आय का 5 प्रतिशत पूंजी का निवेश हुआ और अब वह 22 प्रतिशत है । लेकिन यदि आप उत्पादन क्षमता या उत्पादन शीलता को देखेंगे, तो वह नगण्य है । यह विचार का विषय है कि इण्डस्ट्री में हमारा इनवेस्टमेंट बढ़ा है, ज्यादा सहूलियतें दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी उत्पादन क्षमता में कोई सुधार नहीं हुआ है । माननीय सदस्य सिर्फ जनता पार्टी के शासन की बात कहते हैं, लेकिन वे उससे पहले के शासन का जिक्र नहीं करते ।

मैं बताना चाहता हूं कि 19.0.60 में औद्योगिक विकास में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई । उस जमाने में भी यही सरकार थी । उसके बाद 1970-77 तक 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई,

अर्थात 4 प्रतिशत घट गई। हो सकता है कि जनता या लोकदल की सरकारों के समय उसमें कुछ और अवनति हुई हो, लेकिन आज भी संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही है। 1980 में वह वृद्धि केवल 0.66 प्रतिशत रह गई। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि अब प्रगति हो रही है। लेकिन वास्तविक अर्थों मे कोई प्रगति नहीं हुई है।

सरकार ने इण्डस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं। उसने बैंकों के ऋण के बारे नई नीति बनाई है और लाइसेंस पालिसी में चेंज की है। उद्योगपतियों का कहना था कि हमें लाइसेंस तो मिल जाता है, लेकिन सिर्फ लाइसेंस से ही इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो जाती भूमि आबटन में कुछ दिक्कत होयी है, ऋण के बारे में कुछ दिक्कत होती है। सरकार का कहना है कि हम उसमें बड़ी तब्दीली लाए हैं। एक सबसे बड़ी तब्दीली क्या लायी है सरकार एक माननीय सदस्य छोटी इण्डस्ट्री की बात कर रहे थे। मैं इन दोनों के बारे में तुलनात्मक दृष्टिकोण से थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। बड़ी एफ० ई० आर० ए० फर्मों के लिए प्रातिबंधित क्षेत्रों को भी खोला जा रहा है। यह चर्चा अखबारों मे भी आई, हाउस में भी कहा गया। देखेंगे कि जो स्माल यूनिट के लिए आपका रिजर्व क्षेत्र था जिस के अदरे' अभी तक पब्लिक सैक्टर के लोग या छोटे यूनिट ही काम करत थे, वहा भी आपने मोनोपलिस्ट्स की ओर बड़े बड़े लोगों को छूट दे दी। अब आप कहते हैं कि स्माल इण्डस्ट्री की बढ़ोतरी होगी, बड़ी असंभव बात है, कैसी होगी ? एक बड़ा प्रश्न है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आप क्या छूट देते वक्त मोनोपली एण्ट रेस्ट्रिक्टिव एक्ड वगैरह के अन्दर भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं ? उसके अन्दर छूट देने के बाद आ प क्या सैफगार्डस दे पाएंगे ? इसमें ऐसा संदेह पैदा होता है कि इंटरनशनल मानेटरी फंड की छाप शायद कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उद्योग नीति के ऊपर भी पड़ रही है। इसलिए मेरा यह कहना जरूरी था।

और भी एक बात है, उन क्षेत्रों में भी हमने उनको साहूलियत दे दी जहां हमने कहा था कि हम बड़े उद्योगों या विग हाउसेज को उन क्षेत्रों में यह सुविधा तब देंगे जब वह कम से कम 60 प्रतिशत की हमें गारंटी दे दें कि वह एक्सपोट करेंगे या वह बैकवर्ड एरियाज के अन्दर उद्योग लगाने की बात करेंगे. लेकिन अब यह सारी बातें छूट गई। अभी हमारे एक भाई छोटे उद्योगों की बात कर रहे थे। इसलिए कहना जरूरी समझा। यदि इस देश की स्थिति को और आर्थिक ढांचे को सही तरीके से चलाने की बात है तो आपको छोटी इंडस्ट्री पर बड़ा जोर डालना पड़ेगा। हिन्दुस्तान का पापुलेशन और पावर का सही इस्तेमाल होना चाहिए इसमें एक छूट और भी है, रा मैटीरियल की कैपिटल की या और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें छट दे दी गई है। इस बारे में मेरा यह सुझाव भी है और मैं यहै कहना चाहूंगा कि जो चीजें, जो रा मैटीरियल, जो मशीन्स देश में उपलब्ध हो सकती हैं उनके बारे में सरकार की नीति में थोड़ी सी सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर यह सतर्कता नहीं बरती तो यह जो एक तुलनात्मक दृष्टि चल रही है देश के अन्दर यह सब टूट जायगी। आप सीमेंट को देख लें, कागज को देख लें। ये चीजें हमे आयात करनी पड़ती हैं। सीमेंट के आयात में हालत यह है कि हमारे यहां प्रति टन अगर 320 रुपये होगा तो आयात में हमें करीबन 800 रु० देना पड़ता है। कास्टिक सोडा है, सोडा ऐश है, ये सारी चीजें हैं जिनका उत्पादन हम अपने देश में बड़े पैमान पर करके अपनी

आर्थिक स्थिति को ही मजबूत नहीं कर सकते हैं बल्कि देश के हजारों बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सकते हैं।

आपने उद्योग नीति के बारे में तो बात कही लेकिन आपने उसकी जिम्मेदारी भी उद्योगपतियों पर नहीं थोपी। वह जिम्मेदारी भी आपको उन पर थोपनी चाहिए थी। वे कितना प्रोडक्शन करेंगे, कीमत क्या निर्धारित करेंगे या यों ही मनमानी तरीके पर काम करेंगे ? कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि फर्म तो बन गई और यूनिट बन गई कागज पर लेकिन उसका कहीं नामोनिशां नहीं है। हमारे यहां फीरोजाबाद में जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वहां बहुत से ऐसे यूनिट हैं, कांच और चूड़ी के छोटे-बड़े बहुत से उद्योग वहां चलते हैं लेकिन आप देखेंगे कि सैकड़ों ऐसे यूनिट हैं कि जिनका कागज पर फर्जी नाम है, बाकी वास्तविक क्षेत्र में उनका कोई काम नहीं है। इसके बारे में भी सतर्कता बरतने की जरूरत है।

ग्रामीण उद्योगों के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा कि आप ग्रामीण उद्योगों का विकास कैसे करें। इसके बारे में एक मेरा सुझाव यह भी है कि उत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ लागत को भी घटाने वाली बात सोचनी पड़ेगी, और भी अन्य निवेशों में आपको पूंजी लगानी पड़ेगी। रेल परिवहन है, कोयला है, पुरजे हैं, पावर है, इन सारी चीजों के डेवलपमेंट के साथ ही उद्योग का डेवलपमेंट डिपेंड करता है।

अब ग्रामीण उद्योगों के बारे में थोड़ा विचार करें। उनकी हालत क्या है ? हमारी संचार की व्यवस्था ऐसी है, यातायात के साधन ऐसे हैं कि जिससे ग्रामीण उद्योग पनप नहीं सकते हैं। इसलिए मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में जैसे पिछड़े वर्ग की जांच समिति की रिपोर्ट में भी कहा गया है, सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी कुछ वर्षों में वह ऐसी सैकड़ों उद्योग इकाइयों की स्थापना करे जिससे उसके अगल बगल सहायक उद्योगों का पनपना हो सके, आनुषंगिक बड़ा उद्योग यदि जिला के उद्योग वहां पनप सकें। स्तर पर लगाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वहां छोटे-छोटे उद्योग उसके सहायक उद्योग के रूप में बढ़ेंगे और कुछ लोगों को वहां काम मिलेगा। इसलिए उसका इस तरह से वहां विकास हो सकता है।

जहां तक पिछड़े क्षेत्रों की बात है, हमारा उसमें एक दृष्टिकोण रहा है, मैं अर्थ-शास्त्र का कोई स्टूडेंट नहीं हूं। फिर भी जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार मैं समझता हूं हमें यह देखना है कि हमारी दीर्घकालीन आर्थिक स्थिति क्या होगी, औद्योगिक सम्भावनायें कहां तक अन्तर्निहित है और उस क्षेत्र का किस तरह से बढ़ाना है। वरना आपने उद्योग लगा दिया तो वह समाप्त हो जायेगा। यह सारी चीजें हैं जिनके बारे में अगर विचार नहीं हुआ तो अगली बार जब बजट आयेगा तो मन्त्री जी कहेंगे कि कुछ नीतियों को बदल दिया है।

श्रीमान हमारे देश के जो कुछ परम्परागत उद्योग हैं, जैसे काटन यार्न, टी और जूट—उनकी स्थिति बड़ी भयानक है। किसी जमाने में जूट इण्डस्ट्री को बहुत बड़ी इण्डस्ट्री समझकर विदेशों से उसको पूंजी मिलती थी लेकिन आज इन तीनों उद्योगों की स्थिति भयानक है। इसलिए इसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

जहां तक पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज का सवाल है, आपको उसकी स्थिति को देखकर आश्चर्य होगा।

1980-81 में सरकारी उपक्रमों के उत्पादन में कम वृद्धि हुई है। परसेन्टेज मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि पब्लिक अण्डरटेकिंग्जको लोग व्हाइट एलिफैंट बताने लगे हैं। आप उसका पेड-अप कैपिटल देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा और ऐसा लगेगा कि सारा पब्लिक सेक्टर चरमरा रहा है।

18 सरकारी उपक्रमों में 31 मार्च 1981 को कुल निवेश 18,225 करोड़ रुपये से बढ़कर 21,126 करोड़ रुपये हो गया। उत्पादन 21290 करोड़ रु० से बढ़कर 28646 करोड़ हो गया।

पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज में इतना इन्वेस्टमेन्ट बढ़ गया है लेकिन आप देखेंगे तो मालूम होगा कि इसमें 60 परसेन्ट कंट्रिब्यूशन इन्डियन आयल कारपोरेशन, फूड कारपोरेशन और सेल का ही है।

अब मैं दो-चार पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज के नाम लूंगा जिनकी स्थिति बड़ी भयानक है और उनकी ओर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो वह देश की स्थिति को खराब कर डालेंगे। जैसे इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कम्पनी है, हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड है, जेसप एन्ड कम्पनी है और सेन्ट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन है। एक इण्डस्ट्री के बारे में तो अखबार ने लिखा है: निवेशित पूंजी से अधिक हानि में चल रहे सरकारी उपक्रमों में अत्ययन्त महत्वपूर्ग उपक्रम हैं: इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी भारत कुकिंग कोल, हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि०...

नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के अन्तर्गत सरकार 104 मिलें चला रही है। इसमें आपको खास बात देखने को यह मिलेगी कि जिन मिलों की हालत खस्ता हो जाएगी उनको सरकार अपने गले लगा लेगी। यह एक ऐसा मर्ज हो जाता है जिसका कोई इलाज नहीं होता। अगर यह मालूम हो कि आगे चलकर कोई मिल सिक हो जायेगी उसको सरकार पहले ही ले ले तो अच्छा है वरना पूर्ण रुप से खस्ता हो जाने पर आप लेंगे तो वह चल नहीं पायेगी।

जहां तक माइन्स की बात है, मेरा निवेदन है कि बहुत सी ऐसी चीज हैं जिनको देश में ही पैदा कर सकते हैं। हमें इस सम्बन्ध मे एक राष्ट्रीय खान नीति के बारे में सोचना पड़ेगा। टिटेनियम, मैंगनीज, टाराडम टंगस्टन बनाडियम और प्लैटिनम आदि 15 महत्वपूर्ण खनिज देश में ही कहीं न कहीं पाए जाते हैं। इनको हमको बाहर से आयात करना पड़ता है। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अपने ही देश में ये पैदा हो सकें। टिन, निकिल आदि जो ऐसी चीजें हैं, उनके लिए पूर्ण रूप से दूसरे देशों पर हम निर्भर हैं। इसी तरह से तांबा, जस्ता आदि चीजें जो हैं, उनका उत्पादन सही माइने में नहीं बढ़ा, तो हमारे यहाँ खनिज पदार्थों की स्थिति बड़ी भयानक चलती रहेगी।

एक बात मैं लेबर के बारे में कहना चाहता हूं। सेल का जो एग्रीमेंट है, वह 30 सित-

म्बर को खत्म होने वाला है और 4 मिलियन सरप्लस स्टील पड़ा हुआ है, जिसने एक समस्या पैदा हो गई है। मेरा मन्त्री जी से अनुरोध है कि ट्रेंठ यूनियनों के रेप्रेंन्टेटिव्ज को बुलाकर इस बारे में बातचीत कर लीजिए ताकि कोई समाधान निकल आए।

इस बात मैं अपनी कांस्ट्रीटुयेन्सी के बारे में कह कर समाप्त कर रहा हूं। मैं फिरोजाबाद के बारे में अर्ज करना चाहूंगा। कानपुर के बाद छोटे उद्योगों के मामले में फिरोजाबाद आता है। वहां पर ग्लास और चूड़ी आदि की इण्ड्स्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर डेवलप कर गई है और बड़े दक्ष कारीगर वहां है। वहां पर झाड़-फानूस भी बनते हैं और बहुत सारी इस तरह की चीजें बनती हैं लेकिन यह सारा इलाका डकैतों का एरिया है। मैनपुरी, एटा, शिकोहाबाद की स्थिति बड़ी दयनीय है क्योंकि वहां पर ला एण्ड आर्डर की हालत खराब रहती है। यदि इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास होगा, तो वहां की स्थिति में सुधार आएगा और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों को शान्ति मिलेगी और लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसलिए इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास की ओर मन्त्री जी ध्यान दें, यह मेरा कहना है।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यबाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति जी, स्टील प्लांट के बारे में हमारे कूलीग ने बताया है। कि बाहर से 500 आदमियों को वहां पर लाया जा रहा है। इससे वहां पर टेंशन पैदा हो जाएगी। हमारे नारायण दत्त तिवारी जी और डा० चनना हमारे चीफ मिनिस्टर से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे से कोई अच्छी बात निकल आएगी।

मैंने उस स्टील प्लांट को जाकर देखा है मगर साइट पर जो सड़कें हैं, वे कच्ची सड़कें हैं, और बारिश के जमाने में उन सड़कों पर ट्रकों का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि बारिश शुरू होने से पहले वहां पर पक्की रोड्स बनाई जाएं, तो ठीक होगा वरना जो हजारों टन माल साइट पर जा रहा है, वह वहां पहुंच नहीं सकेगा और आपका जो शैड्यूल्ड है उसको पूरा करने का, वह उस समय तक पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां पर आप जल्दी से जल्दी पक्की रोड्स बनाएं और बारिश होने से पहले बनाएं।

स्टील प्लांट का जो काम हो रहा है, वह बेहतरीन और तजुर्बेकार अफसरों के नीचे हो रहा है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरह से भी एक सीनियर आदमी की वहां पर पोस्टिंग हुई है दोनों की कोआपरेशन से और मदद से, मैं समझता हूं कि वक्त पर वह कम्पलीट हो जाएगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपकी इन्डस्ट्रीयल पालिसी है, उसको इम्पलीमेंट करने के लिए जो आपने लाइसेंस देने का तरीका बनाया है, उसको बहुत आसान कर दिया है। पहले एक आदमी को एक लाइसेंस के लिए 5-6 मिनिस्ट्रियों में जाना पड़ता था लेकिन अब उसको कम कर एक मिनिस्ट्री में जाने की बात की है और लोगों को लाइसेंस जल्दी मिल जाए और परेशानी न हो, इसके लिए एफर्ट्स किए हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि परमीशन

लेने के लिए और लाइसेंस लेने के लिए जो मिनिस्ट्रियों में लोगों को चक्कर लगाने पड़ते थे, वह अब नहीं होगा और एक मिनिस्ट्री में ही सारा काम हो जाएगा ।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सबसे अहम बात यह है कि इण्डस्ट्री लगाने से कोई फायदा नहीं है जबकि आप इलेक्ट्रिसिटी न दें । मैं अपने तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि ईस्टर्न यू० पी० में हालत बहुत खराब है । वहां कोई इण्डस्ट्री नहीं चल सकती । 50,60,70 दिन तक भी नहीं चल सकती है । इसलिए ऐसा उद्योगीकरण करने का क्या फायदा है ? आप वहां जो इण्डस्ट्री लगाएं तो उसे पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करें, वाटर फैसिलिटीज और दूसरी फैसिलिटीज जो भी इण्डस्ट्री के लिए जरूरी हैं वे मुहैया करें । अगर आप ये चीजें किसी इण्डस्ट्रीज को मुहैया नहीं कर सकते हैं तो क्या वहां इण्डस्ट्री लगाना अच्छा है ?

किसी भी इण्डस्ट्री के लिए फोर्स्ट प्रायोरिटी में इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए और दूसरी प्रायोरिटी में इण्डस्ट्री आनी चाहिए । हम लोग शहरों में बहुत-सी इलेक्ट्रिसिटी ब्याह शादियों में बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी, बर्बाद कर देते हैं। इस बर्बादी को हमें रोकना चाहिए और उसका इस्तेमाल इण्डस्ट्री में करना चाहिए । इससे देश का भला हो सकता है । जब हमारी इण्डस्ट्री बढ़ेगी तो उससे बहुत सी दूसरी चीजें पैदा होंगी और जो अनएम्लाएमेंट का सवाल है वह भी हल होगा । बेरोजगारी खाली जमीन के ऊपर तो दूर नहीं हो सकती है । क्योंकि जमीन का बंटवारा इतना हो चुका है कि अब स्टेचुरेशस प्लाएन्ट आ गया है । आप अगर हिसाब लगाएं तो आधा एकड़ जमीन भी लोगों के हिस्से में नहीं आयेगी । हमारे पास 35 करोड़ हेक्टेअर जमीन है और हमारी आबादी 70 करोड़ है । इस तरह से एक आदमी को आधा एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं मिल पायेगी । इस आधा एकड़ में किसी के लिए भी कुछ करना मुश्किल हो जाएगा । इसलिए हमें इण्डस्ट्री बढ़ाने की तरफ कोशिश करनी चाहिए इसमें एम्पलाएमेंट मिल सकता है ।

इण्डस्ट्री को आप इन्फ्रास्ट्रक्चर दें, दूसरी चीजें दें । इसके साथ यह भी देखें, कि कहां प्रदेश इण्डस्ट्री एडवांस्ड हो गये हैं, कुछ पिछड़े रह गये हैं। उनमें ज्यादा इण्डस्ट्रीज लगानी चाहिए जिससे वहां के लोगों को एप्लाएमेन्ट मिले अभी पंडित जी आये हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वे ईस्टर्न यू० पी० का ख्याल करें इससे देश का बहुत कल्याण होगा ।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : मुझे खुशी है कि माननीय तिवारी साहब और डा० चानना साहब ने एक निश्चित औद्योगिक नीति को अपनाया है और उसको अपना कर आगे बढ़ रहे है ।

मान्यवर, किसी भी देश की प्रगति के लिए इण्डस्ट्रीयल क्लाइमेट बहुत आवश्यक है और इसके लिए सबसे प्रथम आवश्यक है कि देश में स्टेबल गवर्नमेन्ट, स्थाई सरकार हो । हमने देखा पिछले शासन के दौरान हमारे देश में कितनी आर्थिक अवनति हुई । आर्थिक दृष्टि से देश बहुत पीछे गया । हम औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत पीछे रह गये ।

इसका कारण यह था कि चौधरी चरण सिंह किसी नीति के पक्ष में थे, मोरार जी भाई किसी और औद्योगिक नीति के पक्ष में थे और हमारे समाजवादी साथी मधु दण्डवते साहब

किसी और नीति के पक्ष में थे। उनकी इण्डस्ट्रीयल पालिसी में कोई कोहेसन नहीं था, कोई एक लक्ष्य नहीं था।

जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा था और देश की प्रगति के लिए देश ने अपने प्लान बनाये थे योजनाबद्ध तरीके से प्रजातन्त्र में योजनाबद्ध तरीके से विकास हों, यह हमारी एक बहुत बड़ी नीति थी। सोशलिस्ट कन्ट्रीज में प्लाण्ड इकोनोमी चलायी जाती है। हमारे देश में भी यह प्रयास किया जा रहा था। सबसे पहले हमारे पहले शासकों ने हमारी प्लांट इकोनोमी पर कुठाराघाती किया, प्लांड डवलपमेन्ट को ठेस पहुंचायी। उन्होंने रेगुलर प्लान की जगह रोलिंग प्लान का सहारा लिया और कहा कि हम कोई प्लांड प्रगति नहीं करना चाहते हैं।

उद्योगों को बढ़ाने के लिए सबसे पहले उद्योगपति यह देखते हैं कि उद्योग के अन्दर शान्ति हैं या नहीं। देश में सरकार स्थायी है या नहीं। जनता पार्टी के शासन के दौरान स्थायित्व जैसी कोई बात नहीं थी। उस समय की सरकार में नीतियों में कोहेशन न होने के कारण स्टेबल गनर्वमेंट देने की क्षमता ही नहीं थी। यही कारण है कि उस वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे यहां देश की औद्योगिक प्रगति पर हुआ और यही कारण है कि उन वर्षों में यहां पर जो औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई थी, चाहे वह एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या स्माल स्केल इन्डस्ट्री सेक्टर में हो।

प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने शासन की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद जुलाई 1980 में एक निश्चित नीति की घोषणा की और उस निश्चित नीति में 7 मुद्दों को रखा और उसके आधार पर देश में औद्योगिक क्षेत्र में एक विश्वास पैदा हुआ है उनको उत्साह मिला है और आगे बढ़ने की एक तमन्ना उन्होंने जाहिर की है और आज हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।

मैं मौजूदा उद्योग मन्त्री जी को विशेष रूप से चन्यवाद देना चाहता कि उन्होंने औद्योगिक नीति को अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा है और इस देश की जो सबसे पहली आवश्यकता थी बैकवर्ड एरियाज को डवलप करने की, वे 246 डिस्ट्रिक्ट चुने गये हैं और उनमें 101 डिस्ट्रिक्ट ऐसे चुने हैं जिनमें स्पेशल इन्सेटिव दिया है और उनमें औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है और उनको जो नतीजे निकले हैं। वे बहुत अच्छे हैं। मैं जिस जिले से आता हूं वह बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आता है, 101 डिस्ट्रिक्टस में आता है "अलवर', पहले जिसका नाम कोई नहीं जानता था, आज वह औद्योगिक क्षेत्र हैं और दूसरे क्षेत्र है और दूसरे हैं जो अपने आपमें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ कहे हैं और वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी बिपक्ष के एक भाई कर रहे थे कि बताइए कितने लोगों को रोजगार दिया है। आप औद्योगिक क्षेत्र में जाकर देखिए कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद, श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार आने के बाद कितने लोगो को रोजगार मिला है। कितने नए उद्यमी आ रहे हैं और कितना उनको प्रोत्साहन मिल रहा है।

मैं विशेष रूप से आपको धन्यावाद देना चाहता हूं कि स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को एक नया इन्सेटिव दिया गया है, जहां उनके उत्पादन को बढ़ाया गया है, नए उद्यमियों को प्रोत्साहन

दिया गया है वहीं आपने उसको एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड बनाया है । वर्ष 198¹ के अन्दर1 54² करोड़ रुपए के उत्पादन का निर्यात किया गया । अगर इसी तरह से निर्यात बढ़ता रहा तो निश्चित रूप से हम देश की इकनामी को बूस्ट करेंगे ।

एक नया कंसेप्ट दिया गया है न्यूक्लियस प्लांट प्रोग्राम का यह अपने आप में नया कंसेप्ट है, नई थ्यूरी है यह थ्यूरी है इकनामिक फेडरेलिजम की जिसकी आप भी दुहाई देते हैं । हम उद्योगों का इस तरह से फैलाव करें कि वे एक घराने तक सीमित न रह जाएं उनका फैलाव हो और फैलाव के तरीके से एक ऐसा यूनिट कांप्लेक्स अपने आप में बने जिससे एन्सिलरीज दूसरों को मिलें और फैलाव होने के बाद इतना बड़ा कांप्लेक्स बन जाए वह अपने एरिया में कि उस एरिया की आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से उन्नति करने में सक्षम हो, उस क्षेत्र की आमदनीबढ़ाने में और लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो ।

मान्यवर, खादी और ग्रामोद्योग के विकास के बारे में जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं । उससे रोजगार के साधनों को बढ़ाया गया है । मेरा सुझाव है कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में, खादी-ग्रामोद्योग में और कॉयर इण्डस्ट्री में जितना पैसा लग रहे है, उससे ओर अधिक पैसा लगाया जाए ।

अत: मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । माननीय सदस्य जो प्रगतिशील हैं, उन्हें में ये सुझाव देना चाहना हूं । जो औद्योगिक क्षेत्र हैं । पब्लिक सेक्टर हैं, उनके लिए एक मैनेजीरियल सर्विस की आवश्यक्ता है । अभी आप एक व्यक्ति को कभी स्टील माइन्स में भेज देते हैं, कभी रबर कंपनी में भेज देते हैं और अभी दूसरी कंपनी में भेज देते हैं, उसमें एक्सपरटीज नहीं हैं । इसलिए जब तक कोई व्यक्ति उस स्पेशल ट्रेड में ट्रेन्ड न हो तब तक उनको मैनेजर डायरेक्टर न बनाया जाए, नहीं तो आपका पब्लिक सेक्टर ठीक तरीके से नहीं चल सकता ।

आपने डस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज सेंटर बनाए हैं जो बहुत कामयाब हुए है । यह बहुत अच्छी चीज है । वास्तव में आप गांवों की तरक्की करना चाहते हैं, इण्डस्ट्रीज को वहां भी डवलेप करना चाहते हैं तो वहां विल्लेजलेवेल पर भी आप कुछ करें, ब्लाक लेवल पर भी कुछ करें । आप विल्लेज लेवेल और ब्लाक लेवेल इण्डस्ट्रीज सेक्टर कायम करें । जब तक आप ऐसा नही करेंगे तब तक न गांवों के लेवेल से प्रगति होगी और न विल्लेज लेवेल से । इस वास्ते आप ब्लाक लेवेल और विल्लेज लेवेल इण्डस्ट्रीज सैंटर कायम करें ताकि जो आपका न्यूकलियस प्लान प्रोग्राम हैं वह कामयाब हो ।

इन शब्दों के साथ जो डिमांडज रखी गई है, उनका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : जो औद्योगिक नीति डा० चानना और तिवारी जी ने बताई है और जो उसकी रूपरेखा है वस्तुत: वह एक अच्छी नीति है, इसमें कोई दो मत नहीं हैं । अविकसित क्षेत्र जो हमारे देश में व्यापक रूप से है । इसके पिछड़ेपन को दूर करने के विचार से यह एक अच्छी बात की गई है । लेकिन जहां तक व्यावहारिकता का प्रश्न है उसमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए नहीं मिली है, नगण्य सफलता मिली ही दिखाई देती है ।

आपकी नई सरकार बनने के छः महीने के बाद आपने नई नीति की घोषणा की। उसमें आपने 246 जिलों का जो चयन किया वह बहुत अच्छा किया। आपने कहा कि इन जिलों को हर दृष्टिकोण से, औद्योगिक दृष्टि कोण से पिछड़े हुए जिले समझा जाना चाहिए। एक सौ एक आपने ऐसे जिले चुने जिनको विशेष रूप से राजकीय सहायता तथा अन्य सुविधायें देने की आपने बात कही, वहां लगने वाले उपक्रमों को सहायता और सुविधा देने की बात कही। योजना का आधा समय यानी 2 बरस और 4 महीने गुजर रहे हैं। इस दौरान में इन जिलों में कोई चीज की गई— हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। अगर इस योजना का सही रूप से ट्रांस्लेशन किया जाए, इसको सही रूप से जमीन पर उतारा जाए तो सचमुच में काया कल्प हो सकता है। लेकिन यह चीज नहीं हुई है।

अधिकतर माननीय सदस्यों ने उस ओर से यही कहा है कि जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उसने सब चीज अस्त व्यस्त कर दी। लगता है आपके मुताबिक जनता सरकार ने सारी इंडस्ट्री को जला दिया दो सवा दो बरस में। सब कुछ उसने बरबाद कर दिया। आप देखें कि कुल मिलाकर 35 बरस आजादी के गुजर रहे हैं और इन 5 बरसों में केवल दो सवा दो बरस का समय था जबकि आपकी पार्टी की सरकार नहीं थी और बाकी सारा समय आप ही सत्ता में थे। इस वास्ते सारा जो दोष है वह आपके कंधों पर जाता है। इतने सालों की आजादी के बाद भी 246 जिलों को आपने पिछड़े जिले घोषित किया और 101 जिलों को विशेष केन्द्रीय और राज्यीय सहायता के लिए आपने चुना। इससे ही यह साबित हो जाता है कि कितनी बैकवर्डनेस देश में है, कितना रिजनल इम्बैलेंस है औद्योगिक दृष्टि कोण से।

जापान एक छोटा सा देश है। वहां कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें फाउंटेन पैन न बनते हों, घड़ियां न बनती हों या इलैक्ट्रानिक का सामान न बनता हो। उसका आयरन एण्ड स्टील का दस ग्यारह मिलियन वार्षिक उत्पादन हो गया है। उसके मुकाबले में हमारा उत्पादन कितना है? हम लोगों ने 10,57 मिलियन का टारगेट रखा था जबकि हम 5.7 मिलियन ही तैयार कर पाए हैं। इस प्रकार से देश की आवश्यकताओं को देखते हुए जो प्रगति हम कर रहे है, वह बहुत ही नगण्य है।

जबकि यहां लोहा, कोयला और रा मैटीरियल सब उपलब्ध है, जापान में कोई चीज नहीं है। वहां सब विदेशों से आयात करके इतना विकास कर रहा है।

यहां पर हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में 16,000 करोड़ रुपया लग गया है, लेकिन सब घाटे में चल रहे हैं यदि टाटा का उद्योग देखा जाए तो वह बहुत प्रगति पर है मन्त्री जी ने सदन में क्वैश्चन आन्सर में बताया है, उससे स्पष्ट हो जाता है। कि 1981-82 में डिमांड था 10,5 मिलियन टन और उसका एन्टीसिपिटेड प्रोडक्शन है 9.82 लेकिन यह पहुंचेगा या नहीं, यह स्पष्ट मालूम हो जायेगा। हम हर दृष्टिकोण से गिर रहे हैं, इसका क्या कारण है?

जितने पब्लिक सैक्टर हैं, उसमें उत्तरदायित्व के साधन में हम बहुत पीछे हैं और जितने औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, उसे एकदम प्राइवेट एन्टरप्राइसेज की तरह अधिकारी लोग चलाते हैं, उनमें कोई रैस्पौंसेब्लिटी और एकाउन्टेब्लिटी नहीं होती जिसके कारण उनमें स्वछन्दतापूर्वक

राजनीतिक इन्टरफीयरेंस होता है मनमाने ढंग से वहां। अकुशल लोगों की बहाली होती है, जिससे वह घाटे में चलते हैं और उत्पादन नहीं बढ़ता है। श्रमिकों की अनुशासन हीनता बढ़ती जाती है क्योंकि उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें नजरन्दाज किया जाता है। इसलिए सारी जगह पर अस्त व्यस्तता हो गई है।

जहां तक पिछड़े क्षेत्रों के विकास का प्रश्न है, उसमें भी व्यावहारिकता नहीं लायी गई है। जितने जिला क्षेत्र हैं, वहां पर कोई काम नहीं होता। जो पहले से लघु और कुटीर उद्योग चल रहे हैं, कागज से उनका लेखा जोखा बराबर रिकार्ड करके बतलाते हैं, कि इतना काम चल रहा है, वह बढ़ रहे हैं। जितना भी रुपया है वह बोगस है। बहुत से ऐसे फर्म हैं, स्माल यूनिट हैं जो बोगस हैं और मशरूम की तरह फैल रहे हैं। बैंक के अधिकारी और साथ ही साथ कुछ और भी विभाग के अधिकारी रा-मैटीरियल का ब्लैक का व्यापार कर रहे है जो कि धड़ल्ले से चल रहा है और सारा माल मल्टी नेशनल्ज के यहां चला जाता है। इस तरह से मल्टी नेशनल्ज छोटे उद्योगों पर हावी हो जाते हैं।

800 ऐसे जीवनपयोगी आइटम्स हैं जिनको लघु उद्योग में निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन ब्लेड को ही लीजिए, उसे भी मल्टीनेशनल्ज ही बनाती हैं। साबुन, कपड़ा, रूमाल तथा जीवन की और भी छोटी-छोटी आवश्यकता की चीजें केवल उन्हीं लोगों की मोनोपली है। इसी-लिये बाजार में बराबर इनका अभाव बना रहता है। अगर लघु उद्योगों में कुटीर उदयोगों में गारन्टी के साथ इनको बनाने दें तो ये उद्योग सारे जिलों तक फैल सकते हैं। यह जरूरी है कि देश में औद्योगिकरण हो, श्रमीकरण हो और राष्ट्रीयकरण हो। जब तक देश के लिए उद्योग हित, राष्ट्र हित, मजदूर हित पर समान रूप से विचार नहीं किया जायेगा, तब तक औद्योगी-करण नहीं हो सकता, केवल कागज में ही रह जायेगा।

इसमें और भी व्यावहारिक रूप देने के लिए हर जिला स्तर पर परामर्शदात्री समितियों पंचायतों को विशेष शक्तियां प्रदान करनी चाहिये ताकि हर पंचायत में कुछ न कुछ उद्योग खड़े हो सकें। इस जिले में 5,7 अधिकारी बैठे हुए है। नया उद्योग लगाने वालों को उनके पास आते जाते जूतियां घिस जाती हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। बिजली की एक लाइन के एक एक बरस तक घूमते रहते हैं। सीमेंट, कच्चा माल देने में परेशान किया जाता है इस तरह की वहां प्रगति है।

झालावाड़ राजस्थान का एक ऐसा पिछड़ा इलाका है जहां नारगी से बहुत कुछ उद्योग लगाये जा सकते हैं। सीमेंट का उद्योग वहां लगाया जा सकता है लेकिन उसका भी ध्यान नहीं है।

मैं अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। हजारीबाग, जहां विपुल साधन है फारेस्ट के, हजारीबाग और गिरिडिह में विपुल वन सपदा और खनिज सपदा है। वहां पर सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज लग सकती हैं। मैं इस बारे में बार-बार कट-मोशन्ज देता आ रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है।

वहाँ पर एक गेडे आयरन एण्ड स्टील कम्पनी है, जिसे दलाई लामा ने लगाया था। नेहरू जी ने विशेष कृपा करके उसे लगवाया था। लेकिन मैनेजमेंट और बैंकों के अधिकारियों ने मिल-जुल कर पैसा हजम कर लिया और प्रबन्ध में बहुत कुव्यवस्था होने के कारण वह एक सिक यूनिट हो गई है और सुप्रीम कोर्ट की फाइलों से वाइन्ड अप करने के लिए पड़ी हुई है। वह बिहार में स्पन पाइप बनाने की एकमात्र फैक्टरी है। इरिगेशन और पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट के लिए उसकी मांग है। वह इण्डस्ट्री उसकी पूर्ति नहीं कर हा रही थी। अगर गवर्नमेंट विशेष अभिरुचि लेकर उस कारखाने को चलाए, तो देश और राज्य के लिए बहुत अच्छा होगा। वहां के स्थानीय व्यापारी और इण्डस्ट्रियलिस्ट्स कहते हैं कि अगर सरकार यह काम नहीं कर पाती, तो हम उसे कोलेबोरेशन के साथ चलाने के लिए तैयार हैं और हम उसे लाभप्रद ढंग से चलायेंगे। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

श्री सी० डी० पटेल (सूरत): महोदय, इस मंत्रालय के कार्यकरण के संबंध में कुछ सुझाव देने से पूर्व, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इस मन्त्रालय के लेखानुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

जहां तक इस मन्त्रालय का सम्बन्ध है, इसका कार्यकरण एवं उपलब्धियां संतोषजनक रही है।

विभिन्न पहलुओं को उदार बनाने सम्बन्धी वर्तमान नीति भी संतोषजनक है।

परन्तु एक समय था जबकि इसका बुनियादी ढांचा अस्त-व्यस्त था। अत: इस मन्त्रालय के वर्तमान स्वरूप की पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में इसकी उपलब्धियों को देखना है।

वर्ष 1979-80 में उत्पादन वृद्धि लगभग (—)1.4 प्रतिशत थी, वर्ष 1980-81 में में यह कर 4 प्रतिशत हो गई तथा इसमें और वृद्धि होने की आशा है।

इसका अर्थ है कि तेजी से प्रगति कर रहे हैं। हमने आयात नीति को उदार बना दिया है। हमने बैंकिंग तथा ऋण व्यवस्ता को भी उदार बना दिया है।

परन्तु मुख्य बात यह है कि हमें ऐसे असंख्य लोगों की ओर भी ध्यान देना है जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। उन्हें उस स्थिति से ऊपर उठाने के लिए क्या रास्ते है।

जहां तक कृषि क्षेत्र का सम्बन्ध है। मैं व्यक्तिगत विश्वास है हम चरम सीमा पर पहुंच चुके है, जहां तक खाद्यान के उत्पादन में वृद्धि करने की बात है, हम इसका उत्पादन बड़ा सकते है। लेकिन गराब जनता का इससे कितना भला होगा।

इस विषय में मेरा निवेदन यह कि पिछड़े इलाकों के औद्योगिकरण द्वारा हम ग्रामीण गरीब जनता का उत्थान कर सकते है।

अब तक औद्योगिकरण की हमारी नीति का आधार उद्योग के लिए बुनियानी कच्चे माल की सुविधा मुहैया कराना छोटे एवं मध्यम स्तर के उद्योग को सहायता देना, स्व नियोजन

हेतु उपक्रम स्थापित करने में दस्तकारों एवं तकनीशिनों की सहायता करना, उद्यमियों को प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान करना है ।

हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है लेकिन इसके बावजूद हम निर्धन ग्रामीण जनता के उत्थान के सम्बन्ध में वांछित प्रगति नहीं कर पाये हैं ।

देश के विभिन्न भागों का संतुलित विकास एवं कम विकसित क्षेत्रों तक लाभ पहुंचाना ही हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिये ।

पिछड़े इलाकों के अद्योगिकरण के सम्बन्ध में इस पहलू का अध्ययन करने के लिए दो अध्ययन दल गठित किए गए थे । पहला श्री वांचू की अध्यक्षता में और दूसरा श्री पांड़े की अध्यक्षता में । इन अध्ययन दलों ने विभिन्न सुझाव दिए थे ।

मैं इस मन्त्रालय से आग्रह करता हूं कि वह इन सुझावों पर बहुत गम्भीरता से विचार करे ।

पिछड़े इलाकों के औद्योगिकरण के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण अस्पष्ट रहा है । हम केवल यह कहकर ही संतोष कर लेते हैं कि "कुछ न कुछ किया गया है" मान लो किसी पिछड़े इलाके में सीमेंट या पेपर का कोई कारखाना लगाया जाता है । हमें उससे क्या लाभ होगा ? एक विशेष यूनिट खोलकर हम लगभग 1,00 या 2;000 लोगों को रोजगार देने जा रहे है लेकिन उससे जो कुछ भी लाभ प्राप्त होता हैं वह पुनः शहरों में चला जाता है । इमें किसी कारखाने जैसे कोई ट्रैक्टर, स्कूटर या घड़ी का कारखाना स्थापित करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका एक मुख्य केन्द्र हो और इसके द्वारा बनाई जाने वाली चीज के 90 प्रतिशत हिस्से गांवों में छोटे उद्यमियों अथवा युवा ग्रेजुएटों द्वारा इस केन्द्र के आस-पास तैयार किये जायें और यह कारखाना उनको इकठ्ठा करके चीज पैदा करें। इन उद्मियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाये । मेरा सादर निवेदन यह है कि इस बात की ओर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए ताकि इस संबध में अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके ।

दूसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह बिजली संकट से संबधित है। उद्योग मन्त्रालय कह सकता है कि यह ऊर्जा मन्त्रालय का विषय है लेकिन मेरा सादर निवेदन है कि जब तक हम ऊर्जा अथवा बिजली के मामले में कुछ नहीं करेंगे तब तक औद्योगिकरण के विषय मे बहुत अधिक प्रगति नहीं कर सकते । जहां तक मेरे राज्य गुजरात का संबंध हैं, इसने खासी तरक्की की है । औद्योगिकरण के मामले में देश में इसका दूसरा स्थान है और इस देश का विश्व के पहले दस देशो में स्थान है । कागजों है चाहे जो आंकड़े दिए गए हों, परन्तु जहां तक गुजरात का सम्बन्ध है कुल अधिस्ठापित क्षमता 2300 मै० वा० है और लगभग 100 मै० वा० पैदा कर रहे है लेकिन हमारी आवश्यकता जो कुछ हम पैदा कर रहे है उससे दुगनी है । हमने अनेक प्रस्ताव एवं अनुरोध केन्द्रीय सरकार के पास भेजे हैं जो कि विचाराधीन है । उदाहरण के तौर पर गांधी नगर से 210 मं० वा के तीसरे यूनिट सिक्का शाहपुर उतरान कांडला तथा अन्य स्थानों पर छोटे यूनिटों का बदलने वांकबोरी एक्सटेंशन जैसी विद्युत परियोजनाओं के लिए सेटों के आयात सम्बन्धी नीति प्रस्ताव मंत्रालय भी किसी न किसी रूप में इनसे चिंतित है । अत : मैं इस

मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इन मामलों के बारे में अंतिम निर्णय ले ले । यदि इन्हें अस्वीकार किया जाता हो तो भी निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाये । ये प्रस्ताव पिछले पांच से दस वर्षों से स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

दो और परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु पड़ी हैं । मैं इसलिए इनका उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि ये परियोजनाएं गुजरात के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । पहली परियोजना "स्लेटी पाइपलाइन" द्वारा कोयले को ले जाने सबंधी है । गुजरात के बिजली घरों के लिए कोयले की वर्तमान आवश्यकता 40 लाख टन है । इसमें से केवल 72 से 75 प्रतिशत तक कोयला प्राप्त होता है । छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कोयले की आवश्यकता दुगनी हो जाने की सम्भावना है । स्लेटी पाइप लाइन द्वारा कोयले लाने-ले जाने की सम्भावना पर विचार करने के लिए गुजरात बिजली बोर्ड ने एक प्राथमिक तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तैयार किया था । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसे अन्तिम रूप देने के लिये यथा शीघ्र निर्णय लिया जाये ।

दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना है स्पंज आइरन प्रोजेक्ट । जी० आई० आई० सी० ने स्पंज आयरन प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए आशय पत्र के लिए आवेदन किया था जिसमें प्राकृतिक गैस तथा आयरन आक्साइड पैलेट्स का इस्तेमाल किया जाना था । यह प्रस्ताव 1979 में किसी समय भेजा गया था और यह अभी तक केन्द्र सरकार के विभिन्न अनुभागों के विचाराधीन है । मैं मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इस बारे में कुछ करें ।

अन्त में मैं एफ० ई० आर० ए० कम्पनियों तथा एम० आर० टी० पी० कम्पनियों का जिक्र करना चाहूंगा । सरकार की वर्तमान उदार नीति के परिणाम स्वरूप इन कम्पनियों को लाभ पहुंचेगा । मेरा सादर निवेदन है कि हमें बहुत सचेत रहना चाहिए । पिछले वर्ष भी मैंने यह उदाहरण दिया था । कांडला पत्तन पर जो मुक्त व्यापार क्षेत्र है, अनेक स्वदेशी फार्मास्यूटिकल कम्पनियों ने दवाईया बनानी शुरू कर दी । तत्पश्चात एक बहु राष्ट्रीय कम्पनी ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया । और इस कम्पनी ने अधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों से इस प्रकार चालबाजी से काम निकाल कि यदि जो शर्तें उस बहुराष्ट्रीय कम्पनी पर भी लागू की गई थी, यदि किसी स्वदेशी कम्पनी पर भी की गई होती तो कोई भी स्वदेशी कम्पनी अपना अस्तित्व नहीं बनाये सकती ।

जहां तक वर्तमान नीति का प्रश्न है, कोई भी देशी कम्पनी कोई कारखाना स्थापित नहीं कर सकती । बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के सबंध में मेरा सुझाव है । इन कम्पनियों के सम्बन्ध में हमें बहुत सावधान रहना होगा ।

जहां तक ऋण और आरक्षित पूंजी के अनुपात तथा परिसमापन प्रतिबन्धों का सम्बन्ध है, इसके लिए अत्यधिक गुहार मचाई गई थी तथा व्यावहरिकता प्रत्येक उद्योग ने 'क्रेडिट-स्क्वीज' को दोषी बताया था । अब इसमें ढील दे दी गई है । हमने उत्पादकता वर्ष घोषित किया है । अब प्राइवेट सेक्टर को भी शिथिलीकृत बैंकिंग प्रणाली प्रदान करके एक अच्छा अवसर

दिया गया है, क्योंकि विभिन्न उद्योग को ऋण देने के लिए बैंकों को बहुत बड़ी राशि दी गई है। अतः मन्त्रालय से मेरा आग्रह है कि वह इसकी भी जांच करे।

मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिया गया।

श्री सूर्य नरायण सिंह (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जिस औद्योगिक नीति पर चल रही है और उसमें जो स्वावलम्बन प्राप्त करने की बात है वह पूरी नहीं होगी। 1956 में पं० जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में जिस औद्योगिक नीति को स्वीकृति प्रदान की गई थी। और जिसके अन्तर्गत विकास की गति को आगे बढ़ाने के प्रयास में हम लगे थे उसका एक अनिवार्य नतीजा यह निकला कि अपने देश के अर्थतन्त्र को मजबूत बनाने के लिए पब्लिक सेक्टर में उद्योग धन्धों के विकास का रास्ता अख्तियार किया गया और आज गर्व के साथ हम बोलते हैं कि उसमें 21 हजार करोड़ से ज्यादा की पूंजी लगी हुई है। यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि इस क्षेत्र में, जिसका सीधा सम्बन्ध देश की आर्थिक आजादी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कोर इण्डस्ट्रीज हैं इन्जीनियरिंग के क्षेत्र में, स्टील के क्षेत्र में, कोयले के क्षेत्र में आदि उनमें अपनी निर्भरता को हमने कम किया है। हमारा मंसूबा था कि पब्लिक सेक्टर को शीर्ष स्थान पर कैसे पहुंचाया जाए ताकि दूसरों पर हमारी निर्भरता समाप्त हो। लेकिन आज एक बहुत खतरनाक रुझान दिखाई देता है वह यह कि जुलाई, 1980 में एक नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। उस औद्योगिक नीति की मुख्य बात यह है कि पब्लिक सेक्टर को कमांडिंग हाइट्स पर पहुचाने का जो हमारा आब्जेक्टिव था उसका परित्याग कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर का उद्देश्य महज प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्फ्रा-स्ट्रक्चर तैयार करना रह गया।

उपाध्यक्ष महोदय, अब जो नीति चलाई जा रही है। उसका उद्देश्य, मैल्टी नेशनल्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए हिन्दुस्तान के दरवाजे खोल दिए गए हैं। मोनोपली को तरह-तरह की रियायतें दी गई हैं। आयात को लिब्रलाइज किया गया है। क्रेडिट स्कीज की जो बात कही जाती थी उसमें परिवतन किया गया है। बड़े बड़े समीजेदारों ने अखबार के जरिए हगामा मचाना शुरू कर दिया था और दवाव डालना शुरू कर दिया था इस सरकार पर कि पैदावार को आगे बढ़ाना सम्भव नहीं है अगर क्रेडिट स्क्वीज को समाप्त नहीं किया जाता और वन फाईव मौनिंग इस बात का एलान किया गया और उनको तरह तरह की रियायतें दी गई। अखबारों में यह खबरें छपी हैं और मैं नहीं जानता कि कहां तक ये सही हैं मगर कुछ दिनों पहले हमारे उद्योग मन्त्री महोदय स्विटजरलैंड में एक सिम्पोजियम स्टैंड करने गए थे और अखबारों में यह खबर छपी है कि वहां के मल्टीनेशनल्स को बड़ी-बड़ी रियायतें देने का आश्वासन दिया गया है इस नाम पर कि वे हिन्दुस्तान में आकर उद्योग खड़े करने में हमारी मदद करें। अब यह कहा गया है कि देश के औद्योगिक उत्पाद में वृद्धि हुई है और उद्योग धन्धों का विस्तार हुआ है लेकिन स्थिति क्या है। आय का वितरण जिस हिसाब से किया गया है,। उससे हमारे देश के अन्दर जो नतीजे निकले, वे बड़े ही चिन्ता जनक हैं हमारे देश के अर्थतंत्र के लिए इसका नतीजा यह निकला कि मुट्ठी भर बड़े-बड़े उद्योग पतियों के हाथों में आर्थिक सत्ता केन्द्रित हो गई है और इजारेदारों के हाथों में धन और सत्ता के केन्द्रीकरण में

और अधिक बढोतरी हुई है। मैं इस सिलसिले में कुछ फीगर्स आपके सामने पेश करना चाहूंगा। बिड़ला की परिसम्पत्ति 1951 में 153 करोड़ थी, 1966 में वह 548 करोड़, 1976 में 1076 करोड़ और 1980 में वह 1500 करोड़ रूपये थी इसी तरह से टाटा की परिसम्पति 1951 में केवल 116 करोड़ रूपये थी, जो बढ़कर 1966 में 505 करोड़ 1976 में 1069 करोड़ और 1980 में 1450 करोड़ रूपये हो गई।

दूसरी तस्वीर यह है कि देश की बहुत अधिक आबादी आज गरीबी की रेखा के नीचे है। देश में विकास कार्य हुए हैं, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है मगर उस विकास का नतीजा क्या निकला। क्या उससे हमारे देश की गरीबी मिटी। 1960-61 में 38,11 फीसदी आबादी गरीबी की रेखा के नीचे थी, जो 1077-78 में 48,13 हो गई और 1980-81 में 50,82 हो गई और बिहार के बारे में मैं कह सकता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 60 प्रतिशत से ज्यादा है। यह आप की डेवलपमेन्टल स्ट्रेटजी है, स्वावलम्बन बढ़ाने की यह आपकी रण-नीति है और इस रण-नीति का यह नतीजा निकला है

इतना ही नहीं ही नहीं बेरोजगारी श्रम शक्ति 8.? परसेन्ट के स्तर पर पहुंच गई है और 2 करोड़ 10 लाख लोग बेरोजगर हैं। यह क्या रणनीति हमारे देश में चल रही है। जैसे जैसे विकास हो रहा है, इस देश में उद्योग-धन्धों का विकास हो रहा, उद्योगीकरण हो रहा है, मगर उसका लाजिमी नतीजा यह निकल रहा है कि सारी सम्पति एक वर्ग के पास, मुट्ठी भर भर लोगों के हाथों में केन्द्रीत हो रही है और जो मेहनत करने वाले लोग हैं वे गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं। इजारेदार-घरानों को और विदेशी मल्टी-नेशनल्स को आप नाखुश नहीं कर सकते इनकी वजह से हमारा इनटरनल मार्केट शिक्र कर रहा है और इसलिए आप एक्सपोर्ट-ओरियेन्टेड पालिसी चलाना चाहते हैं और तमाम मल्टी-नेशनल कम्पनीज को बढ़ावा दे रहे हैं उनको बड़ी बड़ी रियायतें दे रहे हैं और टैक्सों में छूट दे रहें हैं और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं। वेज फ्रीज की नीति अख्तियार कर रहे हैं, इम्पाऊन्डिग आफ डी० ए० की नीति अख्तियार कर रहे हैं बोनस में कटौती कर रहे हैं और जो लोग इन समस्यों को लेकर आन्दोलन करने के लिए मजबूर होते हैं और जन-असंतोष व्यक्त करते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए आप अपने आपको तरह तरह के दमनात्मक कानूनों से लैस कर रखा हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एशेसियल सर्विसेज मेन्टीनेन्स एक्ट, गुण्डा एक्ट बना रखे हैं। हमारे यहां बिहार में ऐसी भी इन्सटांस है कि जो लोग बीड़ी मजदूरों के हकों के लिए लड़ते हैं, उनको आप गिरफ्तार करते हैं। बीड़ी मजदूरों के नेता को इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों में आपने गिरफ्तार किया क्योंकि वह बीड़ी मजदूरो की समस्याओं को ले कर उनके सघर्ष की अगवाई कर रहा था। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामन हैं। इस तरह की स्थिति आज देश में पैदा हो गई है। आप कहते हैं कि देश आगे बढ़ता जला जा रहा हैं, यह बात सही नहीं है।

मैं बिहार के बारे में कहना चाहता हूं। खुशी की बात है कि हमारे सेठी साहब यहां बैठे हुए है। हमारे बिहार में 1964 में बरौनी क्षेत्र में सबसे पहले एक पेट्रोलियम का कारखाना लगया गया। उपाध्यक्ष सहोदय मैं कहना चाहता हूं कि जब पिछले वर्ष में यहां पर पेट्रोयिलम मिनिस्ट्री

की डिमाण्ड इस पर बहस चल रही थी तो उस समय मैंने पेट्रो केमिकल्स समूह को वहां लगाने के के बारे में सवाल उठाया था। उसके बारे में बिहार विधान सभा ने एक मत से प्रस्ताव किया था। उस समय सेठी साहब ने कहा था कि बिहार में एक बड़ा पेट्रो केमिकल्स समूह लगने वाला है। अब पता नहीं यह कैसे तय हो गया कि यह समूह छठी पंचवर्षीय योजना में नहीं लगने वाला है। एक दूसरा कारखाना 90 करोड़ रुपये की लागत से केपरो लेक्टम का बरौनी में बनने वाला है। हैरानी की बात है कि इस 90 करोड़ के प्रोजेक्ट को भी छोड़ दिया गया है। जो मल्टी नेशनल जर्मन फार्म इस कारखाने को बनाने वाला था, वह भाग गया यह भी झूठा प्रचार किया जा रहा है कि बरौनी में इन्फ्रा स्ट्रतचर की कमी है, पानी की कमी है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां तीनों तरफ सड़के हैं, बरौनी जक्शन है चारों तरफ तीन रेलवे स्टेशन हैं। वहां एगा पर ब्रिज है और गंगा नदी है। वहां कस्ट्रक्शन का काम करने वाले हुनरमंद मजदूरों की कमी नहीं है। वहां बघल में कोयला खदाने हैं। फिर भी कहा जाता है कि वह बिहार में नहीं बनेगा अगर इतना होते हुए भी बिहार में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा ?

बिहार में प्रचुर मात्रा में कोयला मिलता है। उस पर आधारित खाद का कारखाना वहां बनाया जा सकता है। हमारे बिहार के मुख्य मन्त्री ने मांग की है कि कोल पर आधारित उर्वरक का कारखाना बिहार में बनाना चाहिए। 45 वर्षों की आजादी के बाद भी दवाइयों का बिहार में केवल एक कारखाना खड़ा किया गया है। वह मुजफ्फरपुर में खड़ा किया गया है। इतनी मात्रा में वहां कोल है। कोल कारबोनाइजेशन का इस्तेमाल करके वहां दवाइयों के सस्ते उद्योग खड़े किये जा सकते है।

पूरा बिहार जंगलों से भरा पड़ा है। फाइटो केमिकल्स का इस्तेमाल करके दवाओं के सस्ते कारखाने बन सकते हैं। खगरिया, पूर्णियां, भागलपुर में जूट की पैदावार बहुत होती है। है। वहाँ आप जूट के कारखाने लगा सकते हैं।

मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं कि बिहार प्राकृतिक सम्पदा से भरा प्रांत है, खनिजों से भरा हुआ प्रांत है। परन्तु आजादी के 35 वर्ष के बाद के जो निष्कर्ष हमारे सामने हैं उनसे बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रांत बना हुआ है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई नहीं हो सकती।

मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के उद्योगीकरण की जो समस्या है उसको हल करने के लिए आप वहाँ पेट्रो केमिकल समूह लगाने की गारण्टी दें। वहां कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है, उसके आधार पर उर्वरक कारखानों का वहां निर्माण कीजिए। वहां आप दवा के उद्योग लगाइये।

श्री कमल नाथ झा (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग की माँगों का समर्थन करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे उद्योग मन्त्री जी के सम्बन्ध में हमारे बहुत से संसद सदस्यों ने बहुत प्रशंसा की है और उद्योग विभाग की सफलता की चर्चा की है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। मैं उनकी और प्रशन्सा करके सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

हमारे एक मित्र कह रहे थे कि हिन्दुस्तान में कहीं से भी पूंजी का नियोजन करें हम तो घनघोर पूंजीवादी माने जाते हैं तो मैं बहुत गंभीरता से यह कहना चाहता हूं कि जब चान मन्टीनेशनल के पितामह अमरीका से पूंजी लेता हैं तो समाजवादी हो जाता है और अगर रूस साइबेरिया में तेल की खाने के लिए जापान से आग्रह करता हैं कि पूंजी लगाकर तेल निकाल दो तो वह समाजवादी हो जाता है और जब हम कहीं विदेश से पैसा लेकर अपने देश का विकास करना चाहते हैं तो मल्टीनेशनल और पूंजीवादी हो जाते हैं, क्योंकि भारत की राजनीति में एक नया रोग चला है —निन्दा और स्तुति का। अपनी स्तुति करो और दूसरे की निन्दा करे। ये दो बातें छोड़कर तीसरी बात नहीं होता है। (व्यवधान) मैं यह मानता हूं कि जो सिर्फ स्तुति करता है वह नपुंसक हो जाता है और जो सिर्फ निन्दा करता है वह क्रिमिनल हो जाता क और आज हिन्दुस्तान की राजनीति में क्रिमिनेलिटी और इम्पोटेंसी के सिवाए और कुछ दिखाई नहीं देता है।

इन प्रारम्भिक शब्दों के साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां औद्योगिक नीति पुरानी है और समय-समय पर इसमें परिवर्तन होता है. होने भी चाहिए। लेकिन मैं उद्योग मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आखिर इण्डस्ट्रियल पालिसी को नापने का एक माप-दण्ड होना चाहिए। हिन्दुस्तान गरीब देश है, गरीब देश के लोगों को कितना भोजन मिलता है, कितना कपड़ा मिलता है, कितनी दवाई मिलती है, कितनी शिक्षा मिलती, ये सब मुद्दे हैं, जिससे हम किसी कन्ट्री की पालिसी को जज कर सकते हैं।

इस संदर्भ में मैं एक बुनियादी बात उठाना चाहता हूं। इस गरीब देश में हम दिल्ली के मार्केट में चले जाएं, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के मार्केट में चले जाइए, आपको 10-20 हजार का फैशन गुड्स मिल जाएगा, लेकिन गांव का गरीब आदमी जो गरीबी की रेखा के नीचे रहता है, उसके लिए मोटा कपड़ा किसी दूकान पर नहीं मिलेगा। यह डायरेक्शन का सवाल है। आज आज हिन्दुस्तान के गरीब आदमी को मकान बनाने के लिए सस्ती कीमत पर सामान मुहैया नहीं होता है। वैसे हुक्को इत्यादि की बात की जाती है। हिन्दुस्तान के गांवों में कुत्ता और सियार काटने से 20 हजार आदमी मर जाते हैं, उनको दवाई नहीं मिलती। क्या यह समाजवादी स्टेट है? आम गांव के लोगों के लिए पढ़ने की सामग्री खरीदना उनकी पर्चेजिंग पावर से बाहर की बात है।

इसीलिए अगर हम एक सोशलिस्ट स्टेट बनाना चाहते है, हम बनाना भी चाहते हैं। हमारे उद्योग मन्त्री कन्फर्मड सोशलिस्ट हैं विचार से और आधार से. इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूं और कहने की मैंने हिम्मत की है कि इन्वेस्टमेंट के लिए उचित डायरेक्शन हमारे देश म नहीं है। क्या हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट फैशनेबल चीजों के लिए जिन्हें 5 प्रतिशत लोग उपयोग में लाते हैं करना है या जिन वस्तुओं का उपयोग 95 प्रतिशत लोग करते है, उनमें करना है? इस पालिसी को आपको तय करना होगा। यदि पुरानी नीति रही तो उत्पादन भी बढ़ता जाएगा और गरीबी भी बढ़ती जाएगी।

'जस-जस सुरसा बदन बढ़ावा- तास दुगुन कीप रूप दिखावा।"

हमने जो औद्योगिक नीति स्थापित की थी, वह केवल आंकड़ों के लिए नहीं की थी कि प्रोडक्शन एक प्वाइंट से चार प्वाइंट बढ़ गया। इस तरह से आंकड़े बता दिये जाते हैं हमने पब्लिक सेक्टर स्थापित किया था। केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ मूल्यों को स्थापित करने के लिए किया था। लैंड टू दी टिलर एण्ड फैक्ट्री टू दी वर्कर। जो जमीन जोते वह जमीन का मालिक हो, यह सिद्धान्त हमने आज से नहीं 1932 से कराची कांग्रेस के जमाने से माना था। आज भी जो पब्लिक सैक्टर में प्रोडक्शन करने वाले हैं, जो प्रौड्यूसर है, जो मजदूर हैं, मालिक होने की बात तो दूर रही वे पार्टनर भी नहीं हो सकते हैं, सीनियर पार्टनर होने की बात तो आप छोड़ दें। जूनियर पार्टनर भी नही हो सकते है। समाजवादी मंत्री जी से मेरा निवेदन है, वेटर लेट देन नेवर, जब जागे तभी सबेरा, वह ऐसा टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाएं कि हर पब्लिक सैक्टर में मजदूर हर लेवेल पर डायरेक्टर लेवेल लेकर शाप लेवेल तक, पार्टनर की हैसियत से बैठे। आज वह मजदूर की हैसियत से बैठता है, वेज अर्नर की हैसियत से बैठता।

रेवोल्यूशन केवल प्रोडक्शन रिलेशनशिप को बदलने से नही होता है। विड़ला को हटाकर अफसरों को आपने उसकी जगह पर बिठा दिया तो उससे कुछ नहीं होता है। कम्युनिस्ट पद्धति ला कैपिटलिस्टिक पद्धति के स्थान पर तो वह क्रान्ति नहीं है, रेवोल्यूशन नहीं है। एक पार्टी के हाथ में सिक्यिरिटी दे दी जाए तो वह क्रान्ति नही कहलाती है। इसका पर्दा फाश पोलैंड में हो गया है। ओनरशिप की चेंज के साथ-साथ मोड आफ प्रोडक्शन में भी आप चेंज लाएं। उत्पादन के तरीकों में भी परिवर्तन होना चाहिए। जैसे हाथ के चर्खे से फ्लाई शटल का प्रयोग किया तो निश्चित रूप से उत्पादन के साधनों में क्रान्ति आएगी। यह टैक्नालाजी की बात है। हमारा देश गरीब देश है। यहां हम हैवी इनवैस्टमेंट करेंगे, लार्ज इनवैस्टमेंट करेंगे तो इनवैस्टमेंट तो हैवी होगा लेकिन एम्प्लायमेंट कम होगा और इसका नतीजा यह होगा कि अनएम्प्लायमेंट बढ़ेगा। हमें नई टैक्नालाजी के एवोल्यूशन की जरूरत है। समय नहीं है कि मैं विस्तार में इस में जा सकूं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं। कि हमें ऐसी टैक्नालाजी का सहारा लेना चाहिए जिसमें उत्पादन अधिक हो, पूंजी कम लगे और एम्प्लायमेंट ज्यादा क्रियेट हो। हमारे टैक्नालाजिस्ट दुनिया में किसी से कम नहीं है। वे इस प्रकार की टैक्नालाजी का आविष्कार कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है। कम्युनिस्ट पद्धति से अलग टैक्नालाजी हमको डिवेलेप करनी होगी।

अन्त में एक बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। कोओपरेटिव शूगर मिल्ज को जो आपने लाइसेंस दिए हैं, उनके निर्माण के लिए सीमेंट आदि भी सरकार को सरकारी क्षेत्र से मुहैया करना चाहिये।

श्री ए० के० राय (धनवाद) : इतने महत्वर्ण मंत्रालय को इतना कम समय पहले कभी नहीं दिया गया था, और सभा को इतना धोखा पहले कभी नहीं हुआ था कि इस्पात मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहे हैं।

एक दशक के उपरान्त एकाएक 19 प्रतिशत की वृद्धि कुछ भी नहीं है। इस्पात के प्रति

व्यक्ति उत्पादन के सम्बन्ध में हमारी स्थिति नहीं है जो एक दशक पहले थी। इसी तरह, उद्योग में 9 प्रतिशत की एकाएक वृद्धि भी कुछ भी नहीं है हमें औद्योगिक तथा इस्पात क्षेत्रों मे पैदा की गई स्थिरता तथा क्षमता को देखना होगा।

बोकारो मेरे चनाव क्षेत्र में है। यह अपनी समय-सारणी से पीछे चल रहा है। इसका लक्ष्य 4 मिलियन टन इस्पात है, लेकिन इसका वर्तमान उत्पादन 2.5 मिलियन टन है। भिलाई, दुर्गापुर तथा रूरकेला की भी यही स्थिति है। लगाए गए अनुमान के अनुसार, छठी पचवर्षीय योजना के बाद भी भारत में उस समय की मांग की तुलना मे उत्पादन 2 मिलियन टन कम होगा। इस्पात के क्षेत्र में हमारी महान उपलब्धि का यह विरोधा भास है।

औद्योगिक क्षेत्र में, उनका कहना है कि इस वर्ष उन्होंने कुछ सीमा तक उत्पादन में वृद्धि की है। लेकिन इस प्रकार की वृद्धि तो जनता शासन में,1977-78 में भी थी जब उत्पादन 8 प्रतिशत बढ़ा था लेकिन वह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रही। आपको उत्पादन की दिशा को देखना होगा, अर्थात क्या भारत जैसे अल्प-विकसित देश में यह उद्योग विदेशोन्मुखी निर्यातोन्मुखी चाहिए अथवा कृषि उन्मुखी और ग्रामोन्मुखी, क्या हो ? सर्व प्रथम इसका निर्णय किया जाना चाहिए। उद्योग विभाग अपने अधिकारियों को विदेशों मे भेजता है। इस विभाग के 50 प्रतिशत उच्च अधिकारी अपना 50 प्रतिशत समय विदेशों के भ्रमण में लगाते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि ये अधिकारी अपना 50 प्रतिशत समय गांवों के दौरों में लगाएं।

1956 का औद्योगिक नीति संकल्प का क्या हुआ ? वे सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक नीति को विघटित कर रहे हैं, उसके हर समाजवादी तत्व को यहां तक कि प्रथम दृष्टया समाजवादी तत्व को भी, क्षीण कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि समाजिक नियंत्रण को कम किया जाना चाहिए और यह कि सार्वजनिक उद्यम आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करे। इसका अभिप्राय यह हुआ कि सार्वजनिक उद्यम को प्राईवेट सेक्टर का रास्ता, मानदण्ड, संहिता, आदर्श और नैतिक सिद्धान्त अपनाने चाहिए और लाभ अर्जित करना चाहिए। 30 वर्ष तक समाजवादी व्यवस्था चलने के बाद आज यह स्थिति है।

मैं अपने साथी का भाषण सुन रहा था। नया मुल्ला अल्लाह पुकारे अतः जब कोई समाजवादी, कांग्रेसी बन जाता है तो वह मूल कांग्रेसी की अपेक्षा अधिक साम्यवाद-विरोधी हो जाता है। वे कहते हैं कि चीन ने विदेशी सहयोग कर लिया है,, रूस ने विदेशियों को पूंजी निवेश के लिए आमंत्रित किया है। हां उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन आत्म निर्भरता के लिए 30 वर्ष तक कठोर प्रयास करने के बाद चीन ने ऐसा किया है। रूस ने 50 वर्ष तक कठोर प्रयास करने के उपरान्त ऐसा किया है आज चीन 30 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन कर रहा है। वह इसका उत्पादन अपने बल बूत पर कर रहा है। वे इसके लिए रूस, पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन अथवा जापान के पास नहीं गए।

दो बाते हैं : एक प्रौद्योगिकी का ऊर्ध्वस्थ अन्तरण और दूसरी, प्रौद्योगिक का क्षैतिज अन्तरण। किसी भी विकासशील देश को प्रौद्योगिकी का ऊर्ध्वस्थ अन्तरण करना चाहिए। उसके बाद, उसे अपने ही भीतर प्रौद्योगिकी का क्षैतिज अन्तरण करना चाहिए। 1956 मैं हमने रूस

से प्रौद्योगिकी प्राप्त की और भिलाई संयंत्र बनाया। तत्पश्चात हममे पश्चिम जर्मनी से प्रौद्योगिकी प्राप्त की और राउरकेला संयंत्र बनाया। उसके बाद हमने ब्रिटेन से प्रौद्योगिकी ली और दुर्गापुर संयंत्र बनाया। लेकिन हमें फिर भिलाई का विस्तार करने के लिए रूस तथा दुर्गापुर का विस्तार करने के लिए ब्रिटेन के पास जाना पड़ेगा। आप वही बात कर रहे हैं, अर्थात विशाखापटनम संयंत्र के लिए रूस के पास तथा सालेम संयंत्र के लिए जापान के पास जा रहे हैं। हर प्रकार से हम अपनी तमी चीजे उन्हें बेच रहे हैं और आत्म विश्वास को विकसित नहीं होने दे रहे हैं।

अपने आत्म विश्वास को कैसे विकसित किया जाए? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। भारी उद्योग विभाग के अधीन भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड एक अत्यधिक प्रतिष्ठित इकाई है बी० एच०ई० एल० का वार्षिक उत्पादन 500 करोड़ रुपये से अधिक है। बी० एच० ई० एल० में में 60 मेगावाट की बिजली पैदा करने की इकाई थी। उसके बाद उन्होंने सरलता से 120 मेगावाट बिजली पैदा करने की इकाइयां प्राप्त कर ली।

जब हमने 60 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की इकाई विकसित की तो उन्होंने 120 मेगावाट इकाई चुनी। जब बी० एच० इ० लि० ।20 ने मेगावाट बिजली पैदा करने वाली इकाई के लिए अपनी विशिष्टता प्राप्त की तो इन्होंने 200 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली इकाई को चुना। फिर जब हमने 200 मेगावाट जनरेटिंग यूनिट विकसित करना शुरू किया तो उन्होंने 500 मे० वा० जनरेटिंग यूनिट के लिए विकल्प रखा। इस तरह देश निरन्तर विदेशों पर निर्भर रहा। हमने प्रतिदिन 900 टन उर्वरक बनाने की विशेषज्ञता विकसित की—हम नाइट्रोजन का उत्पादन कर सके। श्री सेठी यहां विद्यमान हैं। उन्होंने 1350 टन का विकल्प रखा मैंने उनसे तर्क किया और यहां कि एक मामले में आप 1350 टन आयात कर सकते हैं, लेकिन शेष को आप विभाजित करें, ताकि हमारे विशेषज्ञ, हमारे वैज्ञानिक हमारे शिल्प विज्ञानी इस मामले में तदनुसार अपनी विशेषज्ञता को विकसित कर सकें। लेकिन नहीं। उन्होंने इसे विदेशों से मंगाया। दो दलों के बीच संघर्ष हुआ। सम्पूर्ण अधिकारी तन्त्र इस पर विभाजित था। सदस्य भी विभाजित थे। कोई व्यक्ति एक दल का समर्थन कर रहा है तो कोई दूसरे दल का। इस तरह, इस्पात के मामले में भी हम दो दलों में विभाजित थे कोई तो पश्चिम देशों से और कोई पूर्वी देशों से आयात करने को कह रहा था लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि इस चीज को विकसित करने का काम 'मीथन' को क्यों दिया जाए। राउरकेला मे हमने 4·5 मीटर ऊंचे कोक को न भट्टी संयत्र की संरचना तैयार की राउरकेला में फिर हमने 7 मीटर ऊंच कोक भट्टी संयत्र की संरचना तैयार करनी है।

पुनः हम विदेशी सहयोग का प्रयत्न कर रहे हैं। इस तरह, देश की आधारभूत औद्योगिक शक्ति, आत्म निर्भरता और औद्योगिक क्रान्ति की मूल धारणा कमजोर पड़ जाती है।

रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में, मन्त्री तथा सरकार ने वायदा किया है—यह उस पुस्तक में भी लिखा हुआ था—कि कुमारधुबी इंजीनियरी कारखाने को फिर शुरू किया जाएगा; और उसके लिए औद्योगिक विकास और विनियम अधिनियम, 1958 के अधीन जांच का वचन

दिया। बिहार के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को आकाशवाणी पर यह घोषणा की कि इसे खोला जाएगा; सरकर ने इसे अपने अधिकार में ले लिया है। उसके बाद वे पीछे हट गए। आपने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आप इसे पुनः शुरू करने जा रहे हैं। पृष्ठ 13 पर यह लिखा है, "मैसर्स कुमारधुबी इंजीनियरी कारखाना लिमिटेड, कुमारधुबी. जिला धनबाद, को फिर से चालू करने के विचार से उस कारखाने के औद्योगिक उपक्रम कार्यों की जांच करने के लिए उद्योग (विकास और विनिमय) अधिनियम, 1951 की धारा 15 क के अधीन जांच का आदेश दिया गया था लेकिन आपने किया क्या है आपने बताया नहीं।

आप कृपया यह देखें कि रुग्णता किस प्रकार की है आपको इसमें रुचि होगी। कौन से उद्योग रुग्ण हो रहे हैं केवल वे ही उद्योग रुग्ण हो रहे हैं जो प्राईवेट सैक्टर में है जो उद्योग लोगों की जरूरते पूरी करती है वही रुग्ण होते जा रहे हैं, कपड़ा उद्योग रुग्ण हो रहे हैं, रेयन उद्योग नहीं; इंजीनियर उद्योग रुग्ण हो रहे हैं; रेफ्रीजरेटर उद्योग नही।

सभी राष्ट्रीय उद्योग रुग्ण हो रहे हैं; और वे सभी उद्योग जो समाज-विरोधी है तथा जो विदेशी सहयोग से चल रहे हैं, स्वस्थ बने रहते हैं। इस मंत्रालय द्वारा पालन किए जा रहे औद्योगिक नीति संकल्प की यह नई दिशा है।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं उन सभी सदस्यों का अत्याधिक आभारी जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है और मेरे द्वारा इस माननीय सभा के सम्मुख रखी गई मांगों का अनुमोदन के लिए समथन किया है अथवा सैद्धान्तिक आधार पर विरोध किया है।

मुझे विशेषकर श्री जैनुल बशर, श्री प्रताप भानु शर्मा, श्री राम गोपाल रेड्डी, श्री राम सिंह यादव, श्री कमलनाथ झा और श्री सी० डी० पटेल का आभारी होना चाहिए जिन्होंने हमारी मांगे में निहित नीति का समर्थन किया है। मैं श्री हाल्दर का भी आभारी हूं। निश्चय ही वह अपनी विचारधारा से अपने आपको मुक्त नही रख पाये हैं।

मैं श्री बर्मा, श्री सूर्य नारायण सिंह और श्री ए० के० राय का भी धन्यवाद करता हूं। अपनी वाक्पटुता के बावजूद वे विचारधाराओं के साथ अटके प्रतीत होते हैं, जैसाकि स्पष्ट है। मुझे उसके लिए खेद है। निश्चय ही हम सभी के लिए विचारधारा बहुत जरूरी चीज है। हम सभी राजनैतिक प्राणी हैं और हमें अपनी विचारधारा पर टिके रहना चाहिए। लेकिन हमें विचार धारा से ऊपर उठना है, इस अर्थ में कि हमें यह देखना है कि बीतने वाले युग अथवा शताब्दियों के दौरान क्या-क्या घटित हुआ है। हम देख सकते हैं कि अनेक देशों में, यद्यपि उन्होंने यह दावा किया कि वे समाजवाद अथवा साम्यवाद स्थापित करने जा रहे हैं, तथापि उनमें से कुछेक अभी भी यह कहते हैं कि वे अभी तक समाजवाद अथवा साम्यवाद पर शत प्रतिशत अमल करने में सम्पन्न नहीं हुए हैं।

अतः विचारधाराओं के अतिरिक्त स्थिति की वास्तविकता पर विचार करना होगा और विचारधारा सम्बन्धी सूत्रों को व्यावहारिक रूप से अमल में लाना होगा। आज पूंजीपति देश भी

समाजवादी देशों से प्रौद्योगिकी प्राप्त करते हैं और समाजवादी देश भी पश्चिमी देशों से उचित प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में बुरा नहीं मानते। हमारी मूल नीतियों में तथाकथित छिलाई बरते जाने की ओर काफी बल दिया गया है। मेरे पास केवल 15-20 मिनट बचे हैं, तथा यहां जितने प्रश्न उठाए गए हैं उन सभी का उत्तर दे पाना मेरे लिए अति कठिन है। महोदय, यदि मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर न दे सका तो यह सभा मुझे माफ करेगी। मैं आपके जरिये उससे क्षमा चाहता हूं। अत: मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं निश्चयप्रत्येक सदस्य द्वारा उनके चुनाव क्षेत्रों, उनके राज्यों, अथवा सम्बन्धित क्षेत्र के सम्बन्ध में उनके भाषण में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर उन्हें भेजने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन सामान्य रूप से, मैं यह कहूंगा मैं यह बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि यह सरकार 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में निहित नीतियों पर चट्टान की तरह अटल है।

जब तक इस देश की जनता का समर्थन मिलता है तथा इस सदन की शुभकामनाएं हमारे साथ हैं, नीति के सम्बन्ध में—मूल रूप से कोई छिलाई नहीं बरती गई है और जब तक यह, सरकार रहती है मौलिक रूप से कोई छिलाई नहीं छोड़ी जाएगी। हम अपनी मौलिक नीतियों अपने औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में कोई छिलाई देंगे। इस सम्बन्ध में कोई छिलाई नहीं दी गई है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दार : नीतियों और व्यवहार में काफी अन्तर है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : समस्त विश्व में क्या हो रहा है? यदि आप अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को देखते हैं तो आप क्या पाते हैं? एक ओर तो हम प्रौद्योगिक क्रांति देख रहे हैं और प्रतिदिन हम औद्योगिक गतिविधि के कितने ही क्षेत्रों में विकास के नए प्रौद्योगिकीय कारकों के बारे में पढ़ते हैं। हम शतुरमुर्ग की तरह इन तथ्यों से आंखें नहीं मूंद सकते और यह नहीं कह सकते कि हम इस्पात में नई प्रौद्योगिकी नहीं अपनाएंगे अथवा कितने ही औद्योगिक क्षेत्रों में जो अब हमारे देश में विद्यमान हैं कोई नई प्रौद्योगिकी नहीं अपनाएंगे। उदाहरण के तौर पर हम यह कैसे कह सकते हैं कि हम इस्पात के बारे में नई उच्च प्रेरणा (हाई इंडक्शन) प्रौद्योगिकी नहीं अपनाएंगे?

मेरे माननीय मित्र श्री ए० के० राय अपनी विचारधारा में बहकर यह कह रहे थे कि हम सोवियत रूस और जर्मनी तथा अन्य देशों की ओर खिच रहे हैं। हमें अधुनातन प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उनके पास जाना होगा। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधुनिक जगत में इस्पात के क्षेत्र में विकसित की जा रही नवीनतम प्रौद्योगिकी से अपने आप को अलग नहीं रख सकते हमें इस्पात की 'डाइरेक्ट इंडक्शन प्रोसेज' अपनानी होगी हमें नए किस्म की ब्लास्ट फरनेश लगानी होंगी।

हमें नई किस्म की कोक ओवन बैटरियां हासिल करनी हैं। यदि हम इन कारकों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो कच्चे माल जिसकी एक आयु होती है और इसलिए हमें अपने प्राकृतिक साधनों का काफी लम्बे समय तक सर्वोत्तम उपयोग करना है जो केवल नई प्रौद्योगिकी के लागू होने से ही किया जा सकता है। इसलिए, हमें प्रौद्योगिकियों का गठजोड़ करके जानकारी का

आयात करने से घबराना नहीं चाहिए। समग्र विश्व के सभी देशों में, मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता, नई प्रौद्योगिक के इस्तेमाल आदि के बारे में आपसी व्यवस्था है जब मैं डेवोस गया था, मैं वहां कोई रियायत करने नहीं गया था। मैं वहां अपनी नीति में दीप्त देने नहीं गया था। मैं वहां केवल अपनी मौलिक नीतियों को बहुत स्पष्ट करने गया था, मैंने उनको अच्छी प्रकार यह बता दिया था कि हमारी अपनी मौलिक नीतियां है और हमारी मौलिक नीति के ढांचे के अन्दर निवेश करने अथवा सहयोग करने के लिए आने हेतु हम आपका स्वागत करते हैं। हम वहां कोई वैयक्तिक वार्ता करने नहीं गए थे। हम वहां गए और हमने एक आम किस्म की संगोष्ठी में भाग लिया था।

हम अपने मित्र देशों में अपनी नीतियों को स्पष्ट करने के लिए जाते हैं। अपने दृष्टि-कोण को स्पष्ट करने के लिए जाते हैं, इसलिए हमवहां केवल अपनी नीतियों को स्पष्ट करने के लिए गए थे, हमने उनको बता दिया था कि जहां उच्च प्राद्योगिकी का सम्बन्ध है, भारत अपनी मूल नीयि के ढांचे के अन्दर किसी भी प्रकार की तक उपयुक्त प्रौद्योगिकी, उच्च प्रौद्योगिकी तथा निवेश अथवा जानकारी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं।

महोदय, हमारी राजनीतिक प्रणाली जैसी कि हाल ही में प्रधानमन्त्री जी ने घोषणा की है, हमारी राजनीतिक प्रणाली में किसी भी प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की क्षमता तथा अन्तर्निहित शक्ति है और कोई भी बहुराष्ट्रिक अथवा एकाधिकारी गृह हमारी नीतियों को प्रभावित नहीं कर सकता। हमें अपने इंजीनियरों, अपने तकनीकी लोगों तथा अपने मेधावी युवा लोगों, जो हमारे इंजीनियरी संस्थानों से बाहर निकल रहे हैं, पर गर्व है।

कई शताब्दियों के पिछड़ेपन के बावजूद 35 वर्ष के अल्पकाल में भारत की गिनती विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों में होने लगी है इसका श्रेय हमारे श्रमिकों, वैज्ञानिकों तथा कुल मिलाकर राष्ट्र को जाता है। क्या हमने पिछले 35 वर्षों में जो कुछ किया है उससे हमें शर्मिन्दा होना चाहिए ? मैं यह प्रश्न विपक्ष में बैठे अपने माननीय मित्रों से करता हू। क्या हमने पिछले 35 वर्षों में जो कुछ किया है उसकी निन्दा करके हम राष्ट्र के कामगारों, इंजीनियरों तथा अपने वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय समुदाय के प्रति न्याय करेंगे। इसलिए, विपक्ष में बैठे अपने मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखें। हमारी विचारधाराओं और विश्वास से कुछ भी हो हमें वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि उपलब्ध अन्तिम आंकड़ों के अनुसार हमारी विकास की दर लगभग 9 प्रतिशत है जबकि वर्ष 1980-81 में यह 4 प्रयिशत तथा वर्ष 1979-80 में 1.4 प्रतिशत थी हम आशा करते हैं कि विकास की यह दर आगे भी कायम रहेगी। यह आवश्यक है कि हम छठी पंचवर्षीय योजना के इस उद्देश्य पर डटे रहें कि हम आर्थिक विकास की 3.2 प्राप्त कर लेंगे। और उद्योग के क्षेत्र में 7 से 8 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त कर लेंगे यह एक राष्ट्रीय विषय है। यह केवल किसी राजनीतिक पार्टी का लक्ष्य नहीं है यह वह लक्ष्य है जिसे राष्ट्र ने स्वयं योजनागत अर्थव्ययस्था के ढांचे रहते हुए हमारे सम्मुख रखा है।

मुझे आपके माध्यम से इस माननीय सभा को सूचित करते हुए खुशी होती है कि हम इस सदन की शुभकामनाओं से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प है। मुझे इस बात की सूचना देते हुए भी खुशी होती है कि पिछले वर्ष कुल देशी पूंजी निर्माण में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जब कि पंजीकृत निर्माण क्षेत्र में यह वृद्धि लगभग 17 प्रतिशत हुई है। मुझे यह बताते हुए भी खुशी होती है कि केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को धन की स्वीकृतियां देने तथा धन वितरण के मामले में अप्रैल सितम्बर, 1981 में पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में क्रमश: 29.8 और 16.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विनियोजन में वृद्धि होने से हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में काफी कमी हुई है। मार्च, 1981 की इसी अवधि की तुलना में मार्च 1982 के अन्तिम सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर 1.7 प्रतिशत रह गई थी जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि में यह दर 16.7 प्रतिशत थी। इस अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में जहां अत्याधिक विकसित देश ब्याज की अधिक दर संरक्षणवाद विनियम की दरों की अस्थिरता व्यापारिक मन्दी तथा मुद्रस्फीति की समस्या से आक्रान्त है, क्या इसका श्रेय हमारे योजना बनाने वालों अर्थशास्त्रियों तथा नेताओं और सम्भवत: इस सदन को क्योंकि इसके द्वारा नीतियों को स्वीकार किया गया है, नहीं जाता है कि विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण के बावजूद हमारा देश मुद्रा स्फीति की दर को कम करके 1.7 प्रतिशत तक लाने तथा औद्योगिक विकास की दर को 9 प्रतिशत के लगभग तक लाने में सफल हुआ है? मैं आशा करता हूं कि यहां तक कि विपक्ष में बैठे मेरे मित्र भी अपने दिलों में—मैं जानता हूं कि उनका दिल बहुत अच्छा है सरकार द्वारा प्रजातांत्रिक ढंग से उठाए गए कदम की प्रशंसा की है।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता कि क्यों एक तरफ तो हम अपने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में इतनी ऊंची-ऊंची बातें करते है और दूसरी तरफ हम हर समय सरकारी क्षेत्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। मैं इस प्रवृत्ति को नहीं समझने पाता हूं। सरकारी क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं। अब हमने सरकारी क्षेत्र में लगभग 21,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। लेकिन हम क्या करें? क्या हम यह नहीं जानते कि सरकारी क्षेत्र में कई ऐसे उपक्रम हैं जो पहले रुग्ण एकक थे और जिन्हें सरकार ने अपने हाथ में लिया है? प्रतिदिन यहां तक कि आज भी इस चर्चा के दौरान यह मांग उठाई जाती रही है। कि इस कारखाने का भी अधिग्रहण किया जाए, इस कारखाने अथवा उस कारखाने का राष्ट्रीय करण किया जाए, जिनमें 20 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए तथा इतनी ही धन राशि की देयताएं हैं। यदि आप इन सबको जोड़े तो यह राशि अरबों में बैठती है। इसलिए जब हम इन सभी रुग्ण एककों को अपने हाथ में लेते हैं तो उनकी देयताओं को भी स्वीकार करते है. हम ब्याज के भार और पुन: अदायगी के भार को स्वीकार करते है तब आप कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। आपको जेस्सप ब्रदर्थवेट तथा बर्न स्टैन्डर्ड इत्यादि जैसी सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के बीच भेद करना होगा जिन्हें सरकार द्वारा हाथ में लिया गया है .....

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आपने एम० ए० एम० सी० को हाथ में नहीं लिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं एम० ए० एम० सी० की बात नहीं कर रहा हूं। चूंकि

श्री हाल्दर ने एच० ई० सी० का भी जिक्र किया होगा। मुझे उन्हें सूचित करना है कि अब स्थिति में परिवर्तन आ गया है और अब एच० ई० सी० द्वारा बुक किए गए क्या देशों की स्थिति लगभग 600 करोड़ रुपए है। यह देखना का हर संभव सुधार किया जा रहा हैं कि एच० ई० सी० की परिस्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है।

सरकारी क्षेत्र ने हानियां उठाई हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों ने हानियां उठाई। लेकिन ये हानियां विभिन्न अड़चनों जिनमें बिजली की रुकावट भी शामिल है, के कारण हुई हैं। यहां मैं श्री एच० के० राय तथा श्री के० सी० हाल्दर जैसे मित्रों को सहयोग चाहता हूं जो ट्रेड यूनियन के नेता है, क्यों कि ट्रेड यूनियन के नताओं के सहयोग के बिना एक औद्योगिक वातावरण पैदा नहीं किया जा सकता और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम उतना अच्छा काम नहीं कर सकते जितना कि उनको चाहिए। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों विशेष रूप से इस सदन में ट्रेड यूनियनों के नेताओं तथा मजदूर संघ नेताओं से ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए अनुरोध करूंगा जिससे सरकारी क्षेत्र के एककों अथवा इस देश के उद्योगों के लिए यह संभव हां सके कि वे अपेक्षित ढ़ंग से कार्य कर सकें। और अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उत्पादन कर सकं।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय समय की कमी के कारण मैं उठाए गए कई मुद्दों के बारे में जवाब देने में असमर्थ हूं। देश के लघु एककों का उल्लेख किया गया था। लघु उद्योग के उत्पादन का अनुमानित मूल्य 28,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। रोजगार की अनुमानित संख्यो 64.6 लाख से बढ़कर 71 लाख हो गई है। इस तरह लघु उद्योगों का कार्य अच्छा चल रहा है।

लघु उद्योगों के लिए 832 मदें सुरक्षित रखी गई हैं। कोई भी बड़ा उद्योगपति या एकाधिकारी लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का निर्माण नहीं कर सकता सिवाए इसके कि वह 75 प्रतिशत अथवा इससे अधिक माल का निर्यात करे। यह सर्वविदित है और हम इस नीति का दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे।

हम ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को भी दृढ़ आधार देने का प्रयास कर रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग के लिए नियतन को अब तक किए गए नियतन से दुगना कर दिया गया है।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का भी उल्लेख किया गया है। इस सदन को आई० आर० डी० एन० आर० ई० पी० तथा टी० आर० वाई० एस० ई० एम० कार्यक्रमों के अन्तर्गत छठी योजना में किए गए धन के प्रावधान के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी है, जिसके अन्तर्गत हमारा विचार 150 लाख लोगों को लाभप्रद रोजगार देने का है।

आई० आर० डी० और एन० आर० ई० पी० कार्यक्रमों के अन्तर्गत हर वर्ष प्रत्येक खंड के पचास परिवारों को ग्राम्य उद्योगों की परिधि में लाना होता हैं। अतः जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाए तो हमें यह देखना चाहिए कि आई० आर० डी० कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक खण्ड के पचास परिवार हर वर्ष ग्राम्य उद्योगों की परिधि में आ गए है।

एक माननीय सदस्य : 500 परिवार ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : प्रति खण्ड 600 परिवार जिनमें से 50 के० वी० आई० सी० ग्राम्य उद्योगों के लिग 50 अन्य सेवाओं और व्यापारिक कार्यों के लिए तथा शेष कृषि के अन्य रोजगार के लिए होते है । हमें ऐसे परिवारों की शनाख्त करनी चाहिए ।.क'म है । हमें देखना चाहिए कि हम निचले स्तर पर काम कर रहे है । इस कार्य के लिए हमें प्रति पक्ष का का सहयोग मिलना चाहिए । हमें मिल कर यह देखना चाहिए कि आई० आर० डी० कार्यक्रम सफल हो । इस प्रकार हम डेढ़ करोड़ लोगों की गरीबी दूर कर सकते हैं । हम अपनी योजना में सब क्षेत्रों के लिए व्यवस्था करते हैं ।

मुझे सभा को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने कुछ ही दिन पूर्व दो उत्पादक कार्य शुरु किए हैं । इस सम्बन्ध में जो दो प्रेस नोट आज जारी किए जा रहे है वे मैं संसद ग्रथालय में रख दूंगा ।

इस उत्पादकता वर्ष में सबसे पहले हम पूंजीनिवेश प्रक्रिया को उदार बना रहे है । इसके अन्तर्गत जो उद्योग इस योजना का लाभ उठाना चाहें उन्हें 1981-82 वर्ष सहित और इसी वर्ष को समाप्त होने वाले पांच वित्तीव वर्षों में अपने सर्वोत्तम उत्पादन के आंकड़े देने होंगे । ऐसे उत्पादन आंकड़ों की प्राप्ति और जांच करने पर यदि किसी वर्ष उत्पादन और उसका एक तिहाई अनुज्ञप्त क्षमता और 25 प्रतिशत से अधिक हो तो उपलब्ध सर्वोत्तम उत्पादन तथा उसकी एक तिहाई क्षमता का पुन: लाइसेंस दे दिया जाएगा ।

ये सुविधायें उन उद्योगों को नहीं दी जाती हैं जो लघु क्षेत्र के लिए रक्षित होती हैं क्योंकि लघु उद्योगों का कच्चे माल की कमी और सरकार की ढांचा सम्बन्धी नीति के कारण विशेष रूप से विनियमन किया जाता है । और लाइसेंस दिया जाता है जैसा वनस्पति, मिल्क फूड आदि और कीटनाशी दवाइयों के निर्माण में होता है । इन तीन क्षेत्रों को छोड़ कर सभी अन्य उद्योगों बड़े हुए उत्पादन की इस नई सुविधा का लाभ उठा सकेंगे । भविष्य में हम यथासंभव उत्पादन के अनुसार क्षमता निर्धारित करेंगे न कि क्षमता के अनुसार उत्पादन किन्तु यदि किसी का उत्पादन अधिक हो तो अधिक क्षमता की अनुमति दी जा सकेगी ।

जहां तक एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यववार विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों का सम्बन्ध है ये सुविधायें फरवरी 1977 के प्रेस नोट के परिशिष्ट एक में शामिल मदों के सदर्भ में ही दी जाएंगी जिसमें एक ओर शर्त जोड़ दी जाएंगी कि यदि कम्पनी प्रधान है और अधिक उत्पादन से प्रधानता और बढ़ती है तो ऐसे पृष्ठाकंन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

इसके अलावा हमने अपनी मूल नीति पर स्थिर रहने का प्रयास भी किया है । हमने परिशिष्ट एक में वर्जित उद्योगों की सूची की जांच भी की है और उसमें संशोधन भी किए हैं ताकि हम 1973 के बाद अनेक प्रौद्योगिक उन्नति के क्षेत्र मे हुए अनेक विकासों निर्यात क्षमता में परिवर्तन एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम

के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों के स्तर से नीचे माध्यमिक स्तर के उद्यम के विकास प्रौद्योगिकी और क्वालिटी मानक आदि के स्तर के अनुसार कतिपय उद्योगों में पर्याप्त क्षमता के विकास की स्थापना की आवश्यकता को ध्यान में रख सकें ।

उपरोक्त सब बातों देखते हुग हमने प्रेस नोटों से संलग्न सूची का संशोधन किया जा रहे है । हमने यह संशोधन मूल नीति के अनुसार ही किया हैं ।

एक माननीय सदस्य गांवों में आवासों का उल्लेख कर रहे थे । हमने सभा में हाल ही में व्यक्त किए गए विचारों को देखते हुए दो या तीन क्षेत्रों में लेवी सीमेन्ट का नियातन उदारकर दिया है ।

(एक) 80 वर्ग मीटर की वर्तमान शर्त की इस प्रकार उदार बनाया गया है:

(क) 1981 की जनगणना के अनुसार एक लाख या उससे अधिक आबारी वाले नगरीय क्षेत्रों/कस्बों शहरों के लिए कुर्सी क्षेत्र 100 वर्ग मीटर ।

(ख) 1981 की जनगणदा के अनुसार एक लाख से कम आदादी वाले नगरीय क्षेत्रों/कस्बों/शहरों के लिए कुर्सी क्षेत्र 1 :0 वर्ग मीटर है ।

(ग) व्यष्टि फ्लैटों के ममाले में उपर्युक्त सीमाओं के अध्यधीन लेवी सीमेन्ट सहकारी सामूहिक गृह निर्माण सोसाइटी को भी दिया जाएगा किन्तु निर्मातावों के व्यापारिक बहुमंजलीय निवास स्थान समूहों को नहीं निया जाएग ।

(दो) लघु/अति लघु क्षेत्र लघु उद्योग तथा अति लघु उद्योग जो सीमेन्ट का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें लेवी सीमेन्ट दिया जाएगा क्योंकि उनका विकास नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आता हैं । इसे मद्नजर रखते हुए हमने यह रियायत है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें अन्यथा हमें आपका भाषण बन्द करने पड़ेगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं इन प्रेस नोटों को संसदीय ग्रन्थायल में रख रहा हूं । वे जारी किए जा रहे है ।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों को उनके सुझावों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा जिन सदस्यों ने कोई विशेष प्रश्न पूछे थे मैं उन सब को लिखित उत्तर भेजूगा क्योंकि मैं उन सब प्रश्नों का अब उत्तर नहीं दे सकता ।

मुझे विश्वास है कि इस सभा में आज हमें जो समर्थन मिला है उससे हमें देश का और अधिक औद्योगिक विकास करने में सहायता मिलेंगी ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में पेश किए गए सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए एक साथ रखूंगा यदि कोई सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव अलग से रखना चाहे ।

श्री ए० के० राय : मैं उद्योग मंत्रालय की मांगों से संबंधित अपना कटौती प्रस्ताव संख्या 108 तथा इस्पात और खान मंत्रालय की मांगों से सम्बन्धित कटौती प्रस्ताव संख्या 24 अलग अलग प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ए० के राय द्वारा पेश किया गया कटौती प्रस्ताव 108 सभा के मतदान के लिए रखूंगा

कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी अन्य कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब में उद्योग मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदानों की मांगे सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :—

"कि उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 58 से 60 के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दर्शाये गये शीर्षों क के सम्बन्ध में 31 मार्च 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने खर्चों को पूरा करन के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनाधिक लेखा -अनुदान राशियां भारत की संचित नीधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगे 1982-83

मांग संख्या	मांग का नाम	16 मार्च 1982 को सदन स्वीकृत लेखानुदानों की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
58.	उद्योग मन्त्रालय	73,92,000	—	3,69,61,000	—
59.	उद्योग	8,70,16,000	62,94,46,000	27,50,82,000	314,72,31,000
60	ग्राम और लघु उद्योग	14,85,47,000	14,35,75,000	74,27,38,000	71,78,75,000

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इस्पात तथा खान मंत्रालय सम्बन्धी सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान हेतू रखूंगा ,

श्री ए० के० राय : मैं चाहूंगा कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताय संख्या 24 जो कि कुद्रा मुख में एच० एस० एल० के कर्मचारियों की छंटनी से सम्बन्धित है, अलग से प्रस्तुत किया जाये ।

व्यक्ष महोदय : मैं श्री ए० के० राय द्वारा प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव संख्या 24 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया था अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इस्पात तथा खान मंत्रालय से सम्बन्धित सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं इस्पात तथा खान मन्त्रालय के नियन्त्रण में आने वाली अनुदानों की माँगों का सभा के मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

कि इस्पात तथा खान मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 81 तथा 82 के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1982 में समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ चार में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनाधिक राशियों भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगे 1982-83

मांग संख्या	मांग का नाम	16 मार्च 1982 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
	इस्पात और खान मंत्रालय				
81	इस्पात विभाग	62,46,000	91,66,46,000	3,12,31,000	458,32,29,000
82	खान विभाग	14,70,4,000	39,19,17,000	69,15,17,000	162,85,83,000

(तीन) नागरिक पूर्ति ऊर्जा, वित्त तथा सूचना और प्रसारण आदि मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान खर्चों को पूरा करने के 10 कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी ।

राशियों से अनाधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :

(1) नागरिक पूर्ति मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 10,

(2) ऊर्जा मन्त्रालय से संबधित मांग संख्या 29 व 30,

(3) वित्त मन्त्रालय से संबधित मांग संख्या 32 से 43 तक

(4) सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 61 से 63 तक,

(5) सिंचाई मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 64,

(6) विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 67 तथा 64,

(7) पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 69 से 71,

(8) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72 से 74 तक,

(9) नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 76 से 79

(10) समाज और कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 80,

(11) पूर्ति एवं पुनर्वास मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 82 से 85,

(12) पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय मे से सम्बन्धित मांग संख्या 86 से 89 तक

(13) निर्माण तथा आवास संवालय से सम्बन्धित मांग संख्या 90 से 94 तक ।

(14) परमाणु ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 95 से 97 तक ;

(15) इलैक्ट्रानिक विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 98 ;

(16) पर्यावरण विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 9~ ;

(17) महासागर विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 100,

(18) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 101 से 103,

(19) अन्तरिक्ष विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 104,

(20) लोक सभा से सम्बन्धित मांग संख्या 105,

(21) राज्य सभा से सम्बन्धित मांग संख्या 106,

(22) संसदीय कार्य विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 107,

(23) उपराष्ट्रपति सचिवालय से सम्बन्धित मांग संख्या 108,

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगें, 1982-83

नाम संख्या	मांग का नाम	16 मार्च, 1982 को सदनद्वारा स्वीकृत लेखानुदान की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
नागरिक पूर्ति मंत्रालय					
1.	नागरिक पूर्ति मंत्रालय	71,18,000	1,36,62,000	3,55,89,000	6,83,13,000
ऊर्जा मंत्रालय					
2.	कोयला विभाग	18,97,93,000	162,50,51,000	94,89 64,000	817,5,000
3.	विद्युत विभाग	20,50,73,000	119,99,21,000	102,53,67,000	599,96,57,000
वित्त मंत्रालय					
4.	वित्त मंत्रालय	7,88,62,000	47,65,000	39,43,10,000	2,38,26,000
5.	सीमा शुल्क	7,44,80,000	5,16,67,000	37,24,00,000	25,83,33,000
6.	संघ उत्पाद शुल्क	10,83,36,000	——	58,16,77,000	
7.	आयकर, सम्पदा शुल्क, धनकर और दान कर	11,64,81,000	——	58,2 ,02,000	
8.	स्टाम्प	5,61,27,000	46,83,000	78,06,35,000	2,34,17,000

	1	2	3	4
9. लेखा परीक्षा	13,27,67,000	——	66,38,36,000	—
10. करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	9,80,23,000	2,67,99,000	49,01,16,000	13,39,94,000
11, पेशनें	16,55,37,000	——	82,76,82,000	——
12. अफीम और एल्कलाइड के कारखानें	28,81,48,000	26,13,000	12,78,61,000	1,30,65,000
13. राज्य सरकारों को अन्तरण	445,04,74,000	——	933,54,12,000	
14. वित्त मंत्रालय को अन्य व्यय	91,54,86,000	224,78,32,000	457,74,33,000	315,39,03,000
15. सरकारी सेवकों आदि, को उधार		16,21,12,000		81,05,58,000
सूचना प्रसारण मंत्रालय				
16. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	18,58,000	——	92,93,000	——
17. सूचना और प्रसार	5,38,04,000	20,00,000	26,90,22,000	1,00,03,000
18. प्रसारण	17,08,41,000	10'75,68,000	85,42,05,000	53,78,42,000
सिंचाई मंत्रालय				
19. सिंचाई मंत्रालय	14,14,37,000	1,16,67,000	71,21,85,000	10,83,33,000

	1	2	3	4
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय			
20.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	5,16,25,000	17,000	25,81,23,000	83,000
21.	न्याय प्रशासन	19,64,000	——	98,20,000	——
	पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय				
22.	पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय	22,08,000	——	1,10, 9,000	——
23.	पेट्रोलियम, और पेट्रो-रसायन उद्योग	20,46,59,000	43,01,92,000	102,32,98	215,09,63,000
24,	रसायन और उर्वरक उद्योग	80,11,37,000	42,55,17,000	270,56,84,000	212 75,84,000
	योजना मंत्रालय				
25.	योजना मंत्रालय	83,0000	——	4,18,000	——
26.	सांख्यिकी	3,15,58,000	——	15,77,84,000	——
27.	योजना आयोग	1,00,99,000	——	5,04,96,000	——

	1	2	3	4
समाज कल्याण मंत्रालय				
28. समाज कल्याण मंत्रालय	9,15,10,000	22,18,000	5,75,48,000	1,10,90,000
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय				
29. पूर्ति विभाग	5,45,000	——	27,24,000	—
30. पूर्ति और निपटान	1,70,47,000	——	8,52,35,000	—
31. पुनर्वास विभाग	4,40,67,000	1,17,27,000	22,03,23,000	5,86,37,000
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय				
32. पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	13,50,000		67,49,000	
33. मौसम विज्ञान	3,45,56,000	93,44,000	17,27,78,000	4,67,22,000
34. विमानन	6,18,21,000	11,39,17,000	30,91,05,000	56,95,83,000
35. पर्यटन	96,74,000	1,83,75,000	4,83,68 000	9,18,75,000
निर्माण और आवास मंत्रालय				
36. निर्माण और आवास मंत्रालय	26,75,000		1,33,75,000	
37. लोक निर्माण	26,94,88,000	7,89,46,000	134,74,38,000	3 ,47,32,000

	1	2	3	4
38. जल पूर्ति और जल मल निकासी	21,66,67,000		108,33,33,000	
39. आवास और नागर विकास	2,45,96,000	19,16,52,000	27,29,82,000	45,82,57,000
40. लेखन सामग्री और मुद्रण	8,29,59,000		41,47,98,000	
परमाणु ऊर्जा विभाग				
41. परमाणु ऊर्जा विभाग	12,99,000		64,96,000	
42. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं	21,28,30,000	23,10,20,000	106,41,48,000	115,50,98,000
43. न्यूक्लीय विद्युत स्कीमें	16,77,31,000	16,16,43,000	83,81,54,000	80,82,13,000
इलैक्ट्रानिकी विभाग				
44. इलैक्ट्रानिकी विभाग	2,72,51,000	4,03,08,000	13,62,55,000	20,15,42,004
पर्यावरण विभाग				
45. पर्यावरण विभाग	1,88,89,000	...	9,44,47,000	
महासागर विकास विभाग				
46. महासागर विकास विभाग	4,44,55,000	...	12,64,75,000	

	1	2	3	4
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग			
47.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	7,83,58.000	27,67,000	39,17,88,000	1,38,33,000
48.	भारतीय सर्वेक्षण	4,97,50,000	50,000	24,87,50,000	2,50,000
49.	वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद को अनुदान	14,60,83,000	...	73,04,17,000	
	अंतरिक्ष विभाग			
50.	अंतरिक्ष विभाग	10,28,76,000	13,96,34,000	51,43,82,000	36,68,91,000
	संसद, संसदीय कार्य विभाग			
	राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय			
51.	लोक सभा	1,49,27,000	...	7,18,83,000	
52.	राज्य सभा	48,67,000	...	2,43,38,000	
53.	संसदीय कार्य विभाग	4,67,000	...	23,36,000	
54.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	1,18,000	...	5,92,000	

विनियोग (संख्यांक-२) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के सदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणव मुखजी : महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है।

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और विश्वविद्यालयी परीक्षाओं में जो अधिकारियों का रवैया है, इनको मखौल बनाने का उसके कारण परीक्षार्थियों को कितनी कठिनाई होती है और उससे परीक्षाओं के प्रति जो विश्वसनीयता घटती है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को आप लें। कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूरक परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। लेकिन होता क्या है ? एक आदमी एक दफा परीक्षा पास कर लेता है तो उसकी योग्यता के बारे में तो हमें आश्वस्त होना चाहिये। लेकिन मुख्य परीक्षा में वह सफल हो जाता तो दूसरी दफा उसको फिर पूरक परीक्षा में बैठने को बाध्य होना पड़ता हैं। समझ में नहीं आता कि जब उसकी योग्यता की परीक्षा एक दफा हो गई तो बार-बार परीक्षा देने के लिए उसको क्यों बाध्य किया जाता है। इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बिहार यू० पी०-राजस्थान आदि राज्यों में लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को तो लगता है बिल्कुल ही मखौल बना दिया गया है। बार-बार परीक्षाओं की तिथि को स्थगित किया

जाता है । इससे परीक्षार्थियों की परेशानी बढ़ती है । बिहार में तो प्रवेश शुल्क माफ करके वाहय वाही लूट ली गई लेकिन—परीक्षार्थियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया । बार-बार परीक्षाओं की तिथि का बदला गया । अन्त में ऐसा हुआ कि प्रवेश तक उनको नहीं मिला । अखबारों में छाप दिया गया कि जिन लोगों ने सप्लाई किया है वे सभी लोग परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते । लेकिन बिना प्रवेश पत्र के कौन सम्मिलित हो सकता था । इस पर कहा गया कि उनको अपने यहाँ के राज पत्रों पत्रित कर्मचारी से चरित्र स्टेस्ट करवा कर प्रवेश पत्र ले लेना चाहिये । इसमें दिक्कत यह हुई की परीक्षार्थियों को राज पत्रित कर्मचारियों के पीछे अपना फोटों स्टेस्ट करवाने के लिए घूमना पड़ा और उनको बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा —(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेहता जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : बिहार और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय परीक्षाओं में कदाचार के लिए बदनाम है । इससे हमेशा मेधावी छात्रों को हानि होती है । कदाचार को रोकने के जितने भी आज तक उपाय किए गए हैं उनका कोई फल नहीं निकला है । इसका नतीजा यह निकला है कि जो विद्यार्थी पहुंच वाले होते हैं । जिन की पहुंच ऊंचे स्थानों पर पदासीन व्यक्तियों तक होती है वे हमेशा लाभान्वित हुए और अच्छे अंक ले गए ।

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नामांकन के नियम बदले जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं । वहां पर प्रवेश के लिए खासकर पिछड़े इलाके के, पिछड़े तबके के छात्रों को छूट मिलती थी, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि यह नियम स्थगित किया जा रहा है । मैं इसका विरोध इसलिये करता हूं कि आज जब पिछड़ों को आगे लाने की सारी कोशिशें चल रही हैं, प्रयास हो रहे हैं तो जो छूट उसमें उनको मिली हुई थी, उस छूट को स्थगित करने का प्रस्ताव किसी भी मायने में जायज नहीं है, इसलिए इस प्रस्ताव को समाप्त ही किया जाना चाहिये ।

मैं उत्तर बिहार के कृषि प्रधान इलाके से आता हूं । वहां पर छोटे या बड़े, किसी भी प्रकार के उद्योग को लगाने में कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है । मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहाँ पर कृषि-आधारित उद्योग लगाने में पहल करे, जिससे वहां के लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठ सके तथा रोजगार के अधिक अवसर उनको मिल सकें । समस्तीपुर में जो ग्रेफाइट फैक्टरी खोलने का प्रस्ताव था, योजना थी, उसको भी स्थगित नहीं किया जाये बल्कि उस पर ठीक से व्यवहार किया जाये और यथा शीघ्र वहां ग्रेफाइट फैक्ट्री की स्थापना की जाये ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले गृह-मंत्री जी का ध्यान स्वतंत्रता सेनानियों की ओर खींचना चाहता हूं । मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों की बात करना चाहता हूं जो ससद-सदस्य दो चुके (भूतपूर्व) है । उनको भी स्वतत्रता सेनानी पेंशन मिलनी चाहिए, इस बात की व्यवस्था आप इसी सेशन में कर दीजिये ।

श्री मलिक एम० ए० खां : जो अब हैं ?

श्री रामाअवतार शास्त्री : सुनिये तो सही ।

भूतपूर्व संसद सदस्यों को जो 300 रुपये से 500 रुपये तक की पेंशन की राशि मिलती है, मेरा निवेदन यह है कि मंहगाई को देखते हुए उसको कम-से-कम 700 रुपये जरूर दिया जाये ।

फरार स्वतंत्रता सेनानियों के सम्बन्ध में आपने 3 मार्च को अतारांकित प्रश्न संख्या 1767 के जवाब में यह बताया था कि उस समय तक 4,01,710 दरख्वास्तें आपके यहां आ चुकी थीं और 38 लोगों को आपने स्वीकृति दी थी । आज 21 तारीख को फिर मैंने सवाल पूछा कि 31 मार्च को आखिरी तिथि थी, उस समय तक आपके यहाँ कुल कितनी दरख्वास्तें आई हैं ? जवाब में कहा गया है कि 1,74,896 और मिली कितनों को, यह 50 बताया है ।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि पहले वाली फीगर ठीक है या दूसरी ठीक है । संख्या को बढ़ना चाहिये था अगर बढ़ती नहीं भी तो घट कैसे गई ? इसका मतलब है कि आपके अधिकारियों ने संसद की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की है । उन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है । इन दोनों आंकड़ों में कौन सा सही है ? मन्त्री महोदय डायरेक्शन 115 के तहत इस त्रुटि को सुधारें वर्ना यह एक मजाक होगा । आखिर 4 लाख पौने दो लाख कैसे हो गया ? यह संख्या कम कैसे हो गई ? मैं इस डिसक्रिपेंसी की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं । इससे हमारे सदन की प्रतिष्ठा पर आँच आती है । क्लर्क लोगों ने लिख कर दे दिया और मन्त्री महोदय ने सुना दिया ।

आप जानते हैं कि पूरे देश में स्कूलों, कालेजों और युनिवर्सिटियों के अध्यापकों में भयंकर असंतोष है । इसका इजहार करने के लिए कल पूरे हिन्दुस्तान के टीचर लोग आल-इण्डिया फैडरेशन आफ यूनिवर्सिटियों एंड कालेज टीचर्ज आर्गनाइजेशन की तरफ से आए थे । उन्होंने शिक्षा मंत्री को अपना 9-सूत्री मांगपत्र भी दिया था । बहुत दिनों से उनका आंदोलन चल रहा है कि पे-रिविजन होना चाहिए, क्योंकि मंहगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । इसके अतिरिक्त स्कूल-कालेजों के प्राईवेट-मैनजमेंट को खत्म करना चाहिए । उनके 9-सूत्री मांगपत्र में सारी बात हैं । आप जानते हैं कि बिहार में 16 हजार कालेज और विश्वविद्यालय के टीचर्ज 12 अप्रैल को अपनी 31 सूत्री मांगों के लिए हड़ताल कर रहे हैं । सरकार बात करने को कहती है, लेकिन मन्त्री समय पर नहीं आते कोई बीच-बचाव नहीं हो रहा है । परेशानी बढ़ रही है । कल 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक फर्स्ट फेज में सारे प्रोफेसर्ज जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं । भारत सरकार और शिक्षा मंत्री को अध्यापकों की समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे हमारी वर्तमान और भावी सन्तान को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने वाले हैं । अगर उनमें असंतोष रहेगा तो काम नहीं चलेगा ।

मैं वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जन-गणना का काम 1981 में हो चुका है । प्रायः सभी शहरों की आबादी बढ़ गई है । पटना की आबादी के बारे में मैं कह सकता हूं

कि वह 4 लाख से बढ़कर 8 लाख हो गई है। मगर सरकार ने सिटीज को फिर अप ग्रेड नहीं किया है। मन्त्री महोदय बार-बार कहते रहे हैं कि जन-गणना की रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। पटना समेत बहुत से सिटीज हैं, जिनमें से किसी को बी-2 से बी-ए में आना चाहिए, कोई सी से बी होना चाहिए। इस बारे में मापदंड तय कर दिया गया है। सरकार इस बारे में ढिलाई कर रही है, जिससे लाखो सरकारी कर्मचारियों में भयंकर असंतोष है।

इस सदन में आवास मन्त्रालय की मांगों पर बहस नहीं हुई है। मैं आवास मन्त्री का ध्यान गंदी बस्ती सफाई योजना की तरफ खींचना चाहता हूं। बड़े-बड़े शहरों में यह योजना चलती है। लेकिन शहरों की स्थिति क्या है ? मन्त्री महोदय पटना जरूर जाते होंगे। वहां की स्थिति गतरे-बूद है। क्या वह राजधानी के लायक कोई शहर है ? सब तरफ गंदगी है। पीने का पानी नहीं मिल रहा है। गर्मी के मौसम में औरतें घड़े ले कर चारों तरफ घूम रही हैं। गन्दी बस्तियों की सफाई और शहरों और देहात में पीने के पानी का बंदोबस्त होना चाहिए।

सिंचाई मन्त्रालय की मांगों पर भी बहस नहीं हुई है। हमारे यहां सोन कैनाल के रीमाडलिंग का प्रश्न है। मन्त्री महोदय ने एक सवाल के जवाब में बताया है कि रीमाडलिंग एंड माडनाईजेशन आफ दुर्गावती कैनाल सिस्टम (रोहतास) पर 1246 लाख रुपये खर्च होंगे और उससे 17.57 हजार हैक्टेयर की सिंचाई होगी। कर्मनासा कैनाल रीमाडलिंग स्कीम (रोहतास) पर 704 लाख रुपये खर्च होंगे।

माडनाइजेशन आफ सोन कैनाल (शाहाबाद, पटना और रोहतास) 25244 लाख रुपये की योजना है, सबसे बड़ी योजना यही है, इससे 443,00 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। रीमोडेलिंग आफ कांची इर्रीगेशन स्कीम, रांची, इस पर 375,37 लाख रुपये खर्च होंगे और 16 19 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। इनके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए ताकि ये योजनाए चालू हो सक। विहार की सरकार दीघ सूत्री बन जाए तो आपको दीर्घ सूत्री नहीं बनना चाहिए। वहां की सरकार से आपने कुछ मांगा है. अगर वह अपनी योजना जल्दी नहीं देते हैं तो उनको खोद कर जगाइए।

ठीक इसी तरह से पुनपुन योजना है, उसके बारे में बता दूं, वह भी बाढ़ और सिंचाई की योजना है। 165.46 लाख रुपये की योजना है। इसको अगर आप चालू कर देंगे तो कई जिलों की, पटना, गया, नालन्दा, औरंगाबाद आदि की सिंचाई भी होगी और बाढ़ से रक्षा भी होगी। इनकी तरह आपको जल्दी ध्यान देना चाहिए। आपने तो अपना काम कर दिया लेकिन विहार सरकार इस पर कुंडली मार कर बैठी हुई है, उसकी कुंडली को तोड़ना होगा और इन योजनाओं को पूरा करके सिंचाई की जो वहां दिक्कत है उसको दूर करना होगा।

नाखिरी बात कह दूं। फतुहा मोकामा बरहिया ताल योजना बहुत बड़ी योजना है। अगर इसको आप बना लीजिए तो यह ग्रेनरी है। अन्न का भण्डार वहां से इकट्ठा हो सकता है आप पूरे विहार को दाल दे सकते हैं, दलहन वहां पैदा होता है, तिलहन पैदा होता है, चना और और गेहूं पैदा होता है। उस योजना को भी आप बना लें। अभी विहार विधान परिषद में उस

पर दो घन्टे तक बहस हुई। तो इस योजना की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। यही मुझे कहना है।

श्री प्रणव मुखर्जी : बहुत से प्रश्नों का उल्लेख किया गया है जोकि मुख्य रूप से शिक्षा, सिचाई, गृह तथा आवास और निर्माण मंत्रालयों से सम्बन्धित हैं माननीय सदस्य श्री रामावतार शास्त्री द्वारा वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित एक प्रश्न उठाया गया था और उसका मैं सबसे पहले उत्तर दूंगा। जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है जो आंकड़े उपलब्ध कराये गये हैं वे अभी भी अनन्तिम आंकड़े हैं तथा अन्तिम आंकड़े प्राप्त करने के लिए संगणना कार्य जारी है। श्री हाल्दर के एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में 16 अप्रैल को यह स्थिति इस सभा में स्पष्ट की गयी थी। जब शहरों का स्तर उच्च करने की पात्रता के सम्बन्ध में अन्तिम आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे तभी सरकार तदानुसार उस पर निर्णय लेगी।

स्वतन्त्रता सेनानियों की पैंशन के सम्बन्ध में, विशेष रूप से उन सदस्यों के बारे में जो स्वतन्त्रता संग्राम में भागीदार थे, कुछ निर्णयों पर विचार किया जा रहा है, परन्तु मुझे नहीं मालूम कि सभा के चालू सत्र में आवश्यक विधान पुरः स्थापित करना सम्भव होगा या नहीं—

श्री रामावतार शास्त्री : क्यों नहीं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : क्योंकि समय नहीं है। आपको पता है कि हम किस प्रकार जल्दी-जल्दी कार्य निपटा रहे हैं। स्पष्ट रूप से शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा और माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया जायेगा।

दूसरे मंत्रालयों के बारे में दिये गये सुझावों के बारे में मैं समझता हूं कि कुछ माननीय मन्त्री यहां पर उपस्थित हैं और उन्होंने दिये गये सुझावों को नोट कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब हम खंडों को लेंगे।

प्रश्न यह है।

"कि खंड 2,3 तथा 4 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, 3, तथा 4 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कार्य मंत्रणा समिति

(उनतीसवां प्रतिवेदन)

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 29 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम 1964 के अन्तर्गत जारी की गई अधि-सूचना संख्या सा० का० नि० 327 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो 21 अप्रैल 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो मई सितम्बर के 1982 के दौरान चीनी के अधिक उत्पादन के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रिबेट रूप के में प्रोत्साहन देने के बारे में है को सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3975/82]

---

6. म० प०26

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार 22 अप्रैल 1982/2 वैशाख 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

प्रबन्धक आर० आर० गुप्ता प्रैस, 472, पण्डित रामचन्द्र दहलवी मार्ग,
दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित ।

P&L. S.—48/27/40/82 (एन०)

© 1982 लोक सभा सचिवालय को प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
प्रबन्धक, आर०आर० गुप्ता प्रैस, 472, पं० रामचन्द्र देहलवी मार्ग,
दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित।